खण्ड-391, अंक-9
बुधवार, 8 चैत्र, शक संवत् 1911
(29 मार्च, 1989 ई0)

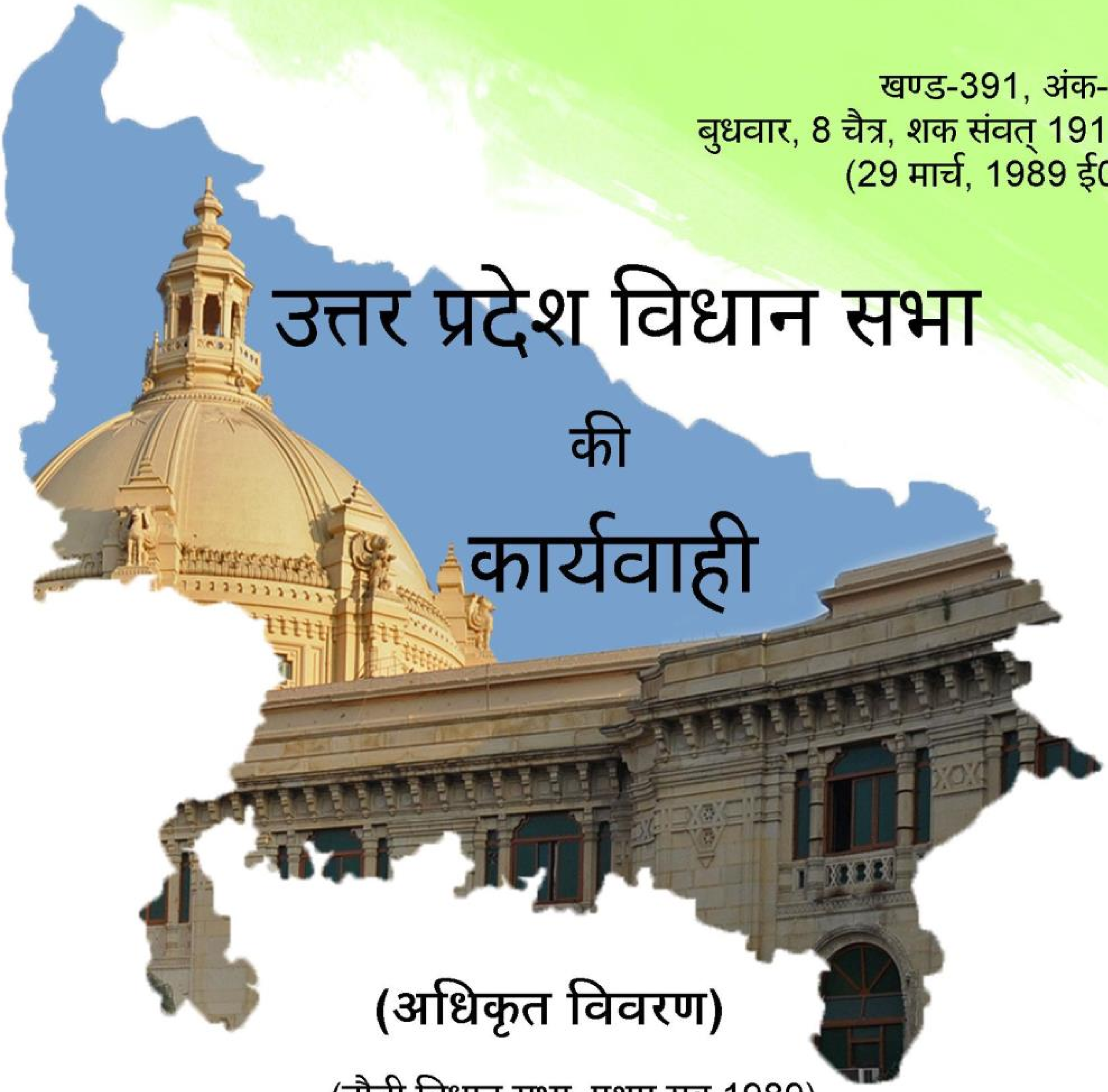

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, प्रथम सत्र 1989)

खण्ड 391 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1989

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ङ
सदन में कोरम का अभाव	छ
प्रश्नोत्तर	1–56
मंत्री-परिषद् के विरुद्ध दिये गये अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी ..	56
उत्तर प्रदेश एग्रो (उर्वरक विभाग) के कर्मचारी श्री मोहम्मद रेहान के निलम्बन को समाप्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
टाउन एरिया अमेठी, जनपद लखनऊ की हरिजन बस्तियों में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद बस्ती में आमी नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम नरहन खास की ग्राम समाज की भूमि के अवैध पटटे को निरस्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	58
जनपद मिर्जापुर के अनडिवाइडेड क्षेत्र में पीने के पानी की तत्काल व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद बाराबंकी के दरियाबाद ब्रांच में खांयी के पानी के भराव से कृषकों की फसलों की हुई क्षति का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद बलिया में ग्राम मुडेरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक रसड़ा द्वारा फर्जी मुकदमा करने पर कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60
आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	60
टाइम्स आफ इण्डिया लखनऊ संस्करण में ब्रिटेन की सांसद की रिसर्च एसिस्टेंट भारतीय मूल की सुन्दरी पामेला सिंह की आपत्तिजनक तस्वीर छपने के औचित्य का प्रश्न	61
वर्ष 1984 के लोक सभा चुनावों से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन अखबारों में न दिये जाने सम्बन्धी निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	67
नवसृजित मण्डल आजमगढ़ का मुख्यालय मऊ में बनाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	72
धान की पैदावार पर निर्यात के प्रतिबन्ध हटाने के सन्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	75
20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के मनोनयन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	75
नगरपालिकाओं के वर्गीकरण करने में नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	77

विषय	पृष्ठ संख्या
हजरतगंज, लखनऊ एवं हजरतगंज कोतवाली; लखनऊ में दिनांक 8 अप्रैल, 1983 को डा0 बी0 एन0 सिंह तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच हुए विवाद की रिपोर्ट 1985 .. .. (पटल पर रखी गयी)	78
जनपद बाराबंकी के ग्राम मानपुर राह में सार्वजनिक उपयोग की भूमि एवं रास्तों पर सवर्णों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने विषयक याचिका (उपस्थित की गयी)	78
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दिलाये जाने विषयक याचिका .. .. (उपस्थित की गयी)	78
अपट्रान के प्रबन्ध निदेशक श्री कुल भूषण और चेयरमैन श्री जोशी के विरुद्ध दी गयी विशेषाधिकार हनन की सूचना की जानकारी ..	78
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 .. (पुरःस्थापित)	79
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	79
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग (स्वीकृत) ..	100
वित्तीय वर्ष 1989–90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या–48 मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या–69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या–70 श्रम विभाग (सेवा योजन), अनुदान संख्या 26– गृह विभाग (कारागार); अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 29–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) (स्वीकृत)	133
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	170
माध्यमिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आचार्य नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोसाईगंज, फैजाबाद से वर्ष 1983–84 में उत्तीर्ण व्यक्तिगत छात्रों को प्रमाण-पत्र न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	170
दिनांक 27 फरवरी, 1989 को थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम सकार पार के पास बस्ती के भूतपूर्व विधायक के भतीजे श्री रामदेव की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	172
हरीचन्द्र इन्टर कालेज, लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री शारदा प्रताप आदि द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1989 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	175
उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित हास्थ नगर मौजे की 2601 एकड़ भूमि की खड़ी फसल पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री विक्रमादित्य पाण्डेय द्वारा 10 मार्च, 1989 को दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन	175

विषय	पृष्ठ या
प्रदेश में कांच एवं चूड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरें सरकार द्वारा तय न करने के सम्बन्ध में श्री रघुबर दयाल वर्मा आदि की दिनांक 27 फरवरी, 1989 को दी गई सूचना पर एक घन्टे की निर्धारित चर्चा का स्थगन	175
नत्थियां	177

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 1989

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजकर 05 मिनट पर दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:--

1--अकबर अहमद (डम्पी), श्री नैनीताल
2--अचल सिंह, श्री फतेहपुर
3--अजीजुर्रहमान, श्री बिजनौर
4--अजीत कुमार सिंह, श्री कानपुर
7--अमरनाथ सिंह, श्री फतेहपुर
8--अमीर आलम खां, श्री मुजफ्फरनगर
9--अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री बरेली
10--अरविन्द तिवारी, श्री जालौन
12--अलमेलु अम्माल, कुमारी बस्ती
13--अवधेश प्रताप मल्ल, श्री देवरिया
14--अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
15--अवनीश कुमार सिंह, श्री बदायूं
16--उदयवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
17--कमलेश कुमार पाठक, श्री इटावा
18--काजी मोहिउद्दीन, श्री सहारनपुर
19--किरन पाल सिंह, श्री बुलन्दशहर
20--किशन लाल दिलेर, श्री अलीगढ़
21--कुंवर बहादुर मिश्र, श्री हमीरपुर
22--चन्द्र भान मौर्य, श्री आगरा
23--चेतराम गंगवार, श्री बरेली
24--जनार्दन प्रसाद ओझा श्री गोरखपुर
25--जयदीप सिंह बरार, श्री बरेली
26--जयनारायण शर्मा श्री मेरठ
27--नंगाराम, श्री खीरी
28--नरेन्द्र पाल सिंह, श्री बरेली
29--नरेन्द्र सिंह, चौधरी कानपुर
30--नरेश पाल सिंह यादव, श्री बदायूं
31--पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
32--प्रेमीला बद्धवार मेहरा, श्रीमती बदायूं
33--फजले मसूद, श्री देवरिया
34--बलदेव सिंह, कैप्टेन अलीगढ़
35--बुधपाल सिंह "खुर्जावाले", श्री बुलन्दशहर
36--ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री फर्रुखाबाद
37--भगौती सिंह, श्री लखनऊ
38--भोला सिंह, श्री इलाहाबाद
39--मंगलदेव, श्री गोंडा
40--मनोहर लाल, श्री उन्नाव
41--मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री बस्ती
42--महरम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
43--मुहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
44--मोहम्मद वसीम अन्सारी, श्री रायबरेली
45--रफीक अहमद श्री (उर्फ रफ्फन) बरेली
46--राजित प्रसाद यादव, श्री वाराणसी
47--राजेश कुमार खैरा, श्री ललितपुर
48--राम औतार मिश्र, श्री (उर्फ ननकू) शाहजहांपुर
49--राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
50--वीरेन्द्र नाथ दीक्षित, श्री कानपुर
51--वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री गोरखपुर
52--वीरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
53--शशि शर्मा, श्रीमती देवरिया
54--शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर कानपुर
55--संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री वाराणसी
56--संजय सिंह, डा0 सुल्तानपुर
57--सैयद अली अशरफी, श्री पीलीभीत
58--हर नारायण सिंह, श्री रायबरेली
59--हरशरन सिंह, श्री मेरठ

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सदन में कोरम का अभाव

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, कोरम देर से होने की एक परिपाटी सी बन गयी है ।

श्री अध्यक्ष–

मालूम होता है आप लोगों को अब कोई रुचि नहीं रह गयी है । क्योंकि दो महीने हो गये हैं ।

(हंसी)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 1989

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इण्डोडच परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूपों के लगाने में विलम्ब का कारण

*1—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर वर्ष 1987-89 के दौरान एक हजार नलकूप इंडोडच परियोजना के अन्तर्गत लगाने की योजना स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो अब तक कितने नलकूप इस योजना के अंतर्गत लगाये गये ? क्या यह सत्य है कि विभागीय लापरवाही के कारण एक भी नलकूप नहीं लगाया गया जिससे सिंचन क्षमता की प्रगति शून्य हो गई है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और इसके लिए उत्तरदायी कौन है ?*

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री मुईद अहमद)—

इण्डोडच परियोजना के अंतर्गत 750 नये नलकूपों के निर्माण, पुराने 125 नलकूपों के आधुनिकीकरण तथा 200 नलकूपों के स्वतंत्र फीडर से जोड़ने की परियोजना माह मार्च, 1988 में स्वीकृत हुई थी ।

माह जनवरी 1989 तक 13 नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है ।

जी नहीं, निर्माण संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है यद्यपि अभी सिंचन क्षमता सृजित नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर गोलमटोल दिया है । यह एक बहुत महत्व पूर्ण योजना थी और इससे लाखों एकड़ जमीन में सिंचाई होनी थी, किन्तु सरकार के भ्रष्टाचार और मनमाने ढंग से कार्य करने के कारण स्थिति यह आ गयी है कि नीदरलैण्ड सरकार ने पैसा देना ही बन्द कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है ? यदि नहीं, तो इस योजना की इतनी धीमी प्रगति का क्या कारण है ? माननीय मंत्री जी कृपया यह भी बतायें कि अब तक इस योजना के अंतर्गत कितनी प्रगति हुई है ?

श्री मुईद अहमद—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो यह आशंका उठाई है कि नीदरलैण्ड सरकार ने धन देना बन्द कर दिया है, यह निराधार है । इस योजना की वित्तीय स्वीकृति 24 मार्च, 1988 को हुई थी । इसके पश्चात सर्वे आदि का कार्य हुआ । इण्डोडच के जितने भी नलकूप हैं उनको लगाने से पहले विभागीय सर्वे होता है और इसके पश्चात् फिर उनके लोग अपना सर्वे करते हैं । जहां तक हमारे विभाग का सम्बन्ध है, उसकी ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्डोडच योजना के अंतर्गत जो नलकूप लग रहे हैं उसमें बलिया जनपद का मुरली छबड़ा ब्लाक प्रस्तावित था, सर्वे हो चुका है कलस्टर का, उसके सम्बन्ध में कब तक आदेश जारी करेंगे ?

श्री मुईद अहमद–

बलिया जनपद में 50 नलकूपों के दो कलस्टर लगेंगे, उसके आदेश हो चुके हैं।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, यह इतनी बड़ी स्कीम है, नीदरलैण्ड ने आज तक इस पर कितना पैसा दिया है ? उस पैसे के अभाव में यह परियोजना प्रगति नहीं कर पा रही है या सरकार चाहती नहीं कि यह प्रगति करे ? कितना पैसा वहां से मिला है ?

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, पैसे का कोई अभाव नहीं है, कोई भी नयी योजना शुरू की जाती है उसमें जो कार्यवाही होगी, उसमें समय तो लगता है। इसमें ज्यादा विलम्ब नहीं हुआ है। जैसा कि उत्तर में बताया माह जनवरी 1989 तक 13 नलकूपों का छिद्रण किया जा चुका है। सर्वे हो चुका है। सारी चीजें बता दी हैं।

श्री मित्रसेन–

कितना पैसा मिला है ?

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

9 करोड़ रु0 मिला है।

श्रीमती शशि शर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि देवरिया जनपद के फाजिलनगर के अंतर्गत तमकुही में सिंचन क्षमता का अभाव है, वहां की स्थिति को देखते हुए यह स्कीम वहां भी लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो दूसरा सवाल है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि इसका कुछ सर्वे हो चुका है और कहीं-कहीं छिद्रण का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इसका जो सर्वे किया जा रहा है जिन पिछड़े क्षेत्रों का चयन किया जा रहा है, उसका मानक क्या है, मापदंड क्या निर्धारित किया है ? जिसके अंतर्गत उस क्षेत्र का सर्वे करके कार्यवाही निश्चित की जा रही है कि कहां यह नलकूप के कलस्टर लगाये जायेंगे ? कितने ऐसे कलस्टर अब तक स्वीकृत हो चुके हैं, जहां पर कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, जो क्षेत्र पिछड़े हैं जहां सिंचन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जहां कमी है, नीदरलैण्ड सरकार ने उन्हीं क्षेत्रों को इसकी प्रधानता दी है। इसमें गोरखपुर जनपद है, फैजाबाद जनपद है, सुल्तानपुर है।

श्री राम आसरे वर्मा–

हरदोई है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

हरदोई बहुत विकसित है । वहां डंडा चलता है । सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, बलिया ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

प्रतापगढ़ में भी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वहां विश्वबैंक है । सुल्तानपुर में 125, फैजाबाद में 100, गोंडा में 75, बहराइच में 75, बस्ती में 125, गोरखपुर में 125, देवरिया में 75, बलिया में 50, ।

(श्री भोपाल सिंह के खड़े होने पर)

मेरा पूरा उत्तर सुन लें । उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन्हीं 8 जिलों को पिछड़ा माना है । उनके ऊपर कोई इस मामले में दाब नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को ही उन्होंने चुना है । मैं जानना चाहूंगा कि इन्हीं जिलों को चुने जाने का क्या कारण है ? प्रदेश के दूसरे जिलों का कोई क्या सर्वेक्षण कराया है या नहीं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अभी नहीं कराया ।

श्री भोपाल सिंह–

माननीय मंत्री जी 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में मेरठ गये थे उनसे प्रार्थना की थी कि मेरठ जनपद में हिन्डन और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है, चोगामा क्षेत्र कहते हैं, 90 फीट वाटर लेबिल चला गया है, कहा था कि कलस्टर सिस्टम की मंजूरी दे दें । उसके बारे में जानना चाहूंगा । कि क्या कुछ विचार करेंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

विश्व बैंक के कलस्टर आयेंगे, इसके बारे में विचार चल रहा है और सम्भवतः 1989–90 के बीच में कुछ स्वीकृतियां भी आने वाली हैं, जब आयेंगी तो मेरठ मण्डल में अवश्य लगेगा ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में, जहां सिंचाई का अभाव है और कहीं-कहीं पर मीठा पानी भी है, इस जल को इस योजना के अंतर्गत लाने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, इन्डो डच योजना को मथुरा जनपद में लाने का प्राविधान अभी नहीं है । लेकिन विश्व बैंक योजना के अंतर्गत उसकी जानकारी कराई जा रही है और

सर्वेक्षण हो रहा है कि आगरा, मथुरा के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, जहां पर खारा पानी नहीं है, वहां विश्व बैंक के नलकूप लगाये जायें, भविष्य में उसकी स्वीकृति आने के उपरांत ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर से साफ हो गया है कि विश्व बैंक की इन्डो डच योजना के अंतर्गत भ्रमणकारी टीम यहां आयी और जो सर्वेक्षण कराया गया है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 4–5 जिलों का ही सर्वेक्षण कराया गया है और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वेक्षण कराया ही नहीं गया तो उनके चुने जाने का सवाल ही नहीं उठता । क्या मंत्री जी को मालूम है कि जो रेगिस्तान है, वह बराबर आगरा, मथुरा की सीमा में बढ़ रहा है और आगरा कैनाल के अलावा वहां कोई दूसरी कैनाल भी उपलब्ध नहीं है तथा पानी का अन्य कोई दूसरा साधन नहीं है और पानी के मामले में यह इलाका सर्वाधिक पिछड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी आगरे का सर्वेक्षण कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन् विश्व बैंक योजना के अंतर्गत गंगा नहर पुनरुद्धार की योजना चल रही है और उसका निर्माण हो रहा है । सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, एटा, मैनपुरी, आगरा, मथुरा यह सारे जिले जो हैं, वहां पर सिंचाई के जल की वृद्धि हो रही है । इसके उपरान्त अगर कोई क्षेत्र असिंचित रह जायगा, तो विश्व बैंक के अंतर्गत जो नलकूप योजना आने वाली है, उसमें उसको कवर कर लिया जायगा ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न था, उसी का उत्तर मैं जानना चाहूंगा, आप उत्तर दिलवाने की कृपा करें । प्रश्न यह है कि 19-3-88 को योजना स्वीकृत हुयी और 29-3-88 को पैसा मिल गया और आज 29-3-89 हो गया । इस प्रकार एक वर्ष की प्रगति यह है कि 13 नलकूपों का छिद्रण हुआ है, यह भी 13 नलकूप पानी नहीं दे रहे हैं । जबकि 750 नलकूपों का छिद्रण होना है और 200 की मरम्मत का काम है । अगर इस गति से काम चलेगा तो कम से कम 45 साल लग जायेंगे, तब काम पूरा होगा । अब प्रश्न यह है कि क्या कठिनाई है, जिसकी वजह से प्रगति नहीं हो पा रही है ? उसके उत्तर में इन्होंने बताया है कि पैसे की कठिनाई नहीं है । तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर पैसे की कठिनाई नहीं है तो यह प्रगति की शून्य गति होने का क्या कारण है, तथा इसको गतिमान करने के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, हम तो अनुरोध ही कर सकते हैं । नक्शा पेश कर दिया गया है । उनका अपना सिस्टम है, वह हमारे नक्शे के अनुसार सर्वेक्षण करा रहे हैं । जिस-जिस क्षेत्र को वह स्वीकृति प्रदान करते जा रहे हैं, वहां पर कार्य आरम्भ हो रहे हैं । अब न तो हमारी मंशा है और न नीदरलैण्ड सरकार की मंशा होगी कि इस काम में 45 साल लगें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन् एक बात माननीय मंत्री जी ने अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बतायी कि जहां-जहां नक्शों को स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, वहां छिद्रण कार्य हो रहा है। क्या यह सही है कि वह तकनीकी आधार पर आपत्तियां लगाकर काम में बाधा पैदा कर रहे हैं और इससे योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई का अहसास माननीय मंत्री जी को भी हो रहा है तथा इनके विभाग को भी हो रहा है। यदि हां, तो इस योजना के क्रियान्वयन करने में इनको जो कठिनाई है, जिससे यह उसको अमलीजामा नहीं दे सकते, तो इसमें संशोधन करने का कार्य करेंगे और उन इलाकों में किसी दूसरी योजना के तहत कार्य कराने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, संशोधन हो गया है और राजकीय नलकूप क्षेत्र में अगर निजी नलकूप हैं या भविष्य में होने वाले हैं, तो उनको स्वीकृति दे दी गयी है। कलस्टर दिया गया है, जहां निजी नलकूप थे जबकि उत्तर प्रदेश शासन का निजी नलकूप क्षेत्र को समायोजित करने का प्राविधान नहीं था। जब 28 फरवरी को बजट पेश किया गया, तो इसमें कहा गया था कि राजकीय नलकूप क्षेत्र में निजी नलकूप लगाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। पहले यह अवरोध था, वह अब दूर हो गया है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बस्ती जिले में जो 125 नलकूप स्वीकृत हुए हैं, उसमें से कितने कलस्टर बस्ती जिले के किन-किन विधान सभा क्षेत्र में हैं और जो सिद्धार्थ नगर अलग से जिला बना है, उसमें कितने हैं। कितनों में काम चालू हुआ है और कितने अवशेष हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

एक जिला बस्ती लिया गया है। वहां वह किस क्षेत्र में कितना बंटा है यह इन्डो डच का काम है उत्तर प्रदेश शासन का नहीं।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, प्रतापगढ़ जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या माननीय मंत्री जी इन्डो डच योजना के अंतर्गत प्रतापगढ़ में नलकूप लगायेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में 10 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को लाने का विचार है, जिसमें शासन अपने साधन से और अन्य साधनों से नलकूप लगायेगा। कहां कितने लगाये जायेंगे, यह अभी तय नहीं है।

(श्री राकेश धर त्रिपाठी व श्री सूर्य प्रताप शाही जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री त्रिपाठी जी एक ही प्रश्न पर 20 मिनट का समय हो गया है। यदि आप लोग आगे के प्रश्न नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसी पर समय ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। श्री सूर्य प्रताप शाही जी आप एक प्रश्न कर लीजिए।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के सम्पूर्ण उत्तर से यह पता चल गया है कि यह योजना खटाई में पड़ गई है। इस पूरी योजना का उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार व नीदरलैण्ड की सरकार ने सर्वेक्षण कराया था, उसका प्राक्कलन बना और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना में कितने का प्राक्कलन बना। दूसरा, आपने यह कहा कि जहां-जहां वह स्वीकृति देते जा रहे हैं, वहां-वहां आप लगाते जा रहे हैं, वहां-वहां आप लगाते जा रहे हैं। उन्होंने किन-किन स्थानों के लिए स्वीकृति दी है। देवरिया जनपद का भी उन्होंने उल्लेख किया है। देवरिया जनपद में मेरे क्षेत्र के अंतर्गत नहरों का पानी वहां टेल तक नहीं पहुंच पाता है, क्या वहां का सर्वेक्षण कर इस योजना को वहां पर लागू करने की कृपा करेंगे और इलाहाबाद में भी इस योजना को लागू करने पर विचार करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, मैंने अनुरोध किया कि यह उत्तर प्रदेश शासन के अधिकार में नहीं है कि इस एग्रीमेन्ट के अंतर्गत इन-इन जिलों में लगाया जाये। 18 जिलों में उन्होंने अपनी स्वीकृति दी है। जहां वह उचित समझ रहे हैं, वहां उसे वह स्वीकार कर रहे हैं।

'पिकअप' के शेयर खरीदने व बेचने की नीति

**2–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री मैनेजर सिंह तथा श्री हर्ष वर्धन–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किन-किन बड़े औद्योगिक घरानों के 'पिकअप' में 25 लाख से अधिक के शेयर हैं ? इन शेयरों के खरीदने और बेचने की नीति क्या है ?

शिक्षा, वन एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जगदम्बिका पाल)–

पिकप की अंशपूंजी में किसी भी औद्योगिक घराने के शेयर नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, प्रश्न के दो हिस्से हैं। पहला, यह कि किन-किन औद्योगिक घरानों के शेयर हैं। दूसरा, यह कि पिकअप के शेयरों को खरीदने व बेचने की नीति क्या है ? माननीय मंत्री जी ने इस हिस्से का उत्तर नहीं दिया है। इसलिए माननीय मंत्री जी इसे बताने की कृपा करें। 5 लाख से ऊपर किन-किन का शेयर है, इसे बताने की कृपा करें ?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पिकअप तो पूर्णतया सरकारी प्रतिष्ठान है, 100 करोड़ रु0 की पूंजी है। इसमें किसी घराने की कोई अंशपूंजी नहीं है। यह या तो ऋण देता है टर्म लोन या दूसरा काम संयुक्त क्षेत्र में सहायतित क्षेत्र में किसी के साथ अपनी कम्पनियां प्रतिस्थापित करता है, फैक्ट्री लगाता है। प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में मैंने बताया कि किसी घराने की कोई पूंजी नहीं लगी है। जब पूंजी नहीं लगी है तो खरीदने

और बेचने की नीति के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया है कि "प्रश्न नहीं उठता" वैसे पिक-अप जहां शेयर लगाता है उसके जो खरीदने और बेचने की नीति है, उसके तीन आधार हैं—पहला, बाजार मूल्य क्या होता है, दूसरा, बुक-प्रप वैल्यू होती है बैलेंस शीट से निकाली जाती है, उसके आधार पर अंशपूंजी की बिक्री करता है, तीसरा, रेट आफ इन्ट्रेस्ट होता है, अंशपूंजी पर रेट आफ इन्ट्रेस्ट निर्धारित करते हैं । उसके आधार पर अंशपूंजी की बिक्री करते हैं । इन तीनों आधारों के साथ जो को-प्रोमोटर्स होते हैं, उन्हें पहले शेयर बेचते हैं नहीं तो प्राइवेट को बेचते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

मंत्री जी बता दें कि पिकअप ने कौन-कौन से बड़े औद्योगिक घरानों के साथ किन-किन कम्पनियों में अपनी पूंजी लगायी है और कितनी ?

श्री जगदम्बिका पाल—

आपने तो प्रश्न किया है कि किस-किस घराने की पूंजी लगी है, किस-किस कम्पनी में कितनी-कितनी पूंजी लगी है इसके लिये अलग से प्रश्न कर लें । मैंने अभी बताया कि संयुक्त क्षेत्रों में और सहायतित क्षेत्रों में लगा रहे हैं । संयुक्त क्षेत्रों में किन-किन कम्पनियों में लगाया है और सहायतित कम्पनियों में किन-किन में लगाया है, इसके लिये अलग से प्रश्न कर लें ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने शेयरों को बेचने के तीन आधार बताये हैं । जानना चाहूंगा कि उन तीन आधारों पर पिछले एक साल में पिकअप ने आपने शेयर किन-किन लोगों को या प्रतिष्ठानों को बेचे हैं, यह बता दें ?

श्री जगदम्बिका पाल—

अभी तक कहीं कोई शेयर नहीं बेचा है ?

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

शारदा सहायक सप्तम मण्डल लखनऊ से सेवा निवृत्ति सहायक अभियंताओं के ग्रेच्युटी, पेंशन आदि के भुगतान में विलम्ब का कारण

*1—श्री प्रेमपाल सिंह तथा श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 40 सप्तम मंडल लखनऊ से अक्टूबर, 1985 में कितने सहायक अभि0 सेवा निवृत्त हुए थे? उनमें से कितनों को इतनी लम्बी अवधि (सवा तीन साल) बीत जाने के बाद भी पेंशन ग्रेज्युटी एवं अन्य देयों का भुगतान नहीं किया गया है और क्यों ? क्या मंत्री जी तत्काल उनके अवशेष देयों के भुगतान हेतु आदेश देंगे एवं विलम्ब के लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं , तो क्यों ?

सिंचाई उप मंत्री (श्रीमती हितेष कुमारी)–

प्रश्नगत मण्डल से अक्टूबर, 1985 में केवल एक सहायक अभियंता श्री शम्भु शरण भटनागर सेवा-निवृत्त हुए थे ।

श्री भटनागर को अनन्तिम पेंशन, दिनांक 10-2-87 को स्वीकृत की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त भविष्य निर्वाह निधि, जीवन बीमा तथा अवकाश के नगदीकरण की धनराशि का भुगतान भी श्री भटनागर को किया जा चुका है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) भविष्य निर्वाह निधि का अंतिम भुगतान चेक संख्या-53/206277, दिनांक 5-8-87 द्वारा रु0 3821-00 का किया गया है ।

(2) जीवन बीमा की धनराशि रु0 1680-00 का चेक संख्या-84/449, दिनांक 11-8-86 द्वारा तथा रु0 229-25 का चेक सं0-1/450, दिनांक 11-8-86 द्वारा भुगतान किया गया ।

(3) नगदीकरण अवकाश की धनराशि रु0 11516-40 का चेक संख्या-12/200270, दिनांक 1-8-86 द्वारा तथा रु0-1000-00 का चेक संख्या 27/200270, दिनांक 23-8-86 द्वारा भुगतान किया गया ।

श्री भटनागर को अंतिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रगति पर है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि श्री शम्भू शरण भटनागर सन् 1985 में रिटायर हुए और आज चार साल के बाद भी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि श्री भटनागर को अंतिम पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत करने की कार्यवाही प्रगति पर है । किसी सेवा निवृत्त व्यक्ति की पेंशन में भविष्य निर्वाह निधि, जीवन बीमा, ग्रेच्युटी आदि शामिल होते हैं और सबका भुगतान किया जाता है । तो सेवा निवृत्त के बाद इस धनराशि के भुगतान की अवधि शासन ने क्या निश्चित की है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह नियम सामान्य प्रशासन के अंतर्गत आता है कि बारह महीने में इसका भुगतान हो जाना चाहिए बशर्ते उसकी सब चीजें किलियर हों । उनके संबंध में कुछ बिन्दु किलियर नहीं थे, जो अब हो गये हैं , तो अब शीघ्र ही भुगतान हो जायेगा ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, श्री भटनागर अक्टूबर, 1985 में सेवा से निवृत्त हुए । अनन्तिम पेंशन 1987 को स्वीकृत हो गई लेकिन आज डेढ़ साल के बाद उनको पेंशन और ग्रेच्युटी की धनराशि नहीं मिल पायी है । तो क्या मंत्री जी आप इसके लिए कोई अवधि निश्चित करेंगे कि एक साल, 6 महीने या दो महीने में उनको इसका भुगतान कर दिया जायेगा और इस बिलम्ब में जो दोषी अधिकारी/कर्मचारी हैं उनको पेंशन स्वीकृत हो जाने के बाद भी उसका भुगतान नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ क्या आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मान्यवर, इसमें कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है इसलिए उनके प्रति कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है । उनकी पेंशन को तीन-चार महीने में क्लियर कर दिया जायेगा ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नियमानुसार सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को एक साल के अन्दर उनकी पेंशन का भुगतान कर देना चाहिए । हम सोच रहे थे कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के कारण श्री भटनागर की पेंशन के भुगतान में बिलम्ब हुआ है, उनके प्रति कार्यवाही किये जाने की घोषणा माननीय मंत्री जी करेंगे । यदि सारी बातें क्लियर हो गयी हैं इनके पेंशन के संबंध में तो माननीय मंत्री जी आप एक निश्चित समय दे दीजिये कि इतने दिनों में आप इनकी पेंशन का भुगतान करा देंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह ह्यूमनेटेरियन ग्राउन्ड पर रिलीज कर रहे हैं ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

इसमें ह्यूमनेटेरियन ग्राउण्ड की कोई बात नहीं होती है । सेवा निवृत्त कर्मचारियों की सालों तक पेंशन व ग्रेच्युटी रोके रहते हैं और उस पैसे का दुरुपयोग करते रहते हैं । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि शासन की नीतियों का पालन न करने वाले दोषी व्यक्तियों के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

यह सब हेड आफ डिपार्टमेंट के यहां से एकाउन्टेन्ट जनरल के यहां चला जाता है । अब हम किसको दण्डित करें ? एकाउन्टेन्ट जनरल को या अपने आप को ?

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय मंत्री जी बीस सूत्री कार्यक्रम की माला रोज जपते हैं । इसमें प्रशासन के लिए संवेदनशीलता भी एक मुद्दा है । तो सेवानिवृत्त अधिकारी । कर्मचारी जो हैं उसकी चार-चार साल तक पेंशन का भुगतान न हो, क्या यह संवेदनशीलता का उदाहरण है या संवेदनहीनता का उदाहरण है ? क्या आप कोई ऐसा निर्देश देंगे कि जैसे कि शासन की नीति है कि सेवा-निवृत्त लोगों की पेंशन का भुगतान एक साल के अन्दर हो जाय, वैसे ही किया जाय और बिलम्ब के लिए पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी को क्या आप दण्डित करेंगे ? क्या आप यह व्यवस्था करेंगे कि जो कमाऊ इंजीनियर्स हैं उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन बचत खाते में जमा करा दें, लेकिन जो कर्त्तव्यशील इंजीनियर्स हैं उनको कम से कम 6 महीने के अन्दर उनकी पेंशन का भुगतान करा दें, क्या आप ऐसी कोई व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस प्रकार का प्रकरण माननीय मुख्य मंत्री जी के विचारार्थ है और वे इसके लिए हल निकाल रहे हैं । यह बात सही है कि बहुत से कर्मचारी/अधिकारी जो कि रिटायर्ड हो गये हैं उनको दस-दस साल तक पेंशन नहीं दी जाती है, इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी विचार कर रहे हैं ।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो जाती है और लगभग एक वर्ष के अन्दर यदि उनके सारे भुगतान नहीं हो जाते हैं तो क्या सरकार ऐसा कोई प्राविधान बनायेगी कि एक वर्ष की अवधि के बाद जितनी भी धनराशि है, उनकी बकाया हो, उस पर ब्याज देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

इस बात को वित्त विभाग को संदर्भित करा दूंगा श्रीमन्

उत्तर प्रदेश में विद्युत दर कम करने की कार्यवाही

*2–श्री हर्ष वर्धन–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में विद्युत दरें जो सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक हैं, को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि कार्यवाही नहीं की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को भारत में सर्वाधिक मंहगे दर पर आपूर्ति किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री राम आंतार दीक्षित)–

उत्तर प्रदेश में विद्युत दरें सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक नहीं हैं । अतः उन्हें कम करने की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में घरेलू पंखा आदि के लिए जो बिजली दी जा रही है वह 75 पैसा प्रति यूनिट जबकि बिहार में 63.73 पैसा प्रति यूनिट और तामिलनाडु में 55 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से मिलती है । इसी प्रकार से कृषि के उपयोग के लिए आन्ध्र प्रदेश 9.05 पैसा प्रति यूनिट तामिलनाड में 11.4 पैसे प्रति यूनिट बिहार में 36 पैसा प्रति यूनिट तथा उत्तर प्रदेश में 41.03 पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है । तो माननीय मंत्री जी क्या सदन को यह जानकारी देंगे कि उत्तर प्रदेश में इतनी मंहगी दर पर बिजली की आपूर्ति किन कारणों की जा रही है ?

श्री राम आंतार दीक्षित–

मान्यवर मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहूंगा कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के "प्रकाशन" भारत में औसत विद्युत दरें एवं विद्युत कर के मई 88 के संस्करण के अनुसार उत्तर प्रदेश के विभिन्न श्रेणियों की विद्युत दरों से अधिक विद्युत दरों वाले प्रदेशों का विवरण हमारे पास उपलब्ध है । घरेलू रोशनी और पंखा के उपयोग के लिए उड़ीसा में 89.33 पै0/यूनिट, गुजरात में 85.23 पै0/ यूनिट, कर्नाटक में 85 पै0/ यूनिट, दिल्ली में 77 पै0/यूनिट तथा उत्तर प्रदेश में 75 पै0 प्रति यूनिट । इसी प्रकार से वाणिज्य एवं रोशनी एवं पंखा के उपभोग के लिए कर्नाटक में 178.75 पै0/यूनिट, गुजरात में 144.79 पै0, हरियाणा में 123.00 पै0, तामिलनाडु 120.00 पै0, प्रति यूनिट दी जा रही है, इस प्रकार से हमारे पास पूरे विवरण हर जगह के मौजूद हैं, माननीय सदस्य हमारे पास आयें, उन्हें हम सब दिखा देंगे..... (व्यवधान)

श्री हर्ष वर्धन–

मान्यवर मैंने तो माननीय मंत्री जी से कृषि के बारे में पूछा था और माननीय मंत्री जी उद्योगपतियों के बारे में बता रहे हैं . . . . . (व्यवधान)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर माननीय मंत्री जी कृपया यह बताने की कृपा करें कि किसान को जो बिजली आप दे रहे हैं, नलकूपों के लिए और सिंचाई के लिए उसके आपके यहां के रेट में और हरियाणा गुजरात व पंजाब आदि में क्या फर्क है ? एक सवाल और दूसरा सवाल बस पहले यही बता दें ?

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर जहां तक व्यक्तिगत नलकूपों के लिए दरों का प्रश्न है, इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आसाम में 50 पै0/यूनिट, बिहार में 36 पै0/यूनिट, पश्चिम बंगाल में 35 पै0/यूनिट, गुजरात व हरियाणा में 29.38 पै0/यूनिट, राजस्थान में 29.00 पै0/यूनिट, पंजाब में 28.9 पै0/यूनिट तथा उत्तर प्रदेश में 27.54 पै0 प्रति यूनिट . . . . .

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें किसानों के लिए बोझिल हैं । मैं मा0 मंत्री जी को सूचना देकर जानना चाहूंगा कि बिजली का जो उत्पादन व्यय है, वह ज्यादा है और उसका कारण है कि कोयले की चोरी होती है और दूसरे अन्य कार्यों में भी भ्रष्टाचार है, जिसके कारण उत्पादन व्यय जो है वह ज्यादा है तो क्या माननीय मंत्री जी उत्पादन व्यय को कम करने के लिए जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की कृपा करेंगे ?

श्री राम अवतार दीक्षित–

मान्यवर, हमारा सतत प्रयास जारी है कि जो उत्पादन व्यय अधिक होता है, उसको कम किया जाय और जहां तक माननीय सदस्य ने जो भ्रष्टाचार की बात कही है, उसके बारे में माननीय सदस्य सूचना दे दें मैं कार्यवाही करूंगा । बाकी एक शब्द भ्रष्टाचार का इस्तेमाल जो है वह शिष्टाचार हो गया है, लेकिन अगर वह मुझे कोई निश्चित जानकारी देंगे तो मैं अवश्य कार्यवाही करूंगा, विधिवत कार्यवाही करूंगा ।

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, इमरजेंसी का जो जमाना था, उसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उस समय भ्रष्टाचार जो था वह खत्म हो गया था । अगर पोलिटिकल विल हो तो भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है और नीचे तक समाप्त हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तमाम प्रदेशों की बिजली की दरों को पढ़कर सुना दिया और उत्तर प्रदेश की भी बिजली की दर को सुना दिया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसमें विद्युत कर और सर चार्ज भी शामिल है, या इनकी माप अलग है ।

श्री राम आतार दीक्षित–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है । मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इसी प्रश्न को लेकर सदन में आयें, मैं उसकी विधिवत जानकारी दूंगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किसानों से मिनिमम चार्ज लिया जाता है और जिस दर को माननीय मंत्री जी ने 27 पैसा बताया है, वह बढ़कर 54 पैसा हो जाती है । तमिलनाडु, कर्नाटक और गुजरात में यूनिट के हिसाब से बिजली चार्ज की जाती है, तो उनकी बिजली की दर कम है और आप मिनिमम चार्ज लेते हैं इसलिए यहां पर बिजली मंहगी पड़ती है, क्या इसकी आपको जानकारी है ।

श्री राम आतार दीक्षित–

मान्यवर, इसकी तो जानकारी इस समय नहीं है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया था, उसके बारे में विधिवत जानकारी है ।

औद्योगिक रूप से शून्य विकास खण्डों में नये उद्योग लगाने के अतिरिक्त सब्सिडी देने पर विचार

*3–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक रूप से शून्य विकास खण्डों में नये उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त सबसिडी देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है? क्या यह भी सत्य है कि 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत की प्रथम औद्योगिक इकाई को, प्रीमियर प्रेस्टीज योजना के अन्तर्गत, तहसील की सीमा के स्थान पर विकास खण्ड की सीमा निर्धारित करने का सरकार ने निर्णय लिया है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जगदम्बिका पाल–

प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति को तीव्रता प्रदान करने के उद्देश्य से इस बात पर विचार किया जा रहा है कि नयी औद्योगिक इकाइयों को दी जा रही सुविधाओं को और आकर्षक बनाया जाय। इस सम्बन्ध में कार्यवाही अभी प्रारम्भिक चरणों में है और अभी इसकी रूप रेखा बनाने के लिये विचार-विमर्श चल रहा है।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मेरा मूल प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि औद्योगिक रूप से शून्य विकास खण्डों में नये उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को विशेष प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त सबसिडी देने के प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं कि सरकार इस पर कोई विचार कर रही है या नहीं। मैंने यह भी पूछा है कि क्या यह भी सत्य है कि 1 करोड़ रुपये से अधिक लागत की प्रथम औद्योगिक इकाई को,

प्रीमियर प्रेस्टीज योजना के अन्तर्गत, तहसील की सीमा के स्थान पर विकास खण्ड की सीमा निर्धारित करने का सरकार ने निर्णय लिया है ? इसको भी मंत्री जी ने गोल कर दिया है। मान्यवर, उद्योगों की स्थिति यह है कि सितम्बर से बैकवर्ड और जीरो डिस्ट्रिक्ट्स में जो केन्द्रीय उपादान मिलता था उसे केन्द्रीय सरकार ने बन्द कर दिया है जिसका नतीजा यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास ठप हो गया और अब एग्रिकल्चरल बेस्ट इन्डस्ट्री उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं लग सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुये ही मैंने प्रश्न किया था। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय उपादान योजना में केन्द्र ने सबसिडी देना बन्द करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार पायनियर और प्रेस्टिज नाम की योजना को चला रही है उसको तहसील स्तर से लेकर उससे निचले स्तर यानी विकास खण्ड स्तर पर लागू करने पर विचार करेगी?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा है कि पायनियर स्कीम लागू रहेगी तो उसको तहसील स्तर से विकास खण्ड स्तर तक भी रखेंगे । मान्यवर, पायनियर योजना की जो बात कही है वह लागू है और वह प्रदेश के 11 जिलों में है ये जिले हैं–वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, लखनऊ लखीमपुर-खीरी, बरेली, मुजफ्फरनगर, आगरा, अलीगढ़ तथा इलाहाबाद की उद्योग शून्य तहसीलों में सहायता उपलब्ध है। यह उन्हीं तहसीलों में उपलब्ध है जिनमें केन्द्रीय पूंजी उपादान उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, प्रेस्टिज इकाइयों को विशेष पूंजी उपादान 15 जिलों में उपलब्ध है। ये जिले हैं–वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर-खीरी, बरेली, मुजफ्फरनगर, आगरा अलीगढ़ इलाहाबाद मेरठ गाजियाबाद सहारनपुर कानपुर नगर और बिजनौर। भारत सरकार की केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना में 42 जनपद आते हैं। 30 सितम्बर, 1988 तक भारत सरकार ने इसके लिये स्वीकृति दी थी लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से इस योजना को आगे भी लागू करने के लिये कहा है और इसके लिये उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो मूल प्रश्न है उसमें माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि जो औद्योगिक शून्य जिले अथवा विकास खण्ड हैं उनको शून्य जिला उद्योग के मामले में आप घोषित करके उनमें औद्योगिक विकास के लिये सरकार क्या कर रही है। यह सीधा सवाल है और मंत्री जी घुमा-फिरा कर शब्दों के जाल में टिरकाना चाहते हैं जो औद्योगिक शून्य जिले हैं उनके लिये सरकार के पास क्या नीति है? उनके औद्योगीकरण के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है जो विकास खण्ड उद्योग शून्य हैं और जो ऐसे जनपद हैं जहां पायनियर और प्रिस्टीज स्कीम लागू है उनमें जो सुविधायें अनुमन्य हैं, वह उन्हें उपलब्ध हैं पायनियर स्कीम जहां पर लागू है वहां पर 1 करोड़ की पहली इकाई जाती है तो उसमें 15 लाख रुपया अनुदान दिया जाता है और प्रिस्टीज में 25 करोड़ विनियोजित किया जाता है तो 15 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है. . . (व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, गोण्डा एक पिछड़ा जिला है। उसे इस योजना के अन्तर्गत न लिये जाने का क्या कारण है। क्या माननीय मंत्री जी गोण्डा जनपद को इस योजना में सम्मिलित करेंगे?

श्री जगदम्बिका पाल–

केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना 42 जिलों में लागू है। हमने इन्हें श्रेणी ए, बी और सी किये हैं। ए में 15 जिले आते हैं बी में 5 तथा सी में 22 जिले आते हैं। इनमें यह योजना लागू थी। 30 सितम्बर, 88 तक यह स्कीम भारत सरकार द्वारा चलायी गई। उसको बढ़ाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है... (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र देव–

सम्मानित मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि जो नये जनपद सृजित हुये हैं जिसके कारण वह उद्योग शून्य हो गये हैं जैसे मिर्जापुर में नया जनपद सृजित हो जाने से अब मिर्जापुर उद्योग शून्य बन गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अपनी नीति के तहत कितने दिन के अन्दर मिर्जापुर को उद्योग में पिछड़ेपन की केटगरी में घोषित कर देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पिछड़े जनपद का वर्गीकरण भारत सरकार करती है मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं औद्योगिक विकास के लिये जो भी सुविधायें अनुमन्य हैं केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना के अन्तर्गत उसमें 42 जिले आते हैं उसमें तीन कैटेगरी ए, बी, सी हैं जो विभिन्न जिलों में लागू हैं जैसा मैंने पहले भी बताया है (व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है नये जनपद जो बने हैं उनके बारे में। अगर वह उद्योग शून्य है तो उनके लिये भारत सरकार को लिखेंगे कि यह नये जिले सृजित हुये हैं इनको उद्योग शून्य की श्रेणी में लिया जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आगरा वाले भी यह कहेंगे (व्यवधान) जूते बनाने की इतना बड़े काम वहां होता है (व्यवधान) जूता भी वह ले लिये हैं...

श्री अध्यक्ष–

उसको वह वापस कर देंगे आपको।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो दो स्कीमें आपने बताई उसके अन्दर कुल 26 जिले लिये गये हैं। बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पुराने उद्योग हैं जो उद्योग के नाम पर केवल नामकरण मात्र ही हैं जैसे बस्ती जिला है उसका सिद्धार्थनगर बन गया है। तो क्या अब बस्ती और सिद्धार्थनगर को भी इस केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने का आश्वासन देंगे।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, केन्द्रीय उपादान योजना तीन श्रेणी में लागू है ए, बी, सी। अब जो नये जिले बने हैं अगर वह उद्योग शून्य की श्रेणी में आते हैं तो उसके लिये भारत सरकार को लिखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

(श्री सूर्य प्रताप शाही का नाम पुकारने पर और श्री रघुवर दयाल वर्मा के खड़े होने पर) इस तरह से तो एक ही सवाल में सारा समय लग जायेगा और आप ही कहेंगे मेरा सवाल रह गया।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने तीन योजनाओं का जिक्र किया प्रेस्टीज पायोनियर और ब्लाक में एक करोड़ खर्च करने की बात है। तो वह किसी एक ब्लाक को गिना सकते हैं जहां एक करोड़ खर्च किया हो केवल दो जगहों को छोड़कर जगदीशपुर को छोड़कर जो प्रधान मंत्री का क्षेत्र है। जो ए, बी, सी श्रेणी बताई उनमें वह बता दें जहां एक करोड़ या 10 लाख के यूनिट स्थापित किये गये हो और उनको क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं और जो नये जिले बने हैं उनके लिये क्या-क्या योजनायें बनाई हैं?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, इसके लिये अलग प्रश्न कर लें कि कहां कहां इकाइयां स्थापित की गयी हैं इन स्कीमों के तहत तो मैं बता दूंगा। दूसरा प्रश्न जो नये जिलों के संबंध में है फिरोजाबाद के बारे में है तो जैसा मैंने बताया कि जो नये जनपद सृजित हुये हैं अगर वह उद्योग शून्य हैं तो केन्द्रीय पूंजी उपादान योजना को एक्सटेंड करने के लिये लिख रहे हैं। तो उन जिलों के बारे में भी विचार कर लिया जायेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मेरे मूल प्रश्न की जो चिंता थी उसको मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। अभी उन्होंने स्वीकार किया है कि 42 जनपदों में जहां केन्द्रीय उपादान योजना लागू किया वहां 15 से 25 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती थी उसको केन्द्र सरकार ने देना बन्द कर दिया है सितम्बर 1988 से। तो ऐसी दशा में पूरे उत्तर प्रदेश में उद्योग कैसे लगेंगे? यह हमारी चिंता है। इसको ध्यान में रखते हुए मंत्री जी ने बताया कि केन्द्र सरकार से बात हो रही है। लेकिन केन्द्र सरकार सुन नहीं रही है। तो क्या उन 42 जनपदों में उद्योग नहीं लगायेंगे? और केन्द्रीय उपादान योजना लागू होने से पहले सब्सिडी उद्योगों को विकास के लिये देते थे। तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उन 42 जनपदों में केन्द्रीय उपादान योजना लागू करने से केन्द्र सरकार ने क्यों मना कर दिया ? इस दशा में इन जिलों में पाइनियर प्रेस्टीज योजना क्या आप लागू करेंगे? यदि नहीं तो क्यों और लागू करेंगे तो कबसे?

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, केन्द्रीय उपादान योजना से पूर्व जो उत्तर प्रदेश में जो सुविधायें देने की बात थी वह 1-4-83 के पूर्व थी। केन्द्रीय उपादान योजना 42 जनपदों में लागू हुई तो वह सुविधा बन्द कर दिया। जैसा मा0 सदस्य ने कहा कि 15-25 प्रतिशत की सुविधा सितम्बर 1988 से बन्द हो गयी है तो उनसे ज्यादा सरकार चिंतित है। वह जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना में हम अधिक से अधिक उद्योग लगाने का प्रयास कर रहे हैं और लगायेंगे तथा मुख्य मंत्री जी और सरकार स्वयं इस दिशा में प्रयास कर रही है कि प्रदेश के उद्योगों का विकास अधिक से अधिक कैसे करें।

जो माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्रीय उपादान योजना बन्द हो गयी है, तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार उसे लागू कराने की तेजी से कार्यवाही कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। और भारत सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि केन्द्रीय उपादान योजना उत्तर प्रदेश में लागू हो।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर लि0 मंगारी तहसील बीकापुर जनपद फैजाबाद में अधिग्रहीत भूमि से प्रभावित किसानों को सेवा में लेने का प्रस्ताव

*1—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बीकापुर तहसील के मंगारी गांव में दुर्गा बंसल फर्टिलाइजर लि0 स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु किन-किन गांवों के किन-किन किसानों की कितनी-कितनी भूमि ली गयी तथा प्रोजेक्ट से प्रभावित कुल कितने किसानों को नौकरी दी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जगदम्बिका पाल—

जी हां। इकाई ने फैक्ट्री के निर्माण हेतु भूमि सीधे किसानों से क्रय की है। जिन किसानों की भूमि ली गई है, उनका तथा भूमि का विवरण संलग्न परिशिष्ट में दिया गया है। इकाई को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जिसके लिए किसान उपयुक्त नहीं हैं। फिर भी अकुशल श्रमिकों के रूप में प्रभावित किसानों को दैनिक वेतन पर आवश्यकतानुसार रखा जाता है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 177 पर)

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इकाई को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है जिसके लिये किसान उपयुक्त नहीं हैं। फिर भी अकुशल श्रमिकों के रूप में प्रभावित किसानों को दैनिक वेतन पर रखा गया है। मान्यवर, 3-4 साल से वह फैक्टरी चल रही है और जिन श्रमिकों को अकुशल समझकर रखा है वह 3-4 सालों में प्रशिक्षित हो गये होंगे। तो क्या मंत्री जी उन श्रमिकों को कुशल समझकर स्थायी करने पर विचार करेंगे कि नहीं ?

श्री जगदम्बिका पाल—

मान्यवर, कुशल श्रमिक का काम और अकुशल श्रमिक के काम की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। अकुशल श्रमिक निर्माण के कार्य में लगाये जाते हैं और दैनिक वेतन पर रखे जाते हैं जैसे माली का काम, इसी प्रकार जो उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध नहीं रखते हैं वह कुशल की श्रेणी में नहीं आते हैं। जो कुशल श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं वह उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं और सेवायोजक

द्वारा रखे जाते हैं। यह सरकार की फैक्टरी तो है नहीं कि हम विचार करें। और इस सम्बन्ध में जो फैक्टरी है, इसमें सीधे वहां के किसानों की जमीन क्रय की गयी। जब सरकार अपने किसी प्रतिष्ठान के लिए या प्राइवेट इण्डस्ट्री लगाने के लिए भूमि अधिग्रहीत करके देती है तो हम उसमें कोई कार्यवाही करते हैं। इसलिए जिन किसानों को यहां रखा गया है, उसी तरह से नियोजित किसानों को रखा गया है।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

वह कारखाना इण्डस्ट्रियल एक्ट के अन्तर्गत आता है या नहीं आता है और यदि आता है तो क्या उसके हिसाब से कार्यवाही की जाएगी? उस क्षेत्र के प्रभावित किसान कुशल कारीगर हैं और योग्यता रखते हैं उसमें कार्य करने की, किन्तु फैक्ट्री मालिक जानबूझकर इन लोगों को नहीं रखना चाहता है, तो जो यहां किन्ही पदों पर कार्य करने की यह लोग योग्यता रखते हैं, उनको रखने की व्यवस्था आप करेंगे या नहीं करेंगे?

श्री जगदम्बिका पाल–

यह फैक्टरी इण्डस्ट्रियल एक्ट में आती है और प्रायः सभी आती हैं और उनमें श्रम कानूनों का प्रभावी ढंग से लागू कराने का हमारा काम है और श्रम शान्ति बनाए रखना भी सरकार का दायित्व है। लेकिन इनमें किसी मामले में सरकार सीधे संज्ञान नहीं लेती है। यदि कहीं कोई श्रमिक प्रभावित होता है तो उस व्यक्ति को श्रम न्यायालय में दाद दाखिल करना होगा। तो जब कोई यहां का श्रमिक प्रभावित होगा और वह कोर्ट में, कंसीलिएशन अफसर के यहां जाएगा, तो निश्चित रूप से वह वहां पर उसे देखेंगे।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मेरी निश्चित जानकारी है कि जितने किसानों की इस इकाई ने भूमि क्रय की है, उसके अलावा इसके बाद में इस इकाई ने ग्राम समाज की भूमि पर अवैध ढंग से कब्जा कर रखा है। तो क्रय की गयी भूमि के अलावा जो अवैध ढंग से भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, क्या उसको उससे मुक्त कराने के लिए मंत्री जी आदेश देंगे?

श्री जगदम्बिका पाल–

इसके लिए सर्वमान्य नियम है, यदि कोई अवैध कब्जा करता है ग्राम समाज की जमीन पर, तो प्रधान मुकदमा दायर करेगा उस व्यक्ति के विरुद्ध और उसमें प्रासीक्यूशन की कार्यवाही होगी।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

अब मैं साफ कहना चाहता हूं कि मंत्री जी का एक खास सहयोगी उस इकाई में पार्टनर है और इसीलिए मंत्री जी की साजिश है कि जो उचित रूप से वहां होना चाहिए, वह न किया जाय। यह इस मामले को जानबूझकर दबाना चाहते हैं?

श्री जगदम्बिका पाल–

हम तो जानते भी नहीं, वह इकाई कहां है और जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है वह सत्य से परे है।

[बुधवार, दिनांक 29 मार्च, 1989 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उ0 प्र0 में शत प्रतिशत सिंचाई लक्ष्य की पूर्ति हेतु शासन की नीति

*1—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 में शत प्रतिशत सिंचाई लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार की नीति क्या है ? क्या यह सही है कि शत प्रतिशत सिंचाई के लक्ष्य प्राप्ति हेतु वे नहरें, रजबहे बाधक हैं जिनकी टेल में कभी भी पानी नहीं पहुंचता है क्योंकि इन नहरों की कमाण्ड एरिया में सरकारी ट्यूबवेल लगाने पर भी विचार नहीं हो सकता ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन की क्या वैकल्पिक व्यवस्था है ?

श्रीमती हितेष कुमारी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, यह सारा प्रश्न नीतिगत है । दीक्षित जी ने पूछा है कि शत प्रतिशत सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए शासन की क्या नीति है ? क्या इस नीति में नहरें और पुल बाधक हैं तो इसके लिए शासन क्या वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है यह नीतिगत प्रश्न है ? क्या चालीस साल से सरकार अंधी हो गई है या गूंगी हो गई है, इस तरह की ऊल-जलूल उत्तर देती है । आपके कार्यालय को यह देखना चाहिए आप ही अध्यक्ष जी इसको पढ़िए, इसको देखिए, सिंचाई विभाग की क्या हालत है ? [xxx]

श्री लोकपति त्रिपाठी—

मान्यवर, यह प्रश्न बड़ा विशाल है । उत्तर प्रदेश में 75 हजार किलोमीटर लम्बी नहरें हैं । उत्तर प्रदेश में साढ़े चार हजार रजबाहे हैं । उत्तर प्रदेश के किन-किन रजबहों की टेल पर जल नहीं पहुंच रहा है और कहां-कहां मुख्य फीडर नहरों पर पर जल नहीं पहुंच रहा है इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की क्या योजना बन रही है यह प्रश्न है, तो इसमें तो सूचना एकत्र करनी ही पड़ेगी । कमाण्ड का कितना क्षेत्र असिंचित रह जाता है उनको सिंचित करने के लिए क्या योजनाएं लागू की जायेंगी, तो इसमें सूचना एकत्र की जा रही है और जो व्यक्तिगत आरोप लगाया गया है वह ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप सब बैठें । सब लोग खड़े हो जाते हैं ।

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, सिंचाई मंत्री जी फिर गुमराह कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि शासन की नीति क्या है शत-प्रतिशत सिंचाई के बारे में, तो इसमें यह कहते हैं कि सूचना एकत्र कर रहे हैं दूसरा प्रश्न था कि नहरें और रजबाहे जहां टेल पर पानी नहीं पहुंचता है इसमें क्या वैकल्पिक नीति है क्या योजना है यह नीतिगत सवाल है और यह फिर गुमराह कर रहे हैं ।

टिप्पणी :—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

अगर सदन इसके संबंध में शासन की नीति जानना चाहता है तो मैं बता दूं कि इसकी सूचना मैंने सदन में 28 फरवरी को रख दी थी मैंने कहा था कि भविष्य में विश्व बैंक के अन्तर्गत जो नलकूप मिलेंगे उनको हम पहले उन स्थानों पर लगायेंगे जहां टेल पर पानी सिंचाई का नहीं पहुंचता है। दूसरी बात मान्यवर, मैंने यह भी कही थी कि ऐसे क्षेत्र जहां नलकूप नहीं लग सकते हैं, नदी नालों में जल उपलब्ध है, तो बड़ी से लेकर छोटे तक लिफ्ट कैनाल लगाकर उस क्षेत्र को सिंचित किया जाएगा, लेकिन यह कार्यक्रम 31 मार्च, 1989 के बाद लागू किया जा रहा है। आज वर्तमान परिस्थिति में 31 मार्च के पूर्व उत्तर प्रदेश की टेल पर सिंचाई की क्या व्यवस्था हो, इसकी कोई नीति नहीं है, 31 मार्च के बाद चार रोज बाद जो नीति मैंने बताई है यह लागू हो जाएगी, अब आप क्या चाहते हैं मैं सदन में असत्य बोलूं या गलत सूचना दे दूं।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक वरिष्ठ मंत्री हैं हम लोग यह मानकर चलते हैं, इनके अधिकारी मान्यवर, गवाह हैं चार माह बारह दिन हो गए हैं प्रश्न स्वीकृत हुए, यही इनका दफ्तर है, मुख्यालय है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर टाल दिया है। चार-पांच दिन का हाउस रह गया है इसलिए इन्होंने ऐसा कह दिया है और इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। शत-प्रतिशत सिंचाई लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जहां-जहां पानी नहीं पहुंचता है वहां कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

मैंने सदन से अनुरोध किया, उत्तर प्रदेश की नहरों की टेल पर जहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है वहां विश्व बैंक द्वारा जो नलकूप मिलेंगे, उनको लगाने के लिए, ऐसे क्षेत्रों को वरीयता दी जाएगी। नम्बर दो–कुछ क्षेत्रों में जहां नलकूपों को नहीं छिद्रित किया जा सकता और अगर वहां जल उपलब्ध है तो डाल नहरों के द्वारा उस क्षेत्र की नहरों में जल दिया जायगा।

श्री मोहम्मद असलम खां–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां तो 100 प्रतिशत सिंचाई उपलब्ध करने की बात हो रही है। मेरी जानकारी को सही मानकर कि मुजफ्फराबाद क्षेत्र में 25 प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि मुजफ्फराबाद क्षेत्र में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के बराबर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायगी।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, 8वीं पंचवर्षीय योजना में यह प्रयास किया जा रहा है कि हर वह क्षेत्र जो पिछड़े हैं उनको सिंचाई के मामले में प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के समकक्ष कर दिया जाय।

(मा0 विजय सिंह राणा व अन्य माननीय सदस्यों के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष–

12.10 हो रहे हैं । अभी तक नत्थी–घ के पहले सवाल तक पहुंचे हैं । माननीय राणा जी आप तो खुद हमसे ज्यादा समझने वाले हैं अब आगे चलने दें ।

ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई

*2–श्री जयदीप सिंह बरार (अनुपस्थित)–

क्या विद्युत मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है उसे विद्युत उत्पादन का एक तिहाई भाग भी सप्लाई नहीं किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्र में रहने वाली मात्र 20 प्रतिशत जनता को कुल विद्युत उत्पादन का दो तिहाई से अधिक भाग खपत हेतु सप्लाई किया जाता है ? यदि हां, तो प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग में ग्रामीण जनता को शहरी जनता के समकक्ष लाने के लिए सरकार क्या-क्या समयबद्ध कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से भूतत्व एवं खनिजकर्म निदेशालय द्वारा मानचित्र एवं आंकड़े मंगाने का औचित्य

*3–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में खनिजों के सर्वेक्षण हेतु रिमोट सेंसिंग इकाई कब से कार्यरत है तथा क्या उपग्रहीय मानचित्र एवं आंकड़े राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेन्टर हैदराबाद से प्राप्त किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो जब प्रदेश के ही रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर में उपरोक्त उपग्रहीय मानचित्र एवं आंकड़े उपलब्ध हैं तो हैदराबाद से मंगाये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

निदेशालय में कोई भी रिमोट सेन्सिंग इकाई कार्यरत नहीं है तथा उपग्रहीय मानचित्र एवं आंकड़े राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग सेन्टर हैदराबाद से प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि रिमोट सेन्सिंग इकाई जो उत्तर प्रदेश में काम करती है वह उपग्रह मानचित्र एवं आंकड़े उपलब्ध करा सकती है लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो भू-तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय है वह हैदराबाद से आंकड़े मंगाता है । मेरी जानकारी को सही मानते हुए कि इसको दिखवाने की कृपा करेंगे कि ऐसा हो रहा है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो भी आंकड़े हम प्राप्त करते हैं रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन से प्राप्त करते हैं । लेकिन अगर माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं तो हम जरूर दिखवा लेंगे ।

मोहन मीकिन्स लि0 लखनऊ द्वारा विदेशी मदिरा का फर्जी निर्यात

*4—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों में मोहन मीकिन्स लि0 शराब फैक्ट्री द्वारा उड़ीसा के एक लाइसेंसधारी को डेढ़ लाख ली0 अल्कोहल विदेशी मदिरा के फर्जी निर्यात का मामला प्रकाश में आया है जिससे सरकार को सात लाख से भी अधिक रुपए के शुल्क की क्षति हुई है ? क्या सरकार ने उक्त शुल्क की वसूली की है ? यदि हां, तो कितनी और कब ? फर्जी निर्यात दिखाने के लिए दोषी इस फर्म के विरुद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)—

वर्ष 1983-84 में मोहन मीकिन्स लि0, लखनऊ से उड़ीसा राज्य को 13277·8 बल्क लीटर विदेशी मदिरा व 12480 बल्क लीटर बियर के फर्जी परमिट पर निर्यात का मामला प्रकाश में आया है । उत्तर प्रदेश में लागू अभिकर की दर से विदेशी मदिरा पर रु0 7,30,279 तथा बियर पर रु0 19200/- की धनराशि होती है ।

बियर से संबंधित उक्त धनराशि आसवनी से पूरी वसूल की गई है । किन्तु विदेशी मदिरा संबंधित धनराशि की वसूली के विरुद्ध आसवनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर करके आंशिक स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है । तद्नुसार आसवनी से रुपया 3,30,686·32 की वसूली हो चुकी है तथा शेष धनराशि की वसूली स्थगनादेश के अन्तर्गत रुकी हुई है ।

आसवनी द्वारा याचिका में प्राप्त स्थगन आदेश के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही स्थगित है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, यह गम्भीर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का मामला है । लखनऊ में, राजधानी में मोहन मीकिन्स शराब की फैक्ट्री है । सन् 82-83 और 83-84 में 50 लाख रुपए से अधिक विदेशी शराब और बियर बिना लाइसेंस के ऐसी फर्जी फर्मों को दी गयी जिनको लाइसेंस प्राप्त नहीं था । आपने स्वीकार किया है कि स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है ।

मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह आंशिक स्थान किस स्तर तक का उच्च न्यायालय ने आपको दिया है और कहां तक वह प्रभावी है और शराब बनाने का और शराब बेचने का किन परिस्थितियों में अब तक प्रतिबन्ध नहीं लगाया है ? ऐसा ही उन्होंने फर्जी निर्यात नागालैंड और मिजोरम में भी किया है और लाखों रुपये के आबकारी और निर्यात शुल्क की चोरी की है, यह प्रवृत्ति रोकी जा सके, उसके लिए सरकार ने इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया—

श्रीमन् इसमें हाई कोर्ट का जो आदेश है, वह यह है कि ढाई लाख रुपया इनसे आबकारी टैक्स का जमा करा लिया जाय और शेष राशि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद जमा कराई जाय । ऐसा उनके स्थगन आदेश में है । इसमें जैसा आप समझ रहे हैं, वैसी

स्थिति नहीं है । इसमें स्टेट के बाहर जब शराब को भेजा जाता है, तो जिस प्रदेश का वह रहने वाला होता है, उस प्रदेश को इम्पोर्ट करने का वह वहां के आबकारी अधिकारी से परमिट लेकर आता है और फिर यहां से परमिट ईशू किया जाता है । इम्पोर्ट करने का जब परमिट दिया जाता है, तो निर्यात का शुल्क जमा करवा लिया जाता है और इस केस में भी जमा करवाया गया है ।

श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थगन आदेश है, वह वसूली के संबंध में है कि वसूली न की जाय ? यदि नहीं, तो वह क्या कारण थे कि इनके विरुद्ध अन्य जो दण्डात्मक कार्यवाही वसूली के संबंध में करनी चाहिए थी, वह दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की गयी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मैंने श्रीमन् इसी का उत्तर दिया है, सम्भवतः आपको मैं समझा नहीं पाया । स्थिति यह है कि दो स्थितियां होती हैं, एक तो यहां से शराब बाहर प्रदेश को भेजी जाती है; जो दूसरे प्रदेश को जाती है, वह निर्यात की जाती है और शराब इस प्रदेश में नहीं बिकती है, तो निर्यात शुल्क जमा करा लिया जाता है और उसको निर्यात का परमिट दे दिया जाता है, तो जब कोई व्यक्ति निर्यात कराने के लिए परमिट लेकर आता है, तो उससे निर्यात शुल्क जमा करा कर उसे परमिट दे दिया जाता है और वह बाहर चला जाता है, लेकिन डिस्टिलरी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह तीन माह के अन्दर यह कन्फर्म कर दे कि वह वहां पर रिसीव हो गयी है । इसके बारे में कम्फर्मेशन आ चुका था कि वहां पर माल रिसीव हो चुका है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

इसमें साढ़े 7 लाख के आबकारी शुल्क की चोरी अकेले इस वडीसा के प्रकरण के संबंध में है । इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम के अनेक प्रकरण हैं, जो फर्जी लाइसेंसों के आधार पर निर्यात करता है । मान्यवर, जो निर्यात शुल्क जमा कराये जाते हैं, उसको भी वह नहीं जमा करते हैं, यही कारण है कि जब वसूली की बात आई, तो हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया । जो अग्रिम साढ़े 7 लाख रुपया जमा कराया जाना चाहिए था, उसको नहीं जमा कराया गया और दूसरी इस फैक्ट्री की जो लाखों रुपये के आबकारी और निर्यात शुल्क की चोरी की प्रवृत्ति बन गयी है, उसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, साढ़े 7 लाख वह आबकारी टैक्स का है और आबकारी टैक्स का जो देय होता है, वह प्रदेश के अन्दर जो सेल होता है, उसका होता है ।

मोहन मोकिन लि0 लखनऊ द्वारा फर्जी विदेशी मदिरा आयात विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

*5–श्री अशोक वाजपेयी, श्री यदुनाथ सिंह, श्री लक्ष्मी नारायन, श्री मूलचन्द्र, श्री सुखपाल पाण्डे, श्री शारदानन्द अंचल, श्री भगौती सिंह तथा श्री हर्ष वर्धन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1988 के 5वें बुधवार के लिए निर्धारित श्री रमाशंकर कौशिक, श्री राम शरण दास, श्री रेवती रमण सिंह, श्री भगौती सिंह व श्री बलराम यादव द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-69

के संबंध में सरकार द्वारा कम्पनी का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर मालिकों पर तस्करी का मुकदमा न चलाये जाने का क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

[प्रश्न में उल्लिखित अतारांकित प्रश्न संख्या–69 में यह सूचित किया गया था कि वर्ष 1982-83 में मिजोरम राज्य सरकार तथा वर्ष 1983-84 में उड़ीसा राज्य से कतिपय फर्जी आयात परमिट पर विदेशी मदिरा के निर्यात का मामला प्रकाश में आया । ऐसे फर्जी परमिटों पर उड़ीसा राज्य को निर्यात विदेशी विदेशी मदिरा पर उत्तर प्रदेश में लागू आबकारी अभिकर की दर से वसूली की कार्यवाही के विरुद्ध आसवनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया है । उक्त स्थगन आदेश के अनुसार याचिका में निर्णय होने तक आसवनी से केवल विदेशी मदिरा की ड्यूटी की आधी धनराशि रु0 3,30,686.32 की वसूली के आदेश हैं, जिसकी वसूली की जा चुकी है । शेष धनराशि की वसूली उक्त स्थगन आदेश के अन्तर्गत रूकी हुई है । मिजोरम के मामले में केन्द्रीय अनुसंधान शाखा द्वारा जांच कर रही है ।]

(सदन की अनुमति से उत्तर पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से वर्ष 1988 में जब यही प्रश्न पूछा गया था तब भी यही उत्तर दिया था कि मिजोरम में जो फर्जी परमिट जारी किये गये हैं उसकी जांच चल रही है और आज पुनः वही उत्तर दुहराया जा रहा है । मान्यवर, एक वर्ष तक जांच का क्या परिणाम हुआ और यह निरन्तर जांच की प्रक्रिया कब तक चलेगी और दूसरे यह शासन द्वारा छूट दिये जाने से यह मिल मालिक स्टे ले आते हैं तो इस स्टे को वैकेट कराने के लिए विभागीय स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इसमें श्रीमन् जो मिजोरम वाला प्रकरण है इसमें सेन्ट्रल सी0 बी0 आई0 जांच कर रही है और जांच अधिकारी एम0 एम0 राय हैं जो दिल्ली पुलिस में डिप्टी एस0 पी0 हैं वह इसकी जांच कर रहे हैं और जो दूसरा प्रकरण पूंछा है इसमें कार्य-स्थगन की जो कार्यवाही की गयी थी उसमें इसकी प्रति उपलब्ध है शासन ने इसमें प्रतिशपथ पत्र तुरन्त दाखिल किया था, यह 10-9-86 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, यह मोहन मीकिन्स का मामला है । बहुत गम्भीर है ।

ब्लाक अकोला जनपद आगरा के कुंओं का जलस्तर ऊपर लाने पर विचार

*6–श्री बदन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक अकोला में खारी नदी के किनारे स्थित सभी ग्रामों के कुंओं का जल नीचे चला गया है ? यदि हां, तो खारी नदी को ग्राम रिठौरा, खेड़िया, जैगारा और चैकोरा के घाटों पर लघु बांध बनाकर बरसाती पानी को कुंओं का जल स्तर ऊपर लाने के लिये रोकेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नोट :–मंत्री (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के पश्चात प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुन्देलखण्ड के सभी जिलों की नहरों में अधिक क्षमता के लिफ्ट पम्प लगाने की मांग

*7–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड के पांचों जिलों-बांदा, हमीरपुर, झांसी, जालौन व ललितपुर में छोटे नदी-नालों में 20 क्यूसिक से कम की नई योजनायें निर्मित करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ? यदि हां, तो इससे बुन्देलखण्ड में सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि में उत्पन्न अवरोध को हटाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? क्या सरकार बांदा जिले में बांगे नदी में करवी तहसील के ग्राम--गढीघाट व पयस्वनी नदी में ग्राम दवेल के पास ओहन नदी में ग्राम-मोहरवां के पास बीस क्यूसिक अथवा उससे कम की लिफ्ट योजनायें बनायेंगी ? क्या उक्त स्थानों पर लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का प्लान सर्वे तैयार करके निर्माण कार्य कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

शासन के पूर्व में निर्धारित नीति के अनुसार प्रदेश में 25 क्यूसेक से कम क्षमता की नई लिफ्ट पम्प नहरों के निर्माण पर प्रतिबन्ध था किन्तु यह प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में शीघ्र ही निर्णय लेने पर विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निम्नलिखित कारणों से बाघेन नदी पर लिफ्ट कैनाल बनाया जाना सम्भव नहीं है:–

(1) बाघेन नदी का अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र मध्य प्रदेश का होने के कारण अधिक में जल उपलब्धता सुनिश्चित न होना ।

(2) 1 जनवरी से 30 जून तक पानी प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध होना ।

पयस्वनी नदी पर जल उपलब्धता सुनिश्चित न होने के कारण लिफ्ट कैनाल का निर्माण सम्भव नहीं है ।

ओहन नदी पर भी लिफ्ट कैनाल का निर्माण सम्भव नहीं है क्योंकि 1 जनवरी से 30 जून तक पानी प्रयोग करने पर प्रतिबन्ध है ।

ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के उपखण्ड तृतीय बांसी में बन्जरहा कटान स्थल पर बाढ़ निरोधक कार्य का भुगतान न किये जाने का कारण

*8–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम बस्ती के उपखण्ड तृतीय बांसी में सन् 1986 में बन्जरहा कटान स्थल पर बाढ़ निरोधक कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये गये हैं ? यदि हां, तो उसका अभी तक लगभग 25 लाख रुपये का भुगतान न कराये जाने का क्या कारण है ? क्या यह सच है कि टी0 ए0 सी0 और विभागीय अधिकारियों की जांच के पश्चात् 9 प्रतिशत कटौती करके भुगतान करने का सुझाव दिया गया है ? यदि हां, तो अब तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास क्षेत्र घुघली जनपद गोरखपुर में ऊर्जीकृत ग्रामों की संख्या

*9–श्री जगदीश प्रसाद आभा–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के विकास क्षेत्र घुघली में वर्ष 1982-83 में किन-किन गांवों को ऊर्जीकृत किया गया था ? क्या यह सच है कि उनका ऊर्जीकरण केवल कागज में ही हुआ और ग्राम सभा धरमपुर तथा ऐसी अन्य ग्राम सभायें हैं जिनमें अभी तक बिजली की आपूर्ति नहीं करायी गयी ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? क्या ग्राम सभा धरमपुर को इसी वित्तीय वर्ष में ऊर्जीकृत करने का निर्देश देंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

वर्ष 1982-83 में गोरखपुर जिले के विकास खण्ड घुघली के निम्न ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया था :–

1–लक्ष्मीपुर दउरा
2–बांसपार
3–लक्ष्मीपुर
4–मंसी
5–पचरूखिया
6–सोहरौना
7–पिपराइच उर्फ पचरूखिया
8–मझउआ
9–रानीपुर ।

जी नहीं । ग्राम धरमपुर, जिसका विद्युतीकरण किया गया था, वह विकास खण्ड परतावल का था और त्रुटिवश अवर अभियंता द्वारा विकास खण्ड घुघली में दिखला दिया गया था । उक्त ग्राम विकास खण्ड घुघली की सीमा के बिल्कुल पास है । उपरोक्त त्रुटि के लिए अवर अभियंता को कड़ी चेतावनी दे दी गयी है । ग्राम सभा धरमपुर विकास खण्ड घुघली का विद्युतीकरण जिला विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित किये जाने एवं वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा ।

कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के घरों में निःशुल्क विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना

*10–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "कुटीर ज्योति योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के जनपदों में क्या अनुसूचित जाति के 400 घरों को निःशुल्क विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत अब तक कितने अनुसूचित जाति और निर्बल वर्ग के घरों को निःशुल्क विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

माह फरवरी, 1989 तक कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत निर्बल आय वर्ग के 28367 हरिजन एवं आदिवासी परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं। इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार के घर में एक बार एक 40 वाट का बल्ब लगाने का प्राविधान है जिसके लिए उनके द्वारा प्रतिमाह रु0 7.50 विद्युत उपभोग शुल्क देय है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद हेतु शैकल इन्सुलेटर्स की व्यवस्था

*11—श्री विजय सिंह राणा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 87 में कुल कितने शैफल इन्सुलेटरों की आवश्यकता थी ? कुल कितने इन्सुलेटर उपलब्ध थे और कितने नये खरीदे गये और क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष 1987 में आगरा जनपद में कुल 17950 शैकल इन्सुलेटर्स की आवश्यकता का अनुमान था।

1-1-87 को कुल 4179 शैकल इंसुलेटर्स उपलब्ध थे।

वर्ष 1987-88 में सूखे की स्थिति में निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण, पेयजल योजनाओं, ग्रामीण विद्युतीकरण एवं अनुरक्षण कार्यों की तुरन्त एवं निकट भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए आगरा जनपद के लिए 24000 शैकल इंसुलेटर्स खरीदे गये।

ग्राम रारी तहसील नवाबगंज बाराबंकी के जल निकासी की योजना

*12—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत तहसील नवाबगंज में रारी नाले में जल भराव के कारण 4000 हेक्टेयर से भी अधिक कृषि भूमि प्रभावित होती है और सैकड़ों गांव जलमग्न हो जाते हैं? यदि हां, तो सरकार ने रारी नाले की जल निकासी हेतु क्या योजना बनाई है और इस योजना पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

रारी नाला जो एक प्राकृतिक नाला है, से इसके किनारे स्थित ग्रामों का लगभग 3740 हैक्टेयर क्षेत्र जल भराव से प्रभावित होता है और लगभग 75 ग्रामों में निचले क्षेत्र जल भराव से प्रभावित होते हैं।

रारी नाले की क्षमता वृद्धि की योजना लागत 50.40 लाख रु0, वर्ष 1982 में राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा बाढ़ मद में स्वीकृत की गई। इस योजना पर फरवरी, 89 तक 16.82 लाख रु0 की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

ग्राम वलीपट्टी विकास खण्ड राजेपुर फर्रुखाबाद को कटाव से रोकने की योजना

*13–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में ग्राम वलीपट्टी के पास गंगा नदी के भयंकर कटाव को रोकने हेतु सिंचाई विभाग (बाढ़ नियंत्रण) द्वारा कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजना की स्वीकृति में विलम्ब का कारण क्या है?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजपुर के ग्राम वली पट्टी के निकट गंगा नदी के कटान को सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक परियोजना दिनांक 24/25-3-88 को राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। जिसके लिए धन भी आवंटित हो गया है।

इस योजना के अंतर्गत कार्य को कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

खाद्य आयुक्त के आदेशों के बावजूद बरेली मण्डल के अधिकारियों द्वारा भुने हुए अन्न को जिले से बाहर ले जाने पर रोक का औचित्य

*14–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के खाद्य आयुक्त ने भुने हुए अनाज में दाल, लाई, चूरा, खील आदि को कच्चे खाद्यान्न से अलग घोषित कर सभी प्रतिबन्धों व आवागमन के प्राविधानों से मुक्त रखने के आदेश दिये है? यदि हां, तो बरेली मण्डल के अधिकारियों द्वारा भुने हुए अन्न को जिले से बाहर ले जाने पर रोक का क्या औचित्य है?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा दाल, लाई, चूरा, खील आदि को कच्चे खाद्यान्न से अलग घोषित करने एवं उसके आवागमन के सभी प्रतिबन्धों से मुक्त रखने के कोई आदेश अपने स्तर से निर्गत नहीं किये है बल्कि शासन द्वारा जारी किये गये उ0 प्र0 खाद्यान्न व्यापारी लाइसेन्स देना अपसंचय पर निर्बन्धन आदेश, 1976 के खण्ड 2(क) में दी गई खाद्यान्न की परिभाषा के अनुसार खील, लाई, चूरा खाद्यान्न की परिभाषा में शामिल नहीं है और न ही इनके आवागमन पर कोई रोक है।

बरेली मण्डल में भी भुने हुए अनाजों के संचरण पर कोई रोक नहीं लगायी गई है।

गाजीपुर जनपद के अंतर्गत उतरौली गांव से नागरिकों की शिकायत के बावजूद शराब की दुकान न हटाने का औचित्य

*15–श्री मैनेजर सिंह–

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत उतरौली गांव से शराब की दूकान हटाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया और 5 दिसम्बर, 88 को भूतपूर्व विधायक श्री अवधेश नारायण सिंह ने प्रशासनिक रवैये के विरोध में अनिश्चितकालीन अनशन प्रारम्भ किया

है ? यदि हां, तो नागरिकों की मुख्य शिकायतें क्या हैं और शासन को दुकान हटाने में क्या कठिनाई है?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

प्राप्त सूचनानुसार ग्राम उतरौली से देशी शराब दुकान हटाने के संबंध में ग्रामवासियों द्वारा विरोध प्रकट किये जाने पर जांच कराई गई और शान्ति भंग की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए दुकान तुरन्त बन्द करा दी गई। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अनुज्ञापी को निर्देश दे दिया गया कि वे इस शराब की दुकान को कहीं अन्यत्र हटा दें।

श्री अवधेश नारायण सिंह के नेतृत्व में दिनांक 5-12-88 को क्षेत्रीय ग्रामवासियों के एक जत्थे ने धरना प्रारम्भ किया था। परन्तु उसी दिन जिलाधिकारी, गाजीपुर ने इस सम्बन्ध में प्रशासन स्तर पर उठाये गये कदम से उन लोगों को अवगत कराया था जिससे धरना समाप्त हो गया था।

जनपद बांदा के नरैनी तहसील के अंतर्गत राजवाहों की टेलों की सिंचाई के लिए राजकीय नलकूप लगाने पर विचार

*16–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की नरैनी तहसील के अंतर्गत केन मुख्य नहर के करतल राजबहा तथा केन प्रखण्ड अतर्रा ब्रांच के भहुटा राजबहा और बसरेही राजबहा की टेलों में सिंचाई नहीं हो पाती है जिससे सैकड़ों एकड़ फसल सूख जाती है? क्या उपरोक्त राजबहों की टेलों में टेस्ट बोरिंग करके राजकीय नलकूप लगवाये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

बांदा जनपद की नरैनी तहसील के अन्तर्गत महुटा राजबहा एवं बसरेही राजबहा तथा करतल राजबहा की टेल भाग में सिंचाई होने में कठिनाई है जिससे टेल की फसलें प्रभावित होती हैं।

जनपद बांदा में अन्वेषणात्मक छिद्रण कराने हेतु केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् को साइट उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। छिद्रण सफल होने पर जिला प्लान के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही होगी।

जनपद जौनपुर के कोहरी डीहा से मल्हनी मार्ग पर नहर की पटरी के दोनों तरफ किये गये मिट्टी के कार्य का विवरण

*17–श्री दीप चन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 36 जनपद जौनपुर के कुहिया निरीक्षण भवन के समक्ष जो कोहरी डीहा से मल्हनी मार्ग है जहां पर नहर काटती है वहां पर नहर की उत्तरी तरफ पटरी के दोनों तरफ जो कैरेज मिट्टी द्वारा कार्य कराया गया है उसका शिड्यूल्ड रेट क्या है? उक्त नहर पर वर्ष 1987-88 व 1988-89 में कितना धन व्यय हुआ है तथा कितना धन शेष है? क्या कार्य पूरा हो चुका है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शारदा सहायक खण्ड–36 जनपद जौनपुर के कुहियां निरीक्षण भवन के समक्ष शाहगंज शाखा पर मिट्टी का कार्य करवाया गया है, जिसका शिड्यूल्ड के अनुसार दर रु0 20–65 प्रति घनमीटर है। वर्ष 1987-88 में रु0 2,81,949-00 एवं वर्ष 1988-89 में रु0 1,16,982-00 व्यय किया जा चुका है तथा रु0 2,04,069-00 धनराशि का कार्य शेष है। कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। शेष कार्य धन की उपलब्धता के अनुसार कराया जा रहा है। यह कार्य जून, 1989 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

गोण्डा, तहसील बलरामपुर के कतिपय ग्रामों को जल कटाव से बचाने की मांग

*18–श्री फसीउर्रहमान उर्फ मुन्नन खां–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद गोण्डा के बलरामपुर तहसील में राप्ती के भीषण उफान के कटान से अगस्त, 1988 के प्रथम सप्ताह में मिर्जापुर बेलहा, चरन गहिया, रामनगर, खारी आदि ग्राम सभाओं में बनी सारी इमारतों व जमीन का विनाश हो गया है तथा उक्त नदी के बहाव को देखते हुए आगामी वर्ष में लगभग 25 ग्राम सभाओं के साथ ही साथ बेलहा गौरा चौराहा व तुलसीपुर मार्ग के ध्वस्त होने की पूर्ण सम्भावना है? सिंचाई मंत्री जी के गोण्डा आगमन पर बचाव के लिए पूर्ण आश्वासन देने के बाद भी अब तक व्यवस्था न होने के क्या कारण हैं? व्यवस्था के लिए सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

तहसीलदार बलरामपुर की सूचना के अनुसार इन ग्रामों में अगस्त के प्रथम सप्ताह में राप्ती नदी की बाढ़ से भूमि का कटान हुआ है परन्तु मकानों का कटान नहीं हुआ है। आगामी वर्ष में प्रश्नगत ग्राम एवं मार्ग के ध्वस्त होने की सम्भावना नहीं है।

जी हां। राप्ती नदी के बायें किनारे पर स्थित ग्राम बेलहा के निकट बेलहा गौरा मार्ग के बचाव हेतु बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए रु0 59.76 लाख की एक परियोजना प्राक्कलन राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की तकनीकी सलाहकार समिति से अनुमोदित हो गयी है।

बांदा जनपद के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई के स्थाई साधनों की व्यवस्था की मांग

*19–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा अन्तर्गत सूखाग्रस्त कर्वी तहसील क्षेत्र व उससे सटे क्षेत्रों में सिंचाई के आधुनिक साधनों की स्थायी व्यवस्था के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद फर्रुखाबाद में देशी एवं विदेशी मदिरा की नीलामी

*20–श्री राजेश कुमार खैरा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1988-89 के लिए देशी एवं विदेशी मदिरा की नीलामी के समय मार्च, 88 से मई, 88 के बीच फर्रुखाबाद के नीलाम प्रभारी

एवं आगरा के जिलाधिकारी ने अलग-अलग शासन को यह लिखित शिकायत की थी कि अलीगढ़ के जिला आबकारी अधिकारी बिना बुलाये इन दोनों जगहों पर गये और ठेकेदारों से मिलकर नीलामी को खराब करने में पूर सम्भव कोशिश किया, जिससे निश्चित तिथि पर नीलामी नहीं हो सकी तथा शासन को दोनों जगहों पर लाखों रुपये की राजस्व की हानि हुई? यदि हां, तो शासन ने दोनों पत्रों के आधार पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

प्राप्त सूचनानुसार श्री सुरेश चन्द्र शर्मा, सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अलीगढ़ दिनांक 6-4-88 को जनपद फर्रुखाबाद की आबकारी दुकानों के नीलाम के समय गये थे। श्री सुरेश चन्द्र शर्मा अपने स्टाफ सहित दिनांक 8-4-88 एवं 18-4-88 को जनपद आगरा के आबकारी दूकानों के नीलाम में आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार उपस्थित रहे। श्री शर्मा के वहां जाने से उक्त नीलामी में कोई व्यवधान की बात सही नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

[दो विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

श्री यमुना शंकर मिश्र, जिलापूर्ति अधिकारी रायबरेली के विरुद्ध कतिपय शिकायतों की जांच

2–श्री मैनेजर सिंह–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के जिलापूर्ति अधिकारी श्री यमुना शंकर मिश्र के विरुद्ध उनके जिला पूर्ति अधिकारी रायबरेली, सहारनपुर तथा वाराणसी के कार्यकाल में कतिपय अनियमितताओं के बरतने के मामले प्रकाश में आने पर उनके विरुद्ध सी0 सी0 ए0 रूल्स के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही करने का जो निर्णय शासकीय आदेश संख्या-1105/उनतीस-अनु0-1/1977, दिनांक 15-5-87 के द्वारा लिया गया था, उसके क्या परिणाम रहे? उपरोक्त निर्णय किन एजेन्सियों की जांच आख्याओं के आधार पर लिया गया था? क्या इस मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सरकार श्री मिश्र को अब निलम्बित कर तथा पूरे घोटाले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अथवा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

सतर्कता विभाग एवं खाद्य तथा रसद विभाग के अधीन गठित पुलिस सेल को प्राथमिक जांचों के आधार पर श्री यमुनाशंकर मिश्र, जिला पूर्ति अधिकारी के विरुद्ध प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था। इसमें श्री हीरालाल, संभागीय खाद्य नियंत्रक, लखनऊ जांच अधिकारी हैं। जांच अधिकारी ने सूचित किया है कि वे शीघ्र ही अपनी जांचाख्या शासन को प्रस्तुत कर देंगे, अतः इस स्तर पर श्री मिश्र को निलम्बित करने तथा मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से कराने का प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक पोषक नहर के दोनों किनारों पर सीपेज की समस्या

3—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर के किमी0 120 से किमी0 141 के बीच नहर के दोनों किनारों पर सीपेज क्षेत्र में कोई कमी हुई है? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कभी अधिकारियों द्वारा इस समस्या की जांच मौके पर की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

शारदा सहायक पोषक नहर बाराबंकी ब्रांच के रख-रखाव हेतु व्यय किये गये धन का विवरण

4—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में शारदा सहायक पोषक नहर के बाराबंकी ब्रांच रेगुलेटर से लेकर रेन्दुआ पल्हरी पुल तक पिछले तीन वर्षों में अलग-अलग नहर के रख-रखाव, परियोजना रख-रखाव, केन्द्रीय सहायता, लाइनिंग तथा लाइनिंग की मरम्मत हेतु कितना पैसा शासन द्वारा दिया गया तथा कौन-कौन सा काम कराया गया और उन पर अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

शारदा सहायक पोषक नहर बाराबंकी, लखनऊ तथा सीतापुर के ड्रेनों के रखरखाव सही न होने से किसानों को परेशानी

5—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर के दोनों ओर बनी ड्रेनों के रख-रखाव के सम्बन्ध में बाराबंकी, लखनऊ तथा सीतापुर के खण्डों में आपसी विवाद बना रहता है जिसके कारण ड्रेनों का रख रखाव सही नहीं हो पा रहा है तथा किसानों को भीषण परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो इसका समाधान कैसे और कब कराया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0 में आरक्षण कोटा की पूर्ति

6—श्री सुन्दर लाल—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ उ0 प्र0 निर्यात निगम लि0, बी—27, सर्वोदयनगर, कानपुर/लखनऊ मुख्यालय स्तर से शासन द्वारा स्थापित उद्योग ब्यूरो द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटा पूरा किये जाने के हितार्थ समय- समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हुए वित्तीय वर्ष 1985-86, 86-87 तथा माह जनवरी, 1989 तक अलग-अलग वेतनमानों में कुल कितने पदों पर

आरक्षण कोटा पूर्ण करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 द्वारा विभिन्न पदों एवं वेतनमानों में आरक्षण कोटा पूर्ण किये जाने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को नियुक्त किये जाने संबंधी स्थिति निम्नानुसार है :–

वर्ष	श्रेणी	नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
1985-86	—	—
1986-87	क	—
	ख	—
	ग	2
	घ	3
1987-88	क	—
	ख	—
	ग	—
	घ	2
1988-89 (जनवरी 1989 तक)	क	—
	ख	—
	ग	3
	घ	8

निगम, शासनादेशों के अनुरूप उक्त कोटा पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है।

विकास खण्ड मीरगंज जनपद बरेली के कतिपय ग्रामों के हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

7–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड मीरगंज के ग्राम गुलड़िया का एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण कब हुआ था तथा अभी तक उक्त ग्राम की हरिजन बस्ती में विद्युत लाइन क्यों नहीं पहुंचाई गयी? क्या मंत्री जी दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे तथा उक्त हरिजन बस्ती में विद्युत लाइन अविलम्ब लगवायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

विधान सभा प्रदेश

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मई 1958 में।

उस समय ग्राम के विद्युतीकरण के साथ हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण करने का नियम नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां, संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

उप खण्ड प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई खण्ड पचपेड़वा एवं गोण्डा को सम्मिलित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

8–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-1-89 जनपद गोण्डा का विकास खण्ड गैसड़ी पचपेड़वा के उप खण्ड प्रथम सिंचाई खण्ड, गोण्डा से उप खण्ड द्वितीय सिंचाई खंड, गोण्डा के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विकास खण्ड पचपेड़वा जनपद गोण्डा में बजवा नदी पर बांध बनाकर, कतिपय ग्रामों की सुरक्षा की मांग

9–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-1-89, जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा के बजवा नदी पर बांध बनाकर ग्राम सभा भगवानपुर खादर, साधूनगर, धनखरपुर, हाटी, लैबड़वा गौराभारी, कटैया भारी, मगुरहवा, मल्दा सकरी कुंयां तथा गोण्डा-बढ़नी पी0 डब्लू0 डी0 रोड को बाढ़ प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां।

सर्वेक्षण कराया जा रहा है उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

बरेली जनपद के कतिपय ग्रामों के विद्युतीकरण की मांग

10–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली की बहेड़ी तहसील के ग्राम अम्बरपुर तथा रमपुरा खंडपुरी की आबादी का एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण कब किया गया तथा प्रत्येक गांव में कितने-कितने विद्युत पोल लगाए गये ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय इन ग्रामों की आबादी के अन्दर कितने-कितने पोल लगे हैं तथा क्या यह संख्या मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी इनकी आबादी में, मानकों के अनुसार, अतिरिक्त विद्युत पोल इसी वित्तीय वर्ष में अविलम्ब लगवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

ग्राम अम्बरपुर का विद्युतीकरण दिसम्बर, 1977 में किया गया । ग्राम रमपुरा खंडपुरी का एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है ।

ग्राम अम्बरपुर में 7 लकड़ी के पोल लगाये गये थे ।

इस समय ग्राम अम्बरपुर में कोई पोल नहीं लगा है क्योंकि पहले लगाये गये पोल आंधी में क्षतिग्रस्त हो गये थे जिन्हें ग्राम में कोई भी कनेक्शन न होने के कारण बदला नहीं जा सका ।

यदि ग्राम अम्बरपुर उपभोक्ता कनेक्शन लेना चाहें तो पोल पुनः लगाये जा सकते हैं । ग्राम रमपुरा खण्डपुरी के एल0 टी0 मेन्स द्वारा विद्युतीकरण की कार्यवाही वर्ष 1988-89 में मानकों के अनुसार की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जनपद में अपात्र लोगों को ताड़ी की दुकानों का आवंटन

11–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में वर्ष 1984-85 में ताड़ी के दुकानों का स्थायी प्रबन्ध बेनामी, सजायाफ्ता एवं बकायादार लोगों को दिया गया था जिसको तत्कालीन जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो अपात्र लोगों को ताड़ी के दुकान का आवंटन गलत सूचना पर करने के कारण दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां । साधारण आबकारी अपराध में दण्डित एवं बकायेदार आवेदन कर्ताओं ने अपने आवेदन में बकायेदार होने एवं सजायाफ्ता होने के तथ्यों को छिपा लिया था । बाद में इस तथ्य की जानकारी होने पर तत्कालीन जिलाधिकारी, ने नियमानुसार ऐसे व्यक्तियों का ताड़ी का लाइसेंस निरस्त कर दिया था ।

आवेदन पत्र में मिथ्या कथन के लिए दोषी पाये जाने पर अनुज्ञापियों का लाइसेंस नियमानुसार निरस्त कर दिया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम गोण्डा के अंतर्गत ब्लाक हुजूरपुर, तरबगंज ब्रांच बहराइच में कार्यों का विवरण तथा खर्च की गयी धनराशि

12–श्री एहतिशाम वली खां–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम गोंडा के अंतर्गत वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1987-88 व 1988-89 में जनपद बहराइच के ब्लाक हुजूरपुर में तरब-गंज ब्रांच में उक्त वर्षों में कितने कच्चे व पक्के कार्य कराये गये तथा प्रत्येक कार्यों पर कितनी धनराशि खर्च की गयी ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सिंचाई निर्माण खण्ड प्रथम, गोण्डा नाम से कोई खण्ड नहीं है । तरबगंज शाखा का निर्माण कार्य सरयू नहर खण्ड प्रथम, गोण्डा द्वारा कराया जा रहा है ।

जनपद बहराइच के हुजूरपुर विकास खण्ड में तरबगंज शाखा पर वर्ष 1984-85 से फरवरी 1989 के अंत तक 11,17,003 घनमीटर मिट्टी का कार्य एवं 15 पक्के कार्य कराये गये हैं । इन कार्यों पर क्रमशः रुपया 50.91 लाख एवं रुपया 51.15 लाख व्यय हुये हैं ।

ग्रामगंज जनपद हमीरपुर के टूटे बांध के मरम्मत की मांग

13–श्री देव कुमार यादव–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1980 की बाढ़ में ग्राम गंज की टूटी बंधी नं0–1 के मरम्मत कार्य में धांधली बर्ते जाने के कारण मरम्मत कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है जिसके बावत ग्राम व पोस्ट-गंज, तहसील-महोबा, जिला-हमीरपुर के शान सिंह आदि ने पंजीकृत डाक द्वारा दिनांक 26-7-88 तथा 22-12-88 को उन्हें तथा सिंचाई विभाग के अन्य उच्च अधिकारियों को शिकायती प्रार्थना पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो इस प्रकरण में क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां । परन्तु दिनांक 22-2-88 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ । बंधी की मरम्मत का कार्य इसी माह 3/89 में पूर्ण करा दिया गया है ।

14–श्री शारदानन्द अंचल तथा श्री बालेश्वर–

[7वें शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 53 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

15–श्री विष्णु देव–

[6वें सोमवार में अता0 प्र0 सं0 168 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

लासाताल तहसील घोसी जनपद मऊ में जल जमाव की रोक थाम

16–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मऊ की तहसील घोसी में लासाताल के बरसाती पानी के जल जमाव से हजारों एकड़ की फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है ? यदि हां, तो इस हजारों एकड़ की पैदावार बचाने के लिए लासाताल ड्रेन की खुदाई कराने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जनपद मऊ की तहसील घोसी में लासा ताल के बरसाती पानी के जल जमाव से लगभग 535 एकड़ फसल प्रतिवर्ष बर्बाद हो जाती है ।

लासा ताल का बरसाती पानी निकालने के लिए विभाग द्वारा चंवर ताल ड्रेन पहले से निर्मित है । वर्षा ऋतु में घाघरा नदी का जल स्तर ऊंचा होने के कारण ड्रेन की खुदाई करने पर भी बरसात का पानी निकलना सम्भव नहीं है । तकनीकी दृष्टिकोण से खुदाई या रिमाडलिंग के कार्य से कोई लाभ होने की सम्भावना नहीं है ।

रोहेलखण्ड कैनाल डिवीजन बरेली में क्षतिग्रस्त नहरों के पुल

17–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोहेलखण्ड कैनाल डिवीजन जिला बरेली में कौन-कौन सी नहरों के कौन-कौन से पुल क्षतिग्रस्त हुए पड़े हैं ? उक्त पुल

कब-कब क्षतिग्रस्त हुए तथा आज तक उनकी पूर्ण मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ? क्या मंत्री जी इन पुलों की मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण वित्तीय वर्ष 1989-90 में करने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इन क्षतिग्रस्त पुलों से प्रभावित ग्रामों के लिए ह्यूम पाइप डालकर अस्थाई व्यवस्था तत्काल करेंगे ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 में अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में कोटा

18–श्री सुन्दर लाल एवं श्री काशी सिंह एरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 में वित्तीय वर्ष 1985-86, 86-87 तथा 87-88 और 1989 में अब तक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण के शासनादेशों का अनुपालन करते हुए कुल कितने विभागीय कर्मचारियों की श्रेणी चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय तथा प्रथम में अलग-अलग पदों एवं वेतनमानों में विभागीय प्रोन्नति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार शासनादेशों की उपेक्षा करने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने पर विचार करेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति में आरक्षण संबंधी शासनादेशों का अनुपालन किया जा रहा है । निगम द्वारा की गई पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है । विभिन्न वर्षों में उक्त वर्ग के कर्मचारियों को दी गई पदोन्नतियों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

वर्ष	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या; जिन्हें पदोन्नतियां दी गयी
1985–86	–	–
1986–87	ग	1
1987–88	ख	1
1988–89	घ	2
जनवरी 89	–	–

आरक्षण कोटे को पूर्ण करने हेतु निगम द्वारा समय-समय पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाती है तथा शासनादेशों का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है ।

सिंचाई विभाग में लेखा तथा सहायक अभियन्ताओं से सम्बद्ध लिपिकों की अलग श्रेणी बनाने के आदेश

19—श्री बसन्त सिंह गहलौत—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 2491/83-23-सिं-8/26अ/82 दिनांक 20-8-83 द्वारा प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संबोधित पत्र के प्रस्तर-2 में आदेश दिया गया था कि "सिंचाई विभाग के विभिन्न खण्डों में लेखा कार्य के लिए तथा सहायक अभियंता से सम्बद्ध लिपिकों का संवर्ग अन्य लिपिकीय कर्मचारियों से पृथक बनाया जाय" ? यदि हां, तो क्या शासनादेश के अनुसार अलग संवर्ग बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जी हां । प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग ने शासनादेश संख्या अ-2491/83-23-सिं0-8/26 अ/82 दिनांक 20-8-83 के अनुसार विभिन्न खण्डों में लेखा कार्य के लिए तथा सहायक अभियन्ता से सम्बद्ध लिपिकों का संवर्ग अन्य लिपिकीय कर्मचारियों से पृथक बनाये जाने से उत्पन्न होने वाली अनेक व्यवहारिक कठिनाईयों के विषय में शासन को अपने पत्र दिनांक 7-5-84 द्वारा अवगत कराया था । शासनादेश के कार्यान्वयन में बताई गई कठिनाईयों पर शासन द्वारा विचार किया गया । प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को उपर्युक्त शासनादेश का शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 21-12-88 को निर्देशित किया जा चुका है ।

फर्रुखाबाद नगर पालिका में स्टाफ की कमी

20—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फर्रुखाबाद की नगरपालिका फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ में विद्युत व्यवस्था तथा आपूर्ति को सुनिश्चित रखने हेतु वर्तमान समय में आवश्यकता से बहुत कम स्टाफ है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में किस-किस स्तर के कितने-कितने कर्मचारी इस नगरपालिका क्षेत्र में कहां-कहां कार्यरत हैं ? कितने तकनीकी व गैर तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता है, इनकी नियुक्तियां कब तक पूर्ण करा दी जावेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नाला सोनहिया विकास खण्ड पचपेड़वा पर चेक डैम्प तथा जी0 पी0 कार्य करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

21—श्री अरुण प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20-4-88 जनपद गोण्डा के विकास खण्ड पचपेड़वा में पहाड़ी नाला सोनहिया पर चेक डैम्प तथा जी0 पी0 कार्य करने के सम्बन्ध में उप सचिव उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई अनुभाग—3 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

पत्र पर विचार किया गया और ग्राम-खाखादेई के पास चेक डैम बनाना तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं पाया गया । चेक डैम का निर्माण कार्य पत्र प्राप्त होने से पूर्व ही प्रारम्भ किया जा चुका था और मोतीपुर ग्राम के निकट ही चेक डैम का कार्य कराया जा रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

आबकारी विभाग में डिनेचर्ड स्प्रिट का फुटकर बिक्री का लाइसेंस

22–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या आबकारी मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि शासन ने अपने आदेश संख्या 3546ई-2/13-414/87 दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 के द्वारा आबकारी विभाग को यह निर्देश दिया था कि डिनेचर्ड स्प्रिट के फुटकर बिक्री का लाइसेंस प्रदेश में रजिस्टर्ड केमिस्टों एवं फार्मेसिस्टों को ही दिया जाय ? क्या यह सत्य है कि गोरखपुर जनपद में फार्मेसिस्ट एवं ड्रगिस्टों के प्रार्थना-पत्र के उपरान्त भी स्प्रिट का लाइसेंस उक्त शासनादेश के अनुसार नहीं दिये गये ? यदि हां, तो शासकीय आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां ।

जिलाधिकारी, गोरखपुर से प्राप्त सूचनानुसार उक्त आदेश के निर्गत होने के बाद किसी फार्मेसिस्ट या ड्रगिस्ट ने डिनेचर्ड स्प्रिट की फुटकर बिक्री के लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के उद्योग शून्य जिलों में औद्योगीकरण के नाम पर प्रस्तावित उद्योग एवं कृत कार्यवाही

23–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जिले उद्योग शून्य घोषित हैं ? इनमें प्राथमिकता के आधार पर विगत पांच वर्षों के दौरान सरकार ने औद्योगीकरण के नाम पर किस-कितना धन व्यय किया ? आगामी वर्षों में इन जिलों में कौन-कौन से मुख्य उद्योग लगाये जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बगहा नदी जनपद गोण्डा पर मार्जिनल बांध बनाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र पर कृत कार्यवाही

24–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने तत्कालीन मुख्य मंत्री को दिनांक 29-11-86 को जनपद गोण्डा के बगहा नदी पर मार्जिनल बांध बनाने के संबंध में पत्र लिखा था ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में संयुक्त सचिव, सिंचाई विभाग अनुभाग–6 ने अपने पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1986 को मुख्य अभियन्ता (सरजू) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश फैजाबाद को आवश्यक कार्यवाही एवं आख्या हेतु निर्देशित किया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी और कब तक मार्जिनल बांध का निर्माण करा दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

दिनांक 29-11-86 का नहीं बल्कि 4-12-86 का पत्र प्राप्त हुआ था ।

जी हां ।

विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त तटबांध का निर्माण तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टिकोण से उचित नहीं पाया गया ।

अधीक्षण अभियंता नलकूप मण्डल फैजाबाद से लिफ्ट स्कीम के सम्बन्ध में पूछी गयी आख्या

25–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री प्रथम सत्र 1988 के सातवें बुद्धवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0 43 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षक अभियन्ता से आख्या प्राप्त होकर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

अधीक्षण अभियन्ता नलकूप मण्डल, फैजाबाद द्वारा सर्वेक्षण कराया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि लिफ्ट स्कीम का निर्माण कराया जाना उपयुक्त नहीं है ।

प्रदेश में भीषण ओला पड़ने के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त फसलों से प्रभावित किसानों को सहायता

26–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1986-87 व 1987-88 और 1988-89 में जिन जनपदों और उनकी तहसील के क्षेत्र में जहां पर रबी की खड़ी पकी फसल में भीषण ओला पड़ा और जिससे फसल में 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ तथा इस कारण किसान नलकूपों के बिजली के बिल का भुगतान नहीं कर सका है ? क्या सरकार ऐसी भीषण दैवी आपदा को ध्यान में रखते हुए नलकूप कास्तकारों के बकाया बिजली बिलों को जनहित में माफ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में घाटे का व्योरा

27–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् सितम्बर, 1988 के अंत तक कितने अरब रुपये के घाटे पर चल रहा था ? इसी अवधि तक परिषद् पर कितने अरब का सरकारी ऋण बकाया है ? विगत वर्षों में प्रदेश सरकार द्वारा कितना ऋण माफ कर दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि विद्युत परिषद् को विभिन्न सरकारी विभागों व अन्य से कितने अरब रुपए वसूलने हैं ? इसकी वसूली हेतु परिषद् द्वारा क्या प्रभावी कार्यवाही अब तक की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विद्युत (प्रदाय) वार्षिक लेखा नियम 1985 के प्राविधानों के अंतर्गत लाभ हानि लेखा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने पर उसके आगे सितम्बर माह तक तैयार करने का प्राविधान है । चूंकि लाभ हानि लेखा केवल वर्ष में एक बार बनाया जाता है । अतः सितम्बर 1988 के अंत तक घाटे की धनराशि सूचित करना सम्भव नहीं है । उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का दिनांक 31-3-1988 तक कुल घाटा रु0 728·13 करोड़ था जो वर्ष 1986-87 तक का सम्प्रेक्षित एवं वर्ष 1987-88 का असम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर निकलता है ।

राज्य सरकार का उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् पर वित्तीय वर्ष 1987-88 के अंत तक कुल ऋण 3349·81 करोड़ रुपये अवशेष थे । अप्रैल 1988 से सितम्बर 1988 तक 20·33 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्राप्त होने के फलस्वरूप कुल अवशेष ऋण बढ़कर सितम्बर, 1988 के अंत में 3870·14 करोड़ रुपये हो गये । उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को दिये गये ऋण में से कोई भी धन माफ नहीं किया है ।

विद्युत परिषद् को दिसम्बर, 1988 के अंत तक विभिन्न सरकारी विभागों से कुल रु0 139·55 करोड़ व अन्य से रु0 355·83 करोड़ रुपये वसूलने थे । बकाये की वसूली हेतु निम्न प्रभावी कार्यवाही की गयी है :–

1–करेण्ट एसेसमेंट और बकाये की वसूली के क्षेत्रवार मासिक तथा वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं ।

2–अवर अभियन्ता से मुख्य अभियन्ता स्तर तक वसूली के लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक रिकवरी प्लान बना लिया गया है और उसे क्षेत्रीय अधिकारियों को भेजा जा रहा है ।

3–सम्बन्धित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि वे राजस्व को महती प्राथमिकता के आधार पर वसूल करें ।

4–सरकारी संस्थानों से करेंट एसेसमेंट तथा बकाये की वसूली के लिए केन्द्रीय स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदार बना दिया गया है ।

5–न्यायालय में लम्बित बड़ी राशि को दृष्टि में रखकर परिषद् ने माह नवम्बर 1988 में मुख्य अभियन्ता वाणिज्य के अंतर्गत पृथक रूप से विधि कक्ष की

स्थापना कर दी है । इस कक्ष को समान विवाद वाले प्रकरणों की सूची बनाकर उन पर एक साथ सुनवायी कराने की व्यवस्था कराने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है । नई विद्युत दर ईंधन अधिभार सन्ट कंपोसिटर अधिभार इत्यादि से सम्बन्धित 59 प्रकरणों की सुनवायी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दिनांक 28-11-88 को प्रारम्भ कराई गयी थी, दिनांक 23-1-89 से दिनांक दिनांक 1-2-89 तक नियमित सुनवायी हो चुकी है एवं दिनांक 22-2-89, 23-2-89 एवं 24-2-89 को सुनवायी के बाद पुनः 8-3-89 को सुनवायी हो चुकी है ।

6—परिषद् ने 10 अतिरिक्त सतर्कता दलों का गठन कर दिया है जिनसे चोरी रोकने के साथ ही साथ "हार्ड केसेज" से विद्युत के बकाया की वसूली का भी काम कराया जायेगा ।

7—आर0 सी0 के विरुद्ध वसूली हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गयी है एवं विभिन्न स्तरों पर कार्यवाही के निर्देश दिये जा रहे हैं ।

8—वसूली की प्रक्रिया को गति देने के लक्ष्य से जगह-जगह कैम्प लगाये जा रहे हैं जहां उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों को आवश्यकतानुसार ठीक करके उनसे वसूली की जा रही है । साथ ही साथ विद्युत सम्बन्धी उनकी अन्य समस्याओं का भी कैम्पों में तत्काल निराकरण किया जा रहा है ।

फर्रुखाबाद जनपद के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

28—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड बढ़पुर एवं राजेपुर के कितने गांवों का विद्युतीकरण वर्ष 1988 के अंत तक हो चुका है और शेष कितने गांवों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में प्रस्तावित है ? उक्त विद्युतीकरण को प्राथमिकता के आधार पर क्या वर्ष 1989 के अंत तक सम्पन्न करा लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

विकास खण्ड बढ़पुर, एवं राजेपुर में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार क्रमशः 68 एवं 66 तथा एल0 टी0 लाइन बिछाकर क्रमशः 25 तथा 46 ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ।

आगामी वर्ष के लक्ष्य अभी निर्धारित नहीं हुए हैं ।

सीमित संसाधनों के कारण शेष सभी ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1989 के अंत तक सम्भव नहीं है ।

गोण्डा जनपद के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण

29—श्री अरुण प्रताप सिंह—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा में वर्ष 1985 से अब तक कितने ग्राम सभाओं में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्य पूरा किया गया है, और इसमें से कितने ग्राम सभायें मेन्टीनेन्स विभाग को हस्तान्तरित की गयी हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनवरी 1985 से फरवरी 1989 तक विकास खण्ड गैसड़ी में 22 तथा विकास खण्ड पचपेड़वा में 26 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है और सम्बन्धित विद्युत अधिष्ठान मेन्टिनेंस विभाग को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं ।

गोण्डा जनपद के कतिपय ग्रामों के जले ट्रांसफार्मर को बदला जाना

30–श्री अरुण प्रताप सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा के किन-किन ग्राम सभाओं में ट्रांसफार्मर जल गया है और विद्युत आपूर्ति ठप्प है ? सरकार कब तक खराब ट्रांसफार्मरों को बदलेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विकास खण्ड गैसड़ी/पचपेड़वा की ग्राम सभा भगवानपुर खादर का 25 के0 वी0 ए0 तथा ग्राम सभा दालपुर बेकौली के हेमलेट का 5 के0 वी0 ए0 का ट्रांसफार्मर वर्ष 1983-84 में जल गया था परन्तु वहां कोई कनेक्शन न होने के कारण इन ट्रांसफार्मरों को बदला नहीं गया ।

यदि उपभोक्ता कनेक्शन लेते हैं तो कनेक्शन देने के साथ ही जले हुए ट्रांसफार्मरों को बदल दिया जायेगा ।

बांदा जनपद के कतिपय पम्प योजनाओं की क्षमता

31–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में राजापुर लिफ्ट योजना व चिल्लीमल पम्प योजना की क्षमताएं क्या हैं ? इनको पूर्ण क्षमता के साथ न चलाने के क्या कारण हैं ? लिफ्ट योजनाओं को पूरी क्षमता से चलाने तथा किसानों को नियमित रूप से समुचित पानी उपलब्ध कराने हेतु क्या कोई योजना बनाकर लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

राजापुर लिफ्ट नहर की क्षमता 50 क्यूसेक तथा चिल्लीमल पम्प नहर की क्षमता 120 क्यूसेक है ।

पम्प नहर पर आवश्यक मात्रा में विद्युत उपलब्ध न होना एवं उपकरणों के लगातार उपयोग से क्षमता कम होने के कारण पूरी क्षमता से चलाने में बाधा पड़ती है । प्रश्नगत पम्प नहरों से नियमित रूप से समुचित पानी उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से विद्युत उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रयास किया जा रहा है। उपकरण आदि बदलने की कार्यवाही भी की जा रही है ।

32–श्री राम पाल वर्मा–

[8वें मंगल में अता0 प्र0 सं0 160 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बस्ती के स्टोर कर्मियों को विद्युत स्टोर खण्ड में भेजे जाने की मांग

33—डाक्टर मोहम्मद उमर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बस्ती में अभी भी कितने ऐसे (स्टोर पर्सनल) स्टोर मुन्शी, सहायक स्टोर कीपर तथा स्टोर कीपर मौजूद हैं, जो विद्युत स्टोर खण्ड को नहीं भेजे गए ? इन्हें कब तक स्टोर के लिए कार्य मुक्त कर दिया जायेगा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उनको किस मद से वेतन दिया जा रहा है और उनसे क्या काम लिया जा रहा है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्तमान समय में विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बस्ती में निम्नलिखित तीन स्टोर मुंशी कार्यरत हैं जो स्टोर नहीं भेजे गये हैं :—

(1) श्री बी0 आर0 त्रिपाठी, स्टोर मुंशी
(2) श्री राजाराम पाल, स्टोर मुंशी
(3) श्री के0 एम0 दूबे, स्टोर मुंशी

उपर्युक्त के अतिरिक्त विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बस्ती में दो सहायक स्टोर कीपर श्री आर0 पी0 गुप्ता तथा श्री उपाध्याय (निलंबित) कार्यरत थे । इनमें श्री आर0 पी0 गुप्ता सहायक स्टोर कीपर का स्थानान्तरण नवसृजित विद्युत परीक्षण खण्ड, बस्ती में हो गया है और वह वहीं पर कार्यरत हैं तथा श्री उपाध्याय, सहायक स्टोर कीपर का 16-3-89 को स्वर्गवास हो गया ।

उपर्युक्त उल्लिखित तीन स्टोर मुंशियों के स्थानान्तरण हेतु मुख्य अभियन्ता (वितरण) गोरखपुर जोन ने मुख्य अभियंता (जल विद्युत) द्वारा अधीक्षण अभियन्ता (स्टोर्स लखनऊ) से इन सहायक स्टोरकीपरों/स्टोर मुंशियों को स्टोर संगठन में तैनात करने हेतु संस्तुति मांगी है । उनसे उत्तर प्राप्त होने पर वांछित कार्यवाही मुख्य अभियंता (जल विद्युत) के स्तर पर की जायेगी ।

उन्हें अधिष्ठान मद से वेतन का भुगतान किया जा रहा है एवं उनसे स्टाक एकाउन्ट से संबंधित कार्य लिया जा रहा है ।

विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय बस्ती में कार्यरत गम्भीर अपराधों में नाम जद मुल्जिमों की संख्या

34—श्री खुरशेद अहमद—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बस्ती में ऐसे कितने विद्युत कर्मचारी हैं जो हत्या जैसे गम्भीर अपराध में नामजद मुल्जिम हैं तथा 48 घण्टे से अधिक समय तक जेल में बन्द रहे हों और पुलिस प्रशासन ने आवश्यक कार्यवाही करने हेतु विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय, बस्ती को सूचित किया हो ? उनके विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कार्यवाही की जायगी ? क्या जेल में बन्द रहने की अवधि का वेतन उन्हें दिया गया है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) बस्ती में एक ऐसे कर्मचारी हैं ।

इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खण्ड, बस्ती को दिनांक 18-1-86 को इस आशय की प्राप्त हुई कि उपरोक्त खण्ड के श्री उमापति शुक्ल, आलेखक अ0 सं0 181/85 धारा 302 भा0 दं0 वि0 में नामित अभियुक्त हैं जो दिनांक 26-10-85 को न्यायालय सी0 सी0 तृतीय बस्ती में हाजिर होकर दिनांक 30-10-85 से जमानत पर हैं ।

परिषद् द्वारा उक्त कर्मचारी को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

चूंकि कोर्ट में उपस्थित होकर उपर्युक्त कर्मचारी जमानत पर छूटने की तिथि तक आकस्मिक अवकाश लिए हुए था और कार्यालय को उसके अभियुक्त होने की उस समय तक जानकारी नहीं हो पायी थी अतः उन्हें वेतन का भुगतान कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत पर छूटने की तिथि तक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत किया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा

35–श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ चल रहे उपक्रम उत्तर प्रदेश निर्यात निगम, बी-27 सर्वोदयनगर कानपुर मुख्यालय पर अलग-अलग श्रेणियों के पदों में नियुक्ति के संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण कोटा शासनादेश के अनुरूप पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि0 में अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की स्थिति निम्नानुसार है :–

श्रेणी	कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या
क	19	---	---
ख	37	1	---
ग	297	17	1
घ	151	22	3

निगम की सेवाओं में आरक्षण कोटा सम्प्रति पूर्ण नहीं है, क्यों कि विभिन्न पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं आयु-सीमा में शिथिलता प्रदान करने पर भी, अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके । निगम, शासनादेशों के अनुरूप उक्त कोटा पूर्ण करने हेतु प्रयासरत है ।

सिंचाई विभाग से मण्डलीय लिपिकों को मण्डलीय कार्यालयों हेतु कार्यमुक्त करने की मांग

36—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित कार्यालयों के वर्ष 1988 में स्थानान्तरित मण्डलीय लिपिकों में से स्थित मण्डलीय कार्यालयों के कितने लिपिकों को कार्यमुक्त कर दिया गया है और किन-किन को नहीं ? अब तक कार्यमुक्त न किए जाने के क्या कारण हैं तथा स्थानान्तरित कर्मचारियों को किस तिथि तक कार्यमुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आबकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण की नीति

37—श्री सुखपाल पाण्डे, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मूल चन्द्र तथा श्री भोपाल सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आबकारी विभाग में स्थानान्तरण की क्या नीति है तथा आबकारी विभाग में कार्यरत निरीक्षक, अधीक्षक एवं सहायक आयुक्त एक जनपद में कितने वर्ष तथा एक मण्डल में कितने वर्ष रह सकता है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आबकारी विभाग में सामान्यतः आबकारी निरीक्षक, आबकारी अधीक्षक तथा सहायक आबकारी आयुक्त को एक स्थान पर तीन वर्षों तक नियुक्त रखने की नीति है । पर्वतीय जनपदों में दो वर्षों का कार्यकाल पूरा हो जाने पर मैदानी क्षेत्र में स्थानान्तरण करने की नीति है । परन्तु प्रशासनिक आधार पर किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को नियत अवधि के पूर्व स्थानान्तरित किया जा सकता है ।

आबकारी विभाग में मण्डल में नियुक्ति की अवधि निर्धारित नहीं है ।

जिला आजमगढ़ में सिंचाई सलाहकार समिति की मीटिंग की तिथियां

38— श्री मोहम्मद मसूद खां—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला की सिंचाई सलाहकार समिति की जनवरी, 1988 से अब तक कितनी बार और कब-कब मीटिंग हुई और किन-किन मुद्दों पर समिति ने अपना सुझाव दिया और शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाराबिरवा नहर, लखनऊ के निकट स्थित देशी शराब की दुकान का ठेका

39—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित बाराबिरवा नहर के पास स्थित देशी शराब की कोई दुकान है जिसके फलस्वरूप प्रतिदिन सायंकाल शराब पीने वालों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कानपुर रोड एवं सुभाष नगर (भोला खेड़ा) मार्ग पर जाने के लिए आवागमन अवरुद्ध हो जाता है ? यदि हां, तो क्या आबकारी मंत्री जी आगामी वित्तीय वर्ष 1989-90 में उक्त ठेका अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपदों में ऊर्जा विभाग के विभागीय अधिकारियों के सांठ-गांठ से उपभोक्ताओं को स्वीकृत भार से अधिक विद्युत उपभोग करने विषयक शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

40–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद समेत कई जनपदों में विभागीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से औद्योगिक विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार उपभोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1988-89 में इस प्रकार के कितने अवैध कनेक्शन उन्नाव, रायबरेली व लखनऊ में पकड़े गये हैं ? क्या यह सच है कि वितरण खण्डों द्वारा औद्योगिक विद्युत कनेक्शन देने में उपभोक्ताओं से ली जाने वाली इस्टीमेट की धनराशि (चार्जेबुल टू कन्जूमर) को गलत व नियम विरुद्ध तरीके से परिषद् के ऊपर (चार्जेबुल टू बोर्ड) डालकर परिषदीय राजस्व की हानि की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 5 फरवरी, 1989 के द्वारा सचिव ऊर्जा को की गयी इस आशय की शिकायत की जांच उच्चाधिकारी द्वारा की गयी है ? यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं ? दोषी लोगों पर क्या कार्यवाही की गयी?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री आर0 के0 गुप्ता अधिशासी अभियंता शारदा सहायक संगठन द्वारा स्थानान्तरण संबंधी नियमों का उल्लंघन

41–श्री मूलचन्द्र तथा श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक संगठन के अधीन कार्यरत अधिशासी अभियन्ता (श्री आर0 के0 गुप्ता) का विगत 1–1/2 वर्ष में स्थानान्तरण संबंधी नियमों को उल्लंघन करते हुए चार बार स्थानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त अभियन्ता इस अवधि में किसी एक खण्ड से अवकाश पर रहते हुए अन्य दूसरे खण्ड से चेक काटकर सरकारी धन का भुगतान करते रहे ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

विशेष परिस्थितियों में शारदा सहायक संगठन के अधीन कार्यरत श्री राम किशोर गुप्ता, अधिशासी अभियन्ता का विगत डेढ़ वर्ष में तीन बार स्थानान्तरण किया गया ।

जी हां । इस संबंध में इनका स्पष्टीकरण मांगा गया है । स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

राजबहा पोखरा जनपद फैजाबाद में पुल बनाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

42–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में तत्कालीन ग्राम्य विकास मंत्री द्वारा पत्रांक–5385 दिनांक 22-8-1983 द्वारा कोई आदेश राज-

बहा पोसरा के 8 मील 5 फर्लांग 165 फिट दायीं पटरी पर स्थित पुल के संबंध में कृषि उप निदेशक फैजाबाद मण्डल को भेजा था ? यदि हां, तो उक्त तिथि को प्राप्त आदेश का पूर्ण विवरण क्या है तथा आदेश का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड इलाहाबाद में मेटों के इन्क्रीमेन्ट तथा सेलेक्शन ग्रेड रोकने का कारण

43–मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता सिंचाई निर्माण खण्ड इलाहाबाद के अधीन कार्यरत कितने मेटों को वर्ष 1979 से अब तक न तो इन्क्रीमेन्ट दिया गया और न ही उन्हें सेलेक्शन ग्रेड ही दिया गया है ? इनके इन्क्रीमेंट तथा सेलेक्शन ग्रेड अवैध रूप से रोके जाने के लिए कौन उत्तरदायी है उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यह सुविधायें उन्हें कब तक दे दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सिंचाई निर्माण खण्ड, इलाहाबाद में कार्यरत सभी मेटों को प्रति वर्ष नियमित रूप से इन्क्रीमेंट स्वीकृत किया जा रहा है । जहां तक सेलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति का प्रश्न है, शासनादेश संख्या–वे0आ0 2-210/दस -स0-व्य0(सा0) 82, दिनांक 4 फरवरी, 1983 एवं शासनादेश संख्या–वे0आ0-2-626/दस-84-स0व्य0(सा0) 82, दिनांक 9 मई, 1984 के अनुसार जो मेट सेलेक्शन ग्रेड के पात्र थे, उन्हें सेलेक्शन ग्रेड स्वीकृत किया जा चुका है । इस खण्ड में ऐसा कोई मेट नहीं है जिसका इन्क्रीमेंट अथवा सेलेक्शन ग्रेड अवैध रूप से रोका गया है । अतः इनके लिए उत्तरदायी होने अथवा सुविधा न प्रदान करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के थानों द्वारा माहवारी विद्युत खपत

44–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण सर्किल बस्ती में कुल कितने थानों के नाम विद्युत कनेक्शन है और उनका अनुबंधित लोड प्रति थाना कि0वा0 क्या है ? वर्ष 1988 के जनवरी से दिसम्बर 88 तक कुल कितने यूनिट माहवार खपत बिजली की उन थानों में आयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विद्युत वितरण मण्डल बस्ती में 43 थानों के नाम विद्युत कनेक्शन है । 22 थानों का अनुबंधित भार 0.5 कि0वा0 प्रति थाना, 20 थानों का 1.00 कि0वा0 प्रति थाना एवं एक थाने का 0.3 कि0वा0 है ।

विद्युत बिल दो माह का एक साथ निर्गत किया जाता है । अतः जनवरी 88 से दिसम्बर, 88 तक विद्युत की प्रति दो माह प्रति थाने की खपत का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 178 पर)

बाराबंकी में सरकारी एवं निजी नलकूपों में लगे सैंपुल मीटर की विद्युत रीडिंग

45–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी में निजी एवं सरकारी नलकूपों पर कुल कितने सैंपुल मीटर लगे हैं ? उनकी वर्ष 1986-87 में माहवार क्या रीडिंग रही और कितने यूनिट सरकारी व निजी नलकूपों के नाम सी0 एस0 3 एवं सी0 एस0 4 में प्रति हा0 पा0 प्रतिमाह दर्शाया गया है ? विद्युत खपत को निजी और सरकारी नलकूपों के नाम दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस मामले की जांच करवायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

निजी नलकूपों पर 20 एवं सरकारी नलकूपों पर 2 सैंपुल मीटर लगे हैं ।

सभी सैंपुल मीटर खराब हो जाने के कारण वर्ष 1986-87 में कोई रीडिंग नहीं ली जा सकी ।

सरकारी नलकूप एवं 100 हा0 पा0 तक की पम्प कैनाल व निजी नलकूपों के लिए सी एस0–3 तथा सी0 एस0–4 में प्रति हा0 पा0 प्रतिमाह दर्शायी गयी यूनिटों का विवरण संलग्न है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 180 पर)

बाराबंकी जनपद के थानों में विद्युत खपत

46–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी में कुल कितने थानों के कनेक्शन हैं? उनका अनुबंधित लोड कि0 वा0 में क्या है और माहवार वर्ष 1987 तथा 88 का प्रति थाने के नाम कितने यूनिट खपत आयी और कितना भुगतान प्राप्त किया गया है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी में थानों के कुल 18 कनेक्शन हैं। तीन थानों का अनुबंधित लोड 300 वाट प्रत्येक थाना एवं 15 थानों का अनुबंधित लोड प्रति थाना 500 वाट है। 18 थानों का कुल लोड 8.4 किलोवाट है। माहवार वर्ष 1987 व 88 का प्रति थाने के नाम यूनिट खपत और भुगतान संलग्नक में दर्शाया गया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 181 पर)

उ0 प्र0 के निगमों में प्रतिनियुक्ति की प्रथा कम करने की वेतन समिति की संस्तुति

47–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय वेतन आयोग ने नलकूप निगम में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को उच्च पदों पर नियुक्त न करने के निर्देश दिये थे तथा यह अपेक्षा की थी कि प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था को सामान्यतया कम किया जाय तथा अधिकतम प्रतिनियुक्ति की अवधि 5 वर्ष हो? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि नलकूप निगम द्वारा द्वितीय वेतन आयोग तथा तृतीय वेतन समिति के उपरोक्त

निर्देशों और संस्तुतियों का पालन नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि नलकूप निगम में अधिशासी अभियन्ता तथा अधीक्षण अभियन्ता के रूप में सिंचाई विभाग के 3 ऐसे वरिष्ठ अधिकारी हैं जो 5 वर्षों से अधिक समय से प्रति-नियुक्ति पर नियुक्त हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वितीय वेतन आयोग तथा तृतीय वेतन समिति के निर्देशों/संस्तुतियों के अनुरूप उन्हें मूल विभाग में वापस करने के निर्देश देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वेतन समिति उत्तर प्रदेश 1987 सार्वजनिक उद्यमों/उपक्रमों के कर्मचारियों से संबंधित प्रतिनियुक्ति भत्ता संबंधी रिपोर्ट में संस्तुति की है न कि निर्देश दिये हैं। जी नहीं। द्वितीय तथा तृतीय वेतन आयोग ने इस सम्बन्ध में निगम को कोई निर्देश नहीं दिये हैं। तृतीय वेतन समिति ने विचार व्यक्त किया है कि प्रतिनियुक्ति की प्रथा को किया है कि प्रतिनियुक्ति की प्रथा को यथा संभव कम किया जाना चाहिए। जी नहीं। निगम में मात्र एक अधीक्षण अभियन्ता ही शासन की स्वीकृति के अनुसार 5 वर्ष से अधिक की अवधि से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।

शासन के विचाराधीन है।

राजघाट बांध ग्राम चौसा डूब ललितपुर हेतु अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के भुगतान संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

48–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि ललितपुर जिले के ग्राम चौसा डूब क्षेत्र राजघाट बांध के किसानों की जमीनों आदि के मुआवजे के भुगतान अभी तक नहीं किये गये? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता ने भुगतान देने के लिए शासन को 1 अगस्त, 1988 को पत्र लिखा था जिसकी प्रतिलिपि संलग्नक सहित मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) सिंचाई विभाग उ0प्र0 झांसी के पास 30 सितम्बर, 1988 को श्री ए0के0 दुग्गल उप-सचिव सिंचाई अनुभाग-3 द्वारा भेजी गयी थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है? किसानों को मुआवजा कब तक दिला दिया जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। राजघाट बांध के डूब क्षेत्र में ग्राम चौसाघाट की 405 एकड़ भूमि सन् 1986 में अर्जित की गई व इसका मुआवजा वितरित किया जा चुका है। सम्पत्ति का प्रतिकर सन् 1987-88 में वितरित किया जा चुका है। केवल मकानों का प्रतिकर बांटना शेष है। धारा 6 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त प्रतिकर बांटने की कार्यवाही की जायेगी।

तहसील करवी, जनपद बांदा के ओहन फीडर को ठीक कराने की मांग

49–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के अन्तर्गत ओहन फीडर की बिगड़ी हुई हालत को ठीक कराकर समुचित सिंचाई सुविधाएं देने हेतु कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो अभी तक धन उपलब्ध न कराने तथा सिंचाई सुविधाएं देने में घोर उपेक्षा करने के क्या कारण हैं?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां। ओहेन फीडर के कार्यों को कराने का प्राविधान बांदा जनपद के लिए इरीगेशन एडवांसमेंट कार्यक्रम तथा सेक्टोरल कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया है परन्तु इन दोनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत अभी धन उपलब्ध नहीं हुआ है। सेक्टोरल प्लान के प्रोजेक्ट पर ग्राम्य विकास विभाग से स्वीकृति अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में किसी उपेक्षा का प्रश्न नहीं है।

श्री बाबू लाल उप प्रधान ग्राम पहाड़ी माफी जनपद बांदा के मसौनी पम्प कैनाल हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा

50–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य मंत्री को संबोधित प्रश्नकर्ता के पत्रांक ग, 013462 दिनांक 26-8-87 के साथ संलग्न बांदा जनपद ब्लाक नरैनी के ग्राम पहाड़ी माफी के श्री रामेश्वर व श्री बाबू लाल उप प्रधान का कोई पत्र मसौनी पम्प कैनाल के उपयोग में आई किसानों की कृषि योग्य भूमि का मुआवजा के साथ में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अभी तक मुआवजा किसानों को न मिलने के क्या कारण हैं तथा कब तक यह मुआवजा मिल जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि ग्राम पहाड़ी में माफी में कृषकों की भूमि मसौनी पम्प के निर्माण हेतु ली गयी है। यह भूमि नायब तहसीलदार कालिंजर के द्वारा विभाग को हस्तान्तरण की गयी थी। कृषकों को मुआवजा देने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री राज बिहारी लाल उप सचिव सांस्कृतिक कार्य विभाग उ0 प्र0 शासन के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

51–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित प्रश्नकर्ता का 31-12-1988 का पत्र जिसमें उप सचिव (श्री राज बिहारी लाल) सांस्कृतिक कार्य, उत्तर प्रदेश शासन की अनियमितताओं की शिकायत की जांच की मांग की गयी है, मिल गया है? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जांच रिपोर्ट तथा उसके आधार पर कृत कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

जी हां। मामले पर निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ तथा श्री राज बिहारी लाल से आख्या मांगी गयी, जो संतोषजनक पायी गयी।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

52–श्री नंगा राम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग संवर्ग के कितने अनुसचिव कर्मचारियों के ज्येष्ठता निर्धारण प्रतिवेदन विभाग/शासन स्तर पर लम्बित हैं तथा इनमें से कितने प्रकरण 10 वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं? इन प्रत्यावेदनों पर कब तक विभाग/शासन द्वारा निर्णय हो जायेगा?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई में अधीक्षक स्तर-2 के पदों का उच्चीकरण

53–श्री नंगा राम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के कुल कितने पद वर्तमान में हैं? क्या यह सही है कि नियमानुसार इन कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक स्तर-1 के ही पद होने चाहिए? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के पदों को कार्यालय अधीक्षक स्तर-1 के पदों में उच्चीकृत करा देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

वर्तमान में प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश में कार्यालय अधीक्षक स्तर-2 के कुल 8 पद स्वीकृत हैं।

ऐसा कोई नियम नहीं है कि प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में कार्यालय अधीक्षक स्तर-1 के ही पद होने चाहिए।

प्रश्न ही नहीं उठता।

आबकारी विभाग में फर्जी नामों से ताड़ी भांग तथा अंग्रेजी शराब के ठेके

54–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या आबकारी मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1982-83 में लखनऊ में अंग्रेजी शराब, भांग व ताड़ी के ठेके फर्जी नामों से लिए गये थे और 30-12-82 को जिला प्रशासन ने छापे मारकर ऐसी सभी 25 अंग्रेजी शराब की दुकानों को सील किया था ? क्या इस बारे में आर्थिक अपराध संगठन ने जांच की और असली ठेकेदारों का पता लगाया ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट में क्या पाया गया ? जांच रिपोर्ट के आधार पर किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 420/467/468/471 तथा 120 (बी) के अंतर्गत चालान किया गया? मुकदमें का क्या परिणाम रहा ? आबकारी अधिकारी व संबंधित लिपिक के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी–

वर्ष 1982–83 में लखनऊ में दिनांक 30-12-82 से 7-1-83 तक विदेशी मदिरा की 25 दुकानों को अवैध स्रोत से प्राप्त विदेशी मदिरा रखने के आधार पर सील किया गया था। इस बारे में आर्थिक अपराध संगठन द्वारा कोई जांच नहीं करायी गयी थी। वस्तुतः इससे पूर्व जुलाई, 82 में शराब, भांग तथा ताड़ी के कतिपय ठेकेदारों द्वारा फर्जी ट्रेजरी चालानों द्वारा सरकारी राजस्व के गबन का मामला प्रकाश में आया था और उसकी जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम स्वरूप ठेकेदारों के विरुद्ध मुकदमें दायर किये गये हैं। तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी श्री एम0 पी0 श्रीवास्तव एवं आबकारी लिपिक श्री राजेन्द्र कुमार को निलंबित किया गया था।

प्रमुख अभियंता कार्यालय सिंचाई विभाग में अनियमित नियुक्तियों विषयक पत्र पर कार्यवाही

55–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियंता कार्यालय, सिं0 वि0 के अनुसचिवीय अधिष्ठान में अवैध नियुक्तियां रोकने व अनयमित नियुक्तियों को निरस्त करने तथा अनियमित नियुक्तियों के संबंध में आख्या देने के संबंध में वर्ष 1983 से 1986 के मध्य कुल कितने पत्र सेवायोजन कार्यालय , लखनऊ के अधिकारियों से प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्राप्त हुए ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

पांच पत्र प्राप्त हुए । मामले में विचारोपरांत वर्ष 1979–80 में रिक्त पदों की संख्या के बराबर 8 पदों पर प्रमुख अभियंता के कार्यालय ज्ञाप संख्या–3126/ई-4 दिनांक 14-8-87 तथा 7465/ई-4 दिनांक 27-10-87 द्वारा नियुक्तियां प्रदान कर दी गयी हैं ।

ग्राम करारी ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के तालाबों को गहरा करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

56–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को संबोधित पत्र श्री रज्जन यादव, ग्राम प्रधान, ग्राम करारी, ब्लाक नरैनी जनपद बांदा के पत्र के साथ सिंचाई एवं जानवरों के पानी पीने के लिए तालाब को गहरा कराने के संबंध में 16 दिसम्बर, 1986 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बरवारा पम्प कैनाल–2 ग्राम सभापुर तथा रेहुटा जनपद बांदा को अविलम्ब चालू करने की मांग

57–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या घ0 21737 दिनांक 19-10-87 जनपद बांदा की कर्वी तहसील के ग्राम रेकुटा के ग्राम प्रधान श्री जयकरण प्रसाद के संलग्न पत्र के साथ पयस्वानी डाइवर्जन की नहर बरवारा पम्प कैनाल नं0–2 ग्राम सभापुर तथा रेहुटा को अविलम्ब चालू कराने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पम्प कैनाल कब तक कार्य प्रारम्भ कर देगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां, किन्तु श्री जयकरण प्रसाद का पत्र बरवारा पम्प नहर नं0–2 से नहीं बल्कि सभापुर पम्प नहर से संबंधित है ।

सभापुर पम्प नहर में केवल पम्प हाउस की बिल्डिंग बनी हुई है तथा नहर के शेष कार्य अधूरे पड़े हैं । इस नहर का निर्माण कार्य डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत पयस्वनी डायवर्जन योजना के अन्तर्गत कराया गया था, लेकिन धन की कमी के कारण अधूरा रह गया । इसके शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा ।

58–श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

[प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

झूंसी जनपद इलाहाबाद में जल निकासी की स्वीकृत योजना

59—श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी हेतु स्वीकृत योजनाएं कब तक पूरी हो जायेंगी ? अब इन कार्यों के पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

जनपद इलाहाबाद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र में जल निकासी हेतु 46.3 कि0मी0 लम्बाई में नालों का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें से 39.1 कि0मी0 में निर्माण पूरा हो चुका है शेष 7.2 कि0मी0 लम्बाई में झाऊ ताल ड्रेन का निर्माण वर्षों से पूर्व पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। जल भराव के कारण कार्य नहीं हो सका।

60—श्री यदुनाथ सिंह—

[8वें गुरुवार में अता0 प्र0 सं0 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग सुल्तानपुर में मस्टर रोल पर रखे गए कर्मचारियों की संख्या

61—श्री राज किशोर सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग सुल्तानपुर में किस-किस सन् से खण्डवार कितने कर्मचारी मस्टर रोल पर किन-किन पदों पर कार्यरत हैं और उनके नाम क्या हैं ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सरजू नहर परियोजना प्रथम खण्ड मोतीपुर बहराइच के माल खरीद व लेबर पेमेन्ट विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

62—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सरजू नहर परियोजना प्रथम खण्ड मोतीपुर, बहराइच द्वारा वर्ष 1984-85 से 1987-88 तक माल की खरीद व लेबर के पेमेन्ट के बारे में सदस्य, विधान परिषद्, खान अब्दुल वदूद खां का पत्र सं0—1112 सचिव, सिंचाई विभाग को तारीख 13-10-88 का मिला है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोक पति त्रिपाठी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लखनऊ खण्ड शारदा नहर लखनऊ के एडवान्स के रूप में पड़े धन का ब्योरा

63—श्री राम आसरे वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1986 के दूसरे बुधवार में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या—32 के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित खण्डीय कार्यालय के अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1970 से 1985 तक प्रत्येक वर्ष की अन्तिम तिथि

को कितने धनराशि मिसलेनियस एडवान्स के रूप में कुल कितने अधिकारियों के विरुद्ध पड़ी हुई थी ? वर्तमान समय में कुल कितनी धनराशि कुल कितने अधिकारियों के विरुद्ध मिसलेनियस एडवान्स के रूप में पड़ी हुई है ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लखनऊ खण्ड शारदा नहर, लखनऊ में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार वर्ष 1970 से 1985 तक (वर्ष 74-75 व 75-76 को छोड़कर, जिनके अभिलेख उपलब्ध नहीं है) प्रत्येक वर्ष के अन्तिम तिथि को अधिकारियों के विरुद्ध मिसलेनियस एडवान्स के रूप में पड़ी कुल धनराशि एवं अधिकारियों की संख्या का विवरण निम्नवत् है :–

वित्तीय वर्ष	अधिकारियों की संख्या	मिसलेनियस एडवान्स के रूप में पड़ी धनराशि
1	2	3
70–71	9	362–87
71–72	18	3,176–01
72–73	29	32,090–80
73–74	56	42,029–06
76–77	121	13,283–11
77–78	123	12,832–11
78–79	132	12,589–90
79–80	137	12,715–51
80–81	132	12,417–33
81–82	137	12,730–88
82–83	145	15,857–11
83–84	147	23,228–55
84–85	148	16,269–13–

वर्तमान समय में 80 अधिकारियों के विरुद्ध कुल रुपया– 22,997–11 की धनराशि मिसलेनियस एडवान्स के रूप में पड़ी हुई है ।

यमुना नदी राजापुर, बांदा के निर्मित लिफ्ट सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव

64–श्री राम सजीवन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में यमुना नदी पर राजापुर के पास निर्मित लिफ्ट सिंचाई योजना की क्षमता में वृद्धि करने हेतु कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इस योजना की नहर समुचित तरीके से ठीक समय पर नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाती है ? यदि हां, तो किसानों को अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध कराने हेतु क्षमता वृद्धि का कोई प्लान सर्वे तैयार कराया जायगा ? यदि हां, तो कब तक तथा उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

राजापुर पम्प नहर की वर्तमान क्षमता 50 क्यूसेक है । क्षमता बढ़ाये जाने के संबंध में सर्वेक्षण आवश्यक है जो मुख्य अभियन्ता (बुन्देलखण्ड) संगठन के स्तर पर विचाराधीन है । नदी में जल स्तर के उतार चढ़ाव तथा विद्युत की उपलब्धता के अनुसार राजापुर पम्प नहर को चलाया जाता है । पम्प नहर का सी0 सी0 ए0 4455 हेक्टेयर है ।

उपरोक्तानुसार सर्वेक्षण विचाराधीन है ।

टिहरी बांध से विस्थापित खेतिहर किसानों के पुनर्वास का प्रस्ताव

65–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी बांध से विस्थापित होने वाले खेतिहर भूमिहीन मजदूरों को जो डूब क्षेत्र के मूल निवासी हैं, पुनर्वास के लिए अन्य डूब क्षेत्र के भूमिधर किसानों की तरह लाभान्वित करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो सन् 1987 के अंत तक कितने भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुनर्वासित किया गया है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

शासनादेश सं0–2306 संख्या/78-23-सिं03/18 एम-77, दिनांक 30 मई, 78 के अनुसार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को भूमिधर किसानों की तरह लाभान्वित किया गया है । वर्ष 1987 के अन्त तक 6 भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पुनर्वासित किया गया है ।

टिहरी बांध के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के पुनर्वास हेतु धन की मांग

66–श्री लोकेन्द्र दत्त सकलानी–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि टिहरी बांध डूब क्षेत्र के अंतर्गत कितने परिवार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के हैं और उन्हें पुनर्वासित करने हेतु कितनी भूमि और पैसा दिया जायेगा ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

टिहरी बांध परियोजना के डूब क्षेत्र के अंतर्गत भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के आंशिक डूब क्षेत्र के अंतर्गत 20 तथा पूर्ण डूब क्षेत्र के अंतर्गत 7 परिवार, कुल 27 परिवार हैं । इनको पुनर्वासित करने हेतु 54 एकड़ भूमि अथवा रु0 10.8 लाख दिया जाना प्रस्तावित है ।

फैजाबाद जनपद के नलकूपों पर फर्जी जाल साजी कर नियुक्ति कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

67–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप संख्या-310/एक्यू जनपद फैजाबाद में वर्ष 1983 में जालसाजी कर नियुक्ति कराने के सम्बन्ध में श्री तेज प्रताप सिंह का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-6-88 उनको, अधीक्षण अभियन्ता को तथा अधिशासी

अभियन्ता नलकूप को प्राप्त हो गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 40 के अंतर्गत मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित 1ले सोमवार के प्रश्न]

तरकुलवा जनपद देवरिया में विद्युत तार टूटने से मृत व्यक्तियों को आश्रितों को सहायता

*7–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के तरकुलवा नामक स्थान पर 11 हजार किलोवाट की विद्युत लाइन के तार टूटने के कारण 25 जुलाई, 1988 को करेंट लगने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर तथा दो व्यक्तियों की गोरखपुर मेडिकल कालेज में मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो क्या इस दुर्घटना के लिए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार मृतकों के परिवारजनों को मुआवजा दिये जाने हेतु राज्य विद्युत परिषद् को निर्देश देगी ? यदि हां, तो कितनी धनराशि के लिए कब तक आदेश करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

उक्त घटना की जांच एस0 डी0 एम0 सलेमपुर द्वारा की जा रही है एवं मृतकों के परिवार को भुगतान हेतु एक-एक हजार रुपये का अंतरिम अनुग्रह अनुदान क्षतिपूर्ति आयुक्त को चेक सं0 001322 द्वारा दि0 7-10-1988 को दे दिया गया है ।

अंतिम अनुग्रह क्षतिपूर्ति का भुगतान आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण होने पर कर दिया जायगा।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध दिये गये अविश्वास प्रस्ताव की जानकारी

श्री अध्यक्ष–

आप बैठे मुझे कुछ कहना है और आप खड़े हैं ।

माननीय नेता विरोधी दल, कल आपने मंत्रि-परिषद् के खिलाफ एक अविश्वास का प्रस्ताव दिया था अगर आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं, तो हम लैप्स करें ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, वह लैप्स हो जायेगा, मैं फ्रेश दूंगा, मैंने कल ही आपसे अनुरोध किया था 31 तारीख के बाद उसको करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

तो लैप्स हो गया ।

उत्तर प्रदेश एग्रो (उर्वरक विभाग) के कर्मचारी श्री मोहम्मद रहान के निलम्बन को समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, मेरी व्यवस्था सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी व्यवस्था पर सुनूंगा, कह तो रहा हूं । आज नियम 301 के अन्तर्गत 41 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसमें श्लाका द्वारा 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं । पहली सूचना माननीय जनार्दन प्रसाद आभा की, दूसरी माननीय विश्राम दास की, तीसरी माननीय द्वारिका प्रसाद की, चौथी माननीय हफीज भारती की, पांचवीं माननीय यदुनाथ सिंह की, छठी माननीय राम सागर की और सातवीं माननीय श्रीप्रकाश की है ।

ये सब सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जायं ?

(सदन की अनुमति से निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

[मान्यवर, मैं नियम 301 के अन्तर्गत सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्री मोहम्मद रहान जो यू0 पी0 एग्रो (उर्वरक विभाग) कानपुर में कार्यरत थे, बिना किसी कारण के 5 दिसम्बर, 1985 को निलम्बित कर दिया गया था और श्री रहान के ऊपर लगाये गये आरोप का उत्तर भी उन्होंने आज से लगभग दो वर्ष पूर्व दे दिया था किन्तु अधिकारियों के उदासीनता के कारण आज तक उस पर निर्णय नहीं हो पाया है जबकि नियमानुसार इतने दिन तक निलम्बन नहीं चलना चाहिए था । इसके अतिरिक्त श्री रहान का अगस्त व सितम्बर, 1984 तथा जुलाई, 1985 से दिसम्बर, 1985 तक का वेतन चिकित्सा अवकाश स्वीकार हो जाने के उपरान्त आज तक वितरित नहीं किया गया है ।

अस्तु मैं आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं कि मामले में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करके श्री रहान का निलम्बन समाप्त करने की कृपा करें ।]

टाउन एरिया अमेठी जनपद लखनऊ की हरिजन बस्तियों में मार्ग प्रकाश की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्राम दास–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । टाउन एरिया अमेठी जिला लखनऊ का विद्युतीकरण लगभग 10 वर्ष पूर्व कराया जा चुका है परन्तु हरिजन आबादी वाले मोहल्ला औलादली का पुरवा को छोड़ दिया गया जबकि शासन की स्पष्ट नीति है कि हरिजन आबादी वाली बस्तियों का विद्युतीकरण प्राथमिकता के आधार पर किया

नोट :—[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जाय । लेकिन अभी तक नहीं कराया गया है । उक्त मोहल्ले के निवासी भी टाउन एरिया टैक्स अदा करते हैं इसलिये उनके मन में क्षोभ व्याप्त हो गया है । मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट पहुंचाने हेतु लगभग 12 पोल लगाने पड़ेगें ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि जनहित में हरिजन आबादी वाले मोहल्ले में सरकारी नीति के अनुसार मार्ग प्रकाश (स्ट्रीट लाइट) की व्यवस्था किये जाने हेतु विशेष सहायक अनुदान प्रदान कराया जाय ।]

जनपद बस्ती में आमी नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री द्वारिका प्रसाद–

[मान्यवर, संजय पेपर मिल मगहर बस्ती के विषाक्त पानी से आमी नदी का जल प्रदूषित हो गया है । इस मिल का पानी जहां पर नदी में गिरता है वह सन्त कबीर के निर्वाणस्थली से मात्र 1 किमी0 दूर है । पर्यटक स्थल होने के कारण यहां पर देश-विदेश से पर्यटकों का आवागमन हमेशा बना रहता है । आमी नदी का पानी इतना प्रदूषित हो गया है कि उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है नदी का पानी अगर जानवर पी लेते हैं तो मर जा रहे हैं अधिकांश की आंखें फूटी जा रही हैं । तथा तरह-तरह की बीमारियां हो जा रही हैं । जिस स्थान से पूरे विश्व का धर्म सुधार का उपदेश प्राप्त हुआ है उस स्थान पर आने वाले देश विदेश के पर्यटक स्नान तक नहीं कर पा रहे हैं, जो बाहरी लोग अन्जाने में उस विषाक्त पानी का उपयोग कर लेते हैं उनके शरीर पर फफोले के रूप में सड़न शुरू हो जाती है । पर्यटकों द्वारा प्रदेश की इस व्यवस्था पर गहरा रोष व्यक्त किया जा रहा है । क्षेत्रीय जनता में भी देश के प्रशासन के प्रति घोर असंतोष फैल रहा है । यदि उक्त पेपर मिल का प्रदूषित पानी नहीं बन्द कराया गया तो इसका परिणाम अत्यधिक घातक होगा ।

अतः मैं चाहता हूं कि इस बिन्दु को नियम 301 में स्वीकृत करा कर सदन में बहस कराया जाय जिससे उक्त नदी के पानी को प्रदूषण से बचाया जा सके ।]

जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी के ग्राम नरहन खास की ग्राम समाज की भूमि के अवैध पट्टे को निरस्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हफीज भारती–

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन एवं शासन का ध्यान हम इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सादर आकर्षित करना चाहता हूं ।

ग्राम जमीन नरहन खास तहसील-सगड़ी जिला-आजमगढ़ के गाटा संख्या–90/95 कड़ी एवं गाटा संख्या–131/40 कड़ी, 132/45 कड़ी मढ़ई के सकल में है और ग्राम के निवासियों के पानी का निकास शौच आदि के उपयोग में आती है इसको ग्राम प्रधान हल्का लेखपाल अनरुद्र सिंह व कानूनगो श्री रामचन्द्र सिंह ने आपसी सांठ-गांठ करके बसन्त पुत्र किशोर राजेन्द्र मौर्य आदि के नाम अवैधानिक तरीके अपनाकर पट्टा कर दिया

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

है इससे ग्राम वासियों में काफी असंतोष पैदा हो गया है और उनकी कठिनाइयां बढ़ गयी है जिससे गांव में तनातनी बढ़ गयी है ।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि ग्राम–जमीन नरहन खास में गाटा संख्या–95/131/40 कड़ी, 132/45 कड़ी ग्राम समाज बढ़ई की सकल में हुये पट्टे को निरस्त कराने का आदेश किया जाये और प्रधान राजस्व विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये ।]

जनपद मिर्जापुर के अनडिवाइडेड क्षेत्र में पीने के पानी की तत्काल व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री यदुनाथ सिंह–

[मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है कि अन डिवाइडेड मिर्जापुर जनपद में पानी पीने की भारी दिक्कत उठानी पड़ रही है । सभी 20 ब्लाकों में राबर्ट्सगंज, दुद्धी, चुनार तहसील मिर्जापुर सदर के लोग पेयजल के लिए दस-दस मील की दूरी से पानी पीने का प्रबन्ध कर रहे हैं । समुचित कुएं और जलाशय सूख चुके हैं, अभी तक पेयजल का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है पानी की कीमत 2 रुपया लीटर तक पहुंच चुकी है, जल निगम से जो इण्डिया मार्क–2 जो हैण्ड पम्प लगाये हैं, उसमें 90 प्रतिशत वाटर स्टेटा छोड़ दिया है जल निगम की मिर्जापुर और सोनभद्र को जैसे पहाड़ी जनपद के लिए तकनीकी दृष्टिकोण से खामियों की ओर इंगित करता है ।

अतः शासन से मांग है कि जर्गा जलाशय व गंगा पानी या अन्य जलाशयों के पानी को टैंकरों द्वारा गांव तक पहुंचाने की तत्काल व्यवस्था करें जिससे अपना घर गांव को छोड़कर लोगों का भागना बन्द हो सके]

जनपद बाराबंकी के दरियाबाद बांच में खांयी के पानी के भराव से कृषकों की फसलों को हुई क्षति का मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सागर–

[मान्यवर, आपके माध्यम से मा0 सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं ।

28 फरवरी, 87 को जनपद बाराबंकी दरियाबाद बांच में 40 फीट लम्बी भयंकर खांयी से और नहर विभाग की लापरवाही से लगातार 24 घंटे खांयी के पानी निकलते रहने के कारण, कयामपुर बसपुरवा बरेठी, नूरपुर, अरसलासलरनपुर गौरा ठाकुल किलैली, वारिनबाग, उहई मऊ, नन्दापुर, फतेवापुर ठगपुरवा रामपुर, समेत करीब डेढ़ दर्जन भराव की हजारों एकड़ रबी की फसल जल भराव के कारण नष्ट हो गई थी,

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

गई थी, 3-4 महीने तक गांवों के आबादी के रास्तों पर नाव से बच्चों को विद्यालय तथा लोगों को हाट बाजार आना जाना रहा है। किसानों की इस तबाही में जिलाधीश व तहसील के कई अधिकारी मौके पर गए थे। और प्रभावित कृषकों को राहत व फसल का मुआवजा देने की घोषणा किया था किन्तु मुआवजा बना दफतर में पड़ा है। कृषकों को बांटा नहीं गया। सरकार एवं अधिकारियों के द्वारा उपेक्षाकृत रवैया को लेकर पूरे क्षेत्र में कृषकों में घोर असंतोष व आक्रोश की भावना पैदा हो गई है। पूरे उरई मुख्यालय के सामने हजारों किसान धरना दे रहे हैं।

आपके माध्यम से मा0 सदन एवं सरकार के संज्ञान में कृषकों की उपेक्षा से संबंधित लोकमहत्व की सूचना देकर कृषकों को तुरन्त मुआवजा दे देने तथा कृषकों द्वारा चलाये जा रहे धरना कार्यक्रम को समाप्त कराए जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया में ग्राम मुंडेरा के ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्रभारी निरीक्षक रसड़ा द्वारा फर्जी मुकदमा करने पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीप्रकाश–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व की ओर जनपद बलिया ग्राम मुंडेरा के प्रधान श्री विजय बहादुर सिंह के ऊपर थाना प्रभारी निरीक्षक थाना रसड़ा पुलिस अधीक्षक द्वारा फर्जी 25 आर्म्स एक्ट गैंगेस्टर चालान करने हेतु आकर्षित करता हूं। इनके ऊपर 22-12-88 को स्थानीय पुलिस की सह पर कुछ अपराधियों ने बमों से हमला किया था। इस घटना से संबंधित कुछ अपराधियों के बारे में थाना चिरैयाकोट, मऊ ने वायरलेस द्वारा सूचना 16-1-89 को थाना रसड़ा, बलिया को दिया था लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री विजय बहादुर सिंह के साथ रहने वाले दो लाइसेंसधारियों को 13-1-89 को 25 आर्म्स एक्ट 323, 504, 506 फर्जी धारायें लगाई गयीं। इनको आनावश्यक गैंगेस्टर में चालान किया गया। ये गैंगेस्टर कोर्ट में अपील किये, न्यायालय ने निर्दोष पाकर जमानत पर छोड़ा।

इनके परिवार को अपमानित, प्रतिष्ठा धूमिल करने हेतु प्रभारी निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक की पूरी साजिश रही है। घटना के विरोध में हजारों जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। जनता ने प्रदर्शन किया व धरना दिया।

अतः निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि फर्जी मुकदमें उठायें, न्याय दें। प्रभारी निरीक्षक, पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध कार्यवाही करें। आम लोगों में पुलिस की दहशत और आतंक समाप्त हो। जनजीवन सामान्य बने।]

आज की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरी व्यवस्था सुन लें।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, राम शरण दास जी का 300 में मामला आया है।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष–

इनका मामला बहुत दिलचस्प है और बहुत गम्भीर भी है माननीय राणा जी। एरी जी क्या कहना चाहते हैं, कहें।

*श्री काशी सिंह एरी–

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान) मान्यवर, इस आज के एजेन्डे में मेरे अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के सम्बन्ध में उत्तर आया है माननीय मंत्री जी की ओर से। मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उनके अधीनस्थ चल रहे उपक्रम उ0 प्र0 निर्यात निगम, बी–27, सर्वोदय नगर, कानपुर मुख्यालय स्तर में अलग अलग श्रेणियों के पदों में नियुक्ति के संदर्भ में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का आरक्षण कोटा शासनादेशों के अनुरूप पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों? और यह इसका जो उत्तर दिया गया है वह इतना अस्पष्ट और इतना टालने वाला है कि जिसकी कोई इन्तिहा नहीं है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपकी व्यवस्था चाहता हूं इन्होंने यह कहा है कि निगम की सेवाओं में आरक्षण कोटा सम्प्रति पूर्ण नहीं है क्योंकि विभिन्न पदों हेतु निर्धारित न्यूनतम योग्यता एवं आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करने पर भी, अनुसूचित जाति/जनजाति के उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके। मान्यवर, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो सके, इस जवाब में यह कहा गया है, जबकि स्थिति यह है कि मेरी स्पष्ट जानकारी है, निश्चित जानकारी है कि 1985 से 1987 तक विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थियों ने जो पूर्णतया अर्ह थे, परीक्षा और साक्षात्कार में बैठने के लिए आवेदन किया। तो कुछ को आवेदन-पत्र देने के बाद भी बुलाया नहीं गया और जिनको बुलाया गया, उनको उसमें चयनित नहीं किया गया। सरकार एक तरफ कहती है कि उपलब्ध नहीं हैं, दूसरी तरफ अभ्यर्थी जो अर्ह हैं, योग्य हैं, उनको बुलाते हैं तो चयनित नहीं करते हैं। सरकार आरक्षण नीति के बारे में इस तरह से गलतबयानी कर रही है। अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 49 में चर्चा मांग लीजिये।

'टाइम्स आफ इण्डिया' लखनऊ संस्करण में ब्रिटेन की सांसद की रिसर्च असिस्टेन्ट भारतीय मूल की सुन्दरी पामेला सिंह की आपत्तिजनक तस्वीर छपने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई (1) मा0 राम शरण दास जी की, (2) मा0 मुलायम सिंह यादव जी और मा0 बेनी प्रसाद वर्मा जी की, (3) मा0 शारदा नन्द अंचल जी की, (4) मा0 मैनेजर सिंह जी की, (5) मा0 सूर्य प्रताप शाही जी की, (6) मा0 राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की, (7) मा0 हरिश्चन्द्र, हरीश जी की, (8) मा0 विष्णुदेव जी की और (9) मा0 राकेश धर त्रिपाठी जी तथा (10) श्री अशोक बाजपेयी जी की।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम शरण दास–

मान्यवर, आज एक बहुत ही गम्भीर मसला आपके सामने रखना चाहता हूं औचित्य के प्रश्न पर। मान्यवर, इससे जो हमारे, हम जितने लोग बैठे हैं, प्रदेश के, हमारे प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है और हमारा देश 70 करोड़ का है। हम अलग-अलग सांस लेते हैं नाक से, जीने के लिए, लेकिन श्रीमन्, देश के समाज को बिगाड़ने के लिए, देश के बदनाम होने के लिए, दूसरे देशों में, हम 70 करोड़ की एक नाक हो जाती है। हमारी नाक विदेशों में कटती है तो एक ही नहीं, 70 करोड़ की नाक कटती है। यह बहुत ही गम्भीर मामला है। ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स में एक सांसद की रिसर्च असिस्टेन्ट तथा उच्च वर्ग की काल गर्ल के रूप में जानी जाने वाली भारतीय मूल की बेहया सुन्दरी पामेला बोर्डस उर्फ पामेला सिंह के प्रदेश में और देश में नग्न चित्र और विज्ञापन समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में छप रहे हैं। ये कहां की हैं, आप जानते होंगे। लेकिन श्रीमन्, ऐसे ऐसे विज्ञापन छप रहे हैं, जिनको देखकर हमारे समाज के लोगों का और जो मान्यवर, थोड़ी भी शर्म हया रखता है, उनका सर शर्म से झुक जाता है। यह इतना गन्दा, नग्न और अश्लील है कि हमारे समाज का भला आदमी अखबार को घर में रखे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? मेरे पड़ोसी कांग्रेस आई के एक विधायक ने बताया . . .

(इस समय 12 बजकर 26 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष–

मामला क्या है, मामले पर आएं।

श्री राम शरण दास–

मजाक की बात नहीं है। आप लोग नौजवान हैं। मान्यवर, हमारे साथी विधायक ने कहा, यह हंसने का नहीं, रोने का विषय है, हमारे, आपके सबके लिये, उन्होंने बताया कि मेरे सामने अखबार आया तो छिपा कर रख दिया कि किसी बच्चे की दृष्टि न पड़ जाय। यह अखबार है टाइम्स आफ इंडिया। यह कल का अखबार है, 28 तारीख का। इसके आखिरी पेज पर यह विज्ञापन छपा है, नंगा है।

श्री उपाध्यक्ष–

राम शरण दास जी प्रदर्शन न करिये, जो प्रदर्शन अखबार ने किया, आप भी कर रहे हैं।

श्री नरेन्द्र देव–

मान्यवर, देखें ऐसी तस्वीरें इनके पास हैं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, इन्हें बिठायें। मान्यवर, यह एक ही अखबार में नहीं, दिल्ली के समाचार में भी छपा है। यह संविधान का उल्लंघन है। अश्लील चित्रों के प्रदर्शन पर युक्त प्रान्तीय आपत्तिजनक विज्ञापन एक्ट 1948 नियंत्रण के संबंध में जो एक्ट 1948 का है उसमें यह व्यवस्था दी गयी है कि कोई अश्लील विज्ञापन अगर छपेगा, छापा जायेगा तो उस एक्ट में व्यवस्था है कि इस पर रोक लगाये, यह सारी सामग्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब्त कर लें। उन पर मुकदमा चले। आपका जो संविधान है उसके अनुच्छेद 15 को देख लीजिए, यह उसका भी उल्लंघन है। जो सेक्स कामुकता की भावना बढ़ाये, ऐसे विज्ञापन हमारे प्रदेश में छपे, यह गलत बात है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांति बनाये रखें।

श्री राम शरण दास–

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस तरह के विज्ञापन जहां भी मिलते हैं जब्त करायें नहीं तो यह नंगा नाच हमारे प्रदेश को समाज को बिगाड़ देगा। यह बहुत ही गंभीर बात है सुन लीजिये।

श्री शिव नारायण मिश्र–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री जयनारायण तिवारी–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह तो बेहया हो गये हैं।

श्री जय नारायण तिवारी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

जिस सब्जेक्ट पर माननीय राम शरण दास जी बोल रहे हैं वह विषय असलम साहब का है उनको पीड़ा हो रही है कि यह क्यों बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री हरदेव–

यह भारतीय नारी की गरिमा के विपरीत काम हो रहा है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि कड़ा रुख अख्तियार करें। यह विज्ञापन बंद करायें। यह मैं औचित्य का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ग्राह्य करिये?

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने जो भावना में बातें कहीं, उन्होंने लिखित में भी नियम 300 के अंतर्गत इसकी सूचना दी है कि इससे नौजवान उद्वेलित हो जायेंगे। नौजवान हरदेव जी भी उद्वेलित हो गये, बूढ़े लोग उद्वेलित हो गये।

*श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, इसको मजाक में मत लीजिये यह मामला बहुत गंभीर है हमारे देश में नारी का जो सम्मान है और उस नारी के सम्मान को किस तरह से ठेस पहुंचायी जा रही है। हमारी कोई बेटी-बहन गलत शोहबत में, आदतें पड़ गयी हैं, लेकिन उसके बावजूद चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, इसको मजाक में मत लीजिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह गंभीर मामला है। आखिर वह किसी की बहन बेटी है, उसकी मां हमारे देश की रहने वाली है उसके परिवार के लोग यहां हैं। एक हमारे देश की बेटी बहन अगर किसी तरह से विदेशियों के चंगुल में किसी लालच में आकर के या किसी और वजह से गलत आदत में पड़ गयी है तो उस वक्त हमें उसके सम्मान की रक्षा करनी चाहिए जो हमारे देश की सभ्यता संस्कृति नारी में निर्भर करती है। उस नारी को खुल्लमखुला . . .

श्री उपाध्यक्ष–

शांति बनाये रखें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

इस तरह से प्रदर्शित किया गया है। अभी हमारे माननीय राम शरण दास जी ने कहा, सभ्यता और संस्कृति की बात बेटी है हमारी सभी बहनें मातायें हैं उनका सम्मान है, उसका सम्मान विदेशी लोगों ने गिराया है। इसको गंभीरता से लीजिये यह मजाक का सवाल नहीं है। इधर के और उधर के लोगों से यह बात कहना चाहता हूं। विदेशियों के चंगुल में यह लड़की आयी, उसको इस तरह से अखबार में दिया है, विज्ञापन दिया जा रहा है, यह बहुत गंभीर मामला है। इस औचित्य के प्रश्न को स्वीकार कीजिये और जिन लोगों ने अखबारों में यह दिया है, जो एक्ट का जिक्र माननीय राम शरण दास जी ने किया है, उसके तहत कार्यवाही हो उसके तहत उनकी सारी सामग्री जब्त करनी चाहिए जिन अखबारों ने विज्ञापन दिया उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। यह हमारी मांग है और यह निश्चित रूप से औचित्य का प्रश्न बनता है, इसे मान्यवर, आप स्वीकार कीजिये।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, माननीय राम सरन दास जी ने औचित्य के प्रश्न के रूप में बड़ा ही गम्भीर विषय यहां उठाया है। इसके लिए शासन पहले से ही सतर्क रहा है और इसीलिए कानून बन गया कि अश्लील विज्ञापन नहीं छपेंगे और उनके छापने पर रोक है। लेकिन मान्यवर, कुछ समाचार पत्रों में इतना गन्दा और अश्लील विज्ञापन छपा है, जिसे देखा भी नहीं जा सकता है। लेकिन उस नारी, बेटी, बहू को कितना दोष दे पायेंगे, जिसके नग्न विज्ञापन समाचार-पत्र में छपे। दोषी वह हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं। अतः इस पर मैं आपकी व्यवस्था की अपेक्षा करता हूं। यह निश्चित रूप से बहुत ही घृणित गन्दा काम हुआ है और नारी जाति का अपमान हुआ है। इस प्रकार कानून के उल्लंघन के जो दोषी हैं, वह निश्चित रूप से दंड के भागी हैं, इसलिए मान्यवर, इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करेंगे, जिससे आगे से नारी के इस अशोभनीय प्रदर्शन का साहस कोई न कर पाये। वह कोई भी समाचार-पत्र हो, कोई भी नारी के इस तरह के अपमानजनक अशोभनीय प्रदर्शन की हिम्मत न कर पाये, निश्चित रूप से ऐसे दंड की मैं शासन से अपेक्षा करता हूं और आप ऐसी व्यवस्था देंगे, इसकी मैं मांग आपसे करता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, यह माननीय राम शरन दास जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसके संदर्भ में मेरी राय है कि यह किसी भी तरह से औचित्य का प्रश्न नहीं बनता

क्योंकि जो नियम 300 है, उसकी परिधि में यह किसी भी प्रकार से आता नहीं है। एक घटना कहीं घटती है और किस तरह से घटती है, लेकिन अगर उसका सदन की कार्यवाही से कोई संबंध नहीं है, तो उसे यहां उठाया जाना चाहिए। मान्यवर, माननीय राम शरण दास जी ने कहा कि इन लोगों को शर्म और हया नहीं है। मान्यवर, शर्म और हया की बात तो यह है कि जिनको शर्म और हया है, वही इस तरह के विज्ञापन बहुत ही एहतियात से अपनी नजरों के सामने रखे हुये हैं और जिसको यह कह रहे हैं कि शर्म हया नहीं है, उन्होंने तो इनको देखा भी नहीं है। मान्यवर, सबकांसेंस में जो बात कही जाती है, उसके अन्दर कोई न कोई ख्वाहिश या "डिजायर" अवश्य होती है जो शब्दों के जरिये जुबान पर आ जाती है। माननीय राम शरण दास जी ने यह प्रकरण उठाया है तो मैं समझ रहा हूं कि उनके दिल में क्या चीज है, उनकी हालत भी उसी तरह होगी। कोई शख्स अगर पहाड़ पर चढ़ना चाहता है लेकिन उसके पैर में ताकत नहीं है कि वह पहाड़ पर चढ़ सके वही स्थिति इनकी है। मेरा एक सुझाव है और मैं कहना चाहता हूं इससे आप भी सहमत होंगे कि हम लोग अपनी तरफ से माननीय राम शरण दास जी को एयर फेयर के साथ लन्दन में ठहरने की व्यवस्था कर दें और वह स्वयं वहां पर जायें और जिनके बारे में इन्होंने जिक्र किया है, उनको परसुएड करें कि वह इस तरह की हरकतें न करें। इसके अलावा जो लोग इसमें शामिल हैं, उन लोगों से भी यह हम लोगों की तरफ से मिल लें। इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं है। वैसे मान्यवर, इस तरह की चीज यहां आने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई है और माननीय हरीश जी तथा मुलायम सिंह जी ने जैसा कहा, उससे मुझे भी दुख होता है और उस हालत में और अधिक दुख होता है, जबकि जिस व्यक्ति के बारे में यह बात है, उसका ताल्लुक हमारे मुल्क से है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और दुख वाली बात है लेकिन यह किसी भी तरह से औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है तथा इसको ज्यादा पब्लिसाइज करना उचित भी नहीं है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का भाषण मैंने बड़ी गम्भीरता से सुना। मुझे बड़ा दुख है कि जिस गम्भीर समस्या की ओर यहां ध्यान आकर्षित किया गया, शासन ने उसे गम्भीरता से लिया नहीं। कुछ उपहास करने की चेष्टा की है। माननीय श्री मुलायम सिंह, हरीश चन्द्र जी व श्री राम शरण दास जी ने एक गम्भीर विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट किया। इस विधान मण्डल ने एक कानून बनाया, जिसके अन्तर्गत अश्लील विज्ञापनों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार सरकार को है। हम अपेक्षा करते थे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अग्राह्य करते हुए शायद इस बात की भी घोषणा करेंगे कि शासन के पास जो कानूनी शक्ति के तहत अश्लील विज्ञापनों को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठायेंगे और जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। परन्तु ऐसा न कर उन्होंने पूरे सदन को निराश किया है। इस विषय को गम्भीरता से लेना चाहिए। यह आज केवल पामेला का ही मामला नहीं है बल्कि अगर आप शहर में निकल जायें तो जगह-जगह आपको नग्न पोस्टर लगे मिलेंगे। आज हर मामले में नारी समाज को लांछित करने, नग्न चित्रों का प्रदर्शन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना, यह पाश्चात्य सभ्यता की देन हो सकती है, किन्तु भारत की गौरवमयी परम्परा में नारी का एक विशिष्ट सम्मान है। आज उसके ऊपर यह एक बट्टा है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जरूर-जरूर इस बात की घोषणा करेंगे कि कानून के तहत हम इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अम्मार रिज़वी–

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो बात कही है मैं उससे सहमत हूं। जो अखबार माननीय श्री राम शरण दास जी ने यहां प्रस्तुत किया, इसकी कापी मेरे पास नहीं है, शायद आपको मिल गई होगी। यदि मिल गई है तो उसे मेरे पास भिजवा दीजिएगा। मैं उसका परीक्षण करवा लूंगा और जो मुनासिब कार्यवाही होगी, वह की जायेगी।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, ये परीक्षण करवा लें, मेरा भी परीक्षण करवा लें और अपना भी परीक्षण करवा लें। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। मान्यवर, मैं एक भावनात्मक चीज कहना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी आपका क्या यह चित्र बहुत अच्छा लग रहा है। जवाब में आप कोई बात कह दें वह दूसरी बात है। मगर मैं बता देना चाहता हूं कि हमारा कैरेक्टर बहुत ऊंचा है। शायद आप भ्रम में हों। आप जैसे करेक्टर के आदमी हम नहीं हैं। आप हमारे पीछे चाहे सी0 बी0 आई0 की जांच करवा लें या फिर सी0आई0डी0 की जांच करवा लें चाहे किसी से भी जांच करवा लें, अगर हमारा कैरेक्टर आपसे 100 फीसदी ऊपर नहीं चला गया तो आप जब चाहें, हम इस्तीफा दे देंगे। यह एक गम्भीर मामला है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो यह अंग्रेजी का अखबार है, इसे आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, क्या इसे आप घर में रख सकते हैं एक मिनट के लिए भी, क्या श्री हुकुम सिंह जी इसे एक मिनट के लिए भी अपने घर में रख सकते हैं। आप इसे मजाक में ले रहे हैं। आप सरकार चला रहे हैं। आप हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं। मैं बड़ा परेशान था। मैंने सेक्रेटरी साहब से भी और आप से भी कहा कि यह मामला गम्भीर है। आज प्रदेश में इतनी गन्दी बात अखबारों में आ रही है। कई अखबारों व मैगजीन में इस तरह का चित्र छप चुका है। मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जिस महिला से मजाक करता हूं उससे मेरे ताल्लुकात भाई-बहिन से भी ज्यादा होते हैं। यहां जो महिलायें बैठी हुई हैं, वह आपसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं। महिला भी उसी को प्यार करती है जिसका चरित्र अच्छा होता है किसी गुण्डे से महिला प्यार नहीं करती है। मैं पत्रकारों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि... हे पत्रकारों, खाने-कमाने के बहुत तरीके हैं इस देश की महिलाओं की इज्जत बेचकर रोटी मत खाओ। मेरे परिवार की लड़की अगर होती तो मैं आग लगा देता।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री अम्मार रिजवी–

मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाहता राम शरण दास जी उत्तेजित हो गये। कुछ नयी सूचनायें भी मिली जैसे वह केवल उन्हीं से मजाक करते हैं जिनकी बहन की तरह

समझते हैं, दूसरी परीक्षण की बात कही, परीक्षण तो सब का कराया जाय तो मुनासिब रहेगा । मैं समझता हूं कि इसमें कोई उत्तेजित होने वाली बात नहीं है । जो माननीय राम शरण दास जी, हरीश जी ने कहा किसको शर्म हया है, तो जो इस तरफ बैठेगा उसे बेशर्म कहा जायगा । हम तो बार-बार तस्वीर नहीं देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, फिर किसको शर्म ज्यादा है ? मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो भी कार्यवाही होगी, की जायगी । मुझे दुःख भी है, इस तरह के अश्लील पोस्टर न रिसालों में छपने चाहिए और न दीवारों पर होने चाहिए । जो माननीय राम शरण दास जी ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए बात कही है, उससे भी मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि जो इधर के बैठने वाले हैं, बेशर्म कहे जायेंगे, तो यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने ये शब्द शायद किसी भावनावश कह दिये हैं । इनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

यह तो उन्होंने जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके लिये कहा है, आपको इससे क्या डर लग रहा है? आप बैठें ।

श्री अम्मार रिजवी–

इसे तो आप कार्यवाही से निकलवाने की बात करते हैं लेकिन 1977 से 80 तक की सारी कार्यवाही निकलवा लीजिये, अगर कभी बेशर्म शब्द का प्रयोग न किया गया हो तो इसे कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

(हंसी)

वर्ष 1984 के लोक सभा चुनावों से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन अखबारों में न दिये जाने सम्बन्धी निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के माध्यम से हम एक बहुत ही गम्भीर मामला आपके और सदन के संज्ञान में लाना चाहते हैं । यह विषय अभी हमारे संज्ञान में आया है पिछले हफ्ते । हम सब लोगों का दायित्व है कर्तव्य है कि संविधान के जो प्राविधान हैं, उनका सब लोग ठीक से पालन करें खास तौर से सरकार में बैठे लोग संविधान की मर्यादाओं को रहने दें । 1984 के लोक सभा के आम चुनाव की जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, चुनाव आयोग ने निर्देश भेजे कि सरकारी उपलब्धियों के विज्ञापन अखबारों में सरकारी खर्चे से न छपवाये जायं क्योंकि इससे मतदाता प्रभावित होते हैं और एक पार्टी को लाभ मिलता है । इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी उपलब्धियों का एक विज्ञापन जनसत्ता अखबार में छपवाया, चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति की और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा कि भविष्य में न छपवायें । उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से लिखा कि भविष्य में न छपवायें । उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से चुनाव आयोग को आश्वासन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिया कि भविष्य में नहीं छपवाये जायेंगे । सभी पत्र-पत्रिकाओं को सर्कुलर भेजे कि अगर छापेंगे तो भुगतान नहीं किया जायगा । चुनाव के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग ने बिना विज्ञापन की सूचना दिये हुए जन-सम्पर्क विभाग के द्वारा यह विज्ञापन प्रकाशित कराये गये । मौखिक आदेश के द्वारा यह विज्ञापन 20–25 अखबारों में विज्ञापित हुए । इसके लिये कोई आदेश लिखित रूप से नहीं दिया गया था । उसके बाद चुनाव भी हो गये । चुनाव के बाद अखबारों को दस लाख रुपये से ऊपर का भुगतान कर दिया गया । यद्यपि वहां के कर्मचारियों ने इस संबंध में आपत्ति भी की थी कि इस संबंध में लिखित रूप से कोई आदेश नहीं दिया गया था इसलिए इसका भुगतान नहीं हो सकता है । लेकिन निदेशक महोदय ने कहा कि सूचना सचिव ने मौखिक रूप से इसके लिये आदेश दिया था ।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक जिस पर चुनाव कमीशन का कन्ट्रोल होता है, उसके आदेशों को सरकार के लिये मानना मैनडेटरी होता है । सरकार का आश्वासन है कि चुनाव आयोग के आदेशों का वह पालन करेगी, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा ये विज्ञापन प्रकाशित करवाये गये और इसके लिये दस लाख से ऊपर रुपयों का भुगतान अखबारों को किया गया । अगर सरकार के द्वारा इस तरह के काम होते रहेंगे तो संविधान भी एक मजाक बन कर रह जायेगा । आप इस पर स्पष्ट व्यवस्था दें कि इस प्रकार की कार्यवाही भविष्य में दोहरायी नहीं जायेगी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी ने जो औचित्य का प्रश्न आपके सम्मुख पेश किया है उसमें दो-तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । पहली बात तो यह कि हमारे देश में पंचायती राज और लोकतंत्र की स्थापना है, उसके पीछे बहुत लम्बा इतिहास है । इसमें चुनाव आयोग जब निर्देश देता है कि अब चुनाव की अधिसूचना जारी हो गयी है, उसके बाद सरकार की उपलब्धियों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विज्ञापन न दिया जाय । लेकिन उसके बाद सरकार ने उसके आदेशों का उल्लंघन करके दस लाख रु0 से अधिक के विज्ञापन छपवाये । यदि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं होगा तो पंचायती राज और लोकतंत्र कायम नहीं रह सकता है । लगातार कई चुनाव होते जा रहे हैं । दूसरी तरफ यह विचार है कि सत्ता पक्ष बराबर हामी भर रहा है कि चुनाव में सुधार होना चाहिये जिससे कि निष्पक्ष चुनाव हो सकें ।

दूर-सबेर जब यह बात संज्ञान में आयी है कि एक चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करना, दूसरी तरफ पंचायतीराज और लोकतंत्र की सरकार को प्रभावित करके अपने पक्ष में मतदाताओं को खींचना, तीसरी बात कि यह सबसे गरीब प्रदेश है, यहां के लोग बहुत गरीब हैं, यहां प्रति व्यक्ति आमदनी की दर सबसे पीछे है और दिनोंदिन हम पिछड़ते ही चले जा रहे हैं । बिहार और उड़ीसा भी गरीब प्रदेश हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश भी गरीब प्रदेश है 14 प्रदेशों में से । हमारे प्रदेश में तीन मण्डल हैं –गोरखपुर, फैजाबाद तथा बनारस जहां के लोग पीने के पानी के लिये भी तरसते हैं । सरकार अपने पक्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिये फजूलखर्ची करती चली जा रही है । गरीब प्रदेश की जनता एक-एक पैसे के लिये तरस रही है । सारे विकास कार्य ठप्प पड़े हुए हैं । अखबारों के द्वारा अपनी उपलब्धियों को विज्ञापित करा करके हर पार्टी के साथ और जनता के पैसे के साथ, देश की तकदीर के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित कीजिये कि वह इस बात को गम्भीरता से लें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय उपाध्यक्ष जी, जो बात अभी माननीय मुलायम सिंह जी ने तथा माननीय वर्मा जी ने कही है उससे मैं अपने को जोड़ता हूं लेकिन एक सूचना और देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग से इस संबंध में एक शिकायत की गयी, मान्यवर एक सांसद ने इस बात की शिकायत कि चुनाव आयोग ने इस बात को बहुत ही गम्भीरता से लिया है कि जो पत्र चुनाव आयोग द्वारा दिए जाते हैं, उनका उत्तर समाचार-पत्रों द्वारा नहीं दिया जाता है इसलिए मान्यवर यह बात बहुत ही गम्भीर बनती है और दूसरी बात चुनाव आयोग के जो मैंडेटरी आदेश होते हैं उनका पालन नहीं किया जाता है इन लोगों द्वारा । फिर भी लाखों रुपयों का पेमेन्ट इन समाचार-पत्र वालों को कर दिया जाता है, मान्यवर यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इसलिए मैंने इसे आपके संज्ञान में लाना उचित समझा ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा तथा माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाए हैं, इनकी पूरी जानकारी के लिए जांच तो कराई जायेगी और फिर उस पर क्या निष्कर्ष निकलता है, यह तो रही अलग बात । साथ ही साथ मैं एक बात की ओर और भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह सूचना जो माननीय सदस्य यहां पर दे रहे हैं, वह 22 मार्च, 1989 को लखनऊ में प्रकाशित एक समाचार पत्र के माध्यम से दे रहे हैं और इस संबंध में जो अनेक्सर दिए हैं, उनका आधार उनका स्रोत भी समाचार पत्र ही है . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

अन्य भी हैं . . . (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर कथित घटना वर्ष 1984 में घटी है, उसके बाद अब 22 मार्च, को यह सूचना समाचार-पत्र के माध्यम से मिलती है । मान्यवर इसी प्रकार की एक सूचना इसी सदन में 1978 में भी उठायी गयी थी, जिसमें आपकी पीठ से साफ-साफ यह रूलिंग दी गयी थी कि जो सूचना ऐसी आयेगी जो समाचार-पत्रों पर आधारित होगी, ऐसी सूचना पर औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है, इसलिए मान्यवर यहां पर यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है, जहां तक माननीय मुलायम सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा तथा गुप्त जी जैसे वरिष्ठ सदस्यों द्वारा यह बात उठायी गयी है तो इस पर हम जांच अवश्य कराएंगे और फिर उसके बाद जो भी आवश्यक कार्यवाही होगी, वह भी हम अवश्य करेंगे । (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

(व्यवधान के दौरान) अब मान्यवर फिर चुनाव नजदीक आ गये हैं, इसलिए कम से कम अब तो ऐसे आदेश दे ही दीजिए कि भविष्य में इन बातों का पालन किया जाए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय मंत्री जी को इस मामले की जानकारी नहीं है, मैं उनकी बातों पर विश्वास करता हूं लेकिन मुझे एक संदेह पैदा हो रहा है एक तरफ तो मंत्रि-मंडल के 3 सदस्यों के नेतृत्व में समाचार-पत्र वालों के साथ

हुयी गोष्ठी में इस बात को साफ स्वीकार किया गया है और दूसरी ओर माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें उन्हें कोई जानकारी नहीं है. . . (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर मैंने यह तो नहीं कहा कि मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है, मैंने यह कहा जांच कराएंगे क्योंकि जब इन-इन मा0 सदस्यों ने जो वरिष्ठ हैं, बात उठायी है तो जांच अवश्य करा लेंगे और फिर जो उचित कार्यवाही होगी, वह अवश्य की जायेगी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर माननीय मंत्री जी जानबूझकर तथ्यों को छिपा रहे हैं, जहां तक उन्होंने समाचार-पत्रों के हवाला देने की बात कही है, मैंने अपनी नोटिस के साथ साथ जो अनेक तर्क दिए हैं, उसमें 84 में घटी घटना का पूरा विवरण है और मुख्य रूप से विज्ञापनों पर जो सूचना विभाग द्वारा रुपयों का भुगतान किया गया है, उस पत्र की प्रतिलिपि भी दी है सिर्फ समाचार-पत्रों को ही माध्यम नहीं बनाया गया है और उसमें स्पष्ट रूप से जो बात कही गयी है वह यह कि चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और सरकार इस संबंध में बिल्कुल फेल है और सरकार द्वारा जानबूझकर अपनी पार्टी के हित में 10 लाख रुपयों के विज्ञापन गलत कर भुगतान कर दिए गये . . जो आर्टिकल 324 है, जिसके तहत चुनाव आयुक्त काम करता है, लेकिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसको छिपा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि इसको सही रूप से बाहिर करें । आप चाहें तो आज न लें, बाद में ले लें । इनके पास पूरी जानकारी है और जांच भी चल रही है और जब इनको नोटिस दी जाती है तो यह उसका जवाब नहीं देते हैं और सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

जांच कराने की बात तो कह रहे हैं और जांच में सारे तथ्य आ जायेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यह एक संवैधानिक मामला है । इसको आप आसानी से न टालें और इस पर सख्त रुख अपनायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

जो जांच की बात कही है, तो जांच रिपोर्ट सदन में आ जाये । इसी सप्ताह में आ जाये और तब हमारी बात को सुन लिया जाये । समाचार पत्रों के नाम हैं, चेक नम्बर है जिसके द्वारा पेमेन्ट किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि चर्चा का समय तय कर दें, इसी सप्ताह तय कर दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, चुनाव आयुक्त ने जो उत्तर मांगा था, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। सबकी जानकारी में यह मामला है, चुनाव आयोग ने दुबारा मांगा है, लेकिन सरकार उसका उत्तर नहीं दे रही है । इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना मत जाहिर करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर सूचना हो तो दे दें ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मुझे अफसोस है कि अपनी बात को माननीय सदस्यों को स्पष्ट नहीं कर पाया, वैसे तो वह उसको समझ गये ही हैं । मान्यवर, जो तथ्य हैं, सामने आये हैं, उनकी जांच कराकर आपको सूचित कर दूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सदन को सूचित करें । यह मामला सदन में रखा गया है और सदन की सम्पत्ति बन गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

बाद में हो जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, बाद में नहीं । यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है । सदन का मामला है । यह रिपोर्ट एक सप्ताह में दे दें, या सत्र के आखिरी दिन तक दे दें, तब तक का समय आप दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी के पास आ जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप निर्णय को तब तक के लिये स्थगित रखें । सोचकर निर्णय दें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह 1984 का मामला है और 1989 आ गया है । उपाध्यक्ष जी, लोक पति त्रिपाठी जी और नरेन्द्र सिंह जी के बयान भी आये हैं, तो इनके संज्ञान में यह बात है। तो आप इनको सप्ताह का समय दे दें, या सत्र के आखिरी दिन तक का समय दे दें, यह जांच करा लें और रिपोर्ट को सदन में पेश कर दें, जिससे जिन सदस्यों ने बात उठाई है उसका निराकरण हो जाये और अगर नहीं करते हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग ने 9-9 और 10-10 पत्र लिखे हैं, उनका उत्तर नहीं देते हैं । इसका भी जवाब ये नहीं दे रहे हैं तो फिर यह कहां चलेगा ? जब नियमानुसार कार्य भी यह नहीं करेंगे और आप निर्देश भी नहीं दे सकते कि उसे आप वह सदन में रखें तो फिर कैसे काम चलेगा ?

श्री मैनेजर सिंह–

श्रीमन्, आप व्यवस्था दें कि वह सदन में रख दिया जायेगा । आपको मा0 मंत्री जी ने कहा है कि वे आपको अवगत करायेंगे । मैं कहना चाहता हूं कि जो सूचना आपको दी जायेगी उसे आप सदन में रख देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

जब वह आ जायेगा तो उस पर विचार कर लिया जायेगा ।

श्री मैनेजर सिंह–

आप इतना तो कह दीजिये कि उसको सदन में रख देंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने कहा कि जब वह मेरे पास आयेगा . . . (व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि मैं आपके समक्ष इसकी जानकारी भेज दूंगा। उसके बाद जैसा आपका निर्णय होगा, जो आप उचित समझेंगे वह आप कर दें।

श्री मैनेजर सिंह–

मंत्री जी ने सारी बात आप पर छोड़ दी कि आप उसे सदन में रखें या न रखें . . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं निर्णय बाद में लूंगा कि क्या करना होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, ऐसे गम्भीर मामलों में भी सरकार तथ्यों को छिपा रही है और सत्ता पक्ष धन का दुरुपयोग कर रहा है। हम सरकार की इस नीति के खिलाफ सदन का त्याग करते हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल तथा विरोध पक्ष के कई अन्य सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आप यह कह दें कि मैं अभी इस पर निर्णय दे देता हूं। आप मंत्री जी को निर्देशित कर दें कि वह एक हफ्ते में रिपोर्ट दे दें। . . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने बता दिया है कि निर्णय इस पर बाद में लूंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकार की इस नीति के खिलाफ हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री मुलायम सिंह यादव तथा विरोध पक्ष के सभी सदस्य सदन त्याग कर चले गये)

नवसृजित मण्डल आजमगढ़ का मुख्यालय मऊ में बनाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, औचित्य के प्रश्न के रूप में हमें यह मामला यहां पर उठाना पड़ा है। हमारे यहां मंडल बनाने के बारे में कठिनाई हो रही है। संयोग से हमारे जनपद बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ और मऊ का एक अलग मंडल बनने वाला है। मान्यवर, वहां पर यह चर्चा बनी हुई है। कोई कहता है कि मऊ चूंकि बीच में पड़ता है इन सब जिलों के, इसलिए मऊ में मंडल का मुख्यालय होना चाहिए। दूसरा दूसरी जगह के लिए कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन चार जिलों के मध्य में मऊ जनपद पड़ता है इसलिये वहीं पर मुख्यालय होना चाहिए। मऊ बड़ी लाइन के किनारे है, वहां पर आवागमन की सम्पूर्ण व्यवस्था है। वहां पर एक सुव्यवस्थित औद्योगिक केन्द्र बनने वाला है, ऐसी स्थिति में मऊ में मंडल का मुख्यालय होना औचित्यपूर्ण होगा। इसलिए मान्यवर, यह एक गम्भीर प्रश्न है और जनता के हित को देखते हुए, वहां के नागरिकों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की मांग को देखते हुए, वहां के जन प्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए मंडल मुख्यालय मऊ में बनाया जाय। इसलिए इस औचित्य के मामले पर गम्भीरता से विचार करके मान्यवर, आप व्यवस्था दें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

क्या इस पर बहस होगी? . . . (व्यवधान)

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

श्रीमन्, यह महत्वपूर्ण मामला है। बलिया जनपद अपने आप में एक छोटा जनपद था। उसको काटकर मऊ जिला बना दिया गया। अब इसको बनारस जिले में मिलाने की बात हो रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम बलिया जिले को बनारस मंडल से निकाल दें और मऊ में नया मंडल बना दें अगर नया मंडल बलिया के लिए बनाना हो और उसे बनारस से निकालना हो तो मऊ में ही मंडल मुख्यालय बना दें। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है।

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, अभी तक हमारे जिले की कमिश्नरी बनारस थी। कई दृष्टिकोण से बनारस इसकी कमिश्नरी बनायी गई थी। वहां की संस्कृति के दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, यूनिवर्सिटी नजदीक होने की वजह से उसकी एक परम्परा रही है। मान्यवर, लोग अपने मुर्दों को जलाने के लिए मणिकर्णिका घाट पर ले जाते थे और हम लोग बनारस होकर ही इलाहाबाद जाते थे।

श्रीमन् एक नयी बात आज सुनने में आ रही है कि आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाया जाय जिसमें बलिया आदि को सम्मिलित किया जायेगा। मेरा निवेदन है कि बलिया को बनारस कमिश्नरी से अलग न किया जाय अगर जरूरी हो जाय तो मऊ को कमिश्नरी बना कर बलिया को उसमें सम्मिलित किया जाय। मऊ से 50 कि0 मी0 की दूरी में यह पड़ते हैं और यह सब का बीच का स्थान है इसलिए आजमगढ़ के स्थान पर मऊ को कमिश्नरी बनायें।

श्री मनंजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने जब मऊ को नया जिला बनाने की घोषणा की थी तो उन्होंने यह भी कहा था कि मऊ को कमिश्नरी बनाकर उसमें बलिया, मऊ आजमगढ़ और गाजीपुर को सम्मिलित किया जायेगा। उनका विचार था कि मऊ एक नयी कमिश्नरी स्थापित होने जा रही है और उसमें बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ को सम्मिलित किया जायेगा। अब सुना गया है कि हमारे मुख्य मंत्री जी आजमगढ़ गये थे तो उन्होंने अपने भाषण में कह दिया कि नयी कमिश्नरी आजमगढ़ में बनायेंगे उसमें गाजीपुर बलिया को भी सम्मिलित करेंगे मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा से बलिया और गाजीपुर में आतंक मचा हुआ है। अगर सरकार आजमगढ़ को कमिश्नरी बनाती है तो उसमें गाजीपुर और बलिया को सम्मिलित न किया जाय हमें बनारस में ही रहने दें? क्योंकि वाराणसी हमारे जनपद के लिये ज्यादा सुविधाजनक है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह वहां की जनभावना है। आजमगढ़ के जौनपुर जो राजस्व मंत्री जी का जिला है उसमें शामिल कर लें जौनपुर मूली पैदा करने वाला जिला है आजमगढ़ में बैंगन होते हैं तो ये दोनों जनपद एक साथ सब्जी पकायेंगे जायेंगे । लेकिन जिलों को उसी आजमगढ़ मण्डल में शामिल न करें।

*श्री विष्णु देव–

मान्यवर, मैं इससे सहमत हूं कि मऊ को ही कमिश्नरी बनाया जाय। मऊ केन्द्र में पड़ता है बलिया गाजीपुर मऊ से लगे हुए हैं आजमगढ़ तो पीछे पड़ जाता है । मऊ को केन्द्र मान कर मऊ को कमिश्नरी बनाया जाय मैं इससे सहमत हूं ।

*श्री हरदेव–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मऊ को ही कमिश्नरी बनाया जाय यह बनारस और गोरखपुर के बीच में पड़ता है जो एक औद्योगिक एरिया है । यह उत्तर प्रदेश का मैन्चेस्टर है विश्व प्रसिद्ध जगह है और संवेदनशील भी है। यहां पर आपको आसानी से कम रेट पर जमीन भी मिल जायेगी । यहां से 40 और 50 कि0 मी0 में बलिया, आजमगढ़ और गाजीपुर पड़ेगा। यह सब के मध्य में स्थित है। अगर मऊ को कमिश्नरी बनाया जाय तो सभी जिलों को लाभ होगा। नहीं तो कहां जमनियां और कहां रेवती बैरिया है। कमिश्नरी जनहित में, रेवेन्यू के हित में और सरकार के हित में होनी चाहिए शौक के लिए कमिश्नरी नहीं होती है। मऊ औद्योगिक केन्द्र है और यह कमिश्नरी के लिये सुविधा जनक है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री हरदेव सिंह–

मैंने मई, 88 में कहा था कि मऊ को कमिश्नरी होना चाहिए और यह जनहित में है खाली कागज में राजनीतिक भावना से कमिश्नरी नहीं बनाई जानी चाहिए। मऊ को कमिश्नरी बनाना जनता के हित में है।

चौधरी लालता प्रसाद निषाद–

मान्यवर, गाजीपुर जनपद को आजमगढ़ कमिश्नरी में मिलाने की साजिश चल रही है। इस संबंध में शासन से अनुरोध है कि गाजीपुर जनपद का संबंध वाराणसी से बहुत पुराना है, व्यापारिक, शैक्षिक, यातायात और धार्मिक दृष्टिकोण से भी संबध है और यहां तक गाजीपुर का संबंध मरने के बाद भी है, वहां के लोग मणिकर्णिका घाट पर जलाने हेतु जाते हैं । इसलिये गाजीपुर का कोई भी व्यक्ति आजमगढ़ में मिलाने को तैयार नहीं है। यदि ऐसा किया गया तो हम सारे लोग इसका विरोध करेंगे। इसलिए गाजीपुर को वाराणसी मण्डल से अलग न किया जाये।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, गाजीपुर वाराणसी के करीब है, इसकी तहसीलें सैदपुर, जमनियां और गाजीपुर वाराणसी से सटी हुई है रेलवे से सुविधा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले को वाराणसी मण्डल में ही जनभावना को ध्यान में रखते हुए चूंकि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वहां के सभी विकास खंडों के लोग और जिला प्रशासनिक अधिकारियों की भी संस्तुति है कि गाजीपुर जनपद वाराणसी में रहे, इसलिये हम चाहते हैं कि गाजीपुर जनपद को वाराणसी मंडल में ही रखा जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

उपाध्यक्ष जी, वैसे यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है लेकिन जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं मैं उनका बहुत ही अनुगृहीत हूं चूंकि उनके मार्गदर्शन से यह मामला नये सिरे से शासन उस पर विचार कर रहा है। किस जगह पर मुख्यालय होना चाहिए इस संबंध में माननीय सदस्यों ने जो कहा है उससे काफी शासन को मार्गदर्शन मिलेगा क्योंकि अभी कोई चीज नहीं है और नये सिरे से विचार कर रहे हैं और वहां के जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके ही कोई निर्णय लिया जायेगा।

धान की पैदावार पर निर्यात के प्रतिबन्ध हटाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

मैंने नियम 300 के अंतर्गत एक औचित्य का प्रश्न धान की पैदावार को प्रदेश के बाहर निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने के संदर्भ में दिया था।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठे जांय। मैंने इस संबंध में आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर दिया है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के मनोनयन के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, अभी जनता के धन का दुरुपयोग पार्टी कार्य के लिये किये जाने का एक महत्वपूर्ण मामला सदन के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं। सरकार ने प्रदेश स्तर पर 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया जिसमें 80 सदस्य हैं उसमें से 55 गैर सरकारी सदस्य हैं, शेष मंत्री हैं और कुछ सांसद एवं एम0 एल0 ए0 हैं बाकी इनकी पार्टी के प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं। उन लोगों द्वारा सरकारी धन का पार्टी के कार्य में दुरुपयोग किया जा रहा है जो घिनौना कार्य है। मान्यवर, इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं–

> कार्यालय आदेश के पैरा चार में कहा गया है कि "राज्यपाल ने वित्त हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम 20(बी) के अन्तर्गत आदेश दिये गये हैं कि समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठक में शामिल होने के लिए तथा उन स्थानों को जाने के लिए, जहां इन सदस्यों की समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष (बीस सूत्री कार्यक्रम मंत्री) द्वारा जाना अपेक्षित हो की गयी यात्राओं तथा पड़ाव के लिये नियमानुसार प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की देय यात्रा और दैनिक भत्ते के बराबर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिये जाएंगे।" इसके बाद यात्रा सम्बन्धी अन्य नियमों का उल्लेख किया गया है। आप अब देखें इन सभी पार्टी वालों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी टी0 ए0, डी0 ए0 मिलेगा। वह दौरा करेंगे पार्टी की ओर से और पार्टी का काम-प्रचार करेंगे और उनको सरकारी खजाने से पैसा दिया जाएगा, जो हम सबका और जनता का है। सदस्यों के बारे में बन्धन है कि यदि वह किसी ऐसी समिति में जाएं, जिसमें पैसा मिलता हो तो वह माननीय अध्यक्ष की अनुमति लेंगे। इसमें सरकार पैसा मिल रहा है, इसलिए यह लाभ का पद होगा। इसलिए इसमें जब सदस्य रहेंगे और पैसा मिलेगा तो यह उनका अवैधानिक कार्य हो जाएगा, लाभ का पद हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारी दल, सरकारी धन का सरकार के खजाने से अपनी पार्टी के प्रचार-प्रसार के कार्य में लगा रहा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। इस सम्बन्ध में मैंने मान्यवर, औचित्य के प्रश्न की सूचना आपको दी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम को लेकर जो बात कही, जहां तक यह बात कही कि जो इसकी अनुमति है वह माननीय अध्यक्ष द्वारा दी जानी चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि जो उसके अन्दर सदस्य हैं, उसके लिए यहां से अनुमति लेनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह अनुमति ली भी गई होगी। फिर भी यदि नहीं ली गई होगी तो मैं इसे दिखवा लूंगा। यह कहना कि वह पार्टी प्रचार के लिए जा रहे हैं, तो यह सत्य से परे है। यह बीस सूत्रीय कार्यक्रम को देखेंगे, उसका फिजिकल वेरीफिकेशन करेंगे, कार्य का निरीक्षण करेंगे। इसलिए इसमें सदस्यों को मनोनीत किया गया है। यह जो कमेटी के सदस्य होंगे, यह आफिस आफ प्राफिट है या नहीं, यह देखने की बात है। मेरे विचार से यह आफिस आफ प्राफिट नहीं है। इसलिए यह औचित्य के प्रश्न में नहीं आता है।

श्री राम शरण दास–

यह पैसा मान्यवर, जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम में दिया जाता है, वह हम सबका है, आपका है तो हमारा भी है और यह सरकारी खजाने का पैसा है, आपका और आपकी पार्टी का ही नहीं है। यह ठीक है उसमें जनप्रतिनिधि रखे जाएं। उसमें ब्लाकों और जिला परिषदों के मेम्बर हैं, यह कहने को है, लेकिन उसमें यह जो यूथ कांग्रेस आई और गई के तमाम जवान लोग रखे गये हैं, यह ठीक नहीं है। यह लोग कोई काम नहीं करते हैं और न कोई काम कर सकते हैं। यह केवल अफसरों पर धौंस जमाते हैं और अपने गलत से गलत काम कराते हैं, रिश्वत खोरी करते हैं और लोगों को धमकाते हैं। यह अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को सरकारी खजाने से जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा देने की चेष्टा कर रहे हैं। यह बीस सूत्रीय योजना नहीं जनता को लूटने की चार सौ बीसी स्कीम है। यह सरकारी नहीं पार्टी की कमेटी है, इसमें सारे के सारे इनकी पार्टी के लोग भरे हैं। यह गलत परम्पराएं हो रही हैं देश के अन्दर। कल देश में हमारी सरकार बनेगी, हमारे ऊपर आफत आएगी जबकि हमारे कार्यकर्ता भी हमसे कहेंगे कि हमें भी बनाओ, हमें भी भत्ता दो। आप हमारी कमेटी को देश के अन्दर भी नहीं जाने देते हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। हमारे ऊपर आपकी पार्टी के वह लोग हो गये जो गुण्डई करते हैं? इन कमेटी के माध्यम से आप इनको घुमाएंगे, आपको शर्म नहीं आती है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें, बात हो गई, सरकार इसको देखेगी।

नगरपालिकाओं के वर्गीकरण करने में नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, 6 दिसम्बर, 86 का एक शासनादेश यहां से भेजा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं की श्रेणी का वर्गीकरण किया गया था। उसमें यह था कि चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका बनाने के लिए उसकी आबादी 40 हजार से 50 हजार, आय 5 लाख से 20 लाख तक वार्षिक होनी चाहिए, और इस मानक के अनुसार गोरखपुर जनपद की सिसवा बाजार टाउन एरिया नहीं आती है। जो यह टाउन एरिया है, यहां से वह चूंकि कांग्रेस (आई0) हार गयी थी और श्री शारदा प्रसाद जायसवाल जी वहां पर भारी बहुमत से जीते थे, इसलिए वहां के लोगों को खुश करने के लिए यहां से एक आदेश गया है कि 10-3-89 कि नगरपालिका बनाने के लिए आपत्तियां मांग ली गई हैं। सिसवा बाजार टाउन एरिया की कुल जनसंख्या करीब 14 हजार है और उसकी आय एक लाख रुपया वार्षिक है और उस पर 14 लाख रुपया शासन का और 7 लाख 44 हजार कर्मचारियों का बकाया है . . ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बहुत लम्बा खींचे जा रहे हैं, आपको एक मिनट दिया गया था सिर्फ। अब आप खत्म कीजिए।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इसको रोका जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

आप खत्म करें।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, इस पर हम व्यवस्था चाहते हैं, इसको रोका जाए।

श्री उपाध्यक्ष–

नगरपालिका वाला मामला जो हरीश जी का है उसे देख लीजिएगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–300 की सभी सूचनाएं अस्वीकार करता हूं।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, अभी राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक मामला उठाया इस पर आपकी पीठ से कोई व्यवस्था नहीं आई और न ही संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर कुछ कहा। मान्यवर, अगर सरकार इनको सुविधा देगी और नामजदगी करेगी, उनको दौरे की सुविधा देगी और भत्ता देगी तो यह सही नहीं है। मान्यवर, चुनाव सिर पर है यह सरकार चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए कार्यकर्ताओं को रिश्वत दे रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

इनका ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

आप सत्ता पक्ष के नहीं हैं आप विपक्ष के हैं, आपको इसमें निर्देश देने चाहिए और जो इस तरह से हो रहा है उसको रोकना चाहिए।

हजरतगंज लखनऊ एवं हजरतगंज कोतवाली लखनऊ में दिनांक 8 अप्रैल, 1983 को डा0 बी0 एन0 सिंह तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के बीच हुए विवाद की रिपोर्ट, 1985†

गृह मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डाक्टर पुलिस विवाद जांच आयोग, लखनऊ द्वारा हजरतगंज, लखनऊ एवं हजरतगंज कोतवाली, लखनऊ में दिनांक 8 अप्रैल, 1983 को डा0 बी0 एन0 सिंह तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के बीच हुए विवाद की रिपोर्ट 1985 को ज्ञापन एवं विलम्ब के कारणों सहित, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा–3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

जनपद बाराबंकी के ग्राम मानपुर राह में सार्वजनिक उपयोग की भूमि एवं रास्तों पर सवर्णों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने विषयक याचिका†

श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से विधान सभा जनपद बाराबंकी के ग्राम मानपुर राह में सार्वजनिक उपयोग की भूमि एवं रास्तों पर सवर्णों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किये जाने विषयक श्री परशुराम तथा श्री मेड़ीलाल आदि, निवासीगण मानपुर राह, तहसील–नवाबगंज, बाराबंकी, द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दिलाये जाने विषयक याचिका †

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता दिलाये जाने विषयक श्री संजय कुमार सिंह, निवासी महानगर, लखनऊ तथा श्री शेर सिंह शर्मा, निवासी आलमबाग, लखनऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

अपट्रान के प्रबन्ध निदेशक श्री कुल भूषण और चेयरमैन श्री जोशी के विरुद्ध दी गई विशेषाधिकार हनन की सूचना की जानकारी

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना के विषय में सूचना दी है मान्यवर, अपट्रान के भ्रष्टाचार के बारे में एक प्रस्ताव आया था। अपट्रान के प्रबन्ध निदेशक कुलभूषण और चेयरमैन जोशी ने इस विधान सभा की कार्यवाही के बारे में टिप्पणी की है कि शोर-शराबा करते हैं मान्यवर, अपट्रान द्वारा विधान सभा के सदस्यों पर कीचड़ उछाली गई है। हम लोग विधान सभा में स्वतन्त्र रूप से अपनी बात कहने के लिए आते हैं, तो

†छापी नहीं गई।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार के हनन का मामला है इसमें क्या कार्यवाही हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कार्यवाही हो रही है।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 ‡

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री समरपाल)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री समरपाल–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1989 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

[समय 1 बजकर 30 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष–

आज नियम–56 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिसमें शलाका द्वारा 9 सूचनायें समंकित रूप में चयनित की गयी हैं।

पहली सूचना माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री अशोक बाजपेयी, श्री यदुनाथ सिंह, श्री गोपी नाथ वर्मा, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री राकेशधर त्रिपाठी, श्री हृदय नरायन दीक्षित श्री सूर्य प्रताप शाही तथा कुंवर मानवेन्द्र सिंह की प्रदेश में विकृत स्प्रिट तथा विषैली शराब पीने से मरने वालों की सिलसिला जारी रहने तथा 28-3-89 को नैनी में 10 लोगों की मृत्यु एवं 20 की दशा चिन्ताजनक होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

दूसरी सूचना श्री काशी सिंह ऐरी की सम्पूर्ण उत्तराखण्ड (पर्वतीय क्षेत्र) के जनपदों में वन आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

तीसरी सूचना डा0 दिनेश जौहरी, श्री किशन लाल, श्री श्याम बिहारी सिंह की 21/22-3-89 की रात में पीलीभीत कलेक्ट्रेट स्थित वकीलों के शेड व कार्यालय पुलिस और जेल कर्मियों द्वारा जलाये जाने के संबंध में है।

चौथी सूचना श्री सरदार सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री जगवीर सिंह, श्री लक्ष्मीनारायण, श्री बाबूराम यादव, श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी, प्रधान प्रभुदयाल, श्री

‡दिनांक 30 मार्च, 1989 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

हफीकुर्रहमान बर्क, श्री कुशलपाल सिंह, श्री रिछपाल सिंह बंसल, श्री जौहरी लाल त्रिवेदी की सेतु निगम की गिरती हुयी साख से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

पांचवीं सूचना श्री शारदा प्रताप, श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री मित्रसेन, श्री राज-किशोर सिंह की स्कूटर इंडिया का निजीकरण किये जाने के विरोध में संस्थान के कर्म-चारियों द्वारा दिये जा रहे धरने एवं अनशन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

छठी सूचना श्री मूलचन्द्र की प्रदेश में हरिजनों द्वारा किये जा रहे धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में है।

सातवीं सूचना श्री विजय सिंह राणा श्री रघुबर दयाल वर्मा की जनपद आगरा में फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

आठवीं सूचना श्री हर्षवर्धन, श्री राम शरण दास एवं श्री रामगोविन्द चौधरी की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण नक्शे भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ से गायब होने के सम्बन्ध में है।

नवीं सूचना श्री मैनेजर सिंह की बुलन्दशहर जनपद में चल रहे चकबंदी कार्यों में अनियमितता एवं धांधली से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सांठगांठ से विषैली शराब और विषैली स्प्रिट का धन्धा बड़े जोरों से चल रहा है। अभी होली के आसपास पूरे प्रदेश में मेरी जानकारी के अनुसार 70 से अधिक व्यक्तियों की जान चली गयी 6 व्यक्ति अंध हो गये। अभी कल ही की घटना है, इलाहाबाद में नैनी के आस-पास 5–6 गांवों में 10 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, मेरी जानकारी है कि लगभग 20 व्यक्तियों की दशा चिन्ताजनक है जिन पर विषैली शराब का दुष्प्रभाव हुआ है। परन्तु इसके बावजूद कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लखनऊ में कई लोग मरे थे लेकिन उसको दबा दिया गया था। एक उत्साही डा० अजय शर्मा ने इस मामले को पकड़ा और कुछ व्यक्तियों जिनकी मृत्यु हो गयी थी लाशें खुदवायीं गयीं। जनता के सामने सही तथ्य न आ पायें इसके लिए पुलिस और आबकारी विभाग इस मामले को दबाने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बयान समाचार पत्रों में पढ़ने में आया। आबकारी सचिव ने बड़े दुस्साहस के साथ यह बताया कि जितने नमूने लिये गये थे विकृत स्प्रिट के उसमें मिथाइल अल्कोहल की जो मिलावट होती है, वह सब सही पाये गये। उन्होंने कहा कि मिथाइल अल्कोहल का जो प्रिपरेशन था वह सामान्य पाया गया इसलिए कोई कार्यवाही का सवाल नहीं है। आप कल्पना करें कि राज्य सरकार के सचिव स्तर के एक जिम्मेदार अधिकारी का बयान ऐसा है, यह बयान गलत काम करने वालों को प्रोत्साहित करता है। जो दूकानें सील की गयीं थीं वह खोली जा रही हैं एक भी दूकानदार का लाइसेंस निरस्त नहीं किया गया है और किसी के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी है।

नैनी में मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन दूकानों के रेगुलर निरीक्षण की व्यवस्था का क्या हुआ ? सरकार द्वारा इन घटनाओं को रोका नहीं जा सका इसका क्या कारण है ? इसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश

सरकार के पुलिस विभाग और आबकारी विभाग की है। मान्यवर, आपको जानकारी है कि कार्यस्थगन की ग्राह्यता के लिए 3 शर्तों का होना आवश्यक है। पहली तत्काल घटित घटना हो। यह घटना होली में घटित हुयी जिससे हर्षोल्लास का माहौल मातम में बदल गया। अनेक व्यक्ति मरे और अंधे हुये। एक घटना अभी कल ही नैनी में घटित हुई इसलिए यह तत्काल हुई घटना है और अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व की घटना है। इससे सरकार की नीतियों संबंधी मामलों का भी पर्दाफाश होता है। इसलिए मैं समझता हूं कि कार्य-स्थगन प्रस्ताव की जो नियम 57 में शर्तें दी हुई हैं, उन सभी शर्तों को पूरा करता है। मैं चाहता हूं कि इसे कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य करें।' हो सकता है, आप इसमें वक्तव्य दिला दें। हो सकता है आप चर्चा करा दें। इस पर जो भी कार्यवाही करायें, इसे कार्यस्थगन के माध्यम से, आज ही चर्चा कराने की कृपा करें।

(श्री लाल प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जिनका नाम है चर्चा में, पहले उनकी बात सुन लेने दीजिए।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों की काली छाया बाराबंकी, मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी होते हुए इलाहाबाद के औद्योगिक क्षेत्र नैनी में भी मंडराने लगी है और 27 मार्च को लगभग 15 लोग मौत के मुंह में चले गये और सैकड़ों बीमार होकर अस्पतालों में पड़े हैं। चक फजूला, चक दोंदी, चक लाल मोहम्मद, चक काजी, डभौरा, महेवा, चाका, इंदलपुर आदि गरीब, निर्धन किसान तथा मजदूर वर्ग का क्षेत्र है। यहां पर नैनी चौकी और आबकारी विभाग की सांठगांठ से कई वर्षों से अवैध शराब की बिक्री हो रही है। यह जहरीली शराब मिथाइल स्प्रिट मिलाकर सस्ते रूप में बनाई जाती है। मिथाइल स्प्रिट का प्रयोग रंगों के बनाने में किया जाता है, जो बहुत सस्ता होता है और जहरीला होता है। इलाहाबाद में स्प्रिट के ज्यादातर लाइसेंसदार कांग्रेस (आई0), सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य हैं, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती और ये लोग स्प्रिट को कालाबाजारी में बेंचते हैं, जिससे इस प्रकार की खतरनाक शराबें बनाई जाती हैं। इनका माफिया गैंग है, इसलिए सदन की कार्यवाही रोक कर आप ही चर्चा कराये जाने एवं नेहरू शताब्दी के वर्ष पर नेहरू के जन्म स्थल इलाहाबाद को मद्य निषेध क्षेत्र घोषित करने व मृतकों को जिलाधिकारी की संस्तुति के आधार पर 1–1 लाख रुपया देने तथा घायलों को 25-25 हजार रुपया देने तथा दोषी अधिकारियों और माफिया सरगनाओं के खिलाफ कार्यवाही करने की मैं मांग करता हूं।

*श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, प्रदेश के लिए इससे ज्यादा हृदय विदारक, दर्दनाक कोई घटना हो नहीं सकती। जहरीली शराब पीने से 100 के लगभग लोग होली से अब तक मौत के गोद में सो चुके हैं और न जाने कितने लोग जहरीली शराब के दुष्प्रभावों के शिकार हुए हैं। सरकार के समक्ष जो आंकड़े हैं, वह केवल उन्हीं लोगों के हैं, जिनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामले पुलिस विभाग में पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त न जाने कितने लोगों की जानें गयीं। इलाहाबाद के चुनाव में इस सरकार ने शास्त्री जी के नाम की दुहाई देकर इलाहाबाद के लोगों की भावना को परिवर्तित करने का प्रयास किया, परन्तु ये शास्त्री जी की नैतिकता से भी कोई शिक्षा नहीं ग्रहण की हैं। एक बार रेल दुर्घटना में कुछ यात्रियों के मरने को लेकर शास्त्री जी ने केन्द्रीय रेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया था, अगर इस सरकार में जरा भी हया होती, तो इतने बड़े भीषण काण्ड पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। मैं इस सरकार से तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूं। जिस प्रदेश के 100 से अधिक निर्दोष लोगों की जानें, पुलिस एवं आबकारी विभाग की निष्क्रियता एवं शराब निर्माताओं के कारण इतने लोगों की जान गयी हैं, उस सरकार का एक मिनट भी शासन में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यदि पूरी सरकार इस्तीफा नहीं दे सकती, तो कम से कम आबकारी मंत्री को आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए।

महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने की दुहाई देने वाली बेरहम सरकार इतनी निर्दयी और अमानवीय हो सकती है, यदि यह घटना दुनिया के किसी दूसरे देश में हुई होती, तो इस सरकार को एक मिनट भी चलने न दिया जाता, उत्तर प्रदेश में हम ऐसी सरकार को बरदाश्त कर रहे हैं। इस तरह की घटनाएं प्रदेश में निरंतर घट रही हैं और सरकार के कान में जूं नहीं रेंगती। मैं मांग करता हूं कि शासन आश्वस्त करे, जिस किसी क्षेत्र में जहरीली शराब से कोई दुर्घटना होगी, वहां के पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया जायगा, और उन शराब निर्माताओं के लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिये जायेंगे, जिनकी शराब की बिक्री ऐसे क्षेत्र में हुई है। सरकार अरबों रुपया आबकारी से राजस्व के रूप में वसूल रही है, लेकिन जहरीली शराब को रोकने के लिए कोई भी कारगर कदम नहीं उठा सकती है, जिससे इन घटनाओं को रोका जा सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय लोक महत्व का इससे अधिक तत्कालिक और सुनिश्चित विषय कोई हो नहीं सकता। आज पूरे प्रदेश का जन-जीवन इन घटनाओं से चिंतित और आहत है। अतः आपसे मांग करूंगा कि सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस विषय पर कार्य-स्थगन के रूप में ही चर्चा कराने की कृपा करें। इसके साथ ही मैं सरकार से तत्काल इस्तीफे की मांग करता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सही कहा था कि इधर बैठे लोग बेशर्म कहे जाते हैं, कहे ही नहीं जाते हैं, उनके कृत्य बेशर्मी के ज्वलंत उदाहरण हैं। लेकिन यह सरकार इतनी बेहया है जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा यह उपयुक्त ही कहा और इससे ज्यादा बेशर्मी का नमूना हो नहीं सकता। एक तरफ गरीब असहाय लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं मान्यवर, कार्यस्थगन के लिए इससे उपयुक्त कोई विषय हो नहीं सकता। इससे ज्यादा लोकमहत्व का विषय हो नहीं सकता। इसलिए कार्यस्थगन के रूप में इसे स्वीकार करके इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इलाहाबाद में जो घटना हुई।

श्री हरदेव–

किसी ने इनसे कहा था कि शराब पियो, क्यों पी ?

श्री उपाध्यक्ष–

यह बलिया का मामला नहीं है आप बैठें।

*श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इलाहाबाद में विषैली शराब पीने से लोगों की मौतें हो गयी यह मान्यवर, एक हृदय विदारक घटना हुई है। मैं समझता हूं कि यह सरकार जब बनारस में घटना हुई थी तो उस पर ध्यान देगी लेकिन इस सम्बन्ध में इन्होंने जो रवैया अपनाया उसकी लापरवाही के कारण मान्यवर, नैनी में इलाहाबाद में चकचौन्दी में, एक तरफ जब लोग होली खेल रहे थे, मना रहे थे, दूसरे ईस्टर का त्योहार हमारे ईसाई भाई, ईसामसीह का जन्मदिन है, वापिस आ गये स्वर्ग से, खुशाली में जब शराब का सेवन कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि शराब होगी लेकिन वह मिथिलेटेड स्प्रिट जहर थी, पेन्ट के काम आती है तो मान्यवर, उस शराब की जगह लोग जहर पी गये मैं तो जहर ही कहूंगा, मैं कहता हूं कि शराब नहीं पी गयी, बल्कि जहर पिया गया जहर पीने से 10 लोग बेमौत मर गये और उसके बाद जो लोग बचाये जा सकते थे वह अस्पताल पहुंचाये गये और अस्पताल के अन्दर वहां पर कोई वरिष्ठ डाक्टर न होने के कारण इलाज नहीं हो सका। अगर उनका स्टमक वाश किया गया होता और इन गरीबों के साथ लापरवाही न बरती गयी होती तो 50 प्रतिशत लोग बचाये जा सकते थे।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, डाक्टरों की लापरवाही से नौजवान मरे हैं। कुछ लोगों को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती किया गया मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ इतनी हृदय विदारक घटना हो गयी और दूसरी तरफ. . . . । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, यह तय करना होगा कि पुलिस विभाग आबकारी विभाग चलायेगा . या विभाग चलायेगा। इतनी महत्वपूर्ण घटना हो गयी एक तरफ तो इंसान पानी के प्रदूषण से मर रहे हैं और दूसरी तरफ यह है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप समाप्त करें।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, इस पर सदन के कार्य को रोककर चर्चा कराने की कृपा करें।

*श्री यदुनाथ सिंह–

मान्यवर, यह जो सिलसिला चला होली, शबेरात और ईस्टर पर यह शर्म की बात है शासन में रहने वाले लोगों के लिए। यह पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ोदरा से ज्यादा शर्मनाक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काण्ड हुआ सैकड़ों लोग मारे गये। इसमें शर्म की बात यह है कि पुलिस और आबकारी विभाग के लोगों के ऊपर कोई कारवाई नहीं की गयी। इसमें 100 से ज्यादा लोग मरे होंगे लेकिन अखबार में 50 से ज्यादा नहीं आया होगा कितने लोगों के आंखों की रोशनी चली गयी कितने लोगों की गर्दन टेढ़ी हो गयी, ब्रेन पर असर हुआ जिसका इलाज यहां नहीं है, दिल्ली में है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो भी अधिकारीगण हैं इसके लिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज ऐसा है कि कभी-कभी आप देखते हैं कि दारुलशफा के सामने कभी-कभी ऐसा लगता है कि जैसे दूध बिक रहा है, प्लास्टिक वाले में मिल रहा है, सरकार क्या देखती है? मान्यवर, मद्य निषेध विभाग क्या कर रहा है। कभी कभी ये सोमरस की बात करते हैं, पिलावें। लेकिन महात्मा गांधी के नाम पर, जिसके चित्र के नीचे मा0 डिप्टी स्पीकर साहब आप बैठे हैं, आप शायद शराब को माफिक नहीं समझते होंगे, लेकिन ये लोग शराब पिलाते हैं। इसीलिए मिथाइल अल्कोहल के लाइसेंस जगह-जगह दे दिये हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि बनारस में ऐसी दुर्घटना हुई। बनारस में चेयरमैन न हमारी पार्टी का हुआ न आपकी पार्टी का हुआ। सुधाकर पाण्डेय का नहीं, दिवाकर का नहीं, जवाहर का हो गया। इस पर पूरे पूरे बनारस को शर्म आती है। मैं शासन से अपेक्षा करता हूं कि हरिद्वार और मथुरा जैसे स्थलों पर मद्य निषेध की घोषणा करें ताकि होली, ईस्टर और शबेबरात पर इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हों और मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस समय ग्राह्यता पर सुना जाता है और ग्राह्यता पर पूरे आबकारी विभाग पर चर्चा नहीं हो सकती है। ये ग्राह्यता पर यह कहें कि जो सूचना दी है उसकी ग्राह्यता है। जो यह बताया कि बोतलों में और थैलियों में शराब बिकती है तो यह इनकी प्रतिपक्ष की सुविधा के लिए हो रहा है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, उपाध्याय जी भूल जाते हैं कि चेयर पर आप बैठे हैं, ये नहीं बैठे हैं। यह व्यवस्था उनके लिए नहीं है, इसके लिए आप बहुत उपयुक्त हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

ग्राह्यता पर बोलें। यदुनाथ सिंह जी, यह बनारस का इलाहाबाद का काफी लम्बा मामला है।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, 28 मार्च को इलाहाबाद के नैनी इलाके में स्थित चकलाल मोहम्मद मोहल्ले में विषाक्त शराब पीने से कई मौतें हो गयीं। जिनकी शिनाख्त हुई उनके कुछ नाम देना चाहता हूं, ये हैं महबूब जार्ज, बादशाह खंजई, गोकुल, अंजोरिया, नन्हकू पासी आदि। यह घटना विषाक्त शराब पीने से हुई। प्रदेश सरकार ने जान-बूझ कर अपने स्तर से इतनी ढील कर दी है कि आबकारी विभाग मनचाहे ढंग से ठेका चला रहा है। जो लोग पकड़े गये हैं उनका बयान है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों को माहवारी देते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी चर्चा नहीं हो रही है। अभी ग्राह्यता पर बोलें। तमाम बातें जो आप बोल रहे हैं, यह चर्चा की बात है। ग्राह्यता में यह बात नहीं आती।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं। मैं स्थिति की जानकारी देना चाहता हूं। यहां सी ब्लाक में राजस्व मंत्री के कमरे में कम से कम तीन बजे, दो बजे रात तक 40–45 लोग आकर दारू पीते हैं। यह जानकारी होते हुए भी ये कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। इसी तरह से पूरे प्रदेश में ये परिवार नियोजन सीमित नहीं कर पाए तो सोचा कि विषाक्त शराब पिलाकर परिवार सीमित कर दिया जाय। यह घटना अविलम्बनीय लोक महत्व की है। वहां जो लोग मर गये हैं उनके परिवार को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाय और मद्य निषेध को पूरी तरह से लागू किया जाय।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मा0 उपाध्यक्ष जी, जहरीली शराब के बारे में जो चर्चा . . .

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा नहीं कार्य स्थगन पर बोल रहे हैं।

श्री राकेश धर त्रिपाठी–

मान्यवर, परसों भी सदन में जहरीली शराब के बारे में मामला आया था।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि अगर शासन ने इसपर निर्देश दिये होते तो कम से कम 10–20 लोगों की जान बच सकती थी इलाहाबाद के। होली के दिन बंदी रखते। उस दिन जहरीली शराब से वहां 3 की मृत्यु हुई। इसका क्या कारण है स्प्रिट में शराब में एक तितिया दवा मिलायी जाती है वह जहर फैलाती है। इन दवाओं के दुकानों को भी चेक कराने का काम कराइये। अकेले अलकोहल को चेक कराने से से काम नहीं चलेगा। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस पर 2-3 दिन बाद चर्चा करायेंगे, वक्तव्य दिलवायेंगे तो 50 और लोगों की मृत्यु हो जायेगी प्रदेश के दूसरे कोनों में। यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है आज ही इस पर चर्चा कराइये।

*श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, यह गंभीर मामला है अन्तर्राष्ट्रीय फ्रंट पर भी लोगों को बहुत ही चिन्ता है। बुश साहब ने जो अमेरिका के प्रेसीडेंट हैं उन्होंने भी अपने इनआगरल एड्रेस में बहुत ही चिन्ता व्यक्त की खासकर अमेरिका के लिए। ड्रग ट्रैफिकिंग नार्कोटिक्स और शराब का कंजम्पशन बढ़ रहा है। यह चिन्ता सारे जगत में व्याप्त है। इसी बात को लेकर अभी इरान में 86 आदमियों को फांसी पर लटका दिया गया ड्रग ट्रैफिकिंग के मामले में।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय लाल प्रताप जी यह चर्चा का विषय नहीं है इस वक्त।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, इतनी लाइन नहीं खीची जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी इच्छा के अनुसार चर्चा स्वीकार कर लेंगे तो फिर बोल लेना ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक मिनट लूंगा बस । मैंने अपने शहर में खुद देखा 10-10, 15-15 साल के लड़के होली में शराब पिये हुड़दंग मचा रहे थे । यह स्थिति हो गयी है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, क्या माननीय लाल प्रताप जी इस काम रोको प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं ?

श्री सुखपाल पाण्डे–

समर्थन नहीं कर रहे हैं सरकार की ठेकेदारी कर रहे हैं ।

श्री सतीश चन्द्र जायसवाल–

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जहरीली शराब से जिस तरीके से मृत्यु हो रही है यह पूरे प्रदेश के लिये इस सदन के लिये चिन्ता का विषय है । इलाहाबाद में नैनी के अन्तर्गत पुलिस और आबकारी विभाग की सांठगांठ से जो इस तरह की घटना हुई है मैं शासन से मांग करता हूं कि ऐसी कड़ी कार्यवाही करें जिससे कि पूरे प्रदेश के अन्दर फिर इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके । मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, हो सकता है कि इस पर एक छोटे मोटे कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही हो जाय । लेकिन इतना तो निश्चित है इतना मेरा स्पष्ट मत है कि जो इस तरह की घटना हो रही है इसमें बड़े अधिकारियों का हाथ है बड़े अधिकारियों आबकारी विभाग के और पुलिस विभाग की सांठ-गांठ से है । बिना बड़े अधिकारियों की शह से सांठगांठ के इस तरह की कार्यवाही हो नहीं सकती मैं सरकार से मांग करता हूं कि शासन इस पर कड़ी कार्यवाही करे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, सत्ता पक्ष के सदस्य भी इसके पक्ष में बोल रहे हैं चर्चा करा दीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, या तो आबकारी मंत्री जी को, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का अनुकरण करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राम करन पटेल जी यह चर्चा नहीं है ।

श्री राम करन पटेल–

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर दूंगा अपनी बात । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र कोलअसका के कुवार बाजार में 9 आदमियों की अवैध शराब की बिक्री से मृत्यु हुई है मैं चाहूंगा कि इस पर सदन में चर्चा कराई जाय और मामले की जांच कराई जाय । इसके साथ ही मृतक के परिवारों को उचित मुआवजा भी देने की कृपा की जाय तथा जो जहरीली शराब बेची जा रही है, उस पर रोक लगायी जाये । जांच अवश्य कराई जाय, जिससे सही तथ्य सामने आ सकें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जब सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे हैं तो यह चर्चा नहीं तो और क्या है?

श्री उपाध्यक्ष–

यह हमेशा होता रहा है । जब काम रोको प्रस्ताव आता है और उसकी ग्राह्यता पर सुना जाता है तो जो लोकल क्षेत्र के लोग होते हैं, उनमें से एक-आध को भी सुनने की परम्परा रही है । इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने देखा कि पूरे प्रदेश में लगभग 50 लोग से ज्यादा मर चुके हैं । कल जब यदुनाथ सिंह जी ने यह सवाल उठाया तो यह उत्तेजित होकर बताने लगे और इस उत्तेजना में कल इन्होंने बात कही थी । उसका परिणाम आपने देखा कि इलाहाबाद में फिर एक घटना हो गयी । इस सरकार में अम्मार रिज़वी साहब बैठे हैं, हर बात का जवाब देने के लिये खड़े हो जाते हैं, बड़े हरफनमौला हैं लेकिन मान्यवर, आप इस सरकार की संवेदनशीलता को देखिये । गुजरात में जब घटना घट गयी और 100 से ज्यादा लोग मर गये, तो वहां के पुलिस महानिदेशक (डायरेक्टर जनरल) को हटा दिया गया लेकिन मान्यवर, यहां 50 से ज्यादा आदमी मर चुके हैं और आज तक इन्होंने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की । श्री सतीश चन्द्र जायसवाल, माननीय सदस्य, इलाहबाद दक्षिणी क्षेत्र अभी कह रहे थे कि कोई पुलिस के छोटे कर्मचारी के खिलाफ या आबकारी के किसी इन्सपेक्टर के खिलाफ यह कार्यवाही करना चाहते हैं । श्रीमन् कांग्रेस के इस शासन में शराब एक घरेलू उद्योग के रूप में बन रही है और हर गांव में शराब बन रही है लेकिन इस सरकार में दमखम नहीं है कि वह उसके खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें । मान्यवर, नियम बना हुआ है कि मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर और स्कूल के आसपास कोई शराब की दुकान नहीं खोली जायगी । लेकिन आज खुलेआम नियमों का उल्लंघन हो रहा है और आप इस सरकार की संवेदनशीलता देख लीजिये कि आज तक इन्होंने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है । जैसा यहां सतीश चन्द्र जायसवाल जी, अनुग्रह जी, राकेश जी, गोपाल जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं । मैं मांग करता हूं कि जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनका पूर्ण मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये । हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, मथुरा आदि सभी क्षेत्रों को मद्यनिषेध क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये । मान्यवर, यह भी मेरी मांग है कि वहां के बड़े अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये, जिससे कि आगे भविष्य में इस तरह की घटनायें न हो पायें और इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार किया जाय, यह मेरा अनुरोध है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आज किसी छोटे कर्मचारी/अधिकारी के खिलाफ कड़ाई करने से काम चलने वाला नहीं है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी माफिया और शराब बनाने वाले कारखाने वालों के गुलाम हो गयी है। यही कारण है कि दो नम्बर का शराब बन रहा है और बिक रहा है और इससे लोग मर रहे हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। श्रीमन् 2–4 एम0 एल0 ए0 मर जाते तो कोई बात न होती। वैसे कुछ मंत्री भी खूब शराब पीते हैं, और कुछ एम0 एल0 ए0 भी शराब पी रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एम0 एल0 ए0 या मंत्री नहीं मरता है। बल्कि वह गरीब

मरता है जो मजदूरी करता है और यह जहरीली शराब उसी को पीने को मिलती है। मान्यवर, आप सरकार को निर्देश कर दीजिये कि वह आत्मचिन्तन करे और अपनी नीति में सुधार करें। आज कितने ही आबकारी विभाग और माफिया शराब के लोग हैं, वे चेयरमैन जिला परिषद् और मेयर नगर महापालिका बन गये। ब्लाक प्रमुख तो छोटी चीज है और मुझे खतरा है कि अगले साल चुनाव में इस विधान सभा में ये सारे माफिया आ जायेंगे [x x x] यह खतरे की घंटी है जनतंत्र, लोकतंत्र के लिये और इस विधान सभा के लिए भी बहुत बड़े खतरे की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि आबकारी आयुक्त के पद पर ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाना चाहिए, जो चरित्र-वान हो, शराब न पीता हो। एक ऐसी महिला इन्द्राणी सेन आबकारी आयुक्त पद पर जो स्वयं शराब पीती थीं। मान्यवर, जब मंत्री शराब पियेंगे और आबकारी आयुक्त इस तरह का शराब पीने वाला बना दिया जायगा, तो किस तरह सुधार होगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)–

मान्यवर, आबकारी मंत्री जी तो माननीय मुख्य मंत्री जी हैं।

वित्त राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश रिछारिया)–

मान्यवर, निश्चित रूप से बड़ी गम्भीर घटनायें हो रही हैं। लेकिन श्रीमन्, इसमें यह देखना है कि इसके पीछे कारण क्या है। बनारस में जो घटना हुई है, अगर उसके संदर्भ को लें तो होली के दिन वहां पर कम्पलीट मद्य निषेध लागू किया गया था। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उस व्यक्ति ने नकली शराब बेची थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई। लेकिन जैसे ही पता चला, इस पर कार्यवाही की गई। लखनऊ में भी एक दुर्घटना हुई, फतेहपुर में भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, कानपुर तथा अन्य दूसरी जगहों पर भी घटनायें हुई। इन सब पर सरकार ने सख्त कार्यवाही की है। वहां पर दुकानों के सैम्पुल लिये गये। कानपुर में दुकान का जो सैम्पुल लिया गया, उसमें मिथाइल एल्कोहल मिला हुआ पाया गया। इलाहाबाद में जो कल दुर्घटना हुई उसमें संबंधित कर्मचारियों को निलम्बित करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री राकेशधर त्रिपाठी–

मान्यवर, चपरासी का निलम्बन किया गया, इन्सपेक्टर के निलम्बन के आदेश दिये गये या फिर कलेक्टर व पुलिस कप्तान को निलम्बित करने के आदेश दिये गये हैं, इसे माननीय मंत्री जी बतायें ?

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

मान्यवर, अभी आदेश गये हैं। यह भी आदेश दिये गये हैं कि पूरे प्रदेश में सारी स्प्रिट के दुकानों के सैम्पुल लिये जायं, डिस्टीलरीज को चैक किया जाय। मिथाईल अल्कोहल का वह कौन सा स्रोत है, जहां से इसे मिलाया जा रहा है। इस पर पूरे प्रदेश में सख्ती से कार्यवाही की जा रही है। श्रीमन्, होता यह है कि कभी अप्रत्यक्ष रूप से कभी कुछ ऐसे लोगों की सहायता हो जाती है कि जिसकी वजह से कार्यवाही नहीं हो पाती है। जैसे इलाहाबाद में कार्यवाही की बात कही गई श्री त्रिपाठी जी मामले को लेकर इसी सदन में कह देंगे कि छोटे लोगों के खिलाफ क्यों कार्यवाही की गई।

(श्री गोपाल दास यादव, श्री राकेश धर त्रिपाठी व श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी के खड़े होने पर व्यवधान)

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, आपका बड़ा अधिकारी आबकारी आयुक्त है जिसका मुख्यालय इलाहाबाद में है। उसके खिलाफ कार्यवाही होनी है। आप सिपाही के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। श्री राकेश धर त्रिपाठी जी चाहते हैं कि पूरा मद्य निषेध इलाहाबाद में घोषित किया जाय। कुम्भ मेला हुआ, उस समय वहां पर शराब खूब बिकी। आपका यह आबकारी विभाग बिल्कुल निष्क्रिय है, अपंग है। पूरे प्रदेश में लगभग 150 जहरीली शराब से मौत हो चुकी है ऐसे आप कम से कम यह निर्देश दें कि आबकारी विभाग के आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही की जाय। माननीय मंत्री जी को भी कहना चाहिए कि हम आबकारी आयुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहे हैं।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि कार्यवाही अगर करेंगे तो राकेश जी आपत्ति करेंगे और कहेंगे कि छोटे कर्मचारी को दण्डित किया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मा0 राकेश त्रिपाठी आपत्ति करते हैं तो वह आपत्ति औचित्यपूर्ण है। छोटे को क्यों मारा जाता है। मान्यवर, आप तो चौधरी चरण सिंह जी के साथ रहे हैं वे एक बड़े अधिकारी को मारते थे, सारा प्रशासन डोलता था। इसीलिये उनको कुशल प्रशासक कहा जाता है। उन्होंने आई0 ए0 एस0 को निकाला, आई0 पी0 एस0 को निकाला। आप इनको निर्देशित कीजिये कि बड़े अफसरों के खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, क्या आप इस पर चर्चा करा रहे हैं?

(श्री राकेशधर त्रिपाठी द्वारा गुस्से में श्री शारदा प्रताप से कुछ कहा गया जिससे दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हैं?

श्री यदुनाथ सिंह–

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या मा0 शारदा प्रताप जी को शराब से मरने वालों के प्रति कोई हमदर्दी है या नहीं?

श्री शारदा प्रताप–

हम लोगों का मामला भी लगा हुआ है, वह भी जरूरी है। आप पूछ रहे हैं कि शराब से मरने वालों से हमदर्दी है कि नहीं। फिर आप सारी कार्यवाही रोक दीजिये और इसी पर चर्चा करा दीजिए।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया–

इलाहाबाद की जो घटना घटी, तात्कालिक प्रभाव से आदेश दिये गये कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को तुरन्त निलम्बित कर दिया जाय। माननीय त्रिपाठी जी ने नाम जानना चाहा तो चूंकि इससे सम्बन्धित लोग कौन थे, इसकी जानकारी हमको नहीं थी इसलिये आदेश दिया गया है कमिश्नर को कि सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया जाय। इसमें सख्त से सख्त कार्यवाही की जा रही है।

सारे प्रदेश की सारी दूकानों पर डिस्टिलरीज पर चैकिंग करायी जा रही है, आकस्मिक इमरजेंसी रेड. . . .

(विपक्ष के अनेक मा0 सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर एक घण्टे की चर्चा स्वीकार किये देता हूं, सारी बातें आ जायेंगी ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैंने जो कार्यस्थगन की सूचना दी है कि इसी महीने की 10 तारीख को द्वाराहाट-नौबाड़ा मोटर मार्ग जो है, जिसमें लाखों रुपया खर्च हो गया, बन नहीं पा रहा है क्योंकि कुछ पेड़ों को काटने की इजाजत नहीं मिली है । इसको लेकर आन्दोलन हो रहा है । आन्दोलन दौरान ब्लाक प्रमुख द्वाराहाट श्री विपिन त्रिपाठी, ब्लाक प्रमुख भिकियासेण श्री पुष्कर पाल सिंह, हमारे संगठन के प्रचार मंत्री भाई प्रताप सिंह जी आदि 11 साथियों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया । गिरफ्तार इसलिये किया. . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

सवा दो बज रहे हैं, अभी तीन बजट लेने है, आप संक्षिप्त करें ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

25 तारीख को मेरी उपस्थिति में पुलिस ने लाठीचार्ज किया । हमने सरकार से सड़क की मांग की थी । अन्य योजनायें जो अधूरी पड़ी है, जिसमें पैसा स्वीकृत हो चुका है, जब हम उसके लिये मांग करते है तो यह सरकार हमको लाठी मारती है । सरकार की संवेदनहीनता के खिलाफ पूरे उत्तराखण्ड में जन रोष व्याप्त है । मान्यवर, आज हजारों पुरुष, स्त्री और बच्चे सड़कों पर आ गये है अपना आन्दोलन लेकर कि अगर यह सरकार हमारा कोई विकास नहीं कर सकती है तो लोगों को गिरफ्तार क्यों करती है ? आज जब वहां की जनता शान्तिपूर्वक आन्दोलन करती है, प्रदर्शन करती है तो सरकार ने उसे रोकने के लिये लोगों को गिरफ्तार कर लिया । इसलिये वहां की जनता आज सड़कों पर आ गयी है, लेकिन आज तो यही हाल पर अगर सरकार ने अपनी इस नीति को नहीं रोका तो वहां की जनता इससे भी आगे आ सकती है । इसलिये मेरी आपको चेतावनी है कि वहां का आन्दोलन हिंसात्मक न होने पाये, इस आन्दोलन पर आप वहां के लोगों को छोड़ें नहीं और जो लोग गिरफ्तार किये गये है उनका आप मुकदमा वापस लें और बिना शर्त के हमारे साथियों को रिहा करें अन्यथा इसके गम्भीर परिणाम होंगे । माननीय मंत्री जी इस पर क्या कार्यवाही करने जा रहे है, कृपया उससे अवगत कराने की कृपा करें ।

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)–

श्रीमन्, आज ही सबेरे यहां एक माननीय सदस्य ने इस संबंध में प्रश्न किया था जिसका कि मैंने बड़े विस्तार से उत्तर दिया था। यह सही है कि पहाड़ों के विकास के कार्यों में विलम्ब होता है क्योंकि इसके लिये भारत सरकार का जो अधिनियम है, उसके कारण वहां की जनता को परेशानी होती है । कोई भी विकास का कार्य हो, चाहे सड़क बनाने का मामला हो चाहे बिजली की लाईन का मामला हो या चाहे पानी का मामला हो या पानी के लिये नाली बनाने का मामला हो, जब तक

भारत सरकार से स्वीकृति नहीं ले ली जाती है, तब तक उसे करने में बड़ी दिक्कत होती है।

एक कठिनाई और होती है कि विभागों के संबंधित जो अधिकारी होते हैं, चाहे पी0 डब्लू0 डी0 के हों, वे चाहे ऊर्जा विभाग के हों या सिंचाई विभाग के हों उनको एक प्रोफार्मा भरना पड़ता है। अगर उस प्रोफार्मा को उन्होंने गलत ढंग से भर दिया और भेज दिया तो फिर भारत सरकार से वह वापस आ जाता है। इसके लिये अब हमने ऐसा किया है कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाय कि किस तरह से इस प्रोफार्मा को भरना है। प्रोफार्मा ठीक ढंग से भरा जाना चाहिये, इस कारण से जो देरी होती है अब उसको दूर करने के प्रयास किये जा रहे हैं कि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आये।

माननीय सदस्य जैसा कि अभी कह रहे थे कि वहां के जन मानस में बहुत रोष है, तो यह सही है कि जब विकास कार्यों में देरी होगी तो जनता के मन में रोष उत्पन्न होना स्वभाविक ही है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सरकार की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि वहां के विकास कार्यों में अब अधिक विलम्ब न हो।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जनता के असन्तोष का कारण तो आपने बनाया है। वहां के आन्दोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके खिलाफ संबंधित तरह-तरह की धाराओं में उन्हें पकड़ लिया गया है, उसके संबंध में आप क्या कार्यवाही करेंगे? मान्यवर, इसका जवाब आप माननीय मंत्री जी से दिलवा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

आप तो बात करना नहीं चाहते हैं, भाषण देते हैं। आप या तो भाषण दे लीजिये या फिर उनका जवाब सुन लीजिये।

(उत्तर देने के लिए मा0 मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

*डाक्टर दिनेश जौहरी–

मान्यवर, 21/22 मार्च की रात को पीलीभीत में पुलिस के द्वारा वकीलों के शेड तोड़ने के विषय में मेरी सूचना है। होली का त्योहार था, हरेक को होली जलाने का अधिकार है, लेकिन यह किसी को अधिकार नहीं है कि वह किसी का घर या किसी की दूकान को तोड़ दे और जला दे। मान्यवर, 21/22 मार्च की रात में जनपद पीलीभीत में की कलेक्ट्रेट में कुछ पुलिस कर्मी और जेल कर्मी गए और वहां पर पड़े हुए वकीलों के तमाम तख्त व अन्य सामग्री जो वहां पर आज से नहीं 30–40 वर्षों से रखे हुए थे, सारे के सारे गिरा दिए और जला दिए होली के नाम पर और यहां तक उनकी नाम की पट्टिकाएं भी द्वेषवश जला दी गयीं और इससे इन लोगों ने वहां पर ऐसा वातावरण बना दिया, जोकि बिल्कुल शमशान जैसा लग रहा था। मान्यवर इस बात की शिकायत को लेकर जब वकील लोग डी0 एम0 के पास गये, तो डी0 एम0 साहब ने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक शब्द भी कार्यवाही करने के संबंध में नहीं कहा और यही नहीं मान्यवर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जो दुकानें व होटल आदि लगते थे, उन सबको भी जलाकर राख कर दिया गया। अब वकीलों के वहां पर बैठने की कोई जगह नहीं है जिस पर वह बेचारे बैठकर अपने काम को कर सकें। इसलिए मान्यवर, इस बात को लेकर पूरे वकील समुदाय में रोष व्याप्त है, और वातावरण बहुत ही विचारणीय बना हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर घटना को सामने रखते हुए आज सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराएं, इसकी मांग मैं आपसे करता हूं और मान्यवर एक बात कहने से रह गयी कि इस घटना के हमारे पास कुछ फोटो हैं, जिन्हें मैं आपके पास भेज रहा हूं, इससे वहां के वातावरण की सही स्थिति का ज्ञान हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है, भेज दीजिए . . .

श्री किशन लाल–

मान्यवर, पीलीभीत जनपद में घटित घटना को यदि नजदीक से देखा जाए तो पूरी स्थिति का ज्ञान हो सकता है। यह घटना जानबूझ कर घटाई गयी है और किन लोगों द्वारा घटाई गयी है, इसकी आप जांच करा लें। शासन की नीति तो यही है कि वह हर जगह सुरक्षा एवं अमन को कायम करे, लेकिन यहां पर शिथिलता क्यों? मान्यवर घटना के दिन कलेक्ट्रेट के चारों तरफ पुलिस वाले थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने कलेक्ट्रेट को चौतरफा घेर का वहां पर वकीलों के तख्त, उनकी मेज-कुर्सियां व वहां पर पड़ी हुयी अन्य लकड़ी के सामान सब जला दिया। और यही नहीं बाहर जो दुकानें व होटल आदि थे, वह सब भी जला दिए। इस प्रकार से मान्यवर पुलिस बल के होते हुए भी यह शर्मनाक घटना घटित हुई। यह सरकार की कर्तव्यहीनता का सबल प्रमाण है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पूरे प्रकरण की जांच आप शीघ्र ही करा लें और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय।

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमां)–

मान्यवर, यह घटना 21/22 मार्च की रात की है और 23 तारीख को ही वकील साहबान, जिलाधिकारी व पुलिस विभाग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से एक दरख्वास्त के साथ मिले, उसी समय इस पूरे प्रकरण के लिए जांच हेतु आदेश दे दिए गये और जांच हुई और इस जांच में तथ्य जो भी सामने आए, उसके अनुसार दो आदमियों को गिरफ्तार भी किया गया और अब भी श्रीमन् जांच प्रचलित है, पूरी होने पर जो भी कार्यवाही होगी सख्त से सख्त, वह अवश्य की जायेगी . . . (व्यवधान)

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने फिर अपना वही टालू मिक्सचर दे दिया जैसा कि अभी एक मुरादाबाद की घटना पर किया था, मान्यवर यह वहां की स्थिति के बारे में यहां पर बैठे-बैठे नहीं जान सकते हैं, यह वहां जाकर स्वयं देखें तो कुछ पता चल सकता है . . .

*श्री सरदार सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय यह हमारे जितने भी निगम थे, उनमें से सबसे ज्यादा हम लोगों को सेतु निगम पर गर्व था क्योंकि इस निगम ने अपने देश में व अपने देश के बाहर भी बड़े बड़े इनाम जीते थे, लेकिन अब कुछ दुर्भाग्यवश बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब इसकी छवि कुछ अधिक अच्छी नहीं रह गयी है, हमारा पी0 डब्ल्यू0 डी0 डिपार्टमेन्ट जो इसी का एक डिपार्टमेन्ट था, वह भी अब इसे काम देने को तैयार नहीं है। अभी 20 करोड़ का एक काम रामनगर बनारस का सेतु निगम का टेण्डर जबकि 17.45 करोड़ का था इन्हें न देकर अन्य एक प्राइवेट कम्पनी को 2 करोड़ 18 लाख अधिक रुपयों पर दे दिया। इसी प्रकार से एक काम इराक में 10 करोड़ रुपयों का मिला था, घटिया काम करने की वजह से वापस ले लिया गया। इसी प्रकार से नेपाल में करीब 20 लाख रुपयों का बिटुमैन (कट-बैक) जलाकर भस्म कर दिया गया है। मान्यवर, जो उमेठा सेतु है, उसमें जो कुयें बनाये गये हैं, उन कुओं में दरार पड़ गयी है, इस कारण इस निगम का बहुत घाटा हुआ है। मान्यवर, बम्बई में इनका कार्य चल रहा था, उसमें इनको 33 करोड़ का घाटा हुआ है, कुयें बनाने में दरार पड़ गई है। जो इतना अच्छा निगम था, उसमें तमाम प्रकार की चोरियां हो रही हैं। जितने भी अधिकारी निकम्मे थे, उनको फिर इस निगम में ले लिया गया है। प्रबन्ध निदेशक का कार्यालय 6 बजे खुलता है और 1 बजे तक चलता है, वहां के कर्मचारियों को ओवर टाइम दिया जाता है। एम0 डी0 दिन में जनता से नहीं मिलते हैं, इन्हीं सब कारणों से निगम घाटे में जा रहा है। जिस निगम के कारण दिल्ली में तहलका मचा था, एशियाड–82 में जिसका बड़ा नाम हुआ था, आज उसकी गिरती हुई दशा पर जनता चिन्तित है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करा दें।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे देश में सेतु निगम ने जितना अच्छा काम किया और नाम कमाया और दूसरे देशों में भी काम किया, उसको ईराक में ठेके मिले और आज उसकी हालत यह है कि उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गयी है, वह बदनाम हो रहा है, जिसके कारण हमारे देश का सिर नीचे हो रहा है। 10 करोड़ रुपये का ठेका मिला, लेकिन ईराक ने उसको वापस ले लिया है। अब हिन्दुस्तान के अन्दर भी ठेके नहीं दिये जा रहे हैं। इनका आफिस शराब का अड्डा बन गया है। जब से मौजूदा एम0 डी0 आये हैं, तब से इसकी हालत बहुत ही खराब हो गयी है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इसकी आप जांच करावें और इस चीज का पता लगावें कि इसकी हालत खराब होने का क्या कारण है? इस निगम के अन्दर इतनी गिरावट क्यों आयी है? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करा दें।

*श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सेतु निगम जो उत्तर प्रदेश का गौरव था और प्रदेश का सिरमौर निगम था, लेकिन आज उसका स्तर बहुत गिर गया है। यह सारे प्रदेश और देश के लिए चिन्ता की बात है। नेपाल में 20 लाख रुपये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के तार कोल की चोरी हुई । इस सेतु निगम ने दिल्ली में ब्रिज बनाने में ख्याति पायी और ईराक में इसको ठेके मिलते थे, लेकिन आज सेतु निगम में लाखों रुपये का घोटाला हो रहा है और उसके कार्य का स्तर गिर गया है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करा दें ।

श्री अम्मार रिज़वी–

मान्यवर, सरदार सिंह जी ने बर्क जी ने और मलिक जी ने जो प्रश्न उठाया है, और सरदार सिंह जी तो ब्रिज कारपोरेशन के विशेषज्ञ हैं, वह काफी इसके बारे में बात करते रहते हैं । उन्होंने जो दिल्ली में फ्लाई ओवर की बात की है और जो उसके लिये एवार्ड मिला था तो उस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग मेरे पास था और मेरे जमाने में यह कार्य हुआ था । चूंकि बात कही गयी है, मुझे बड़ी खुशी है यह बिन्दु उठाया गया कि एक पुल नेशनल हाईवे पर राम नगर के पास वाराणसी में एक पुल बन रहा है, जिसे प्राइवेट कम्पनी को दिया गया है । इस पर ब्रिज कारपोरेशन ने अपने टेण्डर दिये थे और इस प्रकार का पुल तारों पर होता है और 17 करोड़ रुपये के टेन्डर दिये गये थे ।

मान्यवर, यह योजना वर्ल्ड बैंक से फाइनेन्स हो रही है । भारत सरकार की मिनिस्ट्री आफ ट्रांसपोर्ट का इसके ऊपर सारा कंट्रोल है । जो टेन्डर दिये गये उस समय उन्होंने कहा कि ब्रिज कारपोरेशन के जो टेन्डर हैं वह केबिल के मामले में नहीं है और दूसरी कम्पनी से कहा कि वर्ल्ड बैंक के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ठीक है । मान्यवर, डेढ़ साल तक उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार में इस बात के लिये करेस्पॉंडेन्स चलती रही कि ब्रिज कारपोरेशन को यह कार्य दिया जाय । एक साल पहले मंत्रि-परिषद् में यह मामला आया । जब वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आप इन स्पेसिफिकेशन्स के ऊपर बनाते हैं तो जो 20 करोड़ रुपया हम उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं वह हम दूसरी राज्य सरकारों को दे देंगे । तब हमें यह निश्चय करना पड़ा कि इसे हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को दे दिया जाय । भारत सरकार की संस्तुति पर यह किया गया था। . . (व्यवधान)। जिस क्रम में आपने लिखा है उसी क्रम में मुझे भी निवेदन करने दें । दूसरी बात माननीय सरदार सिंह जी ने कही और बर्क साहब ने कही । मैं समझता हूं कि यह बात बर्क साहब ने सरदार सिंह जी के साथ दोस्ती में कही होगी । मान्यवर, एक बात ईराक के बारे में कही गई । वहां पर हमारे ब्रिज कारपोरेशन का इतना जबरदस्त रिकार्ड रहा है कि वहां पर तामीर और अस्कान जो वजीर कहे जाते हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और भी जितने वहां पर बड़े-बड़े अधिकारी थे उन सभी ने यह स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के ब्रिज कारपोरेशन ने जिस तरह पुलों को और दूसरी चीजों को बनाया है वह किसी दूसरी कम्पनी ने नहीं बनाया है । 10 करोड़ की बात कही गई . . .

(व्यवधान)

श्री हरेन्द्र सिंह–

उसके लिये तो हमने आपको बधाई दी है लेकिन अब क्यों स्तर गिरता जा रहा है?

(श्री फजलुल बारी के कुछ कहने पर)

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जरा धीरज रखें । अब बारी साहब भी आ गये । वे कहते हैं कि दाढ़ी-दाढ़ी को खींच रही है, इसे बर्क साहब कैसे बर्दास्त करें । मान्यवर, ब्रिज कारपोरेशन को 10 करोड़ रुपये की बात कही गई । मान्यवर, आपको मालूम है कि ईरान और ईराक की लड़ाई हुई । जितने कार्य चल रहे थे वे सब रोक दिये गये । आप सब जानते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या होता है फिर भी ब्रिज कारपोरेशन का कार्यालय वहां पर रखा गया लेकिन ईराक सरकार ने उसे कोई डाइरेक्शन नहीं दिया और वहां पर सिरकतुल हनरावी की कम्पनी से पुल बनाने के लिये कह दिया गया लेकिन ईराक सरकार ने बाद में यह तय किया कि यह पुल उससे भी न बनवाकर फौज के जरिये बनवाया जाय । इस तरह से वह पुल उस कम्पनी से वापस ले लिया । इसलिए ब्रिज कारपोरेशन को इसका कंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं था ।

बिटुमैन की बात यहां पर कही गई । उसके बारे में यहां पर चर्चा हो भी चुकी है । वह पूरी तरह से इन्श्योर्ड था । पुलिस में इसकी रिपोर्ट कराई गई और इन्क्वायरी करायी गई । इसका पूरा कम्पेंशेसन ब्रिज कारपोरेशन को मिलेगा । इस तरह से ब्रिज कारपोरेशन का कोई नुक्सान नहीं हुआ ।

थाना क्रीक के ऊपर जो पुल बन रहा है उसमें दरार आ गई है इसके बारे में यहां पर बात कही गई । सार्वजनिक निर्माण विभाग के अफसरों की देखरेख में उसका एक डिजाइन एप्रूव किया गया है । मैं सरदार सिंह जी से और बर्क साहब से कहता हूं और मैं खुद उनको वहां भेजने के लिये तैयार हूं । वे स्वयं बम्बई चले जायं और उस पुल को देखें माननीय मलिक जी भी चले जायं । बर्क साहब वहां पर इधर-उधर न चले जाय और कोई चीजें न देखने लगें । वहां पर इस पुल को देखकर आयें इसी तरह से गुजरात के पुल के जितने टेन्डर थे उनमें सबसे कम पर यह ठेका दिया गया ।

[समय 2 बजकर 30 मिनट]

उन्होंने कहा वहां आफिस में शराब पी जाती है और वह शराब का अड्डा बन गया है । तो यह तो बहुत आसान बात है किसी भी समय कोई माननीय सदस्य देख सकते हैं और पुलिस को रिपोर्ट कर दें कि कार्यालय में शराब पी जा रही है उसमें जो पकड़ा जायेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो भी कार्यवाही होगी वह की जायेगी किसी को रियायत नहीं दी जायेगी लेकिन एक जनरल आरोप लगा देना ठीक नहीं होगा । हमारा ब्रिज कारपोरेशन गोवा में माडंवी में ब्रिज बना रहा है, केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में ब्रिज बना रहा है । 15 ब्रिज नैपाल में बना रहा है । हमारा ग्राफ इन सात महीनों में ऊपर गया है । अगर शाख गिरी होती तो ग्राफ ऊपर नहीं जाता । पूरे भारत के अन्दर यह कारपोरेशन काम कर रहा है । ईराक में काम हो रहा है, बहरीन में काम हो रहा है वहां के कम्पनी के रिप्रजेन्टेटिव आये थे उनका कहना है कि हमारे साथ काम करें, सऊदी अरब में और मलेशिया में काम कर रहे हैं । कई जगहों से आफर हमें आये हैं तो शाख गिरी होती तो यह आफर नहीं आते और यह सारे कार्य नहीं होते । इसलिये यह कार्य स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता है । हां मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने यह प्रश्न न उठाया होता तो मुझे यह मौका न मिलता कि मैं सदन में ब्रिज कारपोरेशन के बारे में जानकारी दे सकूं ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, जो स्कूटर इण्डिया के बारे में सूचना दी है वह बहुत ही संवेदनशील स्थिति में पहुंच गया है। 1972 में यह हमारे विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर में 150 एकड़ में यह फैक्ट्री लगाई गयी। यह इटली की मैसर्स ए0 पी0 आई0 और मैसर्स एनोसेंट्री के सहयोग से लगाई गयी। यह कम्पनियां स्कूटर बनाती थी और खराब स्कूटर बनाती थी। इन्होंने भारत सरकार को राजी कर लिया कि कबाड़ के भाव पर जैसे और जिस स्थिति में है उसे खरीद ले क्योंकि मैसर्स एनोसेंट्री अपनी फैक्ट्री को बन्द करना चाहते थे उसका कारण यह था कि बजाज के मुकाबले में वह टिक नहीं पा रहे थे। भारत सरकार ने उनसे लेकर इसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लगाने का फैसला किया। आज दो सौ करोड़ की लागत की वह फैक्ट्री है जिसे राहुल बजाज के हाथ में बेचा जा रहा है। राहुल बजाज माननीय राजीव गांधी के जो माननीय प्रमोद तिवारी जी के नेता हैं, दून स्कूल के मित्र हैं वह उनके साथ दून स्कूल में रहे हैं उनको इस दो सौ करोड़ की फैक्ट्री को 30 करोड़ में बेचने का फैसला किया है उस 30 करोड़ में 25 करोड़ सबसिडी के होंगे यानि वह 5 करोड़ में बेची जा रही है। वहां के कर्मचारियों ने फैक्ट्री के पुनरुद्धार की योजना बनाई है जिससे माननीय मुख्य मंत्री जी भी अवगत हैं उनकी जानकारी में यह बात लाई गयी है। स्कूटर इण्डिया के कर्मचारियों का डैलीगेशन उनसे मिला था। वहां के कर्मचारी संघर्षरत हैं, उनका डेढ़ साल से आंदोलन चल रहा है। वह अपनी योजना के अनुसार 19 करोड़ में इसे चलाना चाहते हैं और वह 19 करोड़ वह तीन साल में चाहते हैं। फैक्ट्री के प्रबन्धकों की साजिश से इस फैक्ट्री को बेचने की स्थिति आई है। कल 28 ता0 से वहां के साढ़े तीन हजार कर्मचारी धरने पर हैं और काम भी कर रहे हैं। फैक्ट्री के अन्दर ही धरना दे रहे हैं प्रबन्धकों को भीतर घुसने नहीं दे रहे हैं। लखनऊ का जिला प्रशासन और पुलिस वहां जोरों पर लगी हुई है, कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है परन्तु प्रबन्धक अन्दर नहीं जा पा रहे हैं। स्थिति यह है कि अगर समय रहते इसे नहीं संभाला गया तो कोई भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है जिससे वहां तमाम मौतें हो सकती हैं और कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिये मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि इस सारी स्थिति पर काम रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, स्कूटर इण्डिया जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले एक साल से संकट में है वहां के करीब 32 सौ कर्मचारी जोरदार तरीके से संघर्ष कर रहे हैं और एतिहासिक संघर्ष कर रहे हैं। पूरे एक वर्ष में एक दिन भी उत्पादन बन्द नहीं हुआ है लेकिन यह मसला स्कूटर इण्डिया का न रहकर अब पूरे प्रदेश के मजदूरों का बनता जा रहा है। कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और श्रमिक आंदोलन बढ़ता जा रहा है इसलिए यह महत्वपूर्ण मसला बन गया है। इसलिए सीधा प्रश्न यह है कि सरकार पब्लिक सेक्टर को मजबूत करना चाहती है कि नहीं ? या क्या सरकार पब्लिक सेक्टर को निजी उद्योगपतियों को सौंपने जा रही है ? जानकारी में आया है कि राहुल बजाज के साथ सरकार का सौदा हो गया है लेकिन मजदूरों के आंदोलन के दबाव में यह सौदा नहीं हो पा रहा है। अब हो रहा है कि अगले चुनाव में यदि कांग्रेस जीत कर आयी तो बजाज को स्कूटर इण्डिया दे दी जायेगी।

मान्यवर, आर0 सी0 दत्ता की अध्यक्षता में एक समिति फैक्ट्री ठीक से चल सके जांच के लिये बनाई गयी थी जिसका खर्चा वहां के मजदूरों ने वहन किया और उसकी अंतरिम रिपोर्ट आ गयी है जिसमें साफ कहा गया है कि यदि 19 करोड़ रुपया तीन सालों में मजदूरों को दे दिया जाये तो यह कारखाना प्राफिट में आ जायेगा लेकिन यह बात केन्द्र सरकार की समझ में नहीं आ रही है किन्तु एक वर्ष में 19 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा मैनेजमेन्ट और अधिकारियों के दौरों पर खर्च किया जा चुका है 3200 मजदूरों का मामला है । मुख्य मंत्री जी रिपोर्ट से कनविन्स हैं, लखनऊ में कारखाना है, मजदूरों की बेरोजगारी और उनकी परेशानी का सवाल है । इसलिये उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें पड़ना पड़ेगा । यह मामला सीधे विदेश सरकार से जुड़ा है इसलिए यह कहकर नहीं टाला जा सकता है कि इसका संबंध केन्द्र सरकार से है । अन्यथा प्रदेश में विस्फोटक स्थिति पैदा हो जायेगी और जन जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा । मजदूरों में अशांति बढ़ेगी और कानून व्यवस्था बिगड़ेगी । इसलिये अनुरोध है कि प्रदेश सरकार इस मामले को गम्भीरता से ले और चर्चा करायें ।

*श्री मित्रसेन–

मान्यवर, यह कार्य स्थगन का प्रश्न पूरे प्रदेश के मजदूरों से सीधा जुड़ा है इसलिये जब तक उद्योग मंत्रालय यह निर्णय नहीं लेता है कि व्यक्तिगत हाथों में स्कूटर इंडिया को नहीं लेंगे तब तक मजदूरों का आंदोलन चलता रहेगा क्योंकि 3200 कर्मचारियों, मजदूरों के रोजी रोटी और काम का सवाल है । माननीय सदस्यों ने अभी बताया है कि 2 अरब की यह फैक्ट्री है और 5 करोड़ रुपये में बेची जा रही है, इसका मतलब है कि पूंजीपतियों से कोई समझौता हो गया है । इसलिये यदि इस फैक्ट्री को व्यक्तिगत हाथों में, बजाज, को बेचा गया तो औद्योगिक क्षेत्र में एक अशांति पैदा हो जायेगी और मजदूरों में अशांति एवं कानून व्यवस्था बिगड़ जायेगी । इसलिये 28 तारीख से लोगों ने धरना दिया है, 8 घंटे काम करेंगे और 16 घंटे धरना देंगे तो उसे समाप्त करने के लिये, जो रचनात्मक सुझाव आये हैं कि मजदूर इस फैक्ट्री को 19 करोड़ रुपए में चला देंगे तो सरकार यदि यह पैसा दे देगी तो मजदूर इस फैक्ट्री को उस मंजिल में पहुंचा देंगे जो पहले थी और 35,000 स्कूटर बनने लगेंगे । इसलिए अनुरोध है कि अधिकारियों और प्रबन्धकों की लूट को रोकें जबतक इस फैक्ट्री को व्यक्तिगत हाथों में सौंपने के निर्णय को आप नहीं बदलेंगे तबतक आंदोलन चलेगा । इसलिये प्रदेश सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और केन्द्र सरकार को राजी करें कि इसे निजी हाथों में न सौंपे । इसलिये इस अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले पर आप चर्चा करायें ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, स्कूटर इण्डिया हमारे प्रदेश के मजदरों की जिंदगी से जुड़ी है । मान्यवर, यह फैक्टरी 1972 में स्थापित हुई और 150 एकड़ भूमि किसानों की सरोजनीनगर लखनऊ में ली गयी । वर्ष 1982 में उत्पादन का आंकलन हुआ तो क्षमता 45 हजार स्कूटर बनाने की और 2 हजार तिपहिया गाड़ी बनाने की थी । यह चीज जब पहले चली तो बाद में क्यों कामयाब नहीं हुई ? इसका मतलब प्रबंधकीय व्यवस्था वहां की खराब थी. . . . ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इसी बीच बजाज तिपहिया निकला गणेश मार्का, जो कि लखनऊ में कामयाब नहीं हुआ, तो उसकी निगाह इस स्कूटर इण्डिया पर पड़ी और उसने उसे हड़पने का विचार किया और उसको मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार में राजीव गांधी से निवेदन किया कि यह फैक्टरी उनको दे दी जाए । जिससे कि स्कूटर्स इण्डिया को खरीद कर उसकी इस क्षेत्र में अपनी मोनोपोली इजारेदारी हो जाए । इसके पूरे बाजार पर वह छा जाए । यह ऊपर साजिश की गयी है कि स्कूटर्स इंडिया को उसे सौंप दिया जाए और उसका निजीकरण करके मजदूरों की छंटनी की जाए, और गरीब लोगों को बेरोजगार किया जाए । इसको देखते हुए हमारी सरकार का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह इसको प्रदेश का महत्वपूर्ण मसला मानकर केन्द्र सरकार से संस्तुति करे । मजदूरों ने बार-बार कहा है कि हमको 19 करोड़ रुपया दो, हम उसको फिर से अच्छी तरह से चला देंगे । लेकिन सरकार, हमारी प्रदेश सरकार उसे यह रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, देने में असमर्थ है । इसमें 3200 कर्मचारियों का भाग्य जुड़ा हुआ है, उनकी रोजी रोटी का सवाल है । उन्होंने 28-3-89 के पहले से अपना आन्दोलन चला रखा है, वह 28-3-89 से धरने पर हैं और फैक्टरी में 8 घंटे काम करते हैं । यह मामला प्रदेश की श्रम-शांति से जुड़ा हुआ है । इसलिए मैं चाहता हूं कि इस गम्भीर मामले पर सदन की कार्यवाही रोककर अभी विचार किया जाए ।

(श्री देवकुमार यादव के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

अभी तीन बजट है, मैं अब किसी को इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठिए ।

श्री देवकुमार यादव–

लेकिन आप इस पर चर्चा अवश्य करा दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह सेन्टर का विषय है, फिर भी हमने सरकार का ध्यान दिला दिया है ।

श्री शारदा प्रताप–

लेकिन जो लेबरों की प्राब्लम है और उससे जो प्रदेश की श्रम शान्ति और शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना है, उसको भी ध्यान में रखना होगा । इसमें प्रदेश सरकार की भारी जिम्मेदारी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह ठीक है, इसीलिए यह किया है ।

श्रम मंत्री (श्री सईदुल हसन)–

इसकी प्राब्लम अभी आपने बताई है । एक तो यह है कि भारत सरकार स्कूटर्स इंडिया को बचाना चाहती है और राजीव गांधी साहब उसको बिकवाना चाहते हैं, यह आरोप बिलकुल गलत है । उत्तर प्रदेश सरकार की हमदर्दी हमेशा यहां के श्रमिकों के साथ रही है । माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमेशा यह कोशिश की है कि जितनी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं भारत सरकार की हैं, उनमें कहीं हमारे श्रमिक भाइयों के साथ कोई बेइंसाफी न होने पाए । यहां यह 28-3-89 से हड़ताल हो रही है, इसके लिए अभी हमें मालूम हुआ । हमारे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वहां गए हैं ।

उनकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे और मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि आपको भी हम कमेटी में आमंत्रित करेंगे और आपके सामने बैठाकर कोई अच्छा फैसला करेंगे और कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे, जिससे यहां के श्रमिक भाइयों का कोई नुकसान हो. . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब कोई आगे बात नहीं, वह आपको बुलाकर इसमें बात कर लेंगे ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या श्रम मंत्री जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उन्होंने केन्द्र सरकार को क्या संस्तुति की है ? यह नहीं बताते हैं तो यह सारी बात टालने वाली है ।

(व्यवधान)

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

मान्यवर, विपक्ष ने अपना लेबर पेन जाहिर किया है ।

(व्यवधान)

श्री सैयद सईदुल हसन–

श्रमिकों के जितने भी मामले हैं, जितने भी उनके हक हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी जागरूक हैं । भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, उनकी कुरबानी को हम पामाल नहीं होने देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने माननीय मैनेजर सिंह की सूचना पर वक्तव्य स्वीकार किया है ।

राणा जी का वक्तव्य स्वीकार कर दिया है । मैनेजर सिंह जी की सूचना पर भी वक्तव्य स्वीकार कर लिया है ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मेरी सूचना का क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

आज तीन बजट हैं । परिवहन का है, कारागार का है, श्रम का है तो मैं समझता हूं कि परिवहन के लिए डेढ़ घंटा, कारागार के लिए एक घंटा और श्रम के लिए डेढ़ घंटा रखना चाहिए ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मेरा समय भी इन्हीं लोगों को दे दें । हमारा बजट ऐसे ही पास करा दें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, डेढ़ घंटा मुझे दे दें, मंत्री जी को जो कहना था वह तो उन्होंने लिख ही दिया है । डेढ़ घंटे तो मैं ही बोलूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर आप आठ दिन बोलेंगे तो क्या मैं आपको ही सुनता रहूंगा ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द्र–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मामला है आप मुझे भी सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मूलचन्द्र जी आपका भी वक्तव्य स्वीकार किया ।

(व्यवधान)

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 43–परिवहन विभाग

*परिवहन राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,48,24,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(इस समय 2 बजकर 45 मिनट पर अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मान्यवर, मैं आज अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस महान राष्ट्र के उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग का बजट प्रस्तुत करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो जन सामान्य से जुड़ा है, जो ऐसे लोगों से जुड़ा है जहां के 90 प्रतिशत लोग सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं या सामान्य से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं । मान्यवर, निश्चित रूप से मुझे यह बजट प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है । मान्यवर, इसमें जब माननीय सदस्यगण अपने विचार प्रकट करें और जब इस विभाग को कसौटी पर कसें तो यह ध्यान रखें कि यह वह विभाग है, जो गत कुछ वर्षों पहले ऐसे मोड़ पर आ गया था, जब आप इसको बन्द करने के सुझाव देते थे, तो जब इसे कसौटी पर कसें तो निश्चित रूप से इस बात को नजरअंदाज न करें और जो, कुछ दिनों में ही हमने तरक्की की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आगे आने वाले वर्षों में भी हमारे कदम प्रगति की ओर बढ़ते रहेंगे । मान्यवर, जो लोग यात्रा करते हैं उनको हम अपने गन्तव्य तक पहुंचाते रहे हैं । हमारी जो बसें हैं वह 7 हजार 900 हैं और 90 प्रतिशत बसें आन रोड हैं । अब से कुछ दिनों पहले 72 प्रतिशत बसें आन रोड थीं, तो अब हम 72 से 90 प्रतिशत पर पहुंच गए हैं यह हमारी उपलब्धि है । मान्यवर, आन्ध्र प्रदेश को छोड़कर उत्तर प्रदेश में 90 प्रतिशत बसें आन रोड हैं इसके अलावा और किसी प्रदेश में 90 प्रतिशत बसें आन रोड नहीं हैं । बसों की आयु का जो एवरेज है वह और प्रान्तों से ज्यादा है मुझे यह कहने में हर्ष होता है कि आज परिवहन विभाग बहुत चुस्त और मुस्तैद है । भारत में उत्तर प्रदेश के पास यंगेस्ट फ्लीट है ।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं, मुझे यह कहने में हर्ष हो रहा है कि लगभग 24 सौ मार्गों पर, 4.56 लाख रूट किलोमीटर पर हम बसें संचालित कर रहे हैं । हम अपने प्रदेश में बसें तो चला ही रहे हैं लेकिन हमारे आसपास के जो प्रदेश हैं उनमें भी हम अपनी बसें चला रहे हैं । 293 मार्गों पर 1173 इण्टरस्टेट सेवाएं हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चला रहे हैं । इसमें पंजाब, हिमांचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश शामिल हैं । मान्यवर, जब पंजाब आतंकवाद की आग में जल रहा था तो केवल हमारा निगम ही ऐसा था जिसकी सेवाएं पंजाब के लिए निरन्तर चलती रहीं । मान्यवर, जहां हम बसों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं वहीं हमारा प्रयास यह है कि जो हमारी क्षमता है उसमें हम वृद्धि करें और अपनी सेवाओं में सुधार लायें । इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि हमने बसों की उपयोगिता को बढ़ाया है । आज से 2 वर्ष पूर्व हमारी बसें प्रतिदिन 169 कि0मी0 चला करती थीं लेकिन जनवरी के आंकड़े जो हैं उनके अनुसार हमारी बसें लगभग 222 कि0मी0 प्रतिदिन चलती हैं । तो मान्यवर, 53 किलोमीटर का इजाफा हमारी बसों की कार्यक्षमता में हुआ है । यह इसलिए आवश्यक था कि भारत सरकार का योजना विभाग हमसे अपेक्षा करता है कि हम अपनी बसों को प्रतिदिन 220 कि0मी0 चलायें परन्तु हमने अपनी बसों को 222 कि0मी0 चलाया है जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर है ।

यह बताते हुए हमें हर्ष हो रहा है कि हमने अपनी बसों को अधिक चलाया है और उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है । लगभग 12 करोड़ किलोमीटर हम अधिक चले हैं । यह संख्या कम नहीं है, मैं समझता हूं कि अगर आप हमारी कार्यक्षमता पर नजर डालेंगे तो पायेंगे कि निश्चित रूप से वह बढ़ी है । एक आलोचना मान्यवर, हो सकती है कि हमारी आय कम है । मैं कहना चाहता हूं कि गत वर्षों की तुलना में हमारी आय भी बढ़ी है । निगमों की आय प्रति कि0मी0 44 पैसे बढ़ी है, यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है । इसके अलावा हमारी जो यात्रियों की संख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है । लगभग 15 प्रतिशत यात्रियों की वृद्धि हुई है । हमारे प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है । हमने 5.5 करोड़ अधिक यात्री ढोये हैं तो यह निश्चित रूप से हमारी उपलब्धि है । इसी तरह से जो हमारा लोड फैक्टर है वह 85 प्रतिशत है जो आसपास के अन्य प्रान्तों से ज्यादा है ।

हमारी जो कार्य पद्धति थी उसको चुस्त किया गया है मैं बधाई देना चाहता हूं अपने परिवहन परिवार को कि जहां पर फिजूलखर्ची हो रही थी उसको रोका गया है और अनावश्यक खर्चों में कटौती की गई है । ईंधन को बचाने की राष्ट्रीय हित में आज आवश्यकता है । आज हमारे यहां इसका औसत 4.5 कि0 मी0 है । विगत दो वर्षों में 1 करोड़ 57 लाख रुपए केवल डीजल की कम खपत करके बचाए गए हैं । निसंदेह यह हमारी उपलब्धि है । मैं कह सकता हूं कि यह राशि किसी और को कुछ न लगती हो लेकिन यह 40 बसों के बराबर है । तो इसको यूं कहा जा सकता है कि डीजल की कम खपत करके हमने 40 बसें कमाई हैं । इसी तरह से मोबिल आयल की कम खपत करके लगभग 60 लाख रुपए बचाए हैं । इसी के साथ-साथ इंजिनों के जीवन काल को बढ़ाया गया है । अब हमारे इंजिन पहले से अधिक चलते हैं । यह उनके अच्छे रख-रखाव का द्योतक है । मान्यवर, स्टाफ रोशियो किसी भी निगम और संस्थान का एक महत्वपूर्ण अंग है । हमारा स्टाफ रोशियो इस समय 7.95 है जो आंध्र और केरला जैसे विकसित प्रान्तों की तुलना में कम है । पहले हमारा स्टाफ रोशियो 11 प्रतिशत था जो अब घटकर 7.95 पर आया है । यह इस बात का द्योतक है कि हम कृत संकल्प हैं, निगम को जनता की आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप बनायेंगे मान्यवर, एक जमाना वह भी था जब आपका जमाना था जब यात्री बस पर बैठा करते थे

तो उसको नहीं मालूम था कि अपनी मंजिल पर पहुंच पायेंगे या नहीं पहुंच पायेंगे । उस समय यह था कि अगर किसी को अस्पताल जाना हो तो जनता सरकार के दौरान उसको बस पर बैठाल दें तो उसका इलाज अपने आप हो जाया करता था । आज हमारे यहां इन ब्रेकडाउन की संख्या आधे से अधिक कम है । तो मान्यवर, आज ब्रेकडाउन की संख्या आधे से अधिक नहीं रह गई है जो अच्छे रखरखाव का द्योतक है । किसी भी प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि कितनी दुर्घटनाएं हुईं और कितनी नहीं, जब हम यह बात करते हैं तो हमारा तो यह उद्देश्य रहा है कि हमारे यहां कहीं दुर्घटनायें न हों और अगर दुर्घटनाएं न हों तो हम इसे सफलता मानेंगे । मैं चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य इस विषय में बोलें तो इसका जरूर ध्यान रखें कि भारत में राजस्थान को छोड़कर उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रान्त है जहां सबसे कम दुर्घटनायें होती हैं निःसंदेह यह उसके अच्छे रखरखाव का परिचायक है और यह गहन प्रशिक्षण और अच्छे रखरखाव से हुआ है जब हमने विभिन्न पहलुओं की जांच करायी है और स्पीड कंट्रोल डिवाइस लगाया, ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया है । टायर की जिन्दगी में और इंजन के रखरखाव में वृद्धि हुई है टायर की जिन्दगी बढ़ी है और ज्यादा काम ले रहे हैं । हर क्षेत्र में जो सम्भव है उसमें हमने कोई कोशिश उठा नहीं रखी है और इसीलिए प्रगति में है ।

मान्यवर, जो नगर बस सेवा है, निसंदेह उनकी उपयोगिता है । आज 372 नगरीय बसें वाराणसी, आगरा, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में चल रही हैं इसमें 117 नई बसें उनको दी हैं जिससे उनको सुविधा अच्छी हो । इनसे डेढ़ करोड़ किलोमीटर प्रतिवर्ष अर्जित किया जाता है और 6 करोड़ यात्री यात्रा करते हैं । मैं माननीय सदस्यों की इस भावना से अवगत हूं कि नगर बस सेवा में सुधार की आवश्यकता है मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं और मेरा यह विश्वास है, और हमारा यह प्रस्ताव है कि जो मिनी बसेस हैं उनको नगर बस सेवा में लगायें जिससे भीड़-भाड़ वाले इलाके में आसानी से चल सके । मान्यवर, पर्वत इस प्रदेश के शिखर पर है निसंदेह उनकी अपनी एक आवश्यकता है और इसमें कुछ ऐसे कदम उठाये गए हैं जिससे पर्वतीय अंचल में लाभ मिलेगा । आज देहरादून, टनकपुर और नैनीताल क्षेत्रों में 220 मार्गों पर लगभग 41 हजार रूट कि0 मी0 पर पर्वतीय सेवाओं का संचालन किया जा रहा है और वहां 473 बसें चल रही हैं । पहाड़ पर जो बसें चले वह अच्छी हालत में हों इसीलिए इन 473 बसों में से 351 बसें नई लगाई गई हैं जिससे दुर्घटनाओं की सम्भावना न रहे । वहां पर 154 कि0मी0 बसें चलती थीं जो अब बढ़कर 168 कि0मी0 करने का प्रयास किया गया है ताकि इस प्रदेश के लोगों को बसों की सुविधा मुहैया करायें इसलिए 2.8 कि0मी0 यात्रा करके लोगों की सेवा में प्रयत्नशील हैं । मान्यवर, सबसे बड़ी चीज यह है कि हमारे कर्मचारियों को विनम्र रहना चाहिए जनता के साथ, बेहतर बरताव करना चाहिए इसके लिए गहन कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे वह नम्रता के साथ सेवा करें इसके लिए कानपुर और शान्तिकुंज हरिद्वार में शिविर लगा था । मुझे स्वयं वहां जाने का सौभाग्य मिला और उद्घाटन करने का अवसर मिला मैंने देखा कि इसमें आशातीत सफलता की गुंजाइश है और जो लोग वहां प्रशिक्षण लेकर आ रहे हैं अपने साथियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्यों से गुजारिश करता हूं कि वे बसों में यात्रा करें और अधिक उसमें सुखद महसूस करेंगे यह मैं विश्वास दिलाता हूं ।

मान्यवर, हमारा यह भी प्रयास है कि एक ही स्थान से आपकी सारी सुविधायें मुहैय्या करायें । इसलिए निजी क्षेत्र की बसों और निगम की बसों को साथ-साथ रख कर एक बस टर्मिनल स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है । मान्यवर, यह इस प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा निगम है । एक आदर्श सेवायोजक के रूप में भी हम अपने कर्मचारियों के लिए कार्य कर रहे हैं । पहले जो वेतन 85 करोड़ था, वह अब 123 करोड़ हो गया है । यही नहीं हमने 10.5 प्रतिशत की दर से अनुग्रह भुगतान भी किया है जो हमारे निगम के जीवन का सबसे बड़ा भुगतान है । इससे पता चलता है कर्मचारियों के प्रति हम कितना जागरूक हैं । हम सेवा नियमावली व पैनल जांच अधि0 द्वारा यह भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन गैप न हो पाये । मान्यवर, हम एक तरफ कर्मचारियों का पूरा ख्याल रखते हैं लेकिन अनुशासन हीनता हमें बर्दाश्त नहीं है । यदि कोई हमारे यात्रियों के प्रति विनम्र नहीं है, अपनी सेवाओं के प्रति मुस्तैदी नहीं बरतता तो उसे हम बख्शेंगे नहीं, कड़ी कार्यवाही करेंगे । इसमें हमने 3850 मामले निस्तारित किये हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से किसी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त न करें । मान्यवर, आज तक महत्वपूर्ण बात जो मैं कह रहा हूं, पक्ष के सदस्य तो सहमत होंगे ही, विपक्ष के भी सहमत होंगे, लेकिन उनका धर्म और कर्म ऐसा है कि सहमत होते हुए भी हामी नहीं जता सकते, मैं आपसे धर्म की बात नहीं करना चाहता हूं क्योंकि धर्म से आपका दूर तक रिश्ता नहीं है, इसलिए मैं धर्म की बात बिना किये आपसे कहूंगा कि धर्म की बात न करें क्योंकि वह आपका कर्म नहीं है, आपका कर्म अच्छा नहीं है ।

मान्यवर, अभी कुम्भ मेला हुआ । इतिहास में इससे पहले इतने ज्यादा लोग एक साथ कभी एकत्र नहीं हुए, लेकिन लोगों को एक स्थान पर लाया गया और ले जाया गया । लोग गन्तव्य पर पहुंच गये और अगर हम सफलतापूर्वक लाये हैं और ले गये हैं तो परिवहन विभाग इसके लिए बधाई का पात्र है, इसमें कोई शक नहीं है । हमने कुल 7900 बसों में से साढ़े तीन हजार बसों को कुम्भ में लगाया और 77 स्थानों से हम लोगों को लेकर आये और व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए 15 हजार कर्मचारी उनकी सेवा में लगाये गये । इससे पता चलता है कि कितनी गम्भीरता से, श्रद्धा से, निष्ठा से, विश्वासपूर्वक इस काम को पूरा किया गया । निःसंदेह भारत के जो लोग यात्री के रूप में इस मेले में आए, वे परिवहन विभाग की प्रशंसा करते हैं । मुझे मालूम है कि आप प्रशंसा नहीं करेंगे । आप सच्चाई को स्वीकार नहीं करते, न पहले करते थे, न आज करेंगे और न फिर कभी करेंगे । मैनेजर सिंह जी बोलेंगे तो अवश्य स्वीकार करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है । हमने अच्छी व्यवस्था के लिए झूंसी, के0 पी0 कालेज, एग्रीकल्चर इन्स्टीट्यूट, नैनी और अरैल में चार स्टेशनों की स्थापना की और 4 सेटेलाइट स्टेशनों की स्थापना की गयी है ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

आप कृपया यह बता दें कि कुम्भ मेले में मेला प्रशासन ने कितना खर्च किया और आपने कितना किया ।

श्री प्रमोद कुमार –

मैं अपने विभाग का बता सकता हूं । दूसरे विभागों ने कितना खर्च किया यह तो मुख्य मंत्री जी कभी यहां पर आयें तो उनसे पूछ लीजिएगा । हमारे विभाग ने 3500

बसें लगाईं थीं और 15 हजार कर्मचारी लगाए थे और लोगों को 77 बिन्दुओं से लेकर आए । हमने सेटेलाइट स्टेशनों की स्थापना करके कम से कम समय में लोगों को मेला क्षेत्र से ले जाने की व्यवस्था की । अभी कानपुर में रेल रोको आन्दोलन हुआ, तमाम लोग फंस गये । हमने इसमें 1.03 लाख यात्रियों को बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया । निश्चित रूप से यह अपने आप में एक उपलब्धि है । मान्यवर, हम टायर ट्रेनिंग प्लान्ट की स्थापना भी करने जा रहे हैं, जिससे हमारा निगम आत्मनिर्भर हो सके । कर्मचारियों से भी हमारी वार्ता जारी है । प्रत्येक डिपो पर प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार, प्रत्येक क्षेत्र पर प्रत्येक माह के द्वितीय सोमवार और प्रत्येक जोन में हर त्रैमासिक के अन्तिम सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों से वार्ता किया जाना निश्चित किया गया है और यदि उनमें कोई असंतोष हो तो उसे दूर करने का प्रयास किया जा सके ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत व असुविधा न हो । 8वीं पंचवर्षीय योजना में 31 नई डिपो कार्यशालाओं के निर्माण पर औसतन 35 करोड़ रुपये की लागत से कराये जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त 13 पुरानी डिपो कार्यशालाओं को भी सुदृढ़ करने जा रहे हैं इसके अतिरिक्त 7 क्षेत्रीय कार्यशालाओं को भी सुदृढ़ किया जायेगा जिससे कि जीर्णोद्धार का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर ही सम्पन्न कराया जा सके । 3 नई क्षेत्रीय कार्यशालाओं का निर्माण भी लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत से कराये जाने का प्रस्ताव है । खेल कूद भी प्रभावी ढंग से हो सके, क्योंकि मान्यवर, खेल कूद अच्छा रहेगा तो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा और आपकी सेवा बेहतर होगी, निगम के माध्यम से प्रत्येक डिपो पर यह प्रयास किया जा रहा है कि डिपो स्तर पर प्रत्येक कर्मचारी जो सदस्य होगा एक रुपया प्रत्येक मास सदस्यता शुल्क देगा तथा निगम उसके विपरीत 5/- रुपये देगा ।

मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में एक बात कहना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए जो कुछ किया है, उससे हम उऋण तो हो नहीं सकते, लेकिन हमने यह प्रयास अवश्य किया है कि और जिसे बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपने साथ एक सहवर्ती को ले जाने की छूट दे दी गई है । परिवहन निगम से जुड़े हुए जो हमारे दूसरे अंग हैं, वे पूरी लगन, श्रम व शक्ति से कार्य कर रहे हैं । हमारा पुरा प्रयास है कि बसों का संचालन सही रूप में हो और दुर्घटनायें न हों । हमने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था वह काफी सफल रहा । हमने उसमें नियमों की जानकारी दी । कुछ लोग जो नियम नहीं जानते थे, उन्हें उनसे अवगत कराया और जो लोग जानते थे, उन्हें दूसरे लोगों को बताने के लिए प्रेरित किया हम रेवेन्यू सेलेक्शन में तीसरे नम्बर पर हैं । प्रदेश सरकार के लिए संसाधन जुटाने में लगे हुए हैं । आने वाले दिनों में इस बात का प्रयास किया जायेगा कि आप लोगों को दुर्घटनारहित बस सुविधा उपलब्ध हो । अन्त में मैं अपने सभी माननीय सदस्यों के अच्छे सुझावों को चाहूंगा । वैसे श्री बुनियाद हुसैन अंसारी जी जब अपना कटौती का प्रस्ताव रखें, वैसे तो वे हमेशा बेबुनियाद रहे हैं, बुनियाद में तो वह देखना ही नहीं चाहते हैं । उन्हें परिवहन विभाग बुनियाद में श्रम, शक्ति व पूरी निष्ठा से लगा हुआ नजर आयेगा । ऊपर से देखने में तो उन्हें खोखलापन ही दिखेगा । श्री बुनियाद भाई जब कटौती का प्रस्ताव रखें तो परिवहन विभाग के बुनियाद की तरफ अवश्य देखें । धन्यवाद ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, अभी माननीय परिवहन मंत्री जी ने . . . .

श्री अधिष्ठाता–

आप पहले प्रस्ताव रखें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, एक बात कह दूं, फिर प्रस्ताव रखता हूं । ''नालये बुल बुले शैदा तो सुना हंस-हंस कर, अब जिगर थाम कर बैठो, मेरी बारी आई ।''

मान्यवर, अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जावे । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना एवं यातायात के साधनों का विस्तार तथा सस्ते मूल्य पर नागरिकों को सुविधा प्रदान करना एवं निजी वाहनों को पुलिस के भ्रष्टाचार से मुक्त करना है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी अभी जो उद्गार अपने विभाग के बारे में व्यक्त कर रहे थे उससे ऐसा लगा कि माननीय मंत्री जी अपने रामपुर खास विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनावी भाषण दे रहे हों मा0 मंत्री जी भूल गये कि वे विधान सभा में खड़े होकर परिवहन विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अगर इनमें नैतिकता हो तो पहले वे इस्तीफा दें क्योंकि यह जिस पार्टी से चुनकर आये हैं उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी । और परिवहन निगम का कांग्रेस पार्टी पर वर्ष 1981 से 1987 तक पौने तीन करोड़ रु0 बाकी है । इधर के जो नए आंकड़े हैं बुकलेट में छपे नहीं हैं अंदाज के मुताबिक करीब 5 करोड़ रु0 बाकी है । जिस सरकार में यह मंत्री हैं उस सरकार पर 2 करोड़ 65 लाख रु0 बकाया है निगम का । जब यह सरकार इस निगम को पैसा नहीं देगी जब कांग्रेस पार्टी इस निगम को पैसा नहीं देगी तो इस निगम की दुर्दशा नहीं होगी तो क्या होगा ? ऐसी स्थिति में कौन सा निगम होगा जिसकी हालत खराब नहीं होगी ? मान्यवर, मंत्री जी बहुत तेज और उत्साही तो हैं यही कारण है कि इनको दोबारा बजट पेश करने का मौका नहीं मिलता । पिछली बार इन्होंने पर्यटन विभाग का बजट पेश किया था इस वर्ष परिवहन विभाग का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं । अगले वर्ष मेरी जगह खड़े होकर कटौती के प्रस्ताव को रख रहे होंगे । हमारे नेता जी कह रहे हैं कि जगह भी शुभा है कि आ पायेंगे कि नहीं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मान लिया कि चुनाकर आ जायेंगे।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

निगम के घाटे के बारे में कहना चाहता हूं कि जो बुकलेट हम लोगों में छपवाकर वितरित करायी है, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि ''नक्शों को न जांचो, मौके पे जाके देखो, क्या चीज जी रही है, क्या चीज मर रही है ।'' इस पुस्तक में सच्चाई कुछ भी नहीं है यह मात्र झूठ का पुलिन्दा है। मंत्री जी उत्साह से कह रहे हैं कि जो बसों की संख्या बढ़ी है मान्यवर लगातार निगम में घाटा चल रहा है, अगर शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो सन् 1987-88 में लाभ हुआ है

वह श्रेय जाता है हमारे साथ बैठे डा0 संजय सिंह को जो वर्ष 1987-88 में 0.04 करोड़ रु0 का लाभ इस निगम को पहुंचा था । इस समय निगम लगभग 12 करोड़ रु0 के घाटे में यह विभाग चल रहा है मान्यवर इनकी कोई नीति नहीं है । यह सिर्फ जब से मंत्री हुए हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से सीधी लखनऊ की सेवा इन्होंने प्रारम्भ करायी है सब नयी बसें अपने जनपद में लगायी हैं । मैं प्रश्न करता हूं कि क्या अपने जनपद की बस सेवा से आधी सेवा अन्य जनपदों को उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे । मान्यवर, एक जिला ऐसा भी है ललितपुर जहां एक भी बस रोडवेज की नहीं है । लेकिन ढिंढोरा बहुत पीट रहे हैं कि बहुत ज्यादा बसों में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं । यदि संसाधन सीमित हैं आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और सारे मार्गों पर बस नहीं चला सकते हैं तो जो प्राइवेट अनुबंधित पहले की वह कर लें, मान्यवर बुकलेट में अनुबंध की कोई योजना नहीं है पूरे प्रदेश में जो नेशनलाइज्ड सड़क मार्ग हैं उन पर केवल 40 फीसदी ही है, उसमें भी समुचित व्यवस्था नहीं दी जा रही है । जो अनुबंधित बसें हैं प्राइवेट उनको आप लगाना नहीं चाहते हैं आपकी अपनी व्यवस्था समुचित है नहीं । और मंत्री जी कह रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़े हैं और इसी आधार पर उन्हीं के आंकड़ों के मुताबिक कहना चाहता हूं मान्यवर, इनकी बसों की औसत आयु क्या है ? केरल में यह 6.6 है वहीं उत्तर प्रदेश में यह केवल 3.9 है और माननीय मंत्री जी बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं ।

मान्यवर, दुर्घटनाओं के बारे में भी कहना चाहता हूं । यह जो पुस्तिका दी गयी है इसमें एक्सीडेंट के 86-87 के आंकड़े दिए हुए हैं । अब मान्यवर, आप देख लें कि यह कितने अक्षम हैं कि इनको जानकारी नहीं है कि वर्ष 87-88 में और वर्ष 88-89 में कितने एक्सीडेंट हुए , जो उनको इस पुस्तिका में दर्शा पाते । अगर यह मुझसे पूछ लें तो मैं बता दूंगा कि उस वर्ष का सबसे भीषण एक्सीडेंट गंगा नदी पर कानपुर में हुआ था । इस पुस्तिका में 87-88 और 88-89 के आकड़े नहीं हैं । मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि इस वर्ष सर्वाधिक दुर्घटनायें हुयीं हैं और इसी कारण यह इस स्थिति में नहीं है कि उसको यह बुकलेट में छापें ।

मान्यवर, बसों की संख्या के बारे में भी कहना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश में इस समय 12 करोड़ की आबादी है और वर्ष 85-86 में यहां बसों की संख्या 6167 थी । अब इस समय बसों की संख्या वर्ष 88-89 में 7416 है, उसमें से 88 प्रतिशत बसें चल रही हैं और 12 प्रतिशत बेकार हैं । इस प्रकार करीब 800 या 900 बसें पता नहीं कहां हैं । क्या मंत्री जी उक्त बसों से स्मगलिंग करा रहे हैं या नेपाल से धन्धा करा रहे हैं ? वह बसें कहां हैं ? आज 12 परसेंट बसें न चलने का क्या कारण है जब कि इनकी सभी बसें नयी हैं ? मान्यवर , उत्तर प्रदेश में लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बराबर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है और यदि आप दूसरे प्रदेशों से यहां की बसों की संख्या की तुलना करें तो आप पायेंगे कि गुजरात और महाराष्ट्र में यहां की दुगूनी बसें हैं । आंध्र प्रदेश में 10,571 बसें हैं । महाराष्ट्र में 12,577 बसें हैं और उत्तर प्रदेश में इसकी आधी बसें हैं । उत्तर प्रदेश में केवल 6,968 बसें हैं और मंत्री जी को फुरसत नहीं है कि वह सोचें कि कैसे बसों की संख्या बढ़ाई जाय । इन्हें सिर्फ चिंता है तो इस बात की, कि कैसे मंत्री पद बना रहे और कैसे यह कैबिनेट

मंत्री बन जायें । अगर इन्होंने 4 बसें बढ़ा दीं तो उस पर बड़े खुश हो रहे हैं । उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ की जनसंख्या पर केवल 7 हजार बसें हैं । मैं बताना चाहता हूं

"आज की दीवारें हिलने लगीं परदे की तरह,
शर्त यह थी कि बुनियाद हिलनी चाहिये ।"

मान्यवर, इनका जो दिमाग है वह कहां रहता है, वह मैं सदन को बताना चाहता हूं यह दिन रात क्या सोचते हैं? मान्यवर, गाड़ियों पर नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी बनायी गयी है, इसमें तीन भूतपूर्व सदस्य हैं और एक इसमें सदस्य [x x x] उन्हें इसलिए नहीं रखा था कि वह बहुत उपयोगी हैं, बल्कि इसलिए रखा गया कि वह [xxx] के साहबजादे हैं और इन्होंने इनको सबसे पहले मंत्रिमंडल में लिया था । आज यह उसकी कीमत चुका रहे हैं । अगर यह वास्तव में कुछ करना चाहते थे, तो उस कमेटी में ऐसे किसी जानकार आदमी को रखते, जो कुछ जानता हो । चाहे जिस सदस्य को रख देते , लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया । यहां जो तमाम माननीय सदस्य बैठे हैं, उनमें से किसी को रख देते । लेकिन इन्होंने नहीं रखा [xxx] जिन्हें रखा है उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है ।

मान्यवर, इसी तरह इनके विभाग में नियुक्तियों की बात है इनके यहां साधारण इण्टर पास मार्गों पर 20 हजार लोगों के आवेदन पत्र आये और उसमें 20 रुपये का पोस्टल आर्डर लगना था । बाद में इन्होंने कहा कि 57 प्रतिशत जिनके नम्बर हैं, उनको ही केवल इन्टरव्यू में बुलाया जायगा । अब इस तरह एक प्रश्न उत्पन्न हो गया कि 15 हजार लोगों का पोस्टल आर्डर वापस करने के लिए एक रजिस्ट्री पर खर्च आता है साढ़े पांच रुपए यदि पोस्टल आर्डर न वापस करें तो चोरी है, यदि वापस करें तो इस प्रकार का एक लाख रुपये का खर्च आयेगा । इस एक लाख रुपये के खर्च के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है इसका दोषी कौन है ? मान्यवर माननीय मंत्री जी एक विशेष बिरादरी को बढ़ावा देने का काम करते हैं । इनके यहां एक एस0टी0ए0 में श्री एस0डी0 मिश्रा जी सचिव थे । वह सेवा निवृत्त हो गये और सेवा निवृत्त होने के बाद उनको पुनः नियुक्त कर दिया गया । जबकि पुनर्नियुक्ति जब होती है तो उस पद पर नहीं होती है, जिस पद पर वह मौजूद है । बल्कि उस पद पर होती है, जिस पद पर उनकी पहिले नियुक्ति हुई थी पहिले जिस पद पर उसका एप्वाइन्टमेंट हुआ था ।

मंत्री जी कानून के ज्ञाता हैं । यहां पर क्यों आंख बन्द कर ली क्योंकि [xxx] सचिव सेवा निवृत्त हो गए थे । जब आंख बन्द करके निर्णय लेंगे तो क्या होगा । यह तो वही बात हुई कि सूरदास आंख का जब आपरेशन करेंगे तो आंख का क्या होगा वही जो निगम का हाल है । जब अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, नियम कानून की बात नहीं करेंगे, तो विभाग कैसे चलेगा । रामाधार पाण्डेय, डी0 टी0 सी0 बरेली जोन में नियुक्त थे, विशेष रूप से उनका वहां पर ट्रांसफर डी0 टी0 सी0 इन्फोर्समेंट में कर दिया गया । बुद्धि सागर तिवारी, आर0 टी0 ओ0 काठगोदाम पहाड़ पर थे, उन्हें फैजाबाद कर दिया । आपने उनको एक साल में ही फैजाबाद जैसा जिला दे दिया ।

(व्यवधान)

[x x x]

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह तो छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है ।

(श्री प्रदीप माथुर के खड़े होने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

श्री प्रदीप माथुर, आप बैठें । मैं कार्यवाही में देखूंगा अगर ऐसी कोई बात होगी ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

जाति विशेष की बात नहीं होनी चाहिये इसको प्रोसीडिंग से निकलवा दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। मैं इसे देख लूंगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

भ्रष्टाचार की बात करते हैं । मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से आता है । इनके प्रधान मंत्री [xxx] कहते हैं कि भ्रष्टाचार नीचे से आता है ।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जो यहां नहीं हैं, उनका नाम न लें । चाहे इधर के नेता हों या उधर के नेता हों, आप अपनी बात कहें ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

"प्रधान मंत्री जी" कहता हूं । प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार नीचे से आता है । मैं कहता हूं कि नदी का पानी कभी पहाड़ पर नहीं जा सकता, पहाड़ का पानी ही नदी में आता है । इस प्रकार भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक जाता है । इनके एक आर0 टी0 ओ0 आफिस है । यहां पर कोई नियम नहीं है और कोई नीति नहीं है । चारों तरफ आर0 टी0 ओ0 के खास सम्बन्धी और दलाल घूमते रहते हैं । फीस निश्चित कर रखी है, उसके आधार पर चाहे अंधा, लूला, लंगड़ा आदमी हो पैसा दे और लाइसेंस ले ले । लाइसेंस की फीस 100 रु0 है, शादियों का परमिट 50 रु0, रिनीबल बस परमिट 500 रु0, इस प्रकार पर्मानेन्ट परमिट 50 हजार रु0 से लेकर डेढ़ लाख रु0 तक प्राइवेट परमिटों में रिश्वत ले ली जाती है आर0 टी0 ओ0

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षेप में कह दें, आपको फिर मौका मिलेगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

मान्यवर, अभी 50 लिपिकों की नियुक्तियां चयन समिति ने कर दीं, उसकी सूची भी प्रकाशित हो गई । उसके बाद माननीय मंत्री जी ने वह पत्रावली अपने दफ्तर में मंगा ली, हम यह जानना चाहते हैं कि जब एप्वाइंटमेंट की लिस्ट प्रकाशित हो गयी, उसके बाद ये एप्वाइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिये गये ? कब तक दे दिए जायेंगे यह आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

इसी प्रकार एक और भ्रष्टाचार का मामला है । उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने पुराने टायरों की रिट्रेडिंग कराने हेतु ठेका रबर फैक्ट्री दिल्ली को 57 लाख रु0 से दो प्लान्ट लगाने का दिया है । जब कि भारतवर्ष में दो ऐसी कम्पनियां हैं जो बहुत कम रेट पर ठेका लेने के लिये तैयार हैं, और उदाहरण के लिये मैं कहना चाहता हूं कि एल्जी टायर ट्रेड लिमिटेड-कोयम्बटूर की एक जानी मानी कम्पनी है जो पुराने टायरों पर ठण्डी विधि से रबड़ चढ़ाने का कार्य देश के कई प्रदेशों में कुशलतापूर्वक कर रही है और इसके 45 प्लान्ट परिवहन निगमों के अधीन लगे हुए कार्य कर रहे हैं । यह एल्जी कम्पनी मात्र 11,00,000.00 (ग्यारह लाख) रुपये में ही प्लान्ट लगाने को तैयार थी । उक्त वह कम्पनी जिसे सरकारी ठेका दिया गया है उसके द्वारा एक टायर पर रिट्रेडिंग का कुल व्यय लगभग 700.00 रु0 आयेगा जबकि एल्जी कम्पनी द्वारा एक टायर पर लगभग 500.00 । इस प्रकार से एक टायर पर ही 200 रू0 का अन्तर है । यदि प्रति वर्ष 25000 टायर रिट्रेड किये गये तो शासन को 50,00000.00 (पचास लाख) का अतिरिक्त नुकसान उठाना पड़ेगा । मेरा सुझाव है कि इस संबंध में आप जांच करवाइये और जिस कम्पनी को आपने ठेका दे रखा है, उसे रिजेक्ट कराइये । मेरी मांग है कि उक्त कन्ट्रेक्ट तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जावे । मा0 मंत्री जी आप स्टैण्डर्ड कम्पनी के टायर नहीं क्रय करते हैं बल्कि आपके यहां गुड ईयर के और डनलप के टायर न ले करके अशोका के टायर लिये जाते हैं और आप स्टैण्डर्ड कम्पनी के टायर नहीं लेते हैं किन्तु दाम आप उसे स्टैण्डर्ड कम्पनी के मुताबिक ही देते हैं । इसलिये जब आप दाम स्टैण्डर्ड देते हैं तो आप स्टैण्डर्ड कम्पनी के ही टायर भी क्रय करके निगम को दीजिये ।

मान्यवर, इसी प्रकार से बसों की बाडी के बारे में भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अन्य प्रदेशों की बसों की बाडियां निर्मित की जाती हैं, जबकि उ0 प्र0 में चलने वाली बसों की बाडियां अन्य प्रदेशों से बन करके आती हैं । यहां पर सेल्स-टैक्स की 12 प्रतिशत छूट भी है इसके बावजूद यहां के कार्यशालाओं में कर्मचारियों को उ0 प्र0 की बसों की बाडी नहीं बनाने दिया जाता है । आपकी जो पुस्तिका दी गयी है इसमें जो उल्लेख किया गया है कि आपकी कार्यशालाओं के द्वारा 232 गाड़ियां बनायी गयीं जबकि बाहर के लिए गाड़ियों के तवीन बाडी 718 निर्मित किये गये । ऐसा क्यों है कि प्रदेश के लिये कम और बाहर की कार्यशालाओं में कार्य अधिक कराया गया है ?

[समय 3 बजकर 30 मिनट]

आजकल फर्जी टिकटों की भरमार है । हमारे सीतापुर में डुप्लीकेट टिकट धड़ल्ले से चल रहे हैं । डब्लू0 टी0 चलने का भयंकर रोग लोगों को लग गया है । पूरी-पूरी रोड नीलाम की जा रही है ठेके पर बसों को चलाने के लिये । बस स्टेशनों का सौन्दर्यीकरण किया जा रहा है और सौन्दर्यीकरण के नाम पर अनेक स्टेशनों का धन बर्बाद किया जा रहा है । मेरठ का बस स्टेशन अच्छा-खासा था जिसे तोड़ कर पूरे मुजैक को तुड़वा कर बर्बाद किया गया है । बिजली की फिटिंग को तोड़कर नयी फिटिंग कराकर धन का दुरुपयोग करना आदि ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बस करें, अभी अन्य मा0 सदस्यों को भी बोलने के लिये मौका देना है ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी

मान्यवर, कितने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर रोडवेज ने परमिट लिया है । राष्ट्रीयकृत मार्ग के लिये कितने परमिटों का नवीनीकरण करने की प्रार्थना पत्र रोडवेज ने दिया है ? कितनों के इसके लिये प्रार्थना-पत्र आये हैं ? डी0 टी0 दिल्ली की कितनी गाड़ियां उत्तर प्रदेश में चलती हैं ? क्या उनके साथ इसके लिये कोई एग्रीमेन्ट किया गया है? यदि ऐसा कोई एग्रीमेन्ट हुआ है तो उसे सदन के संज्ञान में माननीय मंत्री जी ले आयें और अगर एग्रीमेन्ट नहीं है तो जहां निगम की गाड़ियों को चलना चाहिये वहां वे गाड़ियां क्यों चलायी जाती हैं ? यह गाड़ियां राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कैसे संचालित हो रही हैं ? दिल्ली स्टेट की गाड़ियों के संचालन से उत्तर प्रदेश शासन को शुल्क एवं कर न वसूलने से कितनी हानि हो रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, माननीय सदस्य पढ़ रहे हैं, इनसे कहिये कि ये सारे कागज हमको दे दें, हम उसका जवाब दे देंगे ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

पिछली बार बहुत से कर्मचारियों को निकाल दिया गया, उसके बाद फैसला हुआ कि उनको फिर दुबारा ले लिया जाय कुछ को अभी तक नहीं लिया इस संबंध में आपके तमाम कर्मचारी अनशन पर बैठे हुए हैं। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हम बहुत कर्मचारियों के हितैषी हैं, लेकिन मान्यवर, मैं निश्चित जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त थे, उनको तो दुबारा नौकरी में ले लिया गया और जो बेचारे गरीब, जो कि पैसा नहीं खर्च कर सकते ऐसे लोगों को पुनः नौकरी नहीं दी गयी है । इसलिए मैं इस प्रकार के तमाम कर्मचारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन्हें दुबारा नौकरी में ले लिया गया, की एक सूची भेज रहा हूं और जिनका कम अपराध था या बिल्कुल नहीं था, उन्हें नौकरी अभी तक नहीं मिली । क्या माननीय मंत्री जी इसे देखकर ऐसे लोगों को फिर नौकरी देने पर विचार करेंगे और मान्यवर, अभी बहुत जोरों से उधर टेबुल थपथपाई जा रही थी कुम्भ मेले की व्यवस्था के नाम पर, इस सम्बन्ध में भी केवल दो बातें ही कहना चाहता हूं अब ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा । इसी कुम्भ मेला में माननीय मंत्री जी ने एक घोषणा की थी कि रोडवेज में बसों का किराया नहीं बढ़ाया जायेगा, लेकिन दो दिन पहले 8 फरवरी, 89 को रातोंरात ही करीब 35 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया गया कानपुर से इलाहाबाद का किराया पहले मात्र 27 रु0 था । जिसे 39.50 पैसे कर दिया गया । जबकि माननीय मंत्री जी ने इस बात की घोषणा सामूहिक रूप से की थी, इस लिए मैं यह कहना चाह रहा था कि मा0 मंत्री जी की कथनी और करनी में कितना अन्तर है, अब मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इन सभी चीजों का उत्तर चाहूंगा ।

श्री प्रवीण कुमार शर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का समय दिया और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, मैं कुछ बातें माननीय बुनियाद साहब और इस आदरणीय सदन के सामने रखने की कोशिश करूंगा । मान्यवर, जो परिवहन निगम कार्य कर रहा है इतने बड़े प्रदेश में जन कल्याण सेवा का, यह कोई आसान बात नहीं है और साथ ही यह अपने

कार्य में प्रगति की ओर बढ़ रहा है, प्रदेश के कोने-कोने में कहीं भी आप जायें वैसे भी यह कितना बड़ा सूबा है, इस पर बुनियाद साहब जरा आपकी तवज्जह चाहूंगा कि इतने बड़े सूबे में लोगों को इधर से उधर जाने के लिए, अपने काम काज को करने के लिए बहुत बड़े यातायात की जरूरत होती है। इस बड़ी जरूरत को बखूबी यह निगम पूरी कर रहा है, हमारे जो मा0 मंत्री जी हैं इनके कार्यकाल में इस विभाग ने बहुत बड़ी तरक्की की है, प्रगति की है, और इसकी लोकप्रियता भी इधर ज्यादा बढ़ी है। वर्ष 1985-86 के बारे में बुकलेट में जो आंकड़े दिए हुए हैं कि इस वर्ष लगभग 38.05 करोड़ यात्री चले हैं और वर्ष 87-88 में बढ़कर लगभग 42 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की है और यही नहीं मान्यवर, ऐसे इलाके, जहां पर लोगों का चलना आदमियों का चलना दूभर हो पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में स्थित धार्मिक स्थलों में जगह-जगह पर चल रही है। श्री एरी, पिथौरागढ़ के हमारे साथी बैठे नहीं हैं, वहां पर भी जगह-जगह पर यह बसें जा रही हैं हानि उठाकर भी, फिर यह कहना कि यह निगम घाटे पर चल रहा है इनके घाटे के जहां और कारण हैं, वहीं पर यह कारण भी है कि जन कल्याण की सेवा के रूप में हानि उठाकर भी जगह-जगह पर हमारी बसें पहुंच रही हैं, जो जगह सुरक्षित नहीं हैं, जहां पर आदमियों का जाना दूभर है, ऐसे स्थानों पर भी हमारे कंडक्टर और ड्राइवर जोखिम मोल लेकर जा रहे हैं।

दूसरी बात यह कही गयी कि दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में यहां पर इस ओर भी कार्यवाही चल रही है, बराबर प्रयास चल रहे हैं बसों का स्टाफ बिना मदिरा-पान के चले, और इस ओर काफी सुधार भी पहले के मुकाबले में हुए हैं और दुर्घटनाओं की संख्या भी घटी है। साथ ही यहां पर यह निवेदन करना भी उचित समझूंगा कि यदि आप यूरोप के कुछ मुल्कों में जाएं तो आप देखेंगे कि उन मुल्कों के अन्दर भी जो बस सेवा है, वह बहुत खराब है, कहीं पर भी एक बस सेवा ठीक कार्य नहीं कर रही है, इसको देखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश की बस सेवा बहुत ही उत्तम है। ऐसे-ऐसे इलाकों में जहां पर बहुत गर्मी पड़ती है, धूल भी खूब उड़ रही है और सड़कें भी सही नहीं हैं, जगह-जगह पर खराब हैं, ऐसे इलाकों के अन्दर भी हमारे ड्राइवर व कंडक्टर बड़ी खूबी से इन बसों को चला रहे हैं ऐसी जगहों पर भी ड्राइवर कंडक्टर बस ले जाते हैं, उनकी दुर्दशा को देखें। आप दो मिनट मेरी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। परिवहन में प्रति किलोमीटर आय में भी वृद्धि हुई है। एक शेर कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं—

यह कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासेह।
कोई चारासाज मिलता, कोई गम गुसार होता।।

श्री मुस्तमन्द अली खां—

मान्यवर, माननीय परिवहन मंत्री जी ने परिवहन विभाग का बजट पेश किया है और इस विभाग के अधीन दो विभाग हैं, एक तो रोडवेज और दूसरा आर0 टी0 ओ0। माननीय मंत्री जी बजट का बुक (पैम्फलेट) छापती है, उसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा है कि आपकी उत्तर प्रदेश सरकार को किस-किस प्रान्त पर धनराशि

बकाया है, या उनसे लेना है । नागालैंड कितना छोटा प्रान्त है, उसने (पैम्फलेट) बुक छापी है और लिखा है कि हमें इतना-इतना पैसा लेना है । आपके यहां से पिछले तीन साल से पैसे की डिमान्ड नहीं की गयी कि पैसा दिया जाये या न दिया जाये, जब दूसरे राज्यों की बसें बन्द कर दीं तो मुख्य मंत्री ने उनको छुड़वाया और वह पैसा किस कारण वसूल नहीं हुआ है । 1945 में आप की वेहिकिल्स 30 हजार आन रोड थीं और आज 200 करोड़ आन रोड हैं । वेहिकिल्स में इतनी बढ़ोत्तरी हो गयी लेकिन आर0 टी0 ओ0 के अधिकारियों में कितनी बढ़ोत्तरी की गयी, आप पब्लिक पर जुल्म कर रहे हैं । जिस प्रकार से लाइसेंस और फिटनेस दिए जाते हैं, वह सम्भव नहीं है । एक जमाना था जब लखनऊ में लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिये 20 रुपये की रिश्वत ली जाती थी और झांसी में आठ आने भी रिश्वत नहीं थी । एक आदमी से जो काम लेते हैं, वह उसकी कैपासिटी से बाहर होता है । आपने अभी टेम्पोरेरी परमिट की फीस 38 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपया कर दिया है, जो बहुत गलत है । मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें सुधार लावें और चाहे परमानेंट परमिट की फीस को बढ़ा दें, लेकिन इसको कम कर दें । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आर0 टी0 ओ0 विभाग में वित्त विभाग से जितनी पोस्टें सैंक्शन हैं, वह भरी नहीं गयी हैं । आर0 आई0, ए0 आर0 टी0 ओ0, पी0 टी0 ओ0, जी0 टी0 ओ0 के पद खाली पड़े हैं, वह भरे नहीं गये हैं, जिसके कारण वर्किंग में बड़ी दिक्कत होती है । मान्यवर, रूट परमिट की बात कहना चाहता हूं, मथुरा जिले में सोमना नौझील एक रूट है, उसके लिये रोडवेज ने 7 परमिट उठाये, लेकिन एक या दो बसें ही चलायीं, तो मेरा कहना है कि आप इस प्रकार के रूटों को प्राइवेट बसों वालों को दे दें, तो ज्यादा अच्छा हो । बागपत से सोनीपत तक कोई बस नहीं चल रही है। उस पर दूसरे प्रान्तों की बसें चल रही हैं और आपके प्रदेश का पैसा दूसरे प्रान्तों में जा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी सुझाव आप उन्हें लिखकर दे दें ।

श्री मुस्तमन्द अली खां–

सबसे बड़ी गलती यह है कि जो हमारे मंत्रीगण हैं जो टैक्सी गाड़ी रोडवेज से ली जाती हैं . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री मुस्तमन्द अली खां–

इन रोडवेज की टैक्सी गाड़ियों को प्राइवेट गाड़ी के नम्बर प्लेट लगाई जाती है जिस प्रकार मंत्रियों को दी जाती है . . . (व्यवधान) रोडवेज बसों को ए0 आर0 टी0 ओ0 चालान नहीं करता है उनका आपके पास कोई रिकार्ड नहीं है । इसलिये आप इसकी व्यवस्था करायें ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप तसरीफ रखें । मंत्री जी को लिखकर भेज दें । समय बहुत हो गया है ।

श्री मुस्तमन्द अली खां–

नई टैक्सी परमिट पर जो आप रिस्ट्रिक्शन लगाये हैं, उसे आप हटायें ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें ।

श्री मुस्तमन्द अली खां–

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज हमारे उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग के युवा मंत्री जी ने जो बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं अपने विचार व्यक्त करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, आज उत्तर प्रदेश का परिवहन विभाग जो नित्य नया और गतिशील कीर्तिमान प्राप्त कर रहा है उसके लिये मैं इस बजट की और इस विभाग की सराहना करता हूं । आज जो हमारी प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि यात्रा की सुविधा आम नागरिकों को आसानी से उपलब्ध कराने के लिये हमारे उत्तर प्रदेश के परिवहन निगम का जो बेड़ा है वह काफी नहीं है, इस हेतु प्रदेश के अन्दर जो प्राइवेट बसें प्राइवेट आपरेटर्स चला रहे हैं, जिस कारण उनका दुरुपयोग होता है, प्रदेश के राजस्व की हानि होती है उसके लिये सरकार ने निर्णय लिया है कि इन प्राइवेट बसों को प्रदेश सरकार के इस परिवहन निगम में अटैच किया है ताकि प्रदेश के नागरिकों को यात्रा की सुविधा मुहैया हो सके । इसके लिये मैं मंत्री जी की और सरकार की सराहना करता हूं । मान्यवर, हमारे परिवहन मंत्री जी युवा हैं, उम्र कम है और उसके अनुरूप जो हमारी 7 हजार बसों का बेड़ा है.... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

क्या नई बसें ज्यादा बढ़ी हैं ?

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

हमारे इस बसों के बेड़े ने आज एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है । नया बेड़ा होने की वजह से आज हमारे डीजल के खर्च में कमी आयी है और जो यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए उसमें वृद्धि हुई है । मान्यवर, हमें जनता पार्टी का वह शासन याद आता है जब हम छोटे थे, बसों में चढ़ते थे, बसों में सीटें और खिड़की नहीं होती थीं, बरसात में छतें टप-टप करती थी और बसों में बैठे सभी यात्री भीग जाते थे । प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि डीलक्स बसों को चलाकर यात्रियों को रास्ते में वीडियो दिखाकर, उनका मनोरंजन करते हुए उन्हें उनके गन्तव्य स्थान तक पहुंचाता है । यह निःसन्देह एक सराहनीय कदम है । मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आज जो पर्यावरण बढ़ रहा है यह एक आम समस्या है । पर्यावरण दूषित हो रहा है । इसका कारण बसों और टेम्पोज का स्मोक

है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्मोक कन्ट्रोलर ज्यादा से ज्यादा बसों और वाहनों में लगाये जायं चाहे वह प्राइवेट बसें हों, सरकारी हों या कोई और हों । मान्यवर, कुम्भ मेले में जिस प्रकार से परिवहन निगम ने यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराई जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा मैं खुद वहां गया था वह सुविधायें निश्चित रूप से सराहनीय हैं । बुनियाद साहब ने भूतपूर्व परिवहन मंत्री की बात कही और सराहना की तो उनके कार्यकाल में ही तमाम बाहर के प्रदेशों से बसों की बाडी बनाई गयी थी और सभी की जानकारी में यह बात है कि कितनी कमीशनखोरी की गयी । शायद उनके साथ इनको भी कमीशन मिल गया है जो आज आप उनके साथ हो गये हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि उसकी जांच कराई जाय कि किस प्रकार उस समय बाडी बनाई गयी थी ।

मैं आर0 टी0 ओ0 आफिस में जो कठिनाइयां होती हैं उनके बारे में कहना चाहता हूं । जब तक आर0 टी0 ओ0 आफिस में जो तमाम दलाल बाहर बैठे रहते हैं उनको बाहर न खदेड़ा जाय यह कठिनाई बनी रहेगी । चाहे वह लाइसेंस लेने का प्रश्न हो या परमिट लेने का प्रश्न हो या लाइसेंस के नवीनीकरण का प्रश्न हो दलाल लोग बाहर बैठ कर पैसा बनाते हैं और अधिकारियों से मिले रहते हैं और बड़ी-बड़ी रकम उनसे वह लेते हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर अंकुश लगाया जाय और आर0 टी0 ओ0 प्रांगण उनसे मुक्त कराया जाय ।

इन शब्दों के साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी जब बिजली विभाग में थे तब वहां कोई आन्दोलन कर्मचारियों का नहीं हुआ था ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री नेकचन्द्र पाण्डेय–

उसी प्रकार इस विभाग में भी कोई आन्दोलन नहीं हो रहा है । सामान्य रूप से इस समय विभाग में काम हो रहा है । उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे–

पाण्डेय के बाद पाण्डे को बोलना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई बात नहीं हुई कि पाण्डेय के बाद पाण्डे ही बोलें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर रखे कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । आज माननीय मंत्री जी जिस प्रकार से सदन को गुमराह कर रहे थे उस सम्बन्ध में वह कह रहे थे कि पूरे प्रदेश को राज्य परिवहन से जोड़ दिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि शायद उनको इस प्रदेश के सम्पूर्ण जनपदों की जानकारी नहीं है इसलिये उन्होंने यह शब्द कहा ।

हमारा ललितपुर जनपद ऐसा है जो अभी भी राज्य परिवहन से नहीं जुड़ा है। जब कि मध्य प्रदेश की 8, 10 बसें जबलपुर–ग्वालियर, टीकमगढ़ भोपाल, इन्दौर–टीकमगढ़, चन्देरी ललितपुर, दमोह–ललितपुर, दमोह–झांसी, टीकमगढ़--चंदेरी, सागर–मदनपुर हमारे जनपद से जाती हैं और एक और बस उनकी चलने वाली है जिसका परमिट बन गया है देवगढ़ खजुराहो। इन बसों से हमारे यात्रियों से राजस्व मध्य प्रदेश सरकार ले जाती है जो रेवेन्यू हमको मिलना चाहिये वह नहीं मिल रहा है। इससे प्रदेश का भयंकर नुकसान हो रहा है। मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से मिला था और उनसे यह बात कही थी। उन्होंने कहा कि वहां हमारा राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है। शायद उनको जानकारी नहीं है यह राष्ट्रीयकृत मार्ग सं0 26 है जब श्री संजय सिंह परिवहन मंत्री थे तो बहुत कहने पर उन्होंने एक बस ललितपुर–लखनऊ चलायी थी लेकिन पता नहीं किन कारणों से 10, 15 दिन चलने के बाद वह उस रूट से उतार ली गयी। हमारे जनपद में देवगढ़ एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो ऐतिहासिक महत्व रखता है। अगर आप यहां बस चला देंगे तो लोग आपको याद करेंगे (व्यवधान) अगर नहीं चलायेंगे तो जैसी असुविधा इस समय भोग रहे हैं वह भोगते रहेंगे। मान्यवर, जो हमारे यहां के पर्यटन स्थल हैं जैसे देवगढ़ और मदनपुर जिनका ऐतिहासिक महत्व है उनको परिवहन से जोड़ दें तो कृपा होगी। इन दो पर्यटन स्थलों को लखनऊ से जोड़ दें सिर्फ यहां दो बसें चलवा दें। अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। बजट के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री किशन सिंह तड़ागी–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का समय दिया।

मान्यवर, इस समय हमारे यहां 2400 मार्गों पर परिवहन विभाग की गाड़ियां चल रही हैं। उनका प्रबन्ध करना और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह विभाग कर रहा है जिसके लिये परिवहन विभाग बधाई का पात्र है।

मान्यवर, जैसा आप जानते हैं पर्वतीय क्षेत्र में ऐसी-ऐसी जगहों पर गाड़ियां जाती हैं जहां पहले मनुष्य नहीं जा सकता था लेकिन वहां अब परिवहन विभाग की गाड़ियां जा रही हैं जो यात्रियों को सुरक्षित ले जाती हैं और लाती हैं किन्तु मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वहां जो भी गाड़ियां चलायें उन पर ड्राइवरों को सोच समझ कर रखें, ऐसा न हो कि वह शराब पीकर गाड़ियां चलायें। इस विभाग की उत्तर प्रदेश सरकार की आय में काफी योगदान मिलता है।

मान्यवर, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला सुझाव है कि गाड़ियों में प्रेसर हार्न न लगाये जायं। दूसरा सुझाव है कि पैसेंजर गाड़ियों में टेप रिकार्डर नहीं होने चाहिए। तीसरा सुझाव है गाड़ियों का मेंटीनेंस सही समय पर होना चाहिए और बिना मेंटीनेंस की गाड़ियां जब तक आर0 आई0 न पास कर दे तब तक सड़क पर नहीं रहनी चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शासन से मेरा यह भी निवेदन है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अच्छी गाड़ियों को लगाया जाये और नई गाड़ियां वहां रखें क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि पुरानी और खच्चर गाड़ियों को वहां लगाया जाता है जिससे दुर्घटनायें होने की सम्भावना रहती है।

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि हल्द्वानी–किच्छा के बीच में सिटी सर्विस बराबर चालू की जाये।

मैं यह भी परिवहन विभाग के मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर कम आय जो होती है तो लोगों की सुविधा के लिये शौचालय और जगह-जगह पर टी-स्टाल खुलवाने चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव विरोध करता हूं।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट रखा है मैं उसका विरोध और श्री बुनियाद हुसैन अंसारी ने जो बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। समय कम है, इसलिये सुझाव देते हुए कहना चाहता हूं कि आपके विभाग की सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं यदि आप व्यवस्था लागू कर दें कि सारी बसें अनुबन्धित रखी जायं और उसमें व्यवस्था रखी जाये कि एक व्यक्ति एक बस और उसमें जितने भी ग्रेजुएट्स नवजवान लोगों को प्राथमिकता दी जाये उनकी बसें रखी जायं। आप अपने विभाग की बसें समाप्त करके अनुबंधित बसें लगायें और जो डिग्री लेकर बेरोजगार हैं उनको इससे रोजगार मिल जायेगा और भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। वाहनों की चोरी, उनका कम चलना और रोजाना बसों का खराब होना यह सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं।

मान्यवर, एक न्यायालय का हिंडरेंस है जो बस चलाने वाले लोग एक मोर्चा बनाकर न्यायालय में रिट दायर कर देते हैं और स्टे ले लेते हैं लेकिन सरकार कर कुछ नहीं पाती है। इसलिए निर्णय लें और इस सम्बन्ध में कारगर व्यवस्था लागू करें जिससे न्यायालय का हिंडरेंस कम से कम हो। मान्यवर, अनुबन्धित बसें जो चलाई जाती हैं उन पर खर्च कम आता है और आपकी बसों पर खर्च ज्यादा आता है। लेकिन अनुबंधित बसें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से बन्द कर दी गयीं जिससे आपके विभाग को नुकसान हुआ। मैं तो कहता हूं कि पूरी की पूरी बसें अनुबंधित की जायें और उसमें खासकर हमारे बेरोजगार नवयुवकों को काम दिया जाए। मेरा एक सुझाव यह है कि अभी आर0 टी0 ओ0 आफिस में जो नई गाड़ियों के नम्बर देने के बारे में जी0 ओ0 निकला है, उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जो अपनी गाड़ी का कोई पार्टीक्युलर नम्बर लेना चाहता है, तो जब नए नम्बर की सिरीज आ जाय उस सिरीज से जिस भी पार्टीक्युलर नम्बर को वह चाहे ढाई सौ रुपया देकर ले सकता है। कुछ लोगों की यह मीनिया है कि वह एक पार्टीक्युलर नम्बर ही लेना चाहते हैं, और इसके लिए यह ढाई सौ रुपया बहुत कम है और लोग इससे दुगुना, तिगुना और चौगुना भी धन देने को तैयार रहते हैं।

इसमें भ्रष्टाचार होता है और सरकार का भी नुकसान होता है । हमारे आगरा में यह बहुत ज्यादा हुआ है, आप वहां पर इसकी जांच करा लीजिए ।

हमारे यहां अकोला पर बस स्टेशन बनाने की बात हो रही थी । वहां पर चारों ओर से यात्री आ-आकर इकट्ठा होते हैं, उनको देर तक बस मिलती नहीं है और घंटों इन्तजार करना पड़ता है । इसलिए मैंने वहां पर बस स्टेशन बनाये जाने की मांग की थी, आप वहां पर बस स्टेशन बनाकर हमारी मांग को स्वीकार कर लें । इसके साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विनोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने परिवहन विभाग के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूं । मान्यवर, परिवहन मंत्री द्वारा जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मैं अपने दोस्त बुनियाद हुसैन अंसारी के बारे में कहना चाहता हूं, जब यह कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए खड़े हुए थे, तो मुझे बड़ी उम्मीद हुई कि बुनियाद साहब कुछ बुनियादी बातें उठायेंगे, परिवहन निगम और परिवहन मंत्री को कुछ अच्छे सुझाव देंगे, लेकिन उन्होंने जितनी भी बातें कहीं, उनमें न तो कोई अच्छे सुझाव दिए और न कोई नीतिगत बात ही कही । इसके अलावा न तो हमारे परिवहन विभाग या निगम ने जो अच्छे काम किये हैं, उनके बारे में कोई प्रकाश डाला । बल्कि जितनी भी बेबुनियाद बातें हो सकती थीं, उसको उन्होंने अपने भाषण में कहा । मुझे पूरी-पूरी उम्मीद थी, जैसा कि मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था, उन्होंने जो राष्ट्रीय औसत दूरी के बारे में कहा था — 72 प्रतिशत पहले थी अब उसको बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है, जो राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है, आन्ध्र प्रदेश के अतिरिक्त कोई ऐसा प्रदेश नहीं है, जिसने इतना अच्छा औसत दिया हो, इसके लिए वह इसकी सराहना करेंगे, लेकिन यह भी उन्होंने नहीं किया । जो मंत्री जी की बसों की औसत इन्कम के बारे में बात थी कि उसको परिवहन निगम ने बढ़ाया है । वास्तव में इसके लिए वह सराहना के पात्र थे । इसलिए मुझे उम्मीद थी कि वह विभाग की सराहना करेंगे, परन्तु यह भी उन्होंने नहीं किया है ।

इसके साथ ईंधन के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा कि मात्र एक वर्ष में 1 करोड़ 57 लाख रुपया ईंधन व्यय में बचत किया गया है, जिसके द्वारा यदि परिवहन निगम चाहे तो 40 नई बसों की व्यवस्था कर सकता है । मुझे उम्मीद थी कि बुनियाद साहब इस पर रोशनी डालेंगे । अभी उन्होंने कहा कि भूतपूर्व मुख्य मंत्री [x x x] के पुत्र के बारे में कि उनको मुख्य मंत्री जी ने आर0 टी0 ए0 का मेम्बर बना दिया है । ठीक है, हम लोग वफादार हैं और वफा करना जानते हैं । इन लोगों में जिस तरह से एहसान फराहमोशी भरी पड़ी है, उसी तरह की हमसे भी अपेक्षा करते हैं । हमको इस बात का फख्र है कि मंत्री जी ने इसमें वफा दिखाई है । इसके साथ में दो सुझाव देना चाहता हूं । एक तो जो आर0 टी0 ओ0 की बैठक होती है बरेली मंडल में . . . . (व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी–

उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाया है, इसलिए मुझे इसका जवाब देने दिया जाए. . . . (व्यवधान)

एहसान फरामोशी की बात कही गई है यह व्यक्तिगत है इसको कार्यवाही से निकाल दें ।

श्री अधिष्ठाता–

ऐसा कुछ नहीं है । इसको देख लिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार–

मान्यवर, जो रात्रि की सेवायें हैं उनको पूर्व की भांति रखें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का हार्दिक समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

समय बहुत कम है गौरी भइया जी आप एक मिनट में अपनी बात कहें ।

श्री गौरी शंकर भइया–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं माननीय बुनियाद हुसैन अंसारी जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्रीमन्, परिवहन के लिए जरूरी है कि आदमी और माल दोनों ढोया जाए, लेकिन माननीय मंत्री जी केवल सवारी ढोते हैं माल नहीं ढोते हैं । मैं परिवहन के बारे में दो-तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक तो मंत्री जी से बहुत दिन से अनुरोध कर रहे हैं कि बलिया से लखनऊ आने के लिए रेल की कोई उचित सुविधा नहीं है और एक दिन विधेयक के संदर्भ में यह कहा गया था कि 15 दिन में चालू कर दिया जाएगा तो इसको कहे हुए भी मेरे ख्याल से 15 दिन बीत गये हैं तो इसको दिखवा लें । मान्यवर, वरुणा एक्सप्रेस जो लखनऊ से बनारस को जाती है जो यहां से करीब 6 बजे चलती है और रात में बनारस 10 बजे के करीब पहुंचाती है उसके बाद बलिया जाने की दिक्कत होती है । तो आप एक मेल बस चलायें जो बनारस होते हुए बलिया जाए । दूसरी बात मान्यवर, बलिया में जो रोडवेज बस स्टेशन है वहां वर्कशाप भी है तो आप उस वर्कशाप को हटाकर कहीं दूसरी जगह कर दें । वर्कशाप की वजह से वहां इतनी भीड़ होती है कि यातायात जाम हो जाता है । तो वहां पर गाड़ी खड़ी की जाए और टिकट काटा जाए, ताकि यातायात जाम न हो । मान्यवर, एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि आपके विभाग में दो तरह के कर्मचारी हैं एक को तो आप पेंशन देते हैं प्राविडेन्ट फण्ड देते हैं सारी सुविधायें देते हैं लेकिन दूसरे जो कर्मचारी हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिलती है । इस तरह से निगम के अन्दर भेदभाव बरता जा रहा है तो इस तरह से आप भेदभाव न बरतें एक ही तरह की प्रक्रिया आप अपनायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

बहुत संक्षेप में सुझाव दें ।

*श्री सुरेन्द्र कपिल–

मान्यवर, जो परिवहन मंत्री जी ने बजट रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है वह इतने मिलनसार आदमी को कटौती का प्रस्ताव रखना शोभा नहीं देता है । अब तक जो विभाग ने प्रगति की है वह सराहनीय है जो बसों का रख-रखाव रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है । इस विभाग के अन्दर जो विश्वसनीयता अब तक नहीं बन पाई थी वह विश्वसनीयता अब बन गई है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के मुकाबले आप हरियाणा को देखें तो हरियाणा की जो बस हैं उनकी छतों पर घास की तरह लोग लदे रहते हैं और वह लोग हमारे प्रदेश की बसों में बैठना ज्यादा पसन्द करते हैं । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि ट्रैक्टर ट्राली को लाइसेंस दिया जाय । हमारे प्रान्त के पड़ोस में हरियाणा प्रान्त में ट्रैक्टर ट्राली को लाइसेंस दिया जाता है जबकि हमारे यहां उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है लिहाजा हमारे लोग वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिसकी वजह से हमारे प्रदेश को राजस्व की हानि होती है और हमारे किसान भाइयों को परेशानी होती है । इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे यहां मैटाडोर अवैधानिक रूप से चलती हैं उनको लाइसेंस दे देना चाहिए । चल तो वह जबरदस्ती रही हैं जिससे हमारे राजस्व की हानि होती है और यात्रियों को असुविधा होती है इस-लिए उनको लाइसेंस दे देना चाहिए । अगर उनको वैधानिक रूप से लाइसेंस दे दिया जायगा तो हमारा राजस्व बढ़ेगा । मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनन्दन करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यह बात जरूर कहता हूं कि बहुत थोड़ा समय दिया, मैं एक बार फिर आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

(श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा को पुकारे जाने पर)

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, क्या आप मुझे ब्राह्मण होने के नाते समय नहीं दे रहे हैं । मुझे समय दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

यहां पर जातिपांति का कोई भेद नहीं है।

*श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, बांदा और इलाहाबाद के बीच एक अतर्रा कस्बा है जहां पर कई बसें चलती हैं और वह बसें अतर्रा कस्बे में रुकती हैं । वहां पर तमाम बसें सड़क पर खड़ी हो जाती हैं जिससे रास्ता जाम हो जाता है । मेरा निवेदन है कि वहां पर एक अलग से बस स्टाप या सब डिपो बनाया जाय । बांदा की जनता के सामने यातायात की समस्या है । वहां पर रेलें नहीं हैं और बसों की भी बहुत कमी है । इस-लिये मेरा निवेदन है कि बसों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाय । बांदा में स्टाफ की भी बहुत कमी है । कंडक्टर और ड्राइवरों तथा अन्य स्टाफ की कमी है जिसको पूरा कराने का कष्ट करें । दूसरी बात मैं अतर्रा के संबंध में मैं कहना चाहता हूं, अतर्रा से मध्य प्रदेश के सतना, मध्य प्रदेश के पन्ना, अतर्रा से छतरपुर बसें चलती

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । अगर अतर्रा में बस डिपो की सुविधा हो जायेगी तो इन बसों का रखरखाव बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगा । मान्यवर, लखनऊ से अतर्रा शाम 3 बजे बस चलवा दें ताकि अतर्रा और लखनऊ के बीच बस सेवा उपलब्ध हो सके । मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे यहां एक बस कलिंजर-फैजाबाद चलती थी जो बन्द हो गयी है । इसको नियमित करवाया जाय । इसी तरह से करतल, इलाहाबाद, पोहार-बांदा, फतेहगंज बांदा के लिए बसें चलाने की कृपा करें और इन बसों को नियमित करें । अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे बुन्देलखण्ड में बसों की बहुत कमी है मेरा निवेदन है कि वहां पर बसों की संख्या बढ़ायी जाय । श्री राम राज शुक्ल को पुकारा गया ।

श्री अधिष्ठाता–

बाकी सुझाव आप लिखकर भेज दीजियेगा ।

*श्री राम राज शुक्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं । यह बजट उपलब्धियों से भरा हुआ है, सेवाओं से भरा हुआ है । इस बजट पर जन-जन का विश्वास है । यह बड़ी प्रगतिशीलता का बजट है । माननीय प्रमोद जी के व्यक्तित्व के बारे में हम कह सकते हैं कि उनका व्यक्तित्व प्रगतिशील है और वह परिवहन विभाग में गतिशीलता लायेंगे । मैंने कुम्भ मेले के अवसर पर देखा । जगह-जगह पर आदमियों को मेले में जाने के लिए बसों की सुविधा थी । देवरिया, बनारस, मैनपुरी तमाम जिलों में थोड़ी-थोड़ी देर पर मेले के लिए बसें मिल रहीं थीं और लोग राजीव गांधी जिन्दाबाद, नारायण दत्त तिवारी जिन्दाबाद, प्रमोद तिवारी जिन्दाबाद के नारे लगा रहे थे । लोगों को मेले में आने-जाने की बड़ी सुविधा रही ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रामराज शुक्ल–

मान्यवर, जिस तरह से मैदान में बसों की सुविधा है उसी तरह से पर्वतीय क्षेत्रों में भी बसों की सुविधा दी गयी है । मैं श्री बद्रिका आश्रम गया था । मैंने देखा कि जहां चलने के लिए मार्ग नहीं था वहां पर बसें चल रही हैं । यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है । इसको देखते हुए मैं इस बजट का हृदय से समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं । जो प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से आया है उसका विरोध करता हूं । इनको केवल विभाग में भ्रष्टाचार दिखायी देता है, केवल रिश्वत की बात दिखायी देती है, बेईमानी दिखायी देती है यह बातें पूरी तरह से असत्य हैं । इसके साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

*श्री भगवानदीन कुशवाहा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह पूरे प्रदेश में घाटा क्यों हो रहा है, मान्यवर, इसको मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरे प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में यह कंडक्टर और ड्राइवर गाड़ी लेकर चलते हैं, ये ज्यादातर गाड़ी खाली लेकर चलते हैं, इनको अगर हमारे सुझाव के हिसाब से 1 परसेंट, 2 परसेंट का कमीशन दे दिया जाय, तो ये पूरी की पूरी गाड़ी भर कर ले जायेंगे, तो यह घाटे का बजट पूरा हो सकता है। वैसे वे जिम्मेदारी नहीं महसूस करते हैं और दूसरा यह जो आपने तीन टिकटों वाला बक्सा कंडक्टर को दिया है, वह सीट पर बैठ कर टिकट किसानों को बनाता है, पहले ऐसा नहीं था, पहले सीट पर जाकर कंडक्टर टिकट बनाता था। तो आप कंडक्टर को आदेशित करें कि वह सीट पर जाकर टिकट बना कर दिया करे, ताकि डिस्टर्बेंस बस में न हुआ करे। अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि 6 बसें मंगलपुर से लखनऊ चलती थीं, उनको बन्द कर दिया गया, उनको चलाने का आदेश देने की कृपा करें। 4 बसें डेरापुर, कानपुर देहात से लखनऊ के लिए चलती थीं, उन बसों को बन्द कर दिया गया है, उसे तत्काल चलाने की व्यवस्था करें और बसें जो कानपुर से डेरापुर चलती थीं, उन बसों के चक्कर कम कर दिये गये हैं, जो पुरानी गाड़ियां डेरापुर भेजी जाती हैं, तीन गाड़ियों का स्टापेज रात में डेरापुर में होता था, अब एक गाड़ी का स्टापेज होता है, दो गाड़ियों का स्टापेज डेरापुर से खत्म कर दिया गया है। कानपुर से बनीपारा दो बसें चलती थीं और वे कई चक्कर लगाती थीं, उसमें से एक बस तो बन्द कर दी गयी है, एक बस जो चलती है, वह चक्कर कम लगाती है। दूसरा आपसे अनुरोध है कि कानपुर से जो मेला बनीपारा बस चलती है, उसको बढ़ाकर झींझक रसूलाबाद रोड, भिंडाकुवां तक चलाने का आदेश देने की कृपा करें। महान दया होगी।

श्री राम करन पटेल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी ने जो बजट रखा है, उसका समर्थन करते हुए बुनियाद हुसैन जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। आपने जो परिवहन संबंधित जनता की सुविधा की बात रखी है, उसी के तहत मैं बनारस से संबंधित कुछ समस्यायों के संबंध में मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। बनारस जो है गलियों का शहर है, मैं चाहता हूं कि वहां पर छोटी-छोटी बसें चलाने की व्यवस्था करें। साथ ही हमारे विधान सभा क्षेत्र कोलअसला में बाबतपुर चौमहानी हवाई अड्डे के पास सारी बसें बन्द कर दी गयी हैं, जिससे जनता को काफी दिक्कतें हैं। इससे पहले मैंने आपका ध्यान आकर्षित कराया था। आप वहां पर अविलम्ब बस चलाने की व्यवस्था करें, ताकि क्षेत्रीय जनता को आने-जाने का साधन मिल सके। प्राइवेट बसें जो चल रही थीं, उसे पुलिस माहवारी बढ़वाने के कारण बन्द कर दी, क्योंकि प्राइवेट बस के मालिकों ने थानाध्यक्ष को पैसा देना बन्द कर दिया, जिससे बसें प्राइवेट भी बन्द हो गयीं और जनता को आने-जाने में काफी कठिनाई और परेशानी हो रही है। अनेई कठिरांव, बड़ागांव कटौना, सिंधौरा आदि जगहों से नगर बस सेवा चलाने की मैं मांग करता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र, हरीश जी–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से केवल एक अपील करना चाहता हूं। मान्यवर, रोडवेज काम कैसा कर रहा है, मंत्री जी ने खुद कहा है, लेकिन निगम के अधिकारियों के अन्याय

के कारण 1400 निगम के कर्मचारी सड़क पर आ गये हैं, वे विधान सभा के सामने आमरण अनशन कर रहे हैं। श्री धनंजय सिंह एवं श्री जगबहादुर दुबे गिरफ्तार कर लिये गये हैं और मो0 कल्लन और बलराम यादव आमरण अनशन पर आ गये हैं। पांच हजार कर्मचारियों को सेवा से निलम्बित एवं निष्कासित कर दिया गया था, न्यायालय में वे लोग गये, न्यायालय ने उनके निलम्बन और निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया। मान्यवर, बड़ी कृपा की निगम ने 95 प्रतिशत कर्मचारियों को सेवा में ले लिया, लेकिन एक अध्यादेश लागू करके फिर से 1400 लोगों को निकाल दिया गया है। मान्यवर, मैं अपील करने के लिए खड़ा हुआ हूं, ये 1400 कर्मचारी जो रोजी-रोटी से परेशान हो, भुखमरी के कगार पर आ गया है,

मान्यवर, उनका परिवार मरने की हालत में आ गया है, उस पर विचार कर लीजिए। मुझसे कहा गया कि उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की बहुत सी शिकायतें हैं। मान्यवर, जिनके खिलाफ अपराधिक शिकायतें हैं वह सेवा में ले लिए गये हैं यह 1400 लोग क्यों नहीं लिए गये हैं ? मैं आपके द्वारा मंत्री जी से अपील करता हूं कि यह 1400 कर्मचारी जो भुखमरी के कगार पर हैं उनको लेने की कृपा करें। मान्यवर, हमारे बांसी क्षेत्र में बांसी से बस्ती रेलवे स्टेशन रात को 9 बजे के लगभग कृपया बस चला दें जो बस्ती जाय और बस्ती रेलवे स्टेशन से प्रातः 5 बजे बस चलायें जो बांसी आये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री जी से जो अपील किया है उस पर विचार कर लें।

श्री जय नारायण तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने मौका दिया मैं बजट प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और विपक्ष का कटौती का प्रस्ताव, जैसा नाम वैसा गुण बुनियाद हसैन अन्सारी लेकिन यह बेबुनियाद बात करेंगे कोई बुनियादी बात नहीं करेंगे। मान्यवर, अभी कुछ देर पहले प्रतापगढ़ के माननीय सदस्य शुक्ला जी ने कहा कि जब से परिवहन विभाग का दायित्व प्रमोद तिवारी जी ने सम्भाला है तब से बसें चढ़ने लायक हो गयीं हैं। मान्यवर, मैं इससे बढ़कर कहना चाहता हूं कि सुल्तानपुर के लोग तो बस पर सवारी नहीं किया करते थे लेकिन जब से प्रमोद तिवारी जी आ गये हैं हम लोग उस पर चढ़ाई करना शुरू कर दिये हैं, बैठना शुरू कर दिये तो क्या यह अपने में एक उपलब्धि की है। मान्यवर, इतना बड़ा कुम्भ का मेला जो कई सालों बाद आया था उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि इस विभाग की है कि इतने बड़े मेले में एक भी छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। मान्यवर, इन्हीं सन्दर्भों में एक बात और कहना चाहता हूं ज्यादा समय आपने नहीं दिया मैं अपने क्षेत्र की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारी जनता और हमारे उनके बीच जिस्मानी तालुकात बराबर बने रहते हैं मैं चाहता हूं कि हमारा सुल्तानपुर जनपद जो है उस पर उनका ध्यान तो बराबर रहता है मेरे क्षेत्र पर उनका ध्यान तो बराबर बना रहता है, उस उनकी कृपा में थोड़ी बढ़ोत्तरी चाहता हूं कि बसों का आवागमन और बढ़ा दें जिससे हमारे जनपद

और क्षेत्र के लोगों को यात्रा करने में कोई असुविधा न हो और हम और हमारे जनपद के लोग ज्यादा सवारी करना शुरू कर दें। धन्यवाद।

(श्री बुनियाद हुसैन अन्सारी का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान।)

श्री अधिष्ठाता–

अब समय नहीं है, डेढ़ घण्टे में पूरा करना है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, परिवहन जैसे बजट पर बोलने के लिए समय बढ़ावें।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें, समय के अन्दर बजट होगा। दो बजट और हैं उस पर बोल लीजिएगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, परिवहन विभाग एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है और मैं चाहूंगा, आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि सदन के सम्मानित सदस्यों की भावना को देखते हुए आप समय बढ़ा दें तो बड़ी प्रसन्नता होगी अगर आप किन्हीं कारणों से ज्यादा समय न बढ़ा सकें तो मैं आग्रह करूंगा कि माननीय सदस्यों से कह दें कि लिख-कर दे दें और उसका वही प्रभाव हो जो यहां बोलने का होता है, वैसे समय बढ़ा दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अधिष्ठाता–

10 मिनट बढ़ा दिया है।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती का समर्थन करने का समय दिया है। मान्यवर, मैं परिवहन मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने आज हमारे जिले में अच्छी बसें चलायी हैं जिस पर हम लोगों को चढ़कर बस लखनऊ आने का अवसर मिला। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जिले में बस्ती से महुली के लिए सड़क है, जिस पर प्राइवेट बसें चलती थीं लेकिन वहां से 4 कि0मी0 आगे नाथनगर तक बसें जाती थीं, जिसको प्राइवेट लोगों ने स्थगित करा लिया है, हाईकोर्ट से कि नाथनगर के लिए सरकारी बसों का परमिट न हो। यही नहीं आर0 टी0 ए0 आफिस में गुण्डागर्दी करके मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जो इन्होंने ऐसे लोगों की आर0 टी0 ए0 कमेटी बनाई है कि वह निगम के विरुद्ध काम करके ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं जिससे कि वहां पर बसें न चलने पावें और यात्रियों को सरकारी सुविधा न मिले। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे मा0 बुनियाद हुसैन अन्सारी ने अपने कटौती के प्रस्ताव में कुछ अधिकारियों की आलो-चना की, एक जाति के अधिकारी की आलोचना की, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मा0 अन्सारी जी हों, इधर के लोग हों या उधर के हों, हम किसी जाति विशेष के प्रतिनिधि नहीं हैं और अधिकारी चाहे अम्मार रिज़वी साहब के यहां का हो या प्रमोद तिवारी जी के यहां का, कोई किसी जाति विशेष का नहीं है।..

श्री अधिष्ठाता–

आपको दो मिनट का समय दिया था, तीन मिनट हो गये, बाकी सुझाव भेज दीजिये ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

(व्यवधान) मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पडरौना, गोरखपुर और देवरिया की जो बसे चलती हैं, उनको हर्रैया स्टापेज तक होना चाहिये । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि . . .

श्री अधिष्ठाता–

बाकी लिख कर भेज दीजिये ।

*श्री राम भजन लाल–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, आभारी हूं । रोडवेज का और यातायात का जो हमारे यहां काम हुआ, उसमें हम अपने मा0 मंत्री जी की दक्षता को, काम को, उनकी व्यवस्था को बधाई देना चाहते हैं । इसी के साथ मैं यह भी कहूंगा कि और विभागों के लोग भी इसी तरह से काम करें तो कोई कहने की बात नहीं रह जायगी । एक ऐसी स्थिति आ गयी थी कि ऐसा मालूम होता था कि रोडवेज विभाग खत्म हो गया है, कोई ताकत नहीं रह गयी है और इतनी जर्जर बसें हैं कि कोई इंतिहा नहीं है । आज बसें ठीक हैं, काम ठीक होता है और हम समझते हैं कि कदम आगे बढ़ रहे हैं । मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, कुछ सुझाव देना चाहता हूं । आपने जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सह-वर्तियों के साथ चलने की जो सुविधा दी है, उसके लिये बधाई देता हूं। इसी के साथ-साथ एक बात की आपसे अपेक्षा करता हूं कि जो भी प्राइवेट बसें हैं, उनका काम भी हमारा डिपार्टमेंट अच्छी तरह से देखे । जो जर्जर बसें हैं उनको फेल करके दूसरी बसें लाएं । इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को प्राइवेट बसों पर भी चलने की सुविधा होनी चाहिये । . . .

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि बहुत प्रयत्न . . .

श्री अधिष्ठाता–

मा0 सदस्य बुजुर्ग सदस्य हैं, वह अपनी बात समाप्त कर लें ।

श्री राम भजन लाल–

मान्यवर, हमारे यहां गोला की बसों को बढ़ाकर मोहम्मदी और लखनऊ से जोड़ा जाय । मोहम्मदी में तहसील हेडक्वार्टर है, अतिरिक्त टाउन एरिया है, उसको जोड़ा जाय ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, मैं पांच मिनट का समय लूंगा । मैं आभारी हूं कि बहुत मेहनत के बाद मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । श्रीमन्, मा0 मंत्री जी जब अपना बजट प्रस्तुत कर रहे थे, तो बड़े ठीक ढंग से इन्होंने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

व्याख्या की । श्रीमन् हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग तो प्राय: बलिया से लखनऊ बस से आते हैं । एक यात्री गरीब है चार आने पैसे कम हो तो कोई कण्डक्टर टिकट देने के लिये तैयार नहीं होता है और परिवहन विभाग का कांग्रेस कमेटी के ऊपर 4.5 करोड़ रु0 बकाया है । 31 अक्टूबर, 1987 तक 1 करोड़ 35 लाख रु0 बाकी था । 1988 में पुन: इस पर दो करोड़ रुपये बाकी हो गया । दिल्ली में जो रैली हुई है राजीव गांधी की, केवल 25 लाख रु0 जमा करके डेढ़ करोड़ भाड़े की बसें उपलब्ध करायी गयी ।

मान्यवर, इनका निगम घाटे में जा रहा है यात्रियों की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं । अरे बैठिये सुनिये हमें । मैं मानता हूं कि इनके परिवहन मंत्री के पहले की बात है । अगर इसमें हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी ने सारा पैसा वसूल कर निगम में में वापस लायें । आपकी खड़खड़ियां बसे चलती हैं जिनके हार्न को छोड़कर बाकी सभी चीजें बोलती हैं इन गाड़ियों को पहले ठीक कराने की व्यवस्था करें । नयी बसें जो बनकर आती हैं उनका जो क्षेत्रफल है उसमें मुश्किल से 52 आदमियों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है कानूनी तौर पर और चढ़वाते हैं उसके ऊपर 58 आदमी, 52 आदमी चढ़ने चाहिए और चढ़वाते हैं 58 आदमी । क्षेत्रफल का ख्याल ही नहीं है। परिवहन विभाग में आर0 टी0 ओ0 विभाग मौजूद है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि या तो आर0 टी0 ओ0 विभाग को समाप्त करा दें या पुलिस विभाग पर कन्ट्रोल करा दें । वे जो बेमतलब प्राइवेट टैक्सियों आदि से बेमतलब वसूली करते हैं । यह जितने अराजक तत्व हैं यह जो फैले हुए हैं इन पर कंट्रोल करें । जितने असामाजिक तत्व हैं यह लाल और नीली बत्ती लगाकर चलते हैं उन पर कंट्रोल करायें । आप उत्साही आदमी हैं अपने विभाग कंट्रोल करें बसों की समुचित व्यवस्था कराने की कृपा करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नगरा से बस चलती थी तीस वर्ष से गाड़ी बंद हो गयी है उनको चलवा दें। एक बलिया चिलकहर से चौड़ा तक चलवायें । बलिया से रतसड़ होते खोजड़ी तक बस चलवायें । इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । माननीय मंत्री जी आपको बधाई दूंगा तब जब आप कांग्रेस कमेटी पर जो निगम का बकाया है उस सारे बैलेन्स को वसूल कर निगम में ले आयेंगे ।

श्री प्रदीप माथुर–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बुनियाद साहब की बेबुनियाद बातों से ऐसा लगा कि उन्हें परिवहन विभाग की कोई जानकारी नहीं थी । हमारे युवा, सक्षम, योग्य परिवहन मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है वह सराहनीय है । हमारे प्रमोद तिवारी जी के नेतृत्व में परिवहन विभाग बहुत तेजी से आगे आया है बहुत तेज रफ्तार से आगे चल रहा है परिवहन निगम में काफी चुस्ती आयी है नयी बसों को लाया गया है । कुम्भ मेला इसका जीता जागता उदाहरण है । जो रनिंग कैपेसिटी है क्षमता है वह 170 कि0मी0 से 222 कि0मी0 हो गयी है बसों की ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

कितना लिया है मंत्री जी से यह बता दें ।

श्री प्रदीप माथुर–

इफीशियेंसी में गति आयी है इसके लिए बधाई के पात्र हैं । नगर बस सेवाओं में व्यापक परिवर्तन किया जाय और एक समस्या यह है कि आई0 टी0 एस0

..। मीटिंग नहीं होती है, उसके लिए व्यवस्था की जाय, जिससे वह मीटिंग नियमित रूप से हो सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

माथुर जी, आपका समय समाप्त हुआ, आप बैठें, मैंने बुनियाद जी को बुला लिया है ।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, जो लांग टर्म बसें हैं, उनके लिए. . .

श्री अधिष्ठाता–

मैंने आपसे कहा, आप बैठिये, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आज हमारे कटौती प्रस्ताव पर, चाहे वह सत्ता पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के सदस्य जो बोले हैं, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और मान्यवर, यह बात सही है कि सत्ता पक्ष के लोगों ने भी हमारे कटौती के प्रस्ताव का ही समर्थन किया है । वह अलग बात है कि यह उनकी मजबूरी है और सब बातें कहने के बाद, वह अपने प्रस्ताव का समर्थन करना अनिवार्य समझते हैं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने साथियों से इस तरह गवाही दिलवा रहे थे, जैसे पुलिस फर्जी मुकदमों में लोगों को फंसाकर गवाह पेश कर देती है । उसी तरह मंत्री जी ने अपने इर्द गिर्द बैठे हुए अपने साथियों को टेम्पो आदि के परमिट देने की बात कहकर अपना फर्जी समर्थन करवाया और वाह-वाह के नारे लगवा लिए । मान्यवर, एक बुजुर्ग सदस्य बीकापुर, प्रतापगढ़ के थे, जिनको मंत्री जी ने परमिट दिलवाया था ।

[समय 4 बजकर 30 मिनट]

(बीच में प्रदीप माथुर द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे । माथुर जी बैठें ।

(बीच में एक अन्य माननीय सदस्य द्वारा पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आपको जो कुछ कहना है, बाद में कहियेगा । अभी आप शान्ति से सुनें और आपस में बातें न करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि जो बात मैंने कही है, उसकी जांच करा लीजिये और माननीय सदस्य, बीकापुर, प्रतापगढ़ के जो हैं, वह बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं और मंत्री जी ने उनको टिकट दिलवाया था । मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, उन्होंने आज पूरी कीमत चुका दी । अन्त में, मान्यवर, जो बहुत ही आवश्यक सुझाव हैं, वह मैं आपको समझ रखना चाहता हूं । मान्यवर, परिवहन विभाग में जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी है और जिनकी संख्या लगभग डेढ़ हजार है, उनके आश्रितों को नौकरी आज तक नहीं मिल सकी है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन मृतकों के आश्रितों को कब तक नौकरी दिलवाने की आप व्यवस्था करेंगे ?

दूसरी बात जो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र ने संशोधन किया है कि जो प्राइवेट रूट हैं, उसके ऊपर परमिट फ्री कर दिया जायगा, तो क्या उत्तर प्रदेश शासन इस पर विचार कर रहा है और इसे कब तक लागू कर दिया जायगा ? मान्यवर, तीसरा सुझाव मैं देना चाहता हूं कि इनके परिवहन विभाग में दो तरह की व्यवस्था लागू है एक तो रोडवेज की है और दूसरी प्राइवेट है । मेरा सुझाव है कि यह अनुबंधित बसों को ले लें और दोनों तरह की व्यवस्था खत्म कर दें ।

मान्यवर, एक सुझाव मैं और देना चाहता हूं कि जो लांग रूट की बसें हैं जैसे लखनऊ से दिल्ली । तो जैसे रेलवे में आरक्षण होता है, उसी प्रकार बसों में भी ऐसी व्यवस्था हो जाय कि 2 दिन पहले, 4 दिन पहले उसमें आरक्षण हो जाये, ताकि किसी व्यक्ति को बस स्टेशन जाने के बाद वापस लौटना न पड़े । इसी प्रकार कोई बस कहां से कहां जाती है , इसकी नेमप्लेट उर्दू, अंग्रेजी और हिन्दी तीनों भाषाओं में लिखी होनी चाहिए क्योंकि जो लोग हमारे यहां बाहर से आते हैं, वह हिन्दी समझ नहीं पाते, उर्दू समझ नहीं पाते, इसलिए अंग्रेजी में भी यह अवश्य लिखा होना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि जब बस लेट हो जाती है, तो तालिका पर उसके देर से जाने का कारण तथा कितनी देर बाद बस जायेगी, लिखा जाना चाहिए और उसकी पूरी सूचना यात्रियों को दी जानी चाहिए । मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाना किसी भी विभाग के लिए सम्भव है, लेकिन आज तक परिवहन विभाग के किसी भी इम्पलाई को पुरस्कार नहीं मिला और आज मंत्री जी कह रहे थे कि वह हर कर्मचारी के साथ बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं और उनकी हर सम्भव सहायता पर विचार करते हैं लेकिन आज तक यह किसी भी कर्मचारी को राष्ट्रपति से पुरस्कार नहीं दिलवा सके । यह मेरा सुझाव है कि भविष्य में जो आपके अच्छे कर्मचारी हैं, उन्हें भी राष्ट्रपति पुरस्कार दिलाने की कृपा करें । लहरपुर से लेकर लखीमपुर वाया लकुचिया एक ऐसा मार्ग है जो आधा प्राइवेट है और आधा सरकारी है । या तो आप इसे फ्री कर दें या फिर पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले आयें ।

माननीय मंत्री जी ने अपनी कई उपलब्धतायें बताई कि हमने ये कर दिया और हमने वह कर दिया । मैं बताना चाहता हूं कि आज माल परिवहन पूर्ण रूप से गैर सरकारी है । माल परिवहन भी सरकार चलाये, इस पर वह विचार करें । इसके साथ ही मान्यवर, मैं वी0 आई0 पी0 व मंत्रियों की जो गाड़ियां होती हैं, उनके छत के ऊपर जो लाल रंग की लाईट होती है, वह बोनेट पर लगनी चाहिए, इस तरह के निर्देश आपको करने चाहिए । इसी तरह से अधिकारियों का जो रंग है वह नीली बत्ती जलती है । विधायकों की गाड़ियों की आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं । इसलिए आप निश्चित रंग चाहे वह जो हो, सम्मानित सदस्यों की मंत्रियों की तरह कर देनी चाहिए ताकि यह मालूम हो सके कि कोई जन प्रतिनिधि जा रहा है और जो यह धोखा होता है, उससे बचा जा सके । आप कहते हैं कि हम महिलाओं को बढ़ावा देते हैं । श्रीमती बख्शी दीदी जी भी आ गई हैं । वे हमेशा महिलाओं के बारे में ही कहती हैं । इन्हें भी सिफारिश करनी चाहिए कि जब आप हर जगह महिलाओं को बराबरी का दर्जा दे रहे हैं तो उन्हें ड्राइवर व कन्डक्टर

क्यों नहीं बनाया जाता इसके लिए आपको कोई परसेन्टेज निर्धारित करना चाहिए । जो गाड़ियां आपके रास्ते में खराब हो जाती हैं, उसका वास्तविक कारण यह है कि वे इनकी लापरवाही से खराब होती हैं । नये पुर्जे की जगह पर पुराने पुर्जे लगा दिये जाते हैं या फिर नये बेच दिये जाते हैं और पुराने खरीद कर लगा दिये जाते हैं । नहीं तो माननीय मंत्री जी आप मुझे बतायें कि अधिकारियों की गाड़ियां क्यों रास्ते में खराब नहीं होती हैं ? इसका कारण यह है कि उनका रख-रखाव ठीक ढंग से होता है, इसी तरह से रख-रखाव इन बसों का भी होना चाहिए । जिस प्रकार से स्पेयर पार्ट्स को निकालकर बेच दिया जाता है और जो लूट हो रही है, इसे आपको रोकना चाहिए । रेस्ट रूम ड्राइवरों के लिए भी बनाये जाने चाहिए ताकि जो ड्राइवर लम्बी रूट पर जर्नी करते हैं, वह भी आराम कर सकें । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे वर्कशाप हैं, इनमें कैन्टीन की व्यवस्था होनी चाहिए । होता यह है कि चाय-पान के बहाने वे लोग वर्कशाप से बाहर चले जाते हैं और वहां पर घण्टों समय व्यतीत करते हैं जिससे बड़ा समय का दुरुपयोग होता है । इसके साथ ही टी0 आई0 व टी0 एस0 चेकिंग पर जो निगम की आय का 10 परसेंट धन टी0 ए0 डी0 ए0 के रूप में खर्च होता है, जबकि अधिकारियों के पास गाड़ियां होती हैं और जिसका वह पूरा दुरुपयोग करते हैं, मेरा सुझाव है कि जब वह किसी बस की जांच करते हैं तो, जनता को भी इस बात की जानकारी मिलनी चाहिए, उन्हें बस में ही सफर करना चाहिए ।

अन्त में मान्यवर, जो कन्डक्टरों में भ्रष्टाचार की बात कही जाती है आमतौर से यह होता है कि रोजाना वोबिल की चेकिंग पर उसे 2 रुपये लिया जाता है तनख्वाह लेने जब वह जाता है तो तब उससे पैसा लिया जाता है, जब वह छुट्टी लेने जाता है तो तब उससे पैसा लिया जाता है और जब उसकी प्रोन्नति की जाती है तो तब उससे पैसा लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह बेइमानी नहीं करेगा तो और क्या करेगा । इसलिए आप इसे सुनिश्चित करें कि वोबिल रोजाना बिना पैसा लिए चेक हो । और जो इस प्रकार उससे पैसा लिया जाता है, उस पर रोक लगाई जाय । आज माननीय मंत्री जी के आदेशों की पूरी अवहेलना हो रही है । मेरे पास इसके कई प्रमाण हैं, यदि आप कहें तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को भेज दूं । जिस पर उन्होंने स्थानान्तरण के आदेश किये या कोई और आदेश किये । एक उदाहरण देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं निवेदन करूंगा कि अब आप समाप्त करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

लहरपुर से कानपुर एक हफ्ते में चला दें, आपने एम0 डी0 को आदेश दिया, किन्तु 20 दिन हो गये, अभी तक बस नहीं चलायी गयी । आपने कहा था कि एक हफ्ते में सीतापुर से लालबांव सिटी बस चला दें, जिसका पालन नहीं किया गया । 13 फरवरी को आपने आदेश किया. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

अब मैं निवेदन करूंगा कि आप समाप्त कर दें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

अन्त में इस कटौती के प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष से जो बोले हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि मा0 मंत्री जी सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे और निगम के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगायेंगे । इसी के साथ एक शेर पढ़कर समाप्त करता हूं–

जरा वह वक्त आने दो, तुम्हें हम फिर बता देंगे,
हुकूमत कैसे होती है हुकूमत कौन करता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं इस समय बड़े संकट में हूं । मेरा परिवहन राज्य मंत्री के रूप में कर्तव्य है कि मैं बुनियाद हुसैन अन्सारी जी ने जो नीतिगत आलोचनायें की हों, उनका जवाब दूं । मेरा कष्ट यह है कि उन्होंने नीतिगत कोई आलोचना ही नहीं की है, क्या जवाब दूं ?मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य मैनेजर सिंह जी से कहूंगा कि उनको सिखा दें कि कटौती के प्रस्ताव में नीति की आलोचना की जाती है । वह नीतिगत कोई भी बिन्दु बता दें जिसकी आलोचना की हो ? इतने बड़े संगठन में प्रशासनिक कोई कमी हो गयी हो तो वह नीतिगत आलोचना नहीं होती है । मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जीवन भर आपको इसी तरह कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होता रहे । फिर भी इन्होंने जो बातें कही हैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा ।

(सत्ता पक्ष की ओर इंगित करते हुए)

इधर के माननीय सदस्यों ने ज्ञानपूर्ण बातें जरूर कही हैं।

(विपक्ष की ओर इंगित करते हुए)

उधर के माननीय सदस्यों ने जो अंधकार में प्रकाश नहीं देख पा रहे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह–

अगली बार जब बुनियाद हुसैन साहब परिवहन मंत्री के रूप में बजट पेश करेंगे तब आपके सुझावों का फायदा उठायेंगे ।

श्री हरदेव–

उसके यह चेयरमैन रहेंगे ।

(हंसी)

श्री प्रमोद कुमार–

उन्होंने कुछ प्रशासनिक बातें कही हैं, उनके संबंध में कुछ कहना चाहता हूं ।

उन्होंने कहा कि बुनियाद हुसैन जी अगले वर्ष यहां बैठेंगे, तो यह सही है कि उनके जो क्रिया कर्म हैं फैलते-फैलते बाहर तक चले जायेंगे और हम लोग बढ़ते-बढ़ते वहां तक पहुंच जायेंगे ।

उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य प्रतापगढ़ को टिकट मैंने दिलाया था । कहना चाहूंगा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करना सीखिये । वह 1952 में विधान सभा के सदस्य होकर आये थे । मैं तो उस समय पैदा ही हुआ था और आप अगर पैदा हो भी गये होंगे तो ज्यादा से ज्यादा जांघिया पहनकर घूमते होंगे ।

(हंसी)

उन्होंने एक सुझाव और दिया है अनुबन्ध के सम्बन्ध में । उन्होंने कहा कि बसों को अनुबन्धित करना चाहिए । इस संबंध में मैं आपसे विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं. (सत्ता पक्ष के कई सदस्य एक साथ जो कुशवाहा जी ने कहा है उसे कार्यवाही से निकाला जाय ।)

श्री अधिष्ठाता–

जो कुछ बिना अनुमति के बोला गया है, वह लिखा नहीं जायेगा आप लोग शान्ति बनाये रखें ।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय सदस्य ने आग्रह किया कि बसों को अनुबन्धित कराया जाना चाहिए, लगता है कि जिस दिन मैं बसों को अनुबन्धित करने के बारे में जब बिल लेकर आया था तो सम्मानित सदस्य उपस्थित नहीं थे । इस आदरणीय सदन में बसों को अनुबंधित करने के संबंध में बिल आया था और उसके लिए सदन ने स्वीकृति भी दे दी है । उत्तर प्रदेश राजकीय परिवहन निगम ने बसों को अनुबन्धित करने की बात कर ली है अब उसके लिए आप क्या राय दे रहे हैं ?

मैंने स्पष्ट रूप से अपने भाषण में दुर्घटना के सम्बन्ध में बतलाया था मैं नहीं समझता कि उस समय माननीय सदस्य कहां पर थे कि जो उन्होंने फिर दुर्घटना की तुलना अन्य प्रदेशों से करने के लिए कहा है ? मैंने स्पष्ट कहा था कि हमारा प्रदेश दुर्घटना में कम आया है। माननीय सदस्य न बात को सुनना चाहते हैं और न ही देखना चाहते हैं। मैं यह भी नहीं कह सकता कि ये गांधी जी के "वो" हैं, ये तो "वो" भी नहीं हैं। दुर्घटना के संबंध में, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में दुर्घटना में कमी आयी है कि एक लाख कि0मी0 में सबसे कम दुर्घटना यहां पर हुई है । वर्ष 1986-87 के अनुसार महाराष्ट्र में 0.29, गुजरात में 0.28, मध्य प्रदेश में 0.25 और उत्तर प्रदेश में 0.17 दुर्घटनायें हुई हैं । तो उत्तर प्रदेश में तो सबसे कम दुर्घटनायें हो रही हैं । लेकिन यह सही है कि अगर एक भी दुर्घटना होती है तो यह कोई सम्मानजनक स्थिति विभाग के लिए नहीं है । मैं इसके लिए पूरे सम्भावित प्रयत्न करूंगा और व्यवस्था करूंगा कि कोई भी दुर्घटना न होने पावे ।

ब्रेक डाउन की बात कही गयी । कहते हैं कि कांग्रेस की बसों में ब्रेक डाउन नहीं होता है। मैं बतलाना चाहता हूं कि वर्ष 1985-86 की तुलना में आज ब्रेक डाउन आधा रह गया है जो कि निकट भविष्य में या तीन-चार वर्षों में प्रयत्न यही होगा कि कहीं भी ब्रेक डाउन न हो । उत्तर प्रदेश के मुकाबले आन्ध्र प्रदेश में ब्रेक डाउन डेढ़ गुना होता है, गुजरात में दुगुना होता है, केरल में $3\frac{1}{2}$ गुना होता है, महाराष्ट्र में दुगुना और उड़ीसा में ढाई गुना होता है। हां, राजस्थान में ब्रेक डाउन बहुत कम होता है इसमें कोई शक नहीं है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

राजस्थान में परिवहन बस निगम है ही नहीं तो ब्रेक डाउन कहां से होगा?

श्री प्रमोद कुमार–

लीजिये राजस्थान का परिवहन निगम तो इतना बड़ा है और आप कहते हैं कि वहां यह निगम है ही नहीं? माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि 88 प्रतिशत बस चल रही हैं और 12 प्रतिशत बसें नहीं चल रही हैं। मैं कहता हूं कि 88 नहीं बल्कि 90 प्रतिशत बसें हमारी आन रोड हैं जबकि 1977-80 तक आन रोड बसें केवल 35 प्रतिशत ही थीं, जिसे हम अब बढ़ा करके 90 प्रतिशत कर पाये हैं। जो बसें आन रोड नहीं हैं वे या तो रिपेयर के लिये गयी हुई हैं या किन्हीं और कारणों से यह बसें सड़क पर नहीं हैं। आन्ध्र प्रदेश की तुलना में उत्तर प्रदेश में सड़कों पर सर्वाधिक बसें हैं।

एक बात और माननीय सदस्य ने कही कि एक एकाउन्टेन्ट की परीक्षा हुई थी और उसके परीक्षाफल को मैंने रोक दिया है। मैंने उसका परीक्षाफल इसलिये रोक दिया है कि मेरे पास पांच विधायकगण आये और उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो मंत्री की हैसियत से मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया और उसके परीक्षा-फल को रोक दिया। मैंने भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया है और आप भ्रष्टाचार कराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे जितना प्रयास करें, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। दूसरी बात जो मा0 बुनियाद साहब ने भ्रष्टाचार के बारे में कही, एक तरफ तो यह स्वयं भ्रष्टाचार की बात यहां पर करते हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहते हैं, वह 14 सौ लोग ऐसे हैं, जिनको सेवा में लिये जाने की इन्होंने सिफारिश की है, उनके खिलाफ गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गति विधियां उनकी सही नहीं थी, जिस कारण वह हटाए गये और यह लोग हाई कोर्ट गये, सुप्रीम कोर्ट गये सब कुछ कर चुके हैं इस प्रकार से अगर कहीं पर भी भ्रष्टाचार है, उसे हम हर प्रकार से समाप्त करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को किसी की भी सिफारिश या दबाव से नहीं रखा जा सकता है। वैसे मैं मा0 बुनियाद साहब का बड़ा आदर करता हूं, लेकिन इस मामले की सिफारिश से मुझे ऐसा लगा कि इनका शायद अब पूरी तरह से डिस्लेमेंट हो चुका है, हां, अगर किसी के साथ कोई न्याय नहीं हुआ है, वह व्यक्तिगत मामला आप हमें दें, हम उसको दिखवायेंगे और यदि उन पर लगाए गये आरोप सही सिद्ध हुए, तो उन्हें कदापि नहीं रखा जायेगा और यदि किसी प्रकार से वह आरोप गलत सिद्ध न हुए तो ऐसों को तत्काल रखने को तैयार हैं।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, यह उल्टी बात कह रहे हैं, हमने तो यह कहा था कि. . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

नहीं-नहीं माननीय बुनियाद साहब, ऐसा नहीं आप किसी भी मा0 वरिष्ठ

सदस्य से पूंछ लीजिए कि जब मा0 मंत्री का उत्तर भाषण हो रहा हो तो बीच में कोई सवाल नही किया जा सकता है, न स्पष्टीकरण।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर पूरे 52 हजार कर्मचारियों का विभाग है, जहां पर हर तरह व जाति के लोग हैं, इनकी ओर से यह कहा गया कि जातिवाद का बढ़ावा हम दे रहे हैं। मान्यवर यह बात कुम्भ मेले की है, यहां पर कुछ अधिकारियों को लगाया गया था, जो प्रदेश का इतना बड़ा ऐतिहासिक मेला था, जिसमें लगभग डेढ़ करोड़ यात्री जगह-जगह से आए और इस बड़ी भीड़ में एक भी दुर्घटना नहीं हुयी तो यह अधिकारी सक्षम थे या अक्षम (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर मुझे तो अपने सेलेक्शन पर पूरी तरह से गर्व है और मैं जानता हूं कि यह बात माननीय बुनियाद साहब ने अपनी ओर से नहीं कही है, क्योंकि इनका इस प्रकार का नेचर ही नहीं है, यह बात जरूर किसी भ्रष्ट अधिकारी ने इनसे कही होगी, उसी के आधार पर यह इन्होंने कहा है, मैं जानता हूं कि वह अधिकारी कौन है और मैं इस मामले की जांच भी करवाऊंगा और जो अधिकारी प्रशासनिक कार्यों में गड़बड़ी करते हैं और वह समझते हैं कि इस प्रकार के कार्यों से या किसी के दबाव से उनको अच्छे पद पर बैठा दिया जायगा, यह भूल है उनकी।

ललितपुर के माननीय सदस्य ने जो बात कही, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ललितपुर भी हमारा जनपद है, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जहां बस चलाने की आवश्यकता देखी जायेगी, और हम चला सकते हैं तो अवश्य चलाएंगे एक बात उन्होंने जो कही राष्ट्रीय मार्ग वाली कही, वह सही नहीं है, वह अराष्ट्रीयकृत मार्ग है, राष्ट्रीयकृत मार्ग उसे कहते हैं जहा हमारी निगम की बसें चलती है और अराष्ट्रीयकृत मार्ग वह है, जहां पर प्राईवेट बसें चलती हैं, मा0 सदस्य ने जिसका जिक्र किया है, उस मार्ग का संबंध पी0 डब्लू0 डी0 से है, रोडवेज से नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको दिखवाएंगे आर0 टी0 ओ0 के माध्यम से, अगर वहां हम बस चला सकते हैं, तो अवश्य चलवायेंगे। समय मान्यवर बहुत कम है, इस कमी के कारण सभी मा0 सदस्यों की बातों का जवाब नहीं दे सकता हूं, कई मा0 सदस्यों ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, वैसे अब तक तो स्थिति काफी स्पष्ट हो चुकी है। मैं केवल एक औपचारिकता निभा रहा हूं, क्योंकि माननीय सदस्य ने कोई नीतिगत आलोचना ही नहीं की है। मैं आग्रह करूंगा कि या तो वह नीतिगत आलोचना करें या अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अधिष्ठाता–

क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। एक स्पष्टीकरण दिला दें।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें। मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 43-परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,48,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आभार प्रकट करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 48 मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या 70 श्रम विभाग (सेवा योजना), अनुदान संख्या 26 गृह विभाग (कारागार) अनुदान संख्या 28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय), अनुदान संख्या 29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)

श्री अधिष्ठाता–

श्रम मंत्री जी पहले अपने तीनों प्रस्ताव रख दें, फिर कुछ कह लें, तब कटौती का प्रस्ताव माननीय बाबर साहब पेश करेंगे और कुछ कह लेंगे। फिर कारागार मंत्री जी प्रस्ताव को पेश कर लेंगे और कुछ कह लेंगे और शायद कटौती का प्रस्ताव बदन सिंह जी प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वह प्रस्ताव को प्रस्तुत कर लेंगे और कुछ कह लेंगे। इससे आसानी हो जायेगी और सभी को मौका भी मिल जायेगा।

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन)–

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री सैयद सईदुल हसन–

(1) मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-69 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,20,98,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(2) मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,33,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, यह वक्फ जो मोहकमा है, वह जो ट्रस्ट हैं, उनकी देखभाल करता है और उनके डेवलपमेंट के लिए है । यह बड़ा नेक काम है । इसके अन्तर्गत जो 1 लाख 15 हजार छिपे हुए अवकाफ थे, वह रजिस्टर हुए और इनसे अवकाफ की आमदनी बढ़ी है । 45 जिलों की नोटीफाइड हैं । इसकी आमदनी 85,397 रुपये होगी । 1988-89 में एक डेवलपमेंट कारपोरेशन माननीय मुख्य मंत्री जी ने कायम किया था उसके जरिये से 3 करोड़ 85 लाख रुपये के 30 प्रोजेक्ट्स उन्होंने लिये हैं और उन पर काम शुरू हो गया है । ये प्रोजेक्ट इसलिए हैं कि जो अवकाफ की जमीनों पर बिजनेस काम्प्लेक्स बनें उनसे उनकी आमदनी बढ़ेगी । यह हमेशा-हमेशा के लिए यादगार रहेगा । मान्यवर, अवकाफ की अरबों रुपयों की जायदाद है और इससे उसको बचाया जा सकता है । इसके सिलसिले में जो खाली जमीनें थीं उन पर पेड़ लगाये गये अरबों की क्षति हो रही थी, उसको स्टैम्प ड्यूटी से एग्जेंप्ट कर दिया। हमने यह विचार किया है और इस पर बहुत से सुझाव भी आये हैं कि अवकाफ की प्रोपर्टीज को रेन्ट कंट्रोल से एग्जेम्प्ट कर दिया जाय । इस सिलसिले में एक हाई लेबुल मीटिंग हुई है और यह भी शासन के विचाराधीन है। बहुत से सूबों में इसके बारे में डिसीजन लिया जा चुका है । हम अवकाफ की प्रोपर्टी पर नाजायज कब्जों को हटाने का विचार कर रहे हैं और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं ।

मान्यवर, हमारा जो दूसरा विभाग है उसमें मेहनतकश लोगों को दौलतमन्द लोगों और धनवान लोगों से राहत दिलाने के लिए बराबर कोशिश कर रहा है । इस बारे में हमारा श्रम विभाग गतिशील रहता है। इसमें 10,500 जो फैक्ट्रीज हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 8 प्राइवेट फैक्टरीज हैं जिनमें 8 लाख श्रमिक भाई काम करते हैं इनमें 1 लाख 34 हजार प्राइवेट फैक्टरीज में और 21 हजार काम करते हैं गवर्नमेंट की पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में । इनमें 9400 इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हुए जिनमें 7600 सेटिल हो गये । इनमें हमारे आफीसर्स ने इन्सपेक्शन किया 3 लाख 55 हजार और प्रोसीक्यूशन जो हुआ वह 46 हजार किया । हमारे पिछले साल के मुकाबले में स्ट्राइक और लाक आउट 88 हुए जब कि पिछले साल 111 थे । पिछले साल 17 लाख मैनडेज लास थे । दो फैक्टरीज रायबरेली की टैक्सटाइल मिल और अजन्ता टैक्सटाइल मिल गाजियाबाद में हैं उनकी वजह से 6 लाख लास ज्यादा हो गये । मान्यवर रायबरेली और अजन्ता की फैक्टरी भी चालू हो गई है । मान्यवर, हमारी पालिसी है कि जो इस तरह के झगड़े हैं वे न हों और इसी के तहत उत्तर प्रदेश के अन्दर इस साल सबसे कम लाक आउट और स्ट्राइक हुई है इसलिए मैं अपने श्रमिक भाइयों का आभारी हूं । जहां-जहां भी इस तरह के झगड़े और एजीटेशन हुए हैं हमने बैठकर उनको तय कराया है । हमारे हर फैसले को उन्होंने माना है । हमने उनको बोनस और मंहगाई दिलाया और उनके जो जायज हकूक थे उनको दिलाया। उत्तर प्रदेश सरकार और खासकर हमारे मुख्य मंत्री जी ने तय किया है कि जितनी भी पब्लिक अन्डर टेकिंग है या जितनी प्राइवेट फैक्ट्री हैं उनमें वर्क्स का मनेजमेंट में पार्टीसिपेशन हो । बहुत सी पब्लिक अन्डरटेकिंग में हम कामयाब हो गये हैं और हमें उम्मीद है कि और ज्यादा हमें कामयाबी मिलेगी । हमारे श्रमिक भाइयों ने दूरअंदेशी से प्रोडक्सन बढ़ाया है । जितने भी हमारे छोटे-मोटे कारोबार हैं उनमें हमने मिनिमम वेज लागू कर दिया है और वेजेज रिवाइज की हैं । जो कभी-कभी छोटी-मोटी गलतफहमियां हो जाती हैं उनको हमारे लेबर आफिसर्स ने लेबर कमिश्नर ने इंटरवीन करके दूर किया है ।

पिछले दिनों एक दुखद वाक्या कानपुर में के0 के0 पाण्डे एवार्ड के उपर हो गया था उस एवार्ड को किसी ने पढ़ा नहीं, काफी बड़ा 3 सौ पेज का वह एवार्ड था वहां के वहां के इम्पलायर्स ने उसे कर दिया और रिट्रेंचमेंट शुरू कर दिया । हमारे आफीसर्स ने हमारे लेबर कमिश्नर ने के0 के0 एवार्ड को रिवाइज करने की एप्लीकेशन दी और उसे स्टे कराया । इसमें तय हुआ कि उसकी मानेटरिंग कमिश्नर करेंगे जिसमें 5-5 रिप्रजेंटेटिव लेबर और इम्पलायर के होंगे और जब तक इसमें फैसला नहीं होगा तब तक लागू नहीं किया जायेगा । इसी दौरान इम्पलायर हाईकोर्ट चले गये और वहां से स्टे ले लिए तो उसके बाद एजिटेशन शुरू हो गया । हमारे श्रमिक भाइयों ने समझ से काम लिया और कोई नाखुश-गंवार वाक्या नहीं होने दिया उन्हें मालूम था कि उनके साथ मुख्य मंत्री जी की हमदर्दी है । मैं उन माननीय सदस्यों का भी आभारी हूं जो सब काम छोड़ कर वहां गये और उन्होंने भी सुझाव दिया कि इस एवार्ड को कैंसिल कर दिया जाय । उस फारमैलिटीज में कुछ टाइम लगा क्योंकि यह गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उसमें भारत सरकार से भी उस पर फैसला हुआ कि एवार्ड कैंसिल कर दिया जाय । 5 दिन तक रेल रोको आंदोलन चला वहां के जिला मजिस्टेट और एस0 एस0 पी0 ने बड़ी समझ से काम लिया और लेबर कमिश्नर ने भी मजबूती से काम लिया इसके लिए मैं उनको मुबारकवाद देता हूं और कोई नाखुश-गंवार वाक्या नहीं होने दिया मैं इसके लिए श्रमिक भाइयों को भी मुबारकवाद देता हूं ।

अब मैं आई0 टी0 आइज0 के बारे में कहना चाहता हूं यह हमारी आई0 टी0 आइज0 हैं जिनमें से 104 आई0 टी0 आइज0, 44 जी0 टी0 आइ0 और 65 ब्रांच आई0 टी0 आइ0 हैं जिनमें 50 हजार लड़के तालीम पाते हैं, 74 प्राइवेट आई0 टी0 आइ0 काम कर रहे हैं जिनमें से 16 रिकगनाइज हैं जिनको मान्यता दी है । यहां पर जाब ओरियंटेड ट्रेनिंग दी जाती है जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी का प्रोग्राम है। जो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन हैं उनसे कहा है कि ट्रेड की ट्रेनिंग दें जो जाब ओरियंटेड हो । आज खाली एम0ए0बी0ए0 करने से कोई फायदा नहीं है । हमारे बहुत से इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड की ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको हम मान्यता दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी जा सके ।

इसके साथ ही हमारे इ0 एस0 आइ0 हास्पिटल हैं उन अस्पतालों में उसमें 12 अस्पताल हैं, 129 डिस्पेंसरीज हैं और 9 और खोल रहे हैं अलीगढ़, पिपरी आदि जगहों पर इसमें जो इलाज होता है उसमें हम तमाम 600 से ज्यादा डाक्टर काम कर रहे हैं । एस0 आई0 को इस साल 10 हजार रुपये का इनाम भारत सरकार ने दिया है । हम डाक्टरों की और स्ट्रेन्थ बढ़ा रहे हैं । कानपुर में कार्डोलोजी का प्लांट लगाया ऐसे ही लखनऊ में इक्यूपमेंट हेतु ला रहे हैं । मान्यवर, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि विचार यह हो रहा है कि जहां-जहां हमारे यह अस्पताल हैं वहां जो इक्सपर्ट्स और डाक्टर हैं यदि उनमें जनता के लोग, खासतौर से कर्मचारी आकर दिखाना चाहते हैं और दवाइयों की कीमत दें तो विचार कर रहे हैं कि उनको भी हम एलाउ करें और सुविधा दें । मान्यवर, ऐसे ही बीड़ी मजदूरों के लिए 12 डिस्पेंसरीज हैं और एक गोसाईगंज में खोल रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह लाइम स्टोन पत्थर जोड़ने वालों के बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के दौरान उनको स्टाइपेंड देते हैं । इसी

तरह बीड़ी मजदूरों के बच्चों को ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड देते हैं। मान्यवर, चाइल्ड वेलफेयर सेन्टर खुले हैं एक फिरोजाबाद में, एक बनारस में, एक अलीगढ़ में, एक मुरादाबाद में जहां बच्चों को खाना, शिक्षा दी जाती है और उनके माता पिताओं को परसुएड करके बच्चों को ट्रेनिंग देकर काम में लगायें । इसके लिए 11 करोड़ रुपये भारत सरकार ने मंजूर किया है।

इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी माननीय सदस्य इस पर गौर करेंगे और जो आपके सुझाव होंगे उस पर हम ज्यादा से ज्यादा अमल करने की कोशिश करेंगे ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या 48-मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या 70– श्रम विभाग (सेवायोजन) के अंतर्गत संपूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ।

कमी का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

श्रीमन्, मंत्री जी अभी जब प्रस्ताव रख रहे थे तो कहा था कि यह विभाग अल्लाह के भरोसे है । तो उनकी यह बात सही है और इस हदतक कि उसका न तो कोई बजट है, न कोई कागज मिला है और न उसका कोई पर्चा ही बंटा है । इस तरह बिल्कुल यह मुहकमा अल्लाह के भरोसे से है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह तो पूरी सरकार ही अल्लाह के भरोसे चल रही है।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

मान्यवर, मंत्री जी अभी जब जिक्र कर रहे थे तो फिर अल्लाह की बात कर रहे थे । तो मैं यहां की बात अर्ज करना चाहता हूं कि हजरतगंज, लखनऊ में वाजिद अली शाह के पिता का मकबरा है, 1857 में जब हिन्दुस्तानी सैनिक भाग रहे थे तो वहां खड़ी एक औरत ने कहा कि मैं निहत्थी हूं और अंग्रेजों के सामने से नहीं भाग रही हूं तुम लोग क्यों भाग रहे हो, लेकिन आज उसी मकबरे में शराब की दुकान खुली है, जो ठीक नहीं है । मान्यवर, बताना चाहता हूं कि रेजीडेन्सी की रक्षा तो हो रही है लेकिन जहां आजादी छीनने की कोशिश की गयी थी उस मकबरे की रक्षा सरकार नहीं कर रही है. . . । लेकिन उस मकबरे में, जिससे पहली जंग आजादी का गोला दगा था, फ्री मेंशन लाज खुल गया है और वहां शराब की बोतलें चलती हैं । मंत्री से लेकर चपरासी तक मुसलमान हैं, फिर भी हालत यह है कि सरकार की कि जितनी भी मस्जिद हैं गिर गई और उस पर एल0डी0ए0 के ट्रेंचटर्स चल गये । कल जहां लोग सिजदा करते थे, आज शराब खानी चल गये हैं । यह काम हमारे अम्मार रिजवी से लेकर सईदुल हसन साहब ने किया है । यह गुनाह करने वाले कोई हिन्दू नहीं हैं, बल्कि

मुसलमान हैं, जो उन पर कब्जा कर रहे हैं । यहां एक करबला मस्का आफात जहां है, उस पर हमारे स्पीकर महोदय ने जो मालियात कारपोरेशन के सदर हैं, उन्होंने इसमें इसकी 10 बीघा जमीन का प्रस्ताव किया था डेढ़ करोड़ रुपया देने के लिए । शर्त यह थी कि डेढ़ करोड़ रुपया खर्च करने के बाद कारपोरेशन जो इमारतें बनवाएगा उससे साढ़े 13 लाख की आमदनी होगी । इससे आमदनी होती और यह भी तय हुआ था कि 30 साल के बाद जब सारा कर्ज अदा हो जाएगा तो फिर यह बिल्डिंग और जायदाद वक्फ को वापस हो जाएगी । किन्तु यह इतना अच्छा प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने स्वीकार नहीं किया । यह एक हाउसिंग सोसाइटी को पांच-साढ़े पांच रुपये फिट पर दे देंगे । यह 10 बीघा जमीन 11 लाख में दे दी गयी, किन्तु इनको डेढ़ करोड़ पसन्द नहीं आया, क्योंकि अल्लाह को मंजूर नहीं था । मंजूर होता तो यह हो जाता डेढ़ करोड़ वाला सौदा । अल्लाह की राह, अल्लाह की जायदाद जा रही है।

मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे मंत्री कितने संवेदनशील मुसलमान हैं कि आज मुसलमानों की सारी जायदाद पर कब्जा हो रहा है और मुसलमान मंत्री हैं, उनका काम इस देश के मुसलमानों को लेकर देश की अखण्डता और एकता के प्रति अविश्वास पैदा करना है । हम किससे शिकायत करें, अल्लाह से कहें या मंत्री जी से कहें ? मामला बहुत टेढ़ा है । हमने एक तवारीख पढ़ी थी महमूद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो उसने गाय बीच में खड़ी कर दी थी और जब इनको हमारे मकबरों और कब्रों पर कब्जा करना हुआ तो इन्होंने मुसलमान मंत्री जी को सामने खड़ा कर दिया है ।

अब मैं मुख्य सवाल पर आ रहा हूं । माननीय मंत्री जी के श्रम विभाग को या उनकी श्रम नीति को श्रम नीति कहना मुनासिब नहीं होगा, श्रम विरोधी नीति कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा । इसके अन्तर्गत विभिन्न मदों में सरकार ने जो पैसा रखा है, कहने के लिए तो यह सामाजिक सुरक्षा हेतु दी जायगी, परन्तु यह उसके कामों पर नहीं खर्च होगी, बल्कि इसका 99 परसेंट मेन्टीनेन्स और तनख्वाहों पर खर्च होगा । माननीय मंत्री जी ने अभी बड़े जोर से एक बात कहीं, सरकार की श्रम नीति को अमल में लाने की बात कही । मिनिमम वेजेज की बातें कहीं । न्यूनतम तनख्वाहों में आप क्या देंगे । अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था । वह संभवतः माननीय मंत्री जी के ज्ञान में होगा । जिसमें माननीय जस्टिस श्री पी0एन0 भगवती और बेहरुल असलम ने फैसला दिया था-सेवा योजक न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम वेतन नहीं देता है तो उसके मजदूरों को भारतीय संविधान के मूल अधिकार से वंचित बंधुआ मजदूर समझा जाना चाहिए । यह न्यूनतम वेतन कहीं दे रहे हैं कहीं नहीं दे रहे हैं । यह बात निश्चित है कि निगम और सरकारी नियोजक न्यूनतम वतन नहीं दे रहे हैं फिर प्राइवेट पर क्या नियंत्रण होगा ।

मान्यवर, हमारी सरकार ने एक आदेश निकाल दिया है कि न्यूनतम वेतन देने की पाबन्दी सरकार और निगम पर नहीं है तो जो सरकार आदर्श सेवायोजक है, तो हम जानना चाहते हैं कि उसका आदर्श क्या है । न्यूनतम वेतन हमको नहीं मिला इसके लिए स्वयं आपने निगमों को मुक्त कर दिया है इस पर कोई पाबन्दी नहीं है । श्रीमन् यह स्थिति पैदा हो गई है कि स्वयं शासन स्वयं श्रम विभाग हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है और फिर कहा जाता है कि बड़े लोगों से बचाने के लिए

श्रम विभाग कार्य कर रहा है । सबसे गड़बड़ जो बात है वह यह है कि जो न्यूनतम वेतन काटने के लिये हमारी सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है कि उनको इससे मुक्त कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में हमारी सरकार और हमारे श्रम मंत्री प्राइवेट सेवायोजकों के ऊपर कौन से दबाव डाल पायेंगे कि न्यूनतम वेतन दें । श्रीमन् यह स्थिति कारपोरेशन पी0डब्लू0डी0 और जल निगम में है । सारे कारपोरेशनों के अन्दर यही स्थिति है । न्यूनतम वेतन की जो बात कही है वह 208 और 209 है । 24 रु0 50 पैसे और 25 रुपये 25 पैसे प्रतिदिन है इस पर हमें 429.00 रुपये और 357.00 रुपये मंहगाई भत्ता मिलता है । मान्यवर, जब बहुगुणा जी मुख्य मंत्री जी थे और राजमंगल पाण्डेय श्रम मंत्री जी थे, उस समय चीनी मिल के मजदूरों के लिए नियम निर्धारित था कि जो मूल्य सूचकांक है उसको मानकर मजदूरी दी जाए। तो अगर आप वह भी मान लें तो भी मजदूरी 8, 10 रुपये प्रतिमाह पड़ जायगी उसका भी आज आप देने को तैयार नहीं हैं । जो आज से दस साल पहले की सरकार ने दी थी । जो बहुगुणा जी और राजमंगल पाण्डेय जी की थी आप वही लागू कर दें । गाजियाबाद के मजदूरों ने कहा है कि कम से कम 1050 रुपया माहवार न्यूनतम वेतन कर दिया जाय । इसी मसले को लेकर पिछले दिनों हड़ताल हुई थी जिसके कारण सफदर हाशमी की हत्या हो गई थी, यह सरकार छाती पीट-पीटकर उनकी हत्या का अफसोस करती रही लेकिन उनकी हत्या के बाद भी यह सरकार 1050 रुपया करने को तैयार नहीं है न्यूनतम वेतन, न्युनतम अवधि के लिए मजदूरी संघर्ष करें इसके लिए भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है ।

आपने कह दिया कि 240 दिन पूरे कर ले तो उसको मुस्तकिल श्रमिक करें और 3 साल तक काम करले तो उसको नियमित कर दिया जायगा । लेकिन स्थिति यह है कि निगमों में असंगठित मजदूरों के लिये कोई स्थायी आदेश नहीं है । अगर इन श्रमिकों के 240 दिन पूरे हो जाते हैं या 3 साल पूरे हो जाते हैं और यह मजदूर अपना हक मांगते हैं कि न्यूनतम वेतन दिया जाय तो सरकार उसकी परवाह नहीं करती है । इनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है । इसीलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक स्थायी आदेश कर दीजिये, स्टैंडिंग आर्डर्स कर दीजिये । आपने कहा कि कमेटी बना रहे हैं । मेरा कहना है कि इस पर कमेटी बनाने की क्या आवश्यकता है । आप एक अध्यादेश जारी करके जो माडल स्टैंडिंग आर्डर्स हैं उनको लागू कर दीजिये । अभी माननीय मंत्री जी ने पाण्डेय एवार्ड की बात कही । यह के0के0 पाण्डेय एवार्ड का किस्सा कैसे उठा मैं उसकी तह में मंत्री जी को ले जाना चाहता हूं।

कानपुर की मिलों के बारे में त्रिदलीय सम्मेलन का मसला था । लोग भूल गये कि त्रिदलीय सम्मेलन कब होगा । अभी सेवायोजकों ने देहरादून में एक मीटिंग बुलाया जिसमें माननीय मंत्री जी भी पधारे और वहां पर मंत्री जी ने सेवायोजकों की वकालत की । वह दो दलीय सम्मेलन था । हमारे वीर बहादुर सिंह जी ने कहा था कि 60 रुपया बढ़ोत्तरी कर देंगे । जब श्रम मंत्री वहां गये तो उन्होंने 60 रुपये की जगह 45 रुपया कर दिया । इसके अलावा वर्कलोड भी उन पर इतना लाद दिया गया है कि 45 रुपया देना न देना बराबर हो गया । कानपुर में पाण्डेय को क्यों इजाजत दी गयी क्यों उनको बना दिया गया ? सारे नियमों को ताक पर रख कर बिना किसी नियम के के0 के0 पाण्डेय ऐसे भ्रष्ट आदमी को बनाने की क्या आवश्यकता थी जिसके दो बेटों

को लाल इमली मिल में नौकरी मिल गयी थी । कानपुर में जो हुआ वह शासन की गलत नीतियों के कारण हुआ । वहां पर 5 दिन मिलें बन्द रहीं, कानपुर बन्द रहा । वहां पर कमिश्नर का घेराव हुआ । यह सब जो हुआ वह किसकी जिम्मेदारी है । इस देश और प्रदेश को जो आर्थिक हानि पहुंची उसकी जिम्मेदारी मंत्री जी पर है, उनकी गलत नीतियों के कारण यह असन्तोष कानपुर में फैला । माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि जिस तरह से कानपुर के मजदूरों ने किया उसी तरह कानपुर के बाहर के मजदूर भी उसी रास्ते पर खड़े हों ।

इसी तरह से मैं इंजीनियरिंग मजदूरों की बात करना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने सन् 86 में एक कमेटी बनायी । 1987 में उसकी रिपोर्ट आ गयी । लेकिन दो साल से वह माननीय मंत्री जी के झोले में पड़ी है आपकी संस्तुति के लिये ।

[समय 5 बजकर 30 मिनट]

पूरे हिन्दुस्तान में इंजीनियरिंग के मजदूरों को जो मिल रहा है, उसका आधा उत्तर प्रदेश के इंजीनियरिंग के मजदूरों को मिल रहा है । माननीय मंत्री जी को कौन सी ऐसी बड़ी भारी मोह दबी हुई है इंजीनियरिंग के मालिकों के साथ, उसकी रिपोर्ट के बाद भी माननीय मंत्री जी उसको क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं ? उसको क्यों अपने पास रखे हुए हैं? माननीय मंत्री जी इसे कब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या माननीय मंत्री इसका आश्वासन देने जा रहे हैं तो उसकी घोषणा करें ।

मान्यवर, एक बड़ा मसला है, कई करोड़ श्रमिकों का, जो गांवों के अन्दर हैं, माननीय मंत्री जी ने सामाजिक सुरक्षा की बात कही । सामाजिक सुरक्षा कुछ न कुछ तो हमारे श्रमिकों को तो मिलती है, लेकिन जो गांव में खेतों में काम करते हैं, जिनकी संख्या 1980 में 51 लाख थी, अब बढ़कर 1 करोड़ हो गयी है, उनको कौन सी सुरक्षा है? ये हरिजन जाति के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनके बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है, इनके लिए पेंशन और ग्रेच्युटी की सुविधा नहीं है, उनका कोई सहारा नहीं है, वे कुत्ते बिल्ली से बदतर जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । ऐसे श्रमिक कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जो हमारे उत्तर प्रदेश के गांवों में जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं । इन श्रमिकों के लिए कौन सी सुविधा हमारे माननीय मंत्री ने कर दिया? रात में इसी खेत में काम करते समय सांप-बिच्छू काट लेते हैं । माननीय मंत्री जी उसके लिए कौन सा ऐलान करने जा रहे हैं? मान्यवर, मैं एक सवाल और करना चाहता हूं । इस प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर हर सरकारी नौकर को पेंशन मिल रही है । लेकिन जो करोड़ों मजदूर, जो दिन-रात काम करते हैं, जिनके बुढ़ापे पर भी उनके लड़के भी नहीं पूछते, क्या उनको आप पेंशन देने की बात करेंगे? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी सदन में ऐलान करें कि जो गांव का खेतिहर मजदूर, जिसकी उम्र 60 साल हो गयी है, उसके लिए पेंशन की व्यवस्था करेंगे ।

चीनी मिल के बारे में, जिनको आपने अधिग्रहण किया है, उनका ग्रेच्युटी का 21 लाख रु0 पी0एफ0 का बकाया है । उनका 71 लाख रुपया ग्रेच्युटी का बकाया है, 70 लाख रुपया रिटेनिंग एलाउन्स का बकाया है। 4 लाख रुपया दूसरे मदों का बकाया है, कुल मिला कर 8 करोड़ 49 लाख से ज्यादा बाकी है । इन चीनी मिलों का अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन हमारा शासन आज मजदूरों का यह रुपया देने के लिए तैयार नहीं है । इन चीनी मिलों को एक नया पैसा आपने मुआवजा नहीं दिया

है और अरबों रुपये की सम्पत्ति का आपने अधिग्रहण किया है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सदन के अन्दर आश्वासन दें कि श्रमिकों की जो सारी बकाया रकम है उन्हें अदा कर दिया जायगा । यह बजट इस प्रदेश के लिए कलंक है । जिस प्रदेश में मजदूरों को सुरक्षा न मिल सके, वह बजट इस सदन के लिए यहां के मजदूरों के लिए कलंक है । मैं फिर अपनी कटौती पर बल दे रहा हूं । इस पर 1 रुपया से अधिक देना उचित न होगा।

गृह एवं जेल राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा धनराशि के अतिरिक्त 23,37,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28-गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,44,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29-गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत जनराशि के अतिरिक्त 28,10,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्रीमन्, माननीय सदस्य अवगत हैं कि कारागारों का प्रमुख दायित्व और उद्देश्य अपराधियों से समाज की रक्षा करना तथा उनकी मनोवृत्ति एवं मानसिकता में सुधार लाकर उन्हें समाजीकरण पुनर्वासन के लिए उनको प्रस्तुत करना है, तैयार करना है । वर्तमान समय में बन्दियों के रख-रखाव तथा सुधार एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 5 केन्द्रीय कारागार दो खुले शिविर धूर्मा एवं सितारगंज, एक आदर्श कारागार लखनऊ में है, 51 जिला कारागार एक किशोर सदन बरेली में, एक नारी बन्दी निकेतन लखनऊ में, तीन उप कारागार हैं; एक सदर लाक-अप गोरखपुर में है, लखनऊ में एक जेल ट्रेनिंग स्कूल कार्यरत है, एक जेल डिपो लखनऊ में स्थित है ।

श्रीमन्, वर्ष 1985–90 के दौरान सामान्य बजट के अतिरिक्त जेल प्रशासन के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु आयोजनागत पक्ष में 31,67,58,000 तथा आयोजनेत्तर पक्ष में 3,68,70,000 रुपया प्राप्त हुआ है । श्रीमन्, कारागार विभाग की उपलब्धियों को मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं । इसमें मुख्य जो हमारा उद्योग है कारागार में उसमें गत वर्षों में 1988 में 371.73 लाख रु0 का औद्योगिक उत्पादन प्रदेश की कारागारों से हुआ है जो पिछले वर्ष से 42,54 लाख रुपये अधिक है । श्रीमन्, जो उद्योग हैं उसके माडरनाइस के लिए आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार ने 50 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में इस वर्ष हमको दिया है और वह 18 लाख

श्रीमन्, जो उद्योग हैं उसके माडरनाइज के लिए आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार में पालीथीन फिल्म तथा थैले का निर्माण कार्य पेन्ट व वारनिश का निर्माण तथा एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जायेगी । श्रीमन्, जहां तक कृषि का सम्बन्ध है हमारे पास 2206 एकड़ जमीन सितारगंज में भूमि है जिसमें से 1200 एकड़ में हम खेती कर पाते हैं और 7245 एकड़ अन्य जेलों में खेती है । खेती से उत्पादन बढ़ाने के लिए कारागार प्रशासन की आधुनिकीरण योजना के अन्तर्गत 29 ट्रैक्टर इस वर्ष खरीदे जायेंगे जबकि 17 सितारगंज में है । आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर तथा विभिन्न कृषि यन्त्रों के क्रय के लिए रु0 50.75 लाख रुपया के व्यय का प्राविधान है । मान्यवर, कारागार विभाग के जो, मुख्य-मुख्य कार्य हैं वह बताता हूं अष्टम वित्त आयोग में 2 उप कारागार भवन का निर्माण देव बन्द तथा महोबा में करीब पूरा हो गया है, 3 महिला कारागार लखनऊ व अलीगढ़ में निर्माणाधीन हैं, 14 जेलों में बाल कारागार भवनों का निर्माण, हम चाहते हैं कि यह जो अवयस्क अपराधी हैं बच्चे हैं नाबालिग उनके लिए अलग से कारागार बनाये जायं तो 14 जेलों में बाल कारागार का निर्माण हो रहा है 27 करागारों में पेयजल की आपूर्ति तथा 34 कारागारों में स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, 29 कारागारों में विद्युतीकरण और 999 आवासीय भवनों का निर्माण किया जा रहा है ।

श्रीमन्, यह 12 राजकीय बन्दियों के "बी" श्रेणी की जो बैरके हैं 7 जिलों में बनायी जा रही है जिला कारागार बदायूं और एटा में भी 3 बैरकों का निर्माण हो रहा है।

इसके अलावा श्रीमन्, श्रेणी-1 के 104 आवासीय भवनों का निर्माण करा रहे हैं । श्रेणी–4 के सुपरिंटेंडेंट के आवासीय भवनों का निर्माण शुरू हो गया है । जिला कारागार, बुलन्दशहर के नये कारागार भवन का निर्माण अगले वर्ष में शुरू हो जायगा । भूमि का कब्जा ले लिया गया है । श्रीमन्, बावजूद आतंकवादी गतिविधियों और कानून व्यवस्था की स्थिति के कारागार विभाग के अधिकारियों की सतर्कता और चौकसी के कारण जो पलायन की घटनाएं थीं, उनमें खासी कमी हुई है । वर्ष 1986 में 30 बन्दी पलायन कर गये थे, 1987 में 17 और 1988 में 7 रह गये । इससे प्रतीत होता है कि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मुस्तैदी से अच्छा काम हो रहा है । श्रीमन्, प्रदेश के कारागारों की आधुनिकीकरण योजना के लिये केन्द्र सरकार के द्वारा शत प्रतिशत अनुदान, हन्ड्रेड परसेन्ट ग्रान्ट। दिया जा रहा है जिससे इस प्रदेश के 5 केन्द्रीय तथा जिला कारागारों में, जो अधिक संवेदनशील हैं, उनके अन्दर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये, उनकी सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत चारों वालों के ऊपर वाच टावर, बीच में नियंत्रण टावर का निर्माण कराएंगे और वाकी टाकी, मेटल डिटेक्टर, जीप दूरबीन, इन्टरकाम आदि की व्यवस्था कराएंगे । इसके लिये व्यवस्था भारत सरकार ने की है ।

मान्यवर, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 10 जिला कारागारों का आधुनिकीकरण करने के लिये 50 प्रतिशत ग्रान्ट दी गयी है और अपने शेयर एक करोड़ छत्तीस लाख की स्वीकृति दे दी है । जिससे 10 जिला कारागारों में सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिये, आधुनिकीकरण के लिये सुरक्षा के उपकरणों के लिये, संयंत्र के लिये जैसा कि मैंने बताया कि 5 कारागारों में वाच टायर के लिये और दूरबीन, मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था के लिये, नयी राइफल खरीदने के लिये प्राविधान किया गया है । इसके अलावा श्रीमन्,

मुझे यह सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि जो हमारे बन्दी हैं, जेलों में, उनको आधुनिक जगत के बारे में जानकारी देने के लिये, उनको सुधारने के लिये, मनोरंजन के लिये प्रत्येक जिले में एक टी0 वी0 और बी0 सी0 पी0 की व्यवस्था करने जा रहे हैं । कभी आवश्कता होगी तो आगे और विचार कर लेंगे । प्रशिक्षण के उन्नयन के लिये जेल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट जो लखनऊ में है, जो भारतवर्ष का प्रमुख प्रशिक्षण विद्यालय है, उसको 71 लाख की धनराशि से नये सिरे से बनाने जा रहे हैं ।

इसके अलावा श्रीमन्, एक सबसे महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाया है, उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि प्रदेश के विभिन्न कारागारों में सिद्ध दोष बंदियों की संख्या बराबर घट रही है और अण्डर ट्रायल की बढ़ रही है । जेल मैनुअल के आधार पर बिना उनकी अनुमति के उनसे कोई काम नहीं ले सकते हैं । उनकी इच्छा पर निर्भर है और उनमें से ऐसे सब लोगों को, कुछ लोगों को मामूली सी वेजेज मिलती है तो उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों को मिलती भी नहीं है । इसको दूर करने के लिये, इससे हमारा उत्पादन प्रभावित न हो और उनकी आर्थिक स्थिति को खास तौर से और अधिक आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसके लिये आगामी वर्ष में और इसी माह के लिये 5 लाख रुपये की व्यवस्था की है । इसी महीने के लिये और आगामी वर्ष से जो स्किल्ड लेबर हैं, कुशल हैं, उनके लिए 4 रुपये, प्रतिदिन के हिसाब से, अर्द्ध कुशल को 3 रुपये और अकुशल के लिये 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से. .

कुंवर रेवती रमण सिंह–

बहुत ज्यादा दे दिया ।

श्री मान पाल सिंह–

पहले एक पैसा भी नहीं मिलता था । पहली बार कम से कम प्रयास हो रहा है । मा0 सदस्यों को इसकी सराहना करनी चाहिए । सिर्फ आलोचना के लिए नहीं करनी चाहिये । इसके अलावा श्रीमन् कारागार दिवस पर माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा जो खेल सप्ताह था उसके उद्घाटन के समय पर माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा कुछ घोषणा की गयी थी जो स्वागत योग्य भी है । अधिक आयु के जो 70 वर्ष से लेकर 85-86 वर्ष की आयु के बन्दी हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अपना भाषण संक्षिप्त कर लें ।

श्री मानपाल सिंह–

मान्यवर, संक्षिप्त कर रहा हूं । जो असाध्य कैंसर रोग से पीड़ित हैं उनको शीघ्र मुक्त करने का निर्णय लिया है । शासकीय आदेश शीघ्र जारी किये जायेंगे । उसके अलावा जन्म शताब्दी और महाकुंभ के अवसर पर जेलों में जितने भी बन्दी हैं उनको दो माह का विशेष परिहार प्रदान करने की घोषणा की गयी थी उसके आदेश जारी किये जा चुके हैं । इसके अलावा कारागारों में विभिन्न धर्मों से संबंधित पुस्तकों की खरीद की व्यवस्था की जायेगी जिससे कि वे उनको पढ़कर विचार बदल सकें । जेल प्रशासन की सुधार की दिशा में पण्डित नेहरू की अग्रणी भूमिका रही है । नेहरू जन्म शताब्दी के अवसर पर शासन ने निर्णय लिया है कि प्रदेश के जिन जिन जेलों में नेहरू जी बन्द रहे, उनको स्मारक के रूप में विकसित करेंगे उनके बहुमूल्य विचारों पुस्तकों के उद्धरण

और उक्तियों के शिलालेख स्थापित किये जायेंगे । इसी प्रकार डा0 सम्पूर्णानन्द जी के बारे में यथोचित कार्यवाही की जायेगी । मान्यवर, यह मैंने संक्षिप्त में इस अपने कारागार विभाग के बारे में बताया । अब मैं दूसरे विभाग पर आता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

वह बाद में रख लीजियेगा ।

श्री मानपाल सिंह–

छोटे छोटे विभाग हैं, जल्दी समाप्त कर दूंगा । एक साथ हो जाय । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से संबंधित राजनीतिक पेंशन विभाग है । वैसे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनके त्याग बलिदान से देश स्वतंत्र हुआ उनकी सेवाओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर भी हम अपने सीमित संसाधन से सम्मानस्वरूप 401 रु0 प्रतिमाह के पेंशन दे रहे हैं । विभिन्न प्रयोजनों हेतु अधिक से अधिक तीन हजार रु0 एक वित्तीय वर्ष में हम अनुदान भी देते हैं । उनकी बीमारी के लिये, घर में शादी के लिये, बच्चों की पढ़ाई के लिये, चश्मा, दातों के सेट, श्रवण यंत्र के लिये व्यवस्था करते हैं । पहले श्रीमन् यह 12 वर्ष के बाद दी जाती थी अब उसमें संशोधन करके चश्मों के लिये 2 साल और दांतों के सेट व श्रवणयंत्रों के लिये 5 साल में देने के आदेश दिये गये हैं । जहां तक परिवहन सुविधा का प्रश्न है अभी हाल ही में जो उनको उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के अन्दर एक सितम्बर, 1987 से जो निःशुल्क यात्रा की सुविधा थी बराबर मांग हो रही थी कि वृद्ध हैं बस में चढ़ नहीं पाते हैं इसलिये शासन ने अभी हाल ही में इस आठ मार्च को एक सह यात्री उनके बस में जाने के लिये निर्णय लिया है उसका शासनादेश जारी कर दिया गया है । इस पर 50 लाख 40 हजार का अतिरिक्त व्यय भार भी आयेगा । मान्यवर, बताना चाहता हूं कि 9 शहीद स्मारकों का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है । 1 निर्माणाधीन है और 25 के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

एक और श्रीमन् निर्णय लिया है कि जो 500 रु0 की धनराशि दाह संस्कार के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाती थी वह कम थी अनेक बार माननीय विधायकों ने मांग की , स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मांग की थी 500 रु0 से बढ़ाकर एक हजार रु0 कर दिया गया है । और इसके शीघ्र आदेश जा रहे हैं । इसके अलावा श्रीमन् 280 लोगों को नयी पेंशन दी गयी है तथा सेवा सदन में हमारे जो सेनानी हैं, उनके लिये कूलर, फ्रिज वगैरह की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें 25 स्थायी रूप से रहते हैं और 5 लोग रोजाना बाहर से आ सकते हैं, उनके लिये भी वहां भोजन की व्यवस्था है, यह आपको मैंने कारागार के विषय में संक्षेप में बताया ।

अब मैंने जो नागरिक सुरक्षा विभाग की ग्रान्ट पेश की है, उसके बारे में बताना चाहता हूं । नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड दो संगठन हैं और दोनों संगठन राष्ट्रीय भावना, जनसेवा, निस्वार्थ भाव से समाज की सहायता करने के लिये कृतसंकल्प हैं । यह सिविल डिफेन्स की योजना 20 नगरों में संचालित है और भारत सरकार ने इसे बारह नगरों में बन्द करने के निर्देश दिये हैं, लेकिन फिर भी इसकी उपयोगिता को समझते हुये हम अपने साधनों से इसे नगरों में चला रहे हैं । इसके लिये 50 प्रतिशत सहायता भारत सरकार द्वारा दी जाती है । हमारे माननीय सदस्य बड़ी बखूबी वाकिफ हैं कि सन् 1962 में चीन के आक्रमण के समय इस विभाग की स्थापना की गयी थी । अपने

देश पर बाहरी आक्रमण के समय चौकसी रखने, बाहरी आक्रमण के समय आवश्यक सुरक्षा बनाये रखने और युद्ध में दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्र में पीड़ितों की सहायता उपलब्ध कराने में इनका योगदान निरन्तर रहा है । श्रीमन् अब हमारा यह उद्देश्य है, कि नागरिक सुरक्षा के अन्तर्गत प्रशिक्षित करके एक जनशक्ति तैयार की जायगी, इस जन-शक्ति का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकेगा । श्रीमन् इसमें जो हमारे डिप्टी कन्ट्रोलर पद पर पी0 सी0 एस0 अधिकारी थे, उसकी वजह से विभागीय अधिकारियों को प्रमोशन के चान्सेज नहीं थे और उनके द्वारा बराबर इसकी मांग की जाती थी । अब हमने यह किया है कि अब 50 प्रतिशत पदों पर विभागीय अधिकारियों की प्रोन्नति करने का निर्णय लिया है और जल्दी ही इस पर कार्यवाही की जायगी । मान्यवर, कानपुर नगर में आतंकवादी गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में नागरिक सुरक्षा संगठन को अधिक उपयोगी और गतिशील बनाने के लिये 3 लाख रुपये की एक पायलेट प्रोजेक्ट को स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित है । अब मैं थोड़ा होमगार्ड के बारे में भी बताना चाहूंगा ।

एक माननीय सदस्य–

छोड़ दीजिये, पढ़ा हुआ मान लिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें, मंत्री जी, बाकी बाद में बता दीजियेगा ।

श्री मानपाल सिंह–

ठीक है, मान्यवर, मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे द्वारा जो अनुदानों की मांगें रखी गयी हैं, उनको सर्वसम्मति से पास करने की कृपा करेंगे ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-29 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी का भाषण अच्छी तरह से सुना । मान्यवर, उन्होंने इस बजट के माध्यम से करोड़ों रुपये विधान सभा से पास करवाने के लिए मांग रखी है लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से उनसे यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो माननीय सदस्यों को साहित्य प्रस्तुत किया है, जो मेरे हाथ में है, वहां सन् 1985 का है और 15 पृष्ठ का है । जो 1987 का है, वह 12 पृष्ठ का है और जो 1988 का है, वह 12 पृष्ठ का है । बड़े आश्चर्य व दुख की बात यह है कि इन तीन वर्षों के प्रतिवेदनों में, सन् 1986 में ये बजट नहीं रख पाये थे, बिलकुल समानता है । एक-एक शब्द आप मिला लीजिए । 1988 के प्रतिवेदन में लिखा है कारागार प्रबन्ध

व्यवस्था देश की अपराधिक न्यायिक प्रणाली का समन्वित तथा उपयोगी अंग है । इसी तरह से 1987 के प्रतिवेदन में भी लिखा है कि "कारागार प्रबन्ध व्यवस्था देश की अपराधिक न्यायिक प्रणाली का समन्वित तथा उपयोगी अंग है ।" यही भाषा 1985 के प्रतिवेदन में भी लिखी गई है । इससे यह साफ पता लग जाता है कि यह विभाग कितना अपने साहित्य और अपनी कार्य प्रणाली में तथा कार्यों में सुधार लाना चाहता है । इस विभाग से किसी भी प्रकार के सुधार की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए । इसके साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने जो कुछ भी भाषण दिया, वह सब किताबों से पढ़कर दिया । हम समझते थे कि वह अपनी तरफ से कुछ मौलिक विचार रखेंगे इस विभाग में सुधार के लिए । परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा । उन्होंने बताया कि 67 जेल हैं हमारे प्रदेश में । यदि उनसे इन जेलों का नाम पूछा जाय तो वह नहीं बता पायेंगे । इसके अतिरिक्त जो उप महानिरीक्षक के मुख्यालय हैं, वे कितने हैं । वे 5 हैं । इन पांचों में दर्जनों स्थानों पर उच्च अधिकारियों के पद रिक्त हैं और इन स्थानों को आज तक नहीं भरा गया है । यद्यपि उनमें अनुसूचित जाति व जन जाति के लिए प्राविधान रखा गया है, परन्तु जो यह 3 वर्षों की पुस्तक उपलब्ध करवाई गई है, उसमें एक ही प्रकार के आंकड़े हैं । वर्ग "क" में 6 स्थान रिक्त हैं, वर्ग "ख" में 24 स्थान रिक्त हैं और वर्ग "ग" में 12 स्थान रिक्त हैं । ये स्थान अभी तक नहीं भरे गये हैं । जब इन उप महानिरीक्षक कारागारों की यह दशा है तो ये किस प्रकार से प्रदेश के कारागार के नियंत्रण को सही तरह से रख सकते हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इन 5 उप महानिरीक्षक कारागारों—मेरठ, आगरा, कानपुर, फैजाबाद और गोरखपुर इनको मण्डलवाइज कर दिया जाय । जितने मण्डल हमारे प्रदेश में हैं उतने ही इसके उप मुख्यालय बनवा दिये जायं तभी आप जेलों के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर नियंत्रण रख सकेंगे तथा बन्दियों की भी अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे एवम् उनमें सुधार ला सकेंगे । मुझे आशा थी कि माननीय मंत्री जी उन समितियों के बारे में जो समय-समय पर जेलों के सुधार के लिए बनाई गई थी, उसके ऊपर अपने विचार रखेंगे । मान्यवर, हमारा जो यह जेल मैनुअल है, यह 1894 में बनाई गई थी, उसके ऊपर आज तक कोई सुधार की बात माननीय मंत्री जी ने नहीं कहीं । 1983 में इसके सम्बन्ध में एक आनन्द प्रसाद मुल्ला समिति बनाई गई थी । 1983 में उसने अपनी आख्या भी भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी थी । भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को यह आदेश दिये थे कि जेलों को सुधारने हेतु जो इस समिति ने सिफारिशें की हैं, अपराधियों को उपयोगी बनाने के लिए सिफारिशें की हैं, उनको अवश्य लागू किया जाय । लेकिन माननीय मंत्री जी ने उस मुल्ला समिति के ऊपर कोई प्रकाश नहीं डाला । इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वह वास्तव में प्रदेश के जेलों की दशा सुधारना चाहते हैं और जो अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहते हैं और अपराध को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मुल्ला समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन्हें लागू करायें । अन्यथा आपकी जेलों का प्रारूप उसी प्रकार से रहेगा जिस प्रकार से 100 वर्षों से देखते हुए आ रहे हैं और कोई सुधार नहीं हो रहा है । जेलों से जितने कैदी और अपराधी निकल रहे हैं, वे बड़े अपराधी होकर निकल रहे हैं । इसका कारण क्या है ? इसका कारण है कि आपने इस बात की तरफ

ध्यान नहीं दिया कि अपराधियों का जेलों में वर्गीकरण हो । आप अपराधियों का जेलों में वर्गीकरण कर दीजिये । किस अपराधी ने ज्यादा अपराध किया है कौन सा अपराध करके जेल में आया है, कितने किशोर अपराधी हैं, कितने सिद्ध दोष अपराधी हैं और कितने विचाराधीन बन्दी हैं । इनका जब तक वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक अपराधियों की मनोवृत्ति में कोई सुधार नहीं ला सकते । जो बड़े-बड़े सिद्धदोष अपराधियों के साथ विचाराधीन अपराधी और किशोर अवस्था के बालक उनके साथ रखे जायेंगे तो वह सिवाय उनसे अपराध सीखने के दूसरा काम नहीं सीख सकते हैं । मैं साफ कहना चाहता हूं कि आपकी जेलें अपराध प्रशिक्षण गृह बन गयी हैं । बराबर अपराधी बढ़ते ही चले जा रहे हैं । कोई भी अपराधियों में कमी नहीं आ रही है । आप नहीं बता सकेंगे कि सिद्धदोष अपराधी प्रदेश में कितने हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सिद्धदोष अपराधी 6469 हैं, विचाराधीन अपराधी 18943 हैं । इन्होंने यह कहा है कि अपराधों में कमी होने के कारण उद्योगों के ऊपर अच्छा असर पड़ रहा है लेकिन उद्योगों में जो 3 वर्ष का उत्पादन हो रहा है, दिखाया है कि वृद्धि हो रही है । इन्हीं के प्रकाशित आंकड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं कि सिलाई विभाग और कपास के उद्यम को छोड़कर 87-88 में जो आंकड़े दर्शाये हैं, वह सब गिरे हुए आंकड़े हैं । कृषि उद्योग पर बहुत जोर दिया । 235.65 एकड़ भूमि प्रदेश की विभिन्न जेलों में है । सम्पूर्णानन्द शिविर, सितार गंज के पास 2206 एकड़ भूमि है । कुल 3441.65 एकड़ भूमि है लेकिन इनकी बुद्धि के लिए मैं तरस खाता हूं कि इन्होंने जो आंकड़े दिखाये वह 85, 86, 87 और 88 में 684 (छः सौ चौरासी) एकड़ में शाक-सब्जी का उत्पादन किया है । इन्होंने 642 एकड़ भूमि में सब्जी बोयी है । इन्हीं की किताब के पृष्ठ 5 पर देखिए ।

श्री अधिष्ठाता–

समय कम है, आप आंकड़ों को सन्दर्भित न करें ।

(श्री हरदेव के खड़े होने से व्यवधान)

श्री बदन सिंह–

क्या 684 (छः सौ चौरासी) एकड़ 85, 86, 87 और 88 में एक ही रकबा चुन लिया है । कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार जरूरी है कि फसलों का परिवर्तन होना चाहिए । एक वर्ष जो फसल बो दी जाय, दूसरे वर्ष नहीं होनी चाहिए । उसी भूमि में उतने ही रकबे में सब्जी को खेती कर रहे हैं और बताते हैं कि उत्पादन बढ़ा रहे हैं । कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई आधुनिक विधियों को अपनाइये । कहना चाहता हूं कि उत्पादन बढ़ा रहे हों लेकिन जो बिक्री होती है वह जेलों के सुधार के काम में नहीं आती है, सब्जियों की डाली लगकर चली जाती है, जितने बड़े अधिकारी हैं सबके यहां जेल की सब्जी सप्लाई की जाती है । तो इस प्रकार से मैं निवेदन कर रहा था कि जेलों के उद्योगों में वृद्धि नहीं हुई है । कृषि उद्योग में न रकबे में परिवर्तन हुआ है और न ही आधुनिक तरीके से खेती ही करना चाहते हैं, जबकि कृषि के लिए विस्तृत क्षेत्र आपके पास उपलब्ध है कि जिसमें बन्दियों के खाने के लिए सब्जी को छोड़ कर अरबों रुपयों की आमदनी की जा सकती है, लेकिन यह इसको नहीं कर पा रहे हैं ।

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने कारागार दिवस मनाया 6 फरवरी, 1989 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने उसमें घोषणा की है कि जो वृद्ध हैं, बीमार हैं और आयु में 70 वर्ष से ऊपर के बन्दी हैं उनको हम छोड़ देंगे । लेकिन मैं जानता हूं कि इन्होंने किसी ऐसे बन्दी को नहीं छोड़ा है जो कि वृद्ध हो, बीमार हो या 70 वर्ष की आयु का हो । पिछले पांच वर्षों में इन्होंने केवल 15 अपराधियों को छोड़ा है । 14 वर्ष के नोमिनल सैल के अनुसार अच्छे आचरण वाले कैदियों की सजा की मियाद कम कर दी जाती है, इसके अनुसार 150 व्यक्तियों को जेल से छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं छोड़ा गया है । इसी प्रकार से अच्छे आचरण वाले व्यक्ति, उनको जितनी सजा मिली हुई होती है, आजीवन सजा 20 वर्ष की होती है, लेकिन अच्छे आचरण वालों के लिए यह सजा कम करके 10 वर्ष की छूट दे दी जाती है । उत्तर प्रदेश की जेलों में बहुत से ऐसे बन्दी हैं जो कि 38 से लेकर 45 वर्षों तक जेलों में पड़े हुए हैं और उनको अभी तक छोड़ा नहीं गया है ।

एक रिवाइजरी बोर्ड होता है, जिला अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 की रिपोर्ट पर बन्दियों को छोड़ दिया जाता है । अधिकारियों की लाल फीता शाही निष्क्रियता के कारण बन्दी छोड़े नहीं जा रहे हैं । जिलाधिकारियों के द्वारा बन्दियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट नहीं आती है और न उनको छोड़ा जाता है । इस प्रदेश में सौ से अधिक की संख्या ऐसे बंदियों की हो सकती है । मैं आगरा केन्द्रीय जेल की बात कह रहा हूं कि वहां पर आठ कैदी ऐसे हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर है और 18 कैदी ऐसे हैं जो कि 70 से 80 वर्ष की आयु के बीच के हैं । दो कैदियों के नाम मैं आपको बतला रहा हूं जिसमें एक है सईद खां जो कि ब्लड प्रेशर का मरीज है और दूसरा अब्दुल सत्तार है जिसको खूनी बबासीर है । केन्द्रीय कारागार आगरा से महानिरीक्षण कराया लखनऊ को संस्तुति की गयी थी 26-10-88 को कि इनको छोड़ दिया जाय, लेकिन आज तक उनको छोड़ा नहीं गया है । मैं इनके नाम आपको दे रहा हूं, माननीय मंत्री जी कृपा करके उनको आप छुड़वा दीजिये ।

इसके साथ ही साथ जेलों के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार से बड़ी सहायता दी जा रही है जेलों के जीणोद्धार करने के लिए और इनको आधुनिक किस्म का बनाने के लिए । इसमें टी0 बी0 लगवाये जायेंगे उनके मनोरंजन के लिये । माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने यहां बतलाया था कि कारागार, आगरा के विषय में कि अगर उसमें किसी कैदी को खांसी आ जाय तो वहां का पलस्तर गिर पड़ता है, उसका हैण्डओवर हो गया लेकिन आपसी सांठ-गांठ के कारण सा0 नि0 वि0 से जेल विभाग को इमानत स्थानान्तरित कर दिया गया और पलस्तर बराबर गिरता चला जा रहा है । अगर आपको केन्द्रीय सरकार पैसा दे रही है तो कृपा करके आप इस पैसे का सदुपयोग कीजिये ।

जो हमारे जिले हैं, उनकी संख्या अब 62 हो गयी है अगर इन जिलों की जेलों को देखा जाए तो 50 प्रतिशत जेलों में न तो बिजली की व्यवस्था सही है, अगर कोई कैदी रात के अंधेरे में भाग जाए या और कोई घटना हो जाए तो इसे कोई व्यवस्थित करने वाला भी नहीं मिलेगा । इस प्रकार से यदि 50 प्रतिशत जेलों को देखा जाए तो वहां पर न तो पानी की व्यवस्था सही मिलेगी न बिजली की और न ही शौचालयों की तो

इस प्रकार से आप जेलों के नियंत्रण को किस तरह से ठीक करेंगे । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब जेलों से भागने वालों की संख्या में कमी आयी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जेलों में पलायन करने वालों की संख्या में तो कमी नहीं आ रही है, भागने वालों की संख्या इसलिए घटी है कि जो बंदी अब वहां पर हैं, वह बेहद बूढ़े और कमजोर हो गये हैं, जिससे भाग नहीं पा रहे हैं । इसलिए माननीय मंत्री जी से मेरा इस ओर एक सुझाव है कि यदि जेलों पर वाच टावर्स बना दें और उनके चारों तरफ गश्त की व्यवस्था कर दें जिससे कैदी भाग न सकें ।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि इनके पास जो हथियार हैं मसकेट हैं, वह लगभग 40 साल पुरानी हैं । इसलिए मेरा सुझाव है अब थ्री नाट थ्री की गन की व्यवस्था कर दी जाए ताकि वहां पर जब कभी अशांति और अव्यवस्था जोर पकड़ सके तो ऐसे मौकों पर काम आ सकें ।

एक निवेदन और माननीय मंत्री जी से करना चाहूंगा कि जो विचाराधीन बंदी हैं, उनकी प्रदेश भर में बहुत बड़ी संख्या है, उन्हें अनावश्यक रूप से अदालतों में बंद करके रखा जाता है न्यायालयों पर अधिक भार बढ़ रहा है, इसे कम करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि आप जेलों को जुडिशियल लॉक अब बना दें ताकि वह विचाराधीन कैदियों को जल्दी छुड़वा सकें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय बदन सिंह जी अब काफी समय हो गया है, कृपया करके अब समाप्त करें ताकि दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का समय मिल सके और हर चीज समय से हो सकें . . . .

श्री बदन सिंह–

मान्यवर मैं कोई किताब से पढ़कर तो बोल नहीं रहा हूं, मैं तो वैसे ही जबानी बोल रहा हूं, थोड़ा समय और लूंगा । एक सुझाव मान्यवर मेरा यह है कि जो अपराधी दूसरे जिलों को भेजे जाते हैं, या दोष मुक्त होकर रिहा किए जाते हैं तो ऐसे बंदी रिहाई के बावजूद उन्हीं जेलों में पड़े रहते हैं, इसकी वजह क्या है, कि वहां पर जेल के पास कोई गार्ड्स नहीं होते हैं और न ही इन कैदियों को जो रिहा होते हैं, उनको ले जाने के लिए कोई सवारी होती है और इसी अकार से अदालतों से जो 50-50 व 60-60 कैदी पहचान के बाद वापस होते हैं, वह भी सवारी न होने की वजह से वहीं पड़े रहते हैं, इससे अदालतों का टाईम भी अधिक खर्च होता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि जेलों में गार्ड्स की व्यवस्था की जाए ताकि जो बंदी रिहा हुए हैं, वह उनके साथ जा सकें और पर्याप्त सवारी गाड़ियों की व्यवस्था कीजिए, जिससे अदालतों के भार को कम किया जा सके ।

साथ ही मान्यवर अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि आप से पूर्व इस विभाग के मंत्री माननीय चौधरी रघुवीर सिंह जी नश्तर साहब और मा0 राम सिंह खन्ना जी हुए, सबने सिद्धांत रूप से स्वीकार किया था कि पुलिस कर्मियों व अधिकारियों के बराबर जेल कर्मियों/अधिकारियों को भी वेतन दिया जाए, और इन मंत्रीगण ने इस सम्बन्ध में आश्वासन भी दिए कि इनको यह वेतन दिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ करवा नहीं

पाए हैं । मैं अब आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे इस कटौती के प्रश्न के जवाब आप जब देंगे तो इस मामले में कोई घोषणा करेंगे, मान्यवर यदि आप ऐसी घोषणा कर दें तो अच्छा होगा क्योंकि यह पंडित जवाहर लाल नेहरू और आचार्य नरेन्द्र देव का शताब्दी वर्ष है वह घोषणा करें कि उनके वेतनमान समान कर देंगे और जेलों का सुधार करेंगे । पंडित नेहरू नैनी जेल में रहे थे, उसका उच्चीकरण आप को करना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं कि जेलों में इतना भ्रष्टाचार है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है । जो वहां पर उत्पादन होता है, उससे पूरा लाभ बन्दियों को नहीं होता है । तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर न तो जेलियों को अच्छा भोजन मिलता है और न अच्छे कपड़े मिलते हैं । वहां पर उनके लिए इस प्रकार के शौचालय भी नहीं हैं, जो पानी से स्वतः साफ हो जायें । इन सब बातों को देखकर मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो जेलों में भ्रष्टाचार है, उसको आप रोकें । मैं कहना चाहता हूं कि 32 जेलों में डी0 डी0 टी0 की सप्लाई की गयी और उसमें बड़ा घोटाला हुआ और उसकी जांच विजिलैंस से करायी गयी, और उसमें अधिकारियों को दोषी पाया गया, लेकिन उनके विरुद्ध न कोई रिपोर्ट लिखायी गयी और न ही मुकदमा कायम किया गया । अगर आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, तो आप इस प्रकार के दोषी अधिकारियों को दंडित करें ।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें । बहुत समय हो गया ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, होम गार्ड तो रह ही गया । आप बोलने नहीं देते हैं । मैं पढ़ कर नहीं बोल रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

आप एक-एक मिनट में सुझाव दे दें ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि होम गार्ड जो स्वयंसेवी हैं, उनके भत्तों के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी कि बढ़ाये जायेंगे, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक चीज जरूर है कि जितने भत्ते बढ़ा रहे हैं, इन सब के ऊपर रिश्वत का भूत कन्धों को पकड़ कर बैठा है । होम गार्ड की भर्ती में पैसा लिया जाता है, उसके प्रशिक्षण में पैसा लिया जाता है और उसकी जो ड्यूटी लगायी जाती है, उसके लिए पैसा लिया जाता है । जिला कमान्डेन्ट से लेकर डिवीजनल कमान्डेन्ट तक घुस लेते हैं, भ्रष्ट हैं । आगरा के डिवीजनल कमान्डेन्ट का समय समाप्त हो गया है, उनकी कार्य अवधि समाप्त हो गयी है वह बड़ा भ्रष्टाचारी अधिकारी है, उसकी अवधि को किसी हालत से न बढ़ाया जाये, नहीं तो वहां होमगार्ड की सही सेवा प्राप्त नहीं होगी । मान्यवर, होम गार्ड की जो ट्रैफिक के लिए ड्यूटी लगायी जाती है, उसमें अप्रशिक्षित लोगों की यूटी लगा दी जाती है, जिससे एक्सीडेन्ट हो जाते हैं और दूसरी बात यह है कि उनको गृह जनपद में न तैनात किया जाये, इससे बड़ा भ्रष्टाचार होता है और वह पुलिस का काम करने लगते हैं और वह लोगों को सताने लगते हैं ।

अगर आप वास्तव में इनसे सुरक्षा का काम लेना चाहते हैं, तो आप इनको गारन्टी कर दीजिए कि जितने भी प्रमोशन होंगे वह होमगार्ड में से किये जायेंगे ।

मान्यवर, जहां तक राजनैतिक पेंशन की बात है, जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, जिन्होंने देश को आजाद कराया था, उनके ऋण को हम चुका नहीं सकते हैं, लेकिन उनके आश्रितों को विवाह के लिए 3 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है, जो बहुत कम है, इसको कम से कम 5 हजार रुपया होना चाहिए । जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मर जाता है, उसको 500 के स्थान पर एक हजार कर दिया है, लेकिन मैं एक उदारहण देना चाहता हूं कि आगरा में वजीरपुर में मूल चन्द्र वर्मा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वह 7-8 महीने से बीमार हैं । उनकी दवाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । मैंने एक पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया था उन्होंने आदेश भी दिये थे लेकिन फिर भी उनके लिये दवा की व्यवस्था नहीं हो सकी और उनकी मृत्यु हो गई । उनके दाह संस्कार के लिए 1 हजार रुपए की धनराशि भी उन्हें नहीं मिली । मंत्री जी नोट कर लें मलचंद्र वर्मा निवासी वाजीपुरा आगरा को एक हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत हुई लेकिन उन्हें नहीं मिली । वे दिखवा लें कि कहीं बीच में किसी अधिकारी द्वारा वह खा तो नहीं ली गई । यह धनराशि उनके परिवार वालों को पहुंचाई जाय ।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनके स्मारक बनाये गये हैं । उनका बड़ा अपमान हो रहा है । जितने भी पार्क स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर बनाये गये हैं उनमें आज कूड़े के अम्बार लगे हुए हैं । आगरा की नगर पालिका अछनेरा में महात्मा गांधी पार्क जो है वह कूड़ा घर बन गया है इतनी गन्दगी वहां पर है इसके लिए आपने कोई व्यवस्था नहीं की है । अगर वास्तव में आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान देना चाहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा रखना चाहते हैं उनके नाम पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रेरणा से समाज को और लोगों को ओतः प्रोत करना चाहते हैं देश की एकता और अखन्डता को कायम रखना चाहते हैं तो उनका सम्मान किया जाय और इन पार्कों को साफ सुथरा और पवित्र रखिये । स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कार्य व करतबों का साहित्य छपवाकर समाज में बटवाइये । . . .

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप 32 मिनट बोल चुके हैं डेढ़ घंटे के बजट में ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, जो कैदी जेल में मर जाते हैं उनके दाह संस्कार के लिए आप केवल 36 रुपये देते हैं । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 36 रु0 में आप जीवित बंदियों का आदर नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम मरने वालों के लिए यह धनराशि कम से कम 250 रुपये कर दें । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय श्रम मंत्री जी ने और माननीय कारागार मंत्री जी

ने अपने अनुदानों के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं मैं उनका हृदय से समर्थन करता हूं । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस समय जो औद्योगिक शांति चल रही है वह श्रम विभाग की सफलता का प्रमाण है । जो कुछ थोड़े से आन्दोलन हुये थे उनको समाप्त करने में माननीय श्रम मंत्री जी ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस उदारता का परिचय दिया है कि इस विवाद को वापस लेकर वहां पर औद्योगिक शांति कायम हुई है । मैं आपके द्वारा उन्हें बधाई देना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे यहां पर कई तरह के श्रमिक कर्मचारी होते हैं । कुछ असंगठित होते हैं । कुछ दुकानों में काम करते हैं और कुछ लोग कारखानों में काम करते हैं । मान्यवर, जो असंगठित मजदूर हैं उनकी स्थिति संगठित मजदूरों से ज्यादा दयनीय है । उनको किसी प्रकार की सुविधायें जो बड़े-बड़े कारखानों को मिलती हैं, नहीं मिल पाती हैं । मेरा अनुरोध है कि इन असंगठित मजदूरों की ओर ध्यान देकर उनकी दशा सुधारने के लिए या तो आप कोई कमेटी बना दें जो उनकी स्थिति की जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिसके अनुसार वह काम कर सकें । इसके साथ ही साथ जो इनके विभाग के इन्सपेक्टर्स हैं और दूसरे कर्मचारी हैं वे जांच पड़ताल करके जो श्रम कानून लागू है उसको लागू करने के लिए पूरी तरह से दिलचस्पी लें । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम विभाग के द्वारा वृद्धा अवस्था पेंशन का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है । बीच में यह समाचार आया था कि इस कार्य को किसी दूसरे विभाग हरिजन समाज कल्याण विभाग में परिवर्तन करने की योजना चल रही है । मैं माननीय श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह इसे अपने विभाग में ही रखें ।

मान्यवर, आई0 टी0 आई0 की व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है । जहां कहीं इस तरह के प्रशिक्षण के ट्रेड हों जो जहां पर सफल नहीं हो रहे हैं उनके स्थान पर ऐसे ट्रेड वहां पर दिये जायं जो लोकप्रिय हों और जो वहां की आवश्यकता को पूरी कर सकें । मान्यवर, हमारे कारागार मंत्री राजनीतिक पेंशन मंत्री भी हैं । मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ यात्रा करने में एक सहवर्ती ले जाने की सुविधा प्रदान कर दी है । इसके साथ ही जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो जाती है उसके क्रिया कर्म के लिए पांच सौ से एक हजार रुपया कर दिया है । मान्यवर इसमें कुछ कठिनाईयां आती हैं उनको दूर किया जाय । स्वतंत्रता संग्राम की नियमावली के नियम 12 के अंदर राज्य सरकार को इस बात का अधिकार है कि वह अगर इस बात से आश्वस्त हो जाय कि किसी व्यक्ति ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया लेकिन जेल नहीं गया है तो उसे भी पेंशन दी जा सकती है । लेकिन इसमें एक नुक्ता लगा हुआ है कि इसकी स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति से होगा । लेकिन वित्त विभाग के अधिकारी कभी भी इस बात से सहमत नहीं होते हैं और स्वीकृति नहीं प्रदान करते हैं । मैं अनुरोध करूंगा कि नियमावली में से इस वित्त विभाग की सहमति वाले अंश को निकलवा दें और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 401 की पेंशन मिल रही है उसे 5 सौ कर दें । केन्द्र सरकार ने 5 सौ की पेंशन को बढ़ाकर 750 रुपये कर दिया है । तो मेरा सुझाव है कि इसे मंत्री जी स्वीकार करने की कृपा करें । धन्यवाद ।

श्री राज किशोर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय अकबर हुसैन बाबर द्वारा मुस्लिम वक्फ और माननीय बदन सिंह जी द्वारा रखे कटौती प्रस्तावों का समर्थन करता हूं . . .

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है आप जब भी इस कुर्सी पर बैठते हैं पके हुये बालों वालों को बुलवाते हैं हमें नहीं बोलने देते । आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री गोपी नाथ वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राज किशोर सिंह–

श्रम मंत्री जी ने जो मुस्लिम वक्फ का बजट रखा है उसमें हो रही धांधलियों का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं । डालीगंज में एवं करबला आफाक एक ऐतिहासिक स्मारक जिसकी सौ बीघा जमीन है । जिसकी बाजार में कीमत हजारों करोड़ रुपया से अधिक है । उस पर कुछ महानुभावों की गृद्ध दृष्टि लगी हुई है वहां के प्रिंस आफ हुसैन इमाम ने एक पत्र भी मुख्य मंत्री जी को लिखा है जिसकी प्रति मैं आपके माध्यम से उनके हवाले करता हूं । इसे आप देख लें किस तरह से उस वक्फ की प्रापर्टी को खाया जा रहा है ।

जहां तक श्रमिकों का प्रश्न है यह सरकार और माननीय मंत्री जी श्रमिक विरोधी हैं । इनकी नीतियां श्रमिक विरोधी हैं । माननीय श्रम मंत्री कहते हैं कि हम मालिकों और श्रमिकों को एक जगह इकट्ठा करके उनके मामले तय करेंगे । मैं उनको एक मामला बनारस में भदोही कालीन मजदूरों का बताता हूं । वहां के कालीन मजदूरों और मालिकों में विवाद हुआ उनका झगड़ा एक महीने तक चला । तब विवश होकर त्रिदलीय सम्मेलन हुआ जिसमें मजदूरों को लगभग 22 और 25 रुपये देने की बात तय हुई और कहा गया कि उसकी टेबिल बनेगी और इसकी अधिसूचना हो जायेगी लेकिन उसमें 6 महीने लग गये । जब 6 महीने बाद अधिसूचना हुई तो उसमें हेराफेरी कर दी गयी इसके पूर्व मुझे आभास हुआ था इसलिए मैंने स्वयं श्रम मंत्री से कहा कि आपके ऊपर कालीन के निर्यातकों का दबाव पड़ रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं लेकिन दबाव पड़ . . गया और मजदूरों के खिलाफ ऐसा निर्णय लिया जिससे वे आज भी असंतुष्ट हैं ।

[समय 6 बजकर 30 मिनट]

मान्यवर, दूसरा उदाहरण कानपुर के चर्म (टेनरीज) उद्योग का देना चाहता हूं कि वहां काम करने वालों का मसला त्रिपक्षीय वार्ता से तय हुआ, मंत्री जी भी मौजूद थे, 78 रुपये अंतरिम सहायता मासिक देने की बात तय हुई । उसके बाद मंत्री जी ने उसको लटका रखा टेनरीज मालिकों के दबाव में आकर और 6 महीने के बाद अधिसूचना हुई जिसमें हेराफेरी करके 52 रुपये कर दिया गया है तो श्रमिकों के खिलाफ हो रहा है ।

इसी तरह आप देखें कि 60 रुपये अंतरिम सहायता टेक्सटाइल मजदूरों को देने की बात हुई । कानपुर के बाहर 50 हजार टेक्सटाइल मजदूर काम करते हैं तो उनको भी 60 रुपये अंतरिम सहायता दी जाये, मान्यवर, स्पिनिंग मिल, मेजा, बहादुरगंज,

मऊ और अकबरपुर के मजदूरों ने इसके लिए धरना दिया लेकिन आजतक उनकी कोई सुनवाई इस संबंध में नहीं हुई । तो जब कानपुर के लोगों को मिल रहा है तो उनको क्यों न दिया जाये ? मान्यवर, के0 के0 एवार्ड पर मजदूरों का ऐतिहासिक आंदोलन हुआ जिसके सामने सरकार ने घुटने टेक दिये जिससे के0 के0 एवार्ड लागू नहीं किया जा सका । तो मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि मजदूर शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके सामने धरती हिल जाती है, इसलिए मजदूरों की बड़ी शक्ति है जिसको मंत्री जी आज अहसास नही कर रहे हैं । मान्यवर, आप देखें कि स्पिनिंग मिलें दो-दो महीने से मेंजा की बंद है उसको नहीं निपटाया गया । केवल आपके घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा ।

मान्यवर, श्रमिकों की आवासीय व्यवस्था कहीं नही की गयी और इसलिए वह आज जानवरों की तरह रह रहे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत कुछ कर रहे हैं ।

मान्यवर, चीनी उद्योग में लगे मजदूरों को देखें तो तीसरे वेज एवार्ड से वह संतुष्ट नहीं हैं । इस उद्योग के मजदूरों का वेतन समकक्ष उद्योगों के मजदूरों से कम मिलता है । चीनी निगम द्वारा अधिगृहीत चीनी मिलों को मजदूरों के अधिग्रहण से पहले के बकायों का भुगतान निगम नहीं कर रहा है । करोड़ों रुपया इन मजदूरों का प्राविडेन्ट फण्ड का बकाया है जो जमा नहीं किया गया है । चीनी मिल के कर्मचारियों का निगम द्वारा अधिगृहीत करने के पूर्व वेतन 71.41 लाख रुपये, भविष्य निधि 218.26 लाख रुपये, ग्रेच्युटी 70.66 लाख रुपये, रिटेनिंग 3.70 और अन्य 87.78 लाख रुपये आजतक बकाया है ।

श्री अधिष्ठाता–

राज किशोर सिंह जी आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री राज किशोर सिंह–

कारागारों की आज हालत यह है कि वैसी हालत अंग्रेजों के समय में भी नहीं थी और जो हालत उस समय थी वही हालत आज भी है । बंदियों को आज भी खाना ठीक नहीं मिलता है . . . . . ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने दूसरे माननीय सदस्य को पुकार लिया है । आप सिंह जी बैठ जायं ।

(श्री राज किशोर सिंह के बोलने के साथ-साथ श्री बदन सिंह, श्री हरदेव और कुछ अन्य सदस्य साथ-साथ बोलते रहे ।)

श्री अधिष्ठाता–

अब आप रुक जायें । राज किशोर जी कृपया आप बैठें ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जो श्रम, वक्फ, कारागार और होमगार्ड्स का बजट प्रस्तुत किया है, जो अच्छे बजट प्रस्तुत किये हैं उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । मंत्री जी द्वारा रखे हुए बजट का समर्थन करते हुए जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं । हमारे सम्मानीय विरोध पक्ष के

भाई बाबर साहब ने श्रम पर जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उनका भाषण सुनने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह मुसलमानों के हितैषी नहीं हैं । उनको तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे युवा प्रधान मंत्री और भारत सरकार ने हमारे मुसलमानों की जितनी सुरक्षा की है भारत देश में उतनी पाकिस्तान में उनकी सुरक्षा नहीं है । इसकी जीती जागती मिसाल अजमेर और ताज महल हैं । उनको तो डूब मरना चाहिए कि उन्होंने हमारे मंत्री जी के लिए ऐसी बात कही है । अब मैं वक्फ बोर्ड की उपलब्धियों के बारे में आपको बताऊंगा । वहां पर मुसलमानों की बहुत सारी सम्पत्तियों की सुरक्षा प्रदान की गई है और उनकी सुरक्षा का पूरा प्रयास किया गया है । उसको अच्छा अनुदान देने का प्रयास किया गया है वक्फ प्रशासन को चुस्त बनाने का प्रयास किया गया है । उनका स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गयी है । यह तमाम कितनी अच्छी बातें हैं, फिर भी वह हमारी सरकार की नुक्ता चीनी करते हैं । ऐसी बातें एक अच्छा मंत्री ही कर सकता है और हमारे विरोध पक्ष के सदस्यों ने उनकी इन अच्छाइयों पर कोई ध्यान नहीं दिया है । उन्होंने इस बात को भी बेशक कहा कि वक्फ बोर्ड के लिए रेन्ट कन्ट्रोल में छूट दी गयी है । जनपद एटा विधान सभा जलेसर में एक आई0 टी0 आई0 कालेज जनहित में खोला जाय ।

(समय लेने के लिए अनेक सदस्य साथ खड़े हो गये और बोलने लगे)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सम्राट जी अब आप बैठें ।

श्री प्रेमपाल सिंह–

बदन सिंह जी अभी ऐसा विरोध कर रहे थे जैसे वह विरोध पक्ष के सरदार हों और सब जेल में हों और वह अकेले आ गये हों ।

(घोर व्यवधान)

अब मैं अपने जनपद एटा के विधान सभा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं . . .

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें और बाकी सुझाव मंत्री जी को भेज दीजिए । अब आप बैठिए, अब मैं समय नहीं दे सकता हूं । कृपया आप मंत्री जी को अपने सुझाव भेज दें सम्राट जी !

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

माननीय श्रम मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी कागजी योजनाओं की घोषणा की है, जिनसे मुझे बहुत तकलीफ है। इनकी न्यूनतम मजदूरी की जो बात है, उसमें राणा जी ने अच्छे सुझाव उन्हें दिए हैं, प्रेमपाल को इनकी कर्मशाला में प्रवेश दे दिया जाता तो अच्छा होता । न्यूनतम मजदूरी ऐसी जगह तय होती है, जहां के मजदूर संगठित न हों और संगठन शक्ति के साथ अपने मजदूरों की मांग न मनवा सकते हों । फिरोजाबाद का कांच उद्योग चूड़ी उद्योग है । आपने उन मजदूरों की मजदूरी तय की थी, क्या वह लागू हो गयी और लागू नहीं हुई तो उनमें क्या कमियां हैं? दूसरी बात कहना चाहूंगा मान्यवर श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश की वार्षिक समीक्षा के पृष्ठ–72 पर देखें । बाल श्रमिक परियोजनाओं में इन्होंने कहा है कि बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 लागू होने के कारण

कारखानों, मोटर ट्रांसपोर्ट इकाइयों एवं अन्य प्रतिबन्धित नियोजनों में काम न पा सकेंगे, यह इन्होंने कहा है मान्यवर, हम यह जानना चाहते थे कि बाल कल्याण के लिए इन्होंने कोई योजना लागू की है ? तो इन्होंने लिखा है कि बाल श्रमिकों के लिए वाराणसी, मिर्जापुर बाल श्रमिक कल्याण परियोजना, फिरोजाबाद बाल श्रमिक कल्याण परियोजना अलीगढ़ बाल श्रमिक कल्याण परियोजना, मुरादाबाद बाल श्रमिक कल्याण परियोजना, तो यह चार परियोजनाएं हैं । फिरोजाबाद के लिए इन्होंने 1,18,750 की धनराशि स्वीकृत दिखा दी–

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी केवल सुझाव दें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

चारों परियोजनाओं का कार्य क्षेत्रीय उप श्रमायुक्तों की देख-रेख में हो रहा है । चारों परियोजनाओं का सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है । स्वयं सेवी संस्थाओं के चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा रही है सघन क्षेत्र विकास समिति सेवापुरी, वाराणसी को चार स्कूलों के संचालन के लिए एवं ग्रामीण शिक्षा विकास कार्य केन्द्र, मिर्जापुर को पांच स्कूलों के संचालन के लिए धन प्राप्त हुआ है –

श्री अधिष्ठाता–

पढ़ें न, जल्दी समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

श्रीमन् मैं इसलिए भी कहना चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री और माननीय मंत्री जी ने कहा कि जैसा बाल सदन की हालत चल रही है, बाल सदनों को आपने हरिजन समाज कल्याण विभाग के सुपुर्द कर दिया है और यदि इन कल्याणकारी योजनाओं को स्वयं सेवी संस्थाओं के हाथ में सुपुर्द कर दिया है, तो अब न वहां कोई बच्चा दिखाई देगा, न किसी बच्चे की ट्रेनिंग मिलेगी न कोई बच्चा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला भोजन की व्यवस्था कर पाएगा । जो कल्याणकारी योजना प्रस्तुत करना चाहते हैं उसमें आपका प्रारूप क्या है उसको आप कैसे कार्यान्वित करना चाहते हैं । स्वयं सेवी संस्थाओं के पास न कोई कारखाना है कि ट्रेनिंग दे सकें, न कोई ट्रेण्ड अफसर है, अधिकारी है जिनसे वह ट्रेनिंग दिलवा सकें, जो लड़के उन जगहों पर जायेंगे जिनके बाप मर गये हैं या किसी विधवा के बच्चे हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें । आपका वाक्य बहुत लम्बा हो गया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

जो नौ साल से चौदह साल के बच्चे हैं उसमें जो प्रतिबन्ध आपने 1986 से लगाया है उसको भी आप लागू नहीं कर पा रहे हैं जिनकी उम्र नौ वर्ष से 11 वर्ष है उनके लिए आपकी क्या योजनायें हैं और जो 14 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए क्या योजनायें है भारत सरकार ने जो आपको 11 करोड़ रुपया दिया था उसका क्या रूप है?

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

फिरोजाबाद में कोई बाल कल्याण केन्द्र नहीं खुला है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप जो कार्य करना चाहते हैं उसका सही प्रारूप तैयार करें और हम लोगों से भी इसमें बात करें ।

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आभारी हूं । मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं कटौती का प्रस्ताव रखते हुए हमारे विद्वान साथी ने छोटी-छोटी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया है वह हमारी महान उपलब्धियों को या तो भूल गये या फिर उन्होंने मंत्री जी के भाषण को नहीं सुना । मान्यवर, इनडस्ट्रियल डिस्प्यूट के 9400 केसों में से 7600 केसेज सेटल हुए हैं । मान्यवर, बन्धुआ मजदूरों को अवमुक्त कराने के सम्बन्ध में जो कार्य किया गया है वह भी अपने में एक कीर्तिमान है । खेतिहर मजदूरों की जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है उसके लिए भी सरकार निश्चित रूप से धन्यवाद की पात्र है । मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार ने रोजगारी मुख्य शिक्षा के लिए प्राइवेट आई0 टी0 आई0 को मान्यता देने की व्यवस्था की है । इस सम्बन्ध में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां-जहां प्राइवेट आई0 टी0 आई0 चल रहे हैं वहां पर प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है और वह केवल एक व्यवसाय के रूप में चल रहे हैं इसलिए वहां पर जो छात्र ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका भविष्य अधर में है । इस महत्वपूर्ण मसले पर मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं । मान्यवर, आज से लगभग 4 वर्ष पहले देहरादून में जहां पर बल्ब उद्योग है वहां पर त्रिपक्षीय वार्ता से न्यूनतम मजदूरी के बारे में समझौता हुआ था। लेकिन उस समझौते को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। प्रत्येक वर्ष उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि यदि उसको लागू करने में कुछ कठिनाइयां/विलम्ब है तो कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह अंतरिम भत्ता मजदूरों को मिलना चाहिए माननीय मंत्री जी ने टेक्सटाइल मिलों के बारे में वर्णन किया और बताया कि इतने दिन वह बंद रहीं और इतने लाक आउट हुए। लेकिन देहरादून में अभिताव टेक्सटाइल मिल के साढ़े 4 सौ मजदूर तीन साल से बाहर हैं। वह श्रम न्यायालय व शासन के दरवाजे खटखटा चुके हैं लेकिन उनको वापस नहीं लिया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर इललीगल लाकआउट किया गया पूंजीपतियों के प्रभाव में। श्रम न्यायालय जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, वह चिन्ताजनक है। जिस नीयत से रहती हैं, उनको नहीं देखते हैं, खेतिहर मजदूरों को देखने के लिए वह नहीं जाते उनकी स्थापना की गयी थी उनको उसके अधीन काम करना चाहिए। मान्यवर, श्रम न्यायालयों के इंसपेक्टर फैक्टरियों में नहीं जाते हैं। रात के दस बजे तक दूकानें खुली हैं । मैं आशा करता हूं कि आप इस ओर विशेष ध्यान देंगे और हमारे देहरादून जनपद तथा गढ़वाल मंडल में पर्वतीय क्षेत्र में जहां पर लेबर अफसर नहीं हैं, इंसपेक्टर

नहीं है वहां पर उनकी नियुक्ति करें ताकि मजदूरों को न्याय पाने के लिए दूर दूर न जाना पड़े। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं देहरादून जेल में रहने के कारण, पंडित नेहरू जिनकी आधुनिक भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका रही है उनके नाम पर नामकरण तथा इस जेल की विस्तारीकरण, सौन्दर्यीकरण की योजना माननीय मंत्री जी को मैं प्रस्तावित करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को शादी के लिए अनुदान दिया जाता है तो जब वह एप्लीकेशन देते हैं तो उनकी शादी के 6 महीने बाद या साल भर बाद वह अनुदान स्वीकृत किया जाता है। मेरा निवेदन है इस ओर ध्यान दें और यह अनुदान समय पर दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने माननीय श्रम मंत्री जी का भाषण सुना और उनकी तरफ से जो पुस्तिका का वितरण किया गया है उसको भी मैंने पढ़ने का प्रयास किया है। आपका जो भाषण है और आपने जो साहित्य का वितरण किया है उन दोनों में भारी विरोधाभास है। आपने कहा कि प्रदेश में श्रमशांति है। लेकिन आपके आंकड़े जो हैं वह यह दर्शाते हैं कि श्रम अशांति है। जबसे माननीय मंत्री जी ने श्रम मंत्री का पद संभाला है उत्तर प्रदेश में श्रम अशांति बहुत बढ़ गयी है। आप देखें कि हड़तालें बढ़ी हैं, मानव दिवसों की हानि बढ़ी है जो इस बात का प्रतीक है कि मजदूरों की समस्याओं का समाधान करने में यह सरकार विफल रही है। सन् 1984 में 9.82 लाख मानव दिवसों की क्षति हुयी है, 1985 में 7.71 लाख मानव दिवसों की क्षति हुयी है। 1986 में 6.64 लाख मानव दिवसों की क्षति हुई है और 1987 में 16.4 लाख मानव दिवसों तथा 1988 में 17.8 लाख मानव दिवसों की क्षति हुयी है। यह आंकड़े इस बात का द्योतक हैं कि आपके कार्यकाल में श्रम अशान्ति बढ़ी है। इसी तरह से मैं हड़ताल के बारे में कहना चाहता हूं। कहीं 1–2 की हड़ताल हो जाती है तो और बात है। सेवायोजकों और मजदूरों में कोई विवाद हो गया एक दो दिन की हड़ताल हो गयी तो वह अलग बात है लेकिन लगातार लम्बी हड़तालें हो यह इस बात का प्रतीक है कि आपकी त्रिपक्षीय वार्ता, आपका हस्तक्षेप, समझौता सब विफल हो गया है। मान्यवर, 1987 में 60 से 90 दिन तक चलने वाली हड़तालें 5 थीं। 1988 में यह बढ़कर 7 हो गयीं। 90 दिन से अधिक चलने वाली हड़तालें 1987 में 7 थीं जो 1988 में बढ़कर 9 हो गयीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि आपके प्रदेश में श्रम शान्ति नहीं है। मान्यवर, न्यूनतम वेजेज की बात कही गयी है। उसके बारे में कहा गया है कि 1984 में उसको पुनरीक्षित किया गया था। हर 5 साल बाद इसको पुनरीक्षित करते हैं।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जितने भी असंगठित क्षेत्र हैं, उनमें 1989 में न्यूनतम वेजेज आप किस प्रकार से पुनरीक्षित करने जा रहे हैं? उसकी क्या विधि है?! न्यूनतम वेतन परामर्श मण्डल में जिनकी नियुक्ति होती थी, अब तक परिपाटी यह थी कि शासन की तरफ से प्रतिनिधियों का चयन श्रम आयुक्त के माध्यम से होता था। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कि आज उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिक नेता, बुलन्दशहर में कहां से आ गये, आपकी पार्टी के लोग कहां से आ गये। मैं जाति में विश्वास नहीं करता, मैं क्षेत्र में विश्वास नहीं करता, लेकिन एक ही जगह के लोग क्यों आ गये? इसी का परिणाम है कि उनको लेबर लाज का ज्ञान नहीं

है। लेकिन आपने दो बाधायें उसके अन्दर कर दिया। एक पार्ट टाइम, अंशकालिक नलकूप चालक काम करेंगे, वे काम दिन भर करेंगे, लेकिन वेतन उनको अंशकालिक का दिया जायगा। आपने घोषणा की, माला पहन लिया। लेकिन धोखा कितना किया, इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट में, उसमें कोचिंग में काम करने वाले अध्यापक, अध्यापिकाओं को न सम्मिलित करने की बात है। यह वर्कमैन की परिभाषा में नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा लाभ नहीं होता है।

मान्यवर, पूंजीपति परकनीति का उदाहरण देना चाहता हूं। एक वर्ष का उदाहरण दूंगा। 1988 में 946 एवार्ड मजदूर के पक्ष में घोषित किये गये, 350 प्रतिपादित हुए और यह 600 एवार्ड लागू क्यों नहीं कुछ कर पाये? मान्यवर, दुर्घटनाओं की बात आप सुन लें। अब आप देखें, आपका जो इण्डस्ट्रियल रख-रखाव है, जो आपके इन्सपेक्टर्स हैं, वे सही काम नहीं करते हैं। 1987 में दुर्घटनायें हुईं 8095, और 1988 में दुर्घटनायें हो गयीं 8991, 1987 में आदमी मरे 79 और 1988 में 82 मरे। मान्यवर, आजकल कितनी चीजें बन्द हैं। मिल बन्द हैं, लाक आउट हो गया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जब लाक आउट होता है, तो श्रमिक अधिकारी को अनुमति लेने की जरूरत होती है। आपने हरी फर्टिलाइजर्स, बनारस बसन्त पेपर मिल, बनारस, टाइगर लाक कम्पनी, अलीगढ़, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स की कुछ एन्सीलरीज, कानपुर जूट उद्योग, वेंकटेश्वर फ्लोर मिल, लखनऊ, जपावन्ती साल्वेन्ट रायबरेली, गंगा एस्बेस्टोश, रायबरेली, नवाबगंज शुगर मिल कं0 लि0, नवाबगंज, गोण्डा आदि उद्योग काफी समय से बन्द चल रहे हैं। इनको निपटाने का आपने प्रयास नहीं किया। आशाएं हैं, लेकिन आशाओं पर पानी फिर रहा है। अगर गंगोत्री में विष मिला दिया जायगा, तो हरिद्वार की गंगा जहरीली हो जायगी। यह मंत्री जी जानबूझ कर विभाग में भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे रहे हैं।

मान्यवर, एक आरोप लगा कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं 143 रिक्तियां थीं आई0 टी0 आई0 में अनुदेशकों की, रिक्तियां घोषित की गयीं, 15, 17 अक्तूबर, 1988 को लिखित परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा हुई, उसके बाद इण्टरव्यू भी हो गया। इण्टरव्यू के बाद शासन के पास लिस्ट जानी थी, लेकिन आपके कुछ चहेते अभ्यर्थी परीक्षा में क्वालीफाई नहीं कर पाये, आपने पूरी परीक्षा रद्द कर दिया। मैं आपकी बात मान लेता, परीक्षा में अनियमितताएं हो सकती हैं, परीक्षा फिर से कराई जा सकती थी, इण्टरव्यू फिर से हो सकता था, लेकिन मंत्री जी के दबाव में शासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया कि अब लिखित परीक्षा नहीं होगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा, इण्टरव्यू होगा। मान्यवर, इससे साफ जाहिर हो गया है कि इण्टरव्यू में अपने चहेते लोगों को रख लिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय गुप्ता जी, अब आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सन्तन बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, जिस कुशलता से समझौता नीति के साथ श्रम मंत्री जी ने श्रम मंत्रालय का नेतृत्व किया है उसके लिए उनको बधाई देता हूं। आज अखबारों में सुर्खिया नहीं है कि गाजियाबाद में, मोदीनगर में या कानपुर में लाठियां चल गयीं या आन्दोलन हो रहा है। इसी से पता चलता है कि श्रम नीति सफल चल रही है। मान्यवर, कानपुर में बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था जिसमें बहुत से लोग इसकी आड़ में पूड़ियां तलने को तैयार थे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और श्रम मंत्री जी की सूझ से समझौता नीति के कारण वह हल हो गया। एवार्ड के मामले में शासन ने जो नीति बनाई है उसके अनुसार जब तक किसी एवार्ड का इक्जामिन नहीं कर लिया जाता तब तक वह लागू नहीं होगा। मान्यवर, मैं पहाड़ों के सम्बन्ध में 2 लब्ज कहना चाहता हूं आई0 टी0 आई0 और पालीटेक्निक ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में और जहां बड़े बड़े शहर हैं, कैपटलिस्ट हैं वहां चले जाते हैं लेकिन पहाड़ों में पालीटेक्निक और आई0 टी0 आई0 का बड़ा अभाव है। मान्यवर, पहाड़ों के लोग वर्षों से सेना में सिपाही में भर्ती होते आ रहे हैं और आज भी कठिनाई है बेरोजगारी की, अगर पहाड़ में ज्यादा से ज्यादा आई0 टी0 आई0 और पालीटेक्निक खोले जायं तो वहां की बेरोजगारी का निवारण हो सकता है। इस पर विशेष ध्यान देने की कृपा करें।

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं आपने समय दिया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह तो उधर के हैं इनको इधर का ही मान लें।

श्री राम शरण दास–

यह काजी जी उधर के हैं इनको इधर के बाद मौका मिलना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

लिस्ट में तो कांग्रेस में दिखाये गये हैं।

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

मान्यवर मैं आपके माध्यम से श्रम, मुस्लिम वक्फ और कारागार का जो बजट है उस पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, जनपद आजमगढ़, बलिया गाजीपुर पूर्वान्चल में जो जेल हैं उनके जो अधीक्षक और कर्मचारी हैं उनका व्यवहार वहां ठीक नहीं है वह क्रिमिनलों को काफी प्रश्रय देते हैं इस पर मैं चाहता हूं कि जेल मंत्री जी खुद ध्यान दें। साथ ही साथ मैं वक्फ के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं वक्फ कारपोरेशन का जो विभाग खुला है। उसका बहुत बुरा हाल है और उसने कोई प्रगति नहीं किया और वक्फ बोर्ड जो यहां पर चल रहा है उसमें आज नौबत यह है कि पहली तारीख को स्टाफ तन्ख्वाह नहीं मिलेगी। मान्यवर, मुख्यमंत्री जी ने और वक्फ मंत्री जी ने स्वीकृति दे दी थी कि अनुदान दिया जायेगा रिकरिंग ग्रान्ट दिया जायेगा लेकिन अप्रैल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में पहली तारीख को वहां पूरी सम्भावना है कि तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि इस पर ध्यान दें।

चौधरी तारा चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है काजी साहब उधर कैसे बैठे हैं? (व्यवधान)

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि वक्फ बोर्ड की रिकरिंग ग्रान्ट देंगे, यू0पी0 सुन्नी सेन्ट्रल वक्फ एक्ट में सरकार दखलन्दाजी न करें और उसको पूरा अधिकार मिलना चाहिए और उसी के हिसाब से काम करने दें। मान्यवर, उसमें वक्फ कमिश्नर या किसी अन्य आधार पर कोई दखलन्दाजी न करें जो ग्रान्ट मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृत किया है वह तुरन्त दी जाय और दूसरे रेन्ट कन्ट्रोल से वक्फ प्रापर्टी को इक्जम्प्ट किया जाय। वक्फ कारपोरेशन का कोई चेयरमैन नहीं है उसमें चेयरमैन की नियुक्ति की जाय। आजमगढ़ में आई0टी0आई0 नसीरपुर बिलरियागंज, महराजगंज में खोला जाय और गाजीपुर में कासिमाबाद में एक आई0टी0आई0 खुलना था जिसको स्वीकृति मिल चुकी थी लेकिन वह आज तक नहीं खुला है।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें।

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

मान्यवर, सरकार अल्प संख्यकों की तरफ काफी ध्यान दे रही है मैं चाहता हूं कि सरकार की जो नीति है उसका पूरा फायदा अल्पसंख्यकों को मिले और वक्फ बोर्ड में किसी तरह का दखल न दिया जाय और वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की समस्याओं को दूर किया जाय वक्फ कमिश्नर का जो स्टाफ जिले में है उसका कार्य ठीक नहीं है उसको सुधारा जाय।

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं : मा0 अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि मुस्लिम वक्फ शिया और सुन्नी वक्फ को चीफ मिनिस्टर वीर बहादुर सिंह ने 60 लाख रुपये का अनुदान दिया था, एक साल हो गया, वह अनुदान अभी तक नहीं दिया गया। उसका पैसा जल्द दिलवाया जाय। मा0 मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि 60 लाख रुपया वह दिलवाया जाय और भी अनुदान दिलवाया जाय ताकि मुस्लिम शिया और सुन्नी वक्फ अच्छी तरह से काम कर सके। इन वक्फ को रेंट कन्ट्रोल एक्ट से छूट दी जाय, जैसे कि दूसरे सूबों में दी गयी है। मैं मा0 मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि तमाम फैसले होने को पड़े हैं, उनके फैसले जल्दी होने चाहिये ताकि श्रमिकों को दिक्कत न हो। इसके साथसाथ शेरकोट, बिजनौर में एक आई0टी0आई0 की मांग कर रहा हूं। मा0 मंत्री जी तवज्जह देकर एक कालेज खुलवाने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ जेल मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, लेबर मिनिस्टर श्री सईदुल हसन जो हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आपने बहुत से प्राइवेट आई0टी0आई0 खुलवाए हैं । अनुदान आप दे नहीं रहे हैं । तो यह बहुत बड़ा अहम मामला है । आप इस पर विचार करें । आपने कहीं प्राविधान नहीं किया है प्राइवेट आई0टी0आई0 को देने का । इसलिये उसमें कुछ न कुछ अनुदान अवश्य दें । ऐसा नहीं करते तो आई0टी0आई0 खुलवाने का कोई मकसद नहीं है । पैसा नहीं होगा तो वह कैसे चलेंगे । अब भाई मान पाल सिंह जी से कहूंगा आप इधर देखिये, मैं आपसे मुखातिब हूं, आप इधर मुखातिब हों, मैं कहूंगा कि जो जेल मैनुअल है यह बाबा आदम के जमाने का है । इसमें संशोधन कीजिये । सभी हर बार कहते हैं कि करेंगे, करता कोई नहीं है । मैं तो कराना चाहता हूं । आप लोगों को अगले साल उसमें रखना है तो जरूरत पड़ेगी । अभी कर लें, अगले साल उसमें रहना है । यह जो 4 रुपये हैं कैदियों को देने के लिये, उसको 10 रुपये कर दीजिये । दस रुपये में आपको अधिक फायदा होगा । आपके बहुत से साथी लम्बे समय के लिये अगले साल जेल जायेंगे एक चीज और कहना चाहूंगा देहरादून के हमारे साथ हीरा सिंह विष्ट जी चले गये, उन्होंने कहा कि देहरादून जेल का नाम पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर रखने को कहा । मैं भी मानता हूं कि उस जेल का नाम पंडित जवाहर लाल नेहरु के नाम पर कर दिया जाय । इसमें दो राय नहीं है । लेकिन जो नेशनल लीडर हिन्दुस्तान में जिस जेल में रहे हों, अगर उस जेल का नाम उसके नाम पर नहीं कर सकते तो एक वार्ड जरूर कर दीजिये । बरेली में डा0 लोहिया रहे, आगरा लाहौर में जय प्रकाश नारायण जी रहे । लाहौर में नहीं कर सकते, पाकिस्तान में है, लेकिन इन जेलों में जिनमें डा0 लोहिया रहे, जय प्रकाश नारायण जी रहे, मेरठ में चौधरी चरण सिंह जी रहे, उनके नाम से पूरी जेल नहीं कर सकते तो एक-एक वार्ड यादगार के नाम पर कर दें । मथुरा में भी रहे । आचार्य नरेन्द्र देव, कृपलानी जी सुचेता कृपलानी जी, जो भी हों, मुझे कोई दिक्कत नहीं है । एक बात और कहना चाहता हूं कि जो पेंशन वाले मामले हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, इसमें मान्यवर, बहुत लोग फर्जी पेंशन पा रहे हैं। सन् 42 में जिसने जेल का मुंह नहीं देखा, 45 में लड़ाई खत्म हुई, 45 के बाद कोई जेल नहीं गया, 46 में चुनाव हो गये, जो 46 के बाद 47-48 में रहे, दूसरे मूवमेंट में रहे । उनको आप पेंशन दे रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो कभी जेल में नहीं रहे उनको भी आप पेंशन दे रहे हैं इसकी चेकिंग कराइये । अरे भाई कपिल बैठे । कपिल जी हैं मैं जानता हूं कि इनके पिता जी जेल में रहे हैं । हम लोग उस समय पढ़ाई कर रहे थे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करिये ।

श्री राम शरण दास–

मेरा कहना है कि बहुत से लोग फर्जी ले रहे हैं । जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर दाखिल किया है उनके खिलाफ मुकदमा चलवायें उन लोगों को पेंशन बन्द कीजिये । मैं बरेली सेन्ट्रल जेल में रहा हूं । लखनऊ जेल में तो पूरे इमरजेंसी

के दौरान रहा। सहारनपुर जेल में रहा। तिहाड़ जेल में रहा। जब जेल में जाता हूं जिन-जिन जेलों में रहा हूं वहां मन बनाता हूं कि अबकी जाकर टट्टियां ठीक करा दूंगा व्यवस्था ठीक करा दूंगा यह करा दूंगा वह करा दूंगा यहां आकर हम भी भूल जाते हैं । पता नहीं माननीय मंत्री जी आप जेल में गये हैं या नहीं । जेलों में सुधार के लिये इन्तजाम कीजिये आज भी जेलों की हालत बहुत खराब है सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है मच्छर खटमल सबसे ज्यादा जेलों में है । इसी के साथ मैं बाबर साहब और बदन सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बहुत ताकत के साथ बल देता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं कि बहुत प्रयास करने के बाद आपने मुझे अवसर दिया । पहले तो मान्यवर, यह श्रम विभाग में जो संगठित मजदूर हैं उनके बारे में शासन सोचता है लेकिन जो असंगठित मजदूर हैं उनके बारे में कोई नहीं सोचता है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो असंगठित मजदूर हैं उनकी कोई योजना बनायें । इसमें सबसे ज्यादा कृषि मजदूर आते हैं । कृषि मजदूरों की मिनिमम मजदूरी तय कर दी कि इससे कम देने पर मुकदमा चलाया जायेगा । इसकी जितनी मजदूरी तय कर दी क्या उस आधार पर उत्पादन भी होता है उसका ब्यौरा नहीं दिया मजदूरों को जमीन दी जाती है अनाज दिया जाता है रुपया दिया जाता है जब इनके इन्सपेक्टर चाहते हैं चले जाते हैं पूछते हैं कितना रु0 पाते हो वह बताते हैं 8 रु0 पाते हैं खेती जमीन का पूछते नहीं है स्वयं मुकदमों का चालान कर दिये । मैं कहना चाहता हूं कि इसकी स्पष्ट व्याख्या कराइये जो गांव में लोग हैं वह भी जान सकें मेरे क्षेत्र में तमाम लोगों का इस तरह से चालान हो गया । जेल विभाग के बारे में कहना चाहता हूं कि जेलों में ऐसी कोई व्यवस्था कीजिये जो दादा टाइप गिरोह बंद टाइप अपराधी जेल में रहते हैं उनके लिये जेल और घर में कोई फर्क नहीं दिखता। जो बड़े-बड़े गिरोहबन्द लोग हैं कुख्यात अपराधी लोग हैं वे लोग जेलों में सारी सुख सुविधा का उपयोग करते हैं । उस पर प्रतिबंध लगाइये । कोई ऐसी व्यवस्था करें ताकि उनको एहसास हो कि जेल जेल है । जेलों में जिसका कोई परिवार नहीं है । 18 वर्ष 15 वर्ष से पड़े हैं घर का कोई व्यक्ति मिनिस्टर के पास आकर लखनऊ आकर पैरवी नहीं कर सकता उनकी कि पेरोल की सुविधा दे दीजिये ऐसे लोगों की स्वतः छानबीन करानी चाहिये और जेलों से रिपोर्ट मंगवायें जो व्यवस्था है उनके अन्तर्गत उनको भी पेरोल की सुविधा मिल सके कोई व्यवस्था कीजिये ताकि वे भी 2-3 महीने के लिये घर जा सके मौकों पर । मान्यवर, आई0टी0आई0 बस्ती में खोले दो । डुमरियागंज इटवा के लोग वहां जमीन देने के लिये तैयार हैं । आपकी सांसद काजी जलील अब्बासी से लड़ने की हिम्मत नहीं है । डुमरियागंज में जो है बस्ती में 70 कि0मी0 दूर जल रहा है । जमीन देने के लिये लोग तैयार हैं मकान देने के लिये तैयार हैं फिर उसको वहां क्यों नहीं चलवाते डुमरियागंज के लड़के बस्ती में पढ़ते हैं आप इसलिये कोई ऐसी व्यवस्था कराइये कि हमारी आई0 टी0 आई0 वहां चलायी जाय । इनकी हिम्मत नहीं है फायर और कमजोर मंत्री हैं लेकिन अंतिम बार आग्रह करूंगा कि उसे वहां चलवायें । यही सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं ।

(श्री सुखपाल पाण्डे के खड़े होने पर)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

अब आप बैठें मैंने बाबर साहब को बुला लिया है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय–

मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं। श्रम मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आपने प्राइवेट संस्थाओं में प्रशिक्षण के केन्द्र खोल दिये, उनको सुविधा दी जाये और जो आप हजारों लोगों को विद्यालयों में प्रशिक्षण देते हैं, उसके लिये मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्री जी भी उसके भुक्तभोगी हैं, उसके लिए अपने स्तर से उन विद्यालयों/प्रशिक्षण केन्द्रों को, उनकी मशीनों के लिये, छात्रावासों के लिये और हर चीज के लिये कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान देने की व्यवस्था करें, यह मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

मान्यवर, आपने मुझे श्रम विभाग के महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं । मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । हमारे यहां कुर्माचल सहकारी कटाई मिल है, जो 20–25 दिनों तक बन्द रही जबकि इसके लिये वहां के मजदूर दोषी नहीं थे, बल्कि वहां के इंजीनियर और सामान्य प्रबन्धक इसके लिये दोषी थे । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर वह ध्यान दें और पता करवायें कि यह तालाबंदी क्यों हुयी? इसी प्रकार मान्यवर, हमारे क्षेत्र में बीड़ी मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है और मेरा अनुरोध है कि आप उनकी स्थिति सुधारने की ओर भी ध्यान दें । इसी के साथ मान्यवर हमारे क्षेत्र में एक आई0 टी0 आई0 स्कूल कासमाबाद में खोलने के लिये स्वीकृति दी गयी थी । परन्तु आज तक वह स्कूल नहीं खुल सका है । मैं चाहता हूं कि उसके खुलवाने की माननीय मंत्री जी की तरफ से शीघ्र व्यवस्था की जाये । मान्यवर, हमारे क्षेत्र में नन्दगंज चीनी मिल में भी बड़ा मजदूरों का शोषण हो रहा है । मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी इस ओर भी ध्यान देने की कृपा करें ।

अब मैं मान्यवर, कारागार के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं । गाजीपुर बलिया, बनारस आदि जिलों में जो कारागार हैं, वहां की स्थिति बड़ी दयनीय है और बैरकों की स्थिति भी तथा प्रशासनिक व्यवस्था अत्यन्त ढीली-ढाली है । इसलिये मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उसकी व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाय । इसी प्रकार मान्यवर, जेलों में ऐसे तमाम कैदी हैं, जो 20-20 साल से पड़े हुये हैं, जो अंधे हो गये हैं, विकलांग हो गये हैं, जिनका बाहर कोई नहीं है । इस तरह के कैदियों को छोड़ने हेतु ध्यान दिया जाना चाहिये और जो आप इन स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को उनके बच्चों के विवाह हेतु 3 हजार रुपये एक साल में देते हैं, उसकी धनराशि भी बढ़ायी जानी चाहिये ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन सभी लोगों का अत्यन्त आभारी हूं, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया है । मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । मान्यवर, कानपुर में एक एल0एम0एल0 लिमिटेड का स्कूटर कारखाना है, जहां तमाम श्रमिकों के हाथ कट गये हैं । मेरा इस सम्बन्ध में आपसे

अनुरोध है कि वहां फोटोगार्ड लगवाने की व्यवस्था करने की कृपा करें । दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने आदेश दे दिये हैं कि 5 किमी0 के अन्दर कोई सार्वजनिक सभा न होने पाये और दो साल से वहां ऐसी स्थिति है । मैं चाहूंगा कि वहां से धारा 144 उठवा दी जाय और लोगों को बोलने की इजाजत दे दी जाय । इसी प्रकार मान्यवर, कताई मिल मऊ में तमाम मजदूरों को बिना सफाई का मौका दिये हुये निकाल दिया गया है । इस सम्बन्ध में मंत्री जी ने आदेश किये थे कि द्विपक्षीय वार्ता कराकर इस मसले को सुलझा देंगे । मान्यवर, इसी तरह की स्थिति अकबरपुर, रायबरेली, बाराबंकी में भी है । मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस सम्बन्ध में जल्द ही वार्ता कराकर इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश करें । मान्यवर, तीसरा मेरा अनुरोध है कि खेत मजदूरों को संगठन बनाने का अधिकार दिया जाय और उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाय तथा बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, खेत मजदूरों के लिये भविष्य निधि और दूसरी सुविधाओं के लिये भी आज ही माननीय मंत्री जी सदन में घोषणा करें । मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसे और श्रमिकों के लिये आवास की सुविधा दी गई है, उसी प्रकार खेत मजदूरों के लिये भी आवासीय सुविधा दिलायी जाये । जिन लोगों की आयु 60 वर्ष से ऊपर हो गयी है, उनको अनिवार्य रूप से पेंशन देने की घोषणा आज इस सदन में की जाय।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कपड़ा उद्योग, कानपुर के बाहर के मजदूरों की त्रिदलीय वार्ता कराने के लिये भी माननीय मंत्री जी इस सदन में घोषणा करें तथा जो टिकरी कमेटी की रिपोर्ट है उसे अविलम्ब मन्जूरी देने की व्यवस्था करें । मान्यवर, चीनी मिल के मजदूरों का जो बकाया है, उसे मिल द्वारा अग्रहण कर लिया गया है, उसे भी दिलवाने की व्यवस्था करें और आदेश दें । मान्यवर, शिया वक्फ टूट गया है और कन्ट्रोलर में पड़ा हुआ है तथा हाईकोर्ट में उसका मामला पड़ा हुआ है । इस सम्बन्ध में लोकतंत्र की मर्यादा को बरकरार रखने के लिये इस मामले को सुलझाया जाय और इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं तथा अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री सैयद सईदुल हसन)–

मान्यवर, माननीय बावर साहब ने बड़ी नासमझी और बड़ी तंगनजी से वक्फ औकास के मामले को गवर्नमेन्ट पर डाल दिया और कहा कि सरकार मजदूरों को दबा रही है, यह बात कहना मुनासिब नहीं है । आप एम0 एल0 ए0 हैं और एक वक्फ है सुन्नी, एक है शिया, जिसके अन्दर एम0 एल0 ए0 हैं और भी तमाम नुमाइन्दे हैं । गवर्नमेंट का कोई अख्तियार नहीं है, वह एटोनोमस बाडी है । अभी आपने यह कहा कि जो शिया वक्फ बोर्ड है उसको स्टे करा दिया हाईकोर्ट से । हमारी मजबूरी थी हमें एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर खड़ा करना पड़ा । हमने जमीन दे दी । हम क्यों जमीन दे देंगे ? आपका हुसैनाबाद ट्रस्ट है, उन्होंने कहा है कि हम 15 लाख रुपए देंगे । उससे एक बिजनेस काम्पलेक्स बनेगा और 15 हजार रुपए सालाना देंगे । जो जमीन खाली है, जिस पर इन्क्रोचमेन्ट हो रहा है, उनकी वह रिकमेन्डेशन है । आप एक सीनियर आदमी हैं । श्री राज किशोर सिंह जी जब भी आपने कहा मैंने त्रिदलीय मीटिंग बुलाई है । चाहे वह एस0 टी0 सी0 की हो या पब्लिक अण्डर टेकिंग । देहरादून में 45 रुपए बढ़ा दिया । ऐसे ही कानपुर में माननीय श्री वीर बहादुर सिंह

जी के टाइम में, बम्बई के मुताबिक दिल्ली में वहां के जो मिनिस्टर थे, खुर्शीद आलम साहब से मिलकर, इसे बढ़ाया गया कोर्ट से जब स्टे हो जाता है तो हमारी मजबूरी हो जाती है। परन्तु हमारे जो फैसले होते हैं, हम उन्हें एक्जीक्यूट करते हैं। परन्तु कोर्ट से स्टे जब मिल जाता है तो हमारे सामने में मजदूरी हो जाती है। हम फिर उसके लिये दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। जो सुझाव आपने दिए हैं, उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं, इस पर हम गौर करेंगे। मेरा हमेशा यह वसूल रहा है जो आप लोग कहते हैं, आप ही के सामने में बैठकर उसे हल करने की कोशिश करता हूं। फिरोजाबाद की बात माननीय श्री वर्मा जी ने कही। हम आपस में बैठकर बातचीत कर लेंगे जो सुझाव आप देंगे, उस पर हम अमल करने की कोशिश करेंगे। आई0 टी0 आई0 की बात आपने कही है। मैंने तो लार्जर इन्ट्रेस्ट में बस कही थी। फिर भी आपके यहां आई0 टी0 आई0 खोलने का प्रयास किया जायेगा। आपने जो सुझाव दिया है, यह बात सही है कि हम 50 परसेन्ट अनुदान देने के लिए विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने अपने भाषण में व्यक्तिगत नाम लेकर आरोप लगाया था, परन्तु माननीय मंत्री जी ने उसकी सफाई नहीं दी। अनुदेशकों के पदों पर जो नियुक्तियां होनी थी, माननीय मंत्री जी के अपने कुछ चहेतों का उसमें न आने पर माननीय मंत्री जी ने उस परीक्षा को निरस्त कर दिया। जानबूझकर माननीय मंत्री जी इस भ्रष्टाचार पर परदा डाल रहे हैं, यह मेरा इनके ऊपर स्पष्ट आरोप है।

श्री अधिष्ठाता–

श्री बाबर जी आप वापस ले रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपए कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 48–मुस्लिम वक्फ विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 33,05,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपए कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 69–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए

आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31,20,98,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70-श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 70–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 24,33,11,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बदन सिंह–

श्रीमन्, देश के 22 राज्यों में से 12 राज्यों में पुलिस कर्मी और पुलिस के पदाधिकारियों के समान जेलकर्मी और जेल पदाधिकारियों के वेतन कर दिए गए हैं । विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश एवं आदि प्रदेशों में वेतन समान हो गए हैं और हरियाणा में पुलिस कर्मी से अधिक वेतन जेल कर्मियों को दिया जाता है । हमारे प्रदेश में भी आजादी से पहले जेल कर्मियों का वेतन पुलिस कर्मियों से ज्यादा था । 1947 से 1961 तक जेल कर्मियों का वेतन पुलिस कर्मियों के बराबर था, किन्तु 1961 के बाद जेल कर्मियों का वेतन पुलिस कर्मियों से कम कर दिया गया है । मैं अपील करता हूं कि जेल कर्मियों के वेतन पुलिस कार्मयों के बराबर कर दिए जायं । जेल में जो मुलाकात करने वाले आते हैं उनको पूरा-पूरा दिन खर्च करना पड़ता है और मिलने के लिए वह लोग जेल के दरवाजे पर बाहर बैठे रहते हैं । जब तक 100-100 और 50-50 रु0 खर्च नहीं कर देते हैं, मुलाकात का समय नहीं मिलता है । निवेदन करना चाहता हूं कि मुलाकातियों के मिलने के लिए कोई सरल विधि जेल में अपनायें जिससे वे मिल सकें । निवेदन करना चाहता हूं कि जेल में जो चिकित्साधिकारी रखे जाते हैं उनको सुविधा देते रहते हैं और जेल को उनका घर बना देते हैं। इस प्रकार के डाक्टर जो जेल में रखे जाते हैं, दो वर्ष से अधिक उनको एक ही स्थान पर न रखा जाय ।

होमगार्ड्स को पूरे प्रदेश में और विशेष रूप से आगरा और मथुरा में 8–8 महीने से पारिश्रमिक और भत्ता नहीं मिला है । आप उनसे अच्छा कार्य करने की आकांक्षा रखते हैं तो पारिश्रमिक और भत्तों को दिलवाने की व्यवस्था करें । मुल्ला समिति की रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश में लागू करें और 1984 के जेल मैनुअल में संशोधन कर दें । जब तक जेल में कैदियों का वर्गीकरण नहीं करेंगे तब तक जेलों की दशा सुधर नहीं सकती है । राजनीतिक बन्दियों के लिये पुस्तकालय और साहित्य पढ़ने के लिये व्यवस्था करें ताकि देश और समाज की सेवा के लिये अपने समय को अच्छी तरह से बिता सकें । जिला कारागार अलीगढ़ में लाखों रुपयों की एक्सरे मशीन खराब

पड़ी है उसे ठीक कराके सदुपयोग करा दें इसके साथ ही जिन्होंने कटौती के प्रस्ताव का समर्थन किया है उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें ।

जेल, होम गार्ड्स एवं राजनीतिक पेंशन राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह)–

श्रीमन्, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों जिन्होंने मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुदानों के बारे में अपने विचार व्यक्त किये । काफी अच्छे सुझाव भी आये हैं उनके बारे में भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो अच्छे सुझाव हैं, जिनको माना जा सकता है, उन पर अवश्य कार्यवाही की जायगी । चौधरी बदन सिंह जी ने दो-तीन बिन्दु पर अपने विचार दिये हैं कि जेल मैनुअल बहुत पुराना है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है । मैं इस आदरणीय सदन में सूचना देना चाहता हूं कि जेल मैनुअल में संशोधन हो गया है और उसका पुनरीक्षण किया जा चुका है, अब भाषा विभाग के द्वारा इसके प्रकाशन की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री बदन सिंह–

आप कृपया साहित्य का ठीक से बंटवारा करिये जिससे कि पता लगा करे कि संशोधन किये गये हैं ।

श्री मान पाल सिंह–

ठीक है । दूसरी बात आपने कही कि अपराधियों का वर्गीकरण होना चाहिये, मैं भी आपकी राय से सहमत हूं कि अपराधियों में जो अच्छे लोग हैं वे भी आ जाते हैं और उनके ऊपर पूरा असर पड़ता है । अवयस्क बन्दियों को भिन्न स्थान पर रखने के लिये किशोर बन्दीगृह बनाये जा रहे हैं, उनके लिये जेलों में अलग से व्यवस्था की जा रही है । नारी बन्दियों के लिए भी जेल में अलग से व्यवस्था की जा रही है । एक बात और आपने कही कि 70 वर्ष की आयु के बन्दियों के बारे में कि अभी तक उनको छोड़ा नहीं गया है । यह सही है । पिछले दो-तीन वर्षों में मैंने विभिन्न जेलों में घूम-घूम कर देखा है कि 80-80 वर्ष से ऊपर के लोग हैं । अब शासन ने निर्णय लिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के बन्दियों के लिये जल्दी ही आदेश जारी किये जाने वाले हैं । सन् 1972 में रजत जयन्ती के अवसर पर जैसे 60 वर्ष के लोगों को छोड़ दिया गया था, इसी तरह से हम इसमें भी उसी तरह से हिसाब लगा कर उनको छोड़ने की कार्यवाही करेंगे ।

कैंसर या असाध्य रोग से ग्रसित जो लोग हैं, उनके बारे में भी कार्यवाही की जायेगी । एक बात आपने पुरानी मस्केट के बारे में कही कि इनके स्थान पर 303 बोर की राईफलों की व्यवस्था की जाय । हमने ऐसी 320 राईफलें खरीद ली हैं और शेष राईफलें आगामी वित्तीय वर्ष में रिप्लेस करा देंगे ।

एक बात से और मैं सहमत हूं कि सन् 1947 से 1960 तक जो जेल वार्डरों और कान्स्टेबिलों का तथा जेल हेड वार्डरों और पुलिस के हेड कांस्टेबिलों के बराबर वेतन था । किस प्रकार से यह असमानता आयी शासन ने इसको गम्भीरतापूर्वक लिया है और विभिन्न जेलों के एसोशिएशन तथा कर्मचारियों से बात भी की है और इस

पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है, अब यह मामला समता समिति को सन्दर्भित है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

जेलों में पेस्टीसाइड औषधियां खरीदने के बारे में आपने कहा है कि इसमें गड़बड़ी हुई है । इसमें जेलों के 86 अधिकारी/कर्मचारी अन्तर्गस्त हैं उसमें से कुछ के बारे में विजिलेन्स डिपार्टमेन्ट को संस्तुति कुछ की गयी है, कुछ के बारे में कहा गया है कि उनसे वसूली कर ली जाय जो हानि हुई है, कुछ की चरित्र-पंजिका में प्रविष्टि कर दी गयी है, कुछ के बारे में एग्जीक्यूशन की कार्यवाही की जाय, यह संस्तुति विजलेन्स विभाग ने की है । विभाग की संस्तुति के बारे में अभी निर्णय नहीं हो सका है, सारी पत्रावलियों का निरीक्षण किया जा रहा है, इस पर जल्दी से जल्दी हम फैसला करेंगे । और किसी भी दोषी अधिकारी व कर्मचारी को इस मामले में बख्शा नहीं जायेगा । माननीय सदस्यगण और आदरणीय सदन को मैं यह बताना चाहूंगा कि बंदियों के दाह-संस्कार के लिए जो राशि बढ़ाने की बात कही गयी है, यह सही है कि यह धनराशि बहुत कम है, इसके बढ़ाने के लिए शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है ।

दूसरी बात मुल्ला सुधार समिति की संस्तुतियों के बारे में जो बात कही गयी इस संबंध में मैं यह बताना उचित समझता हूं कि इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर जेलों के मार्डनाईजेशन की स्कीम चलाई जा रही है, वी0 सी0 आर0 और टेलीवीजन आदि की व्यवस्था की जा रही है, और वहां की इण्डस्ट्रीज को भी डेवलप करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें खेती की भी व्यवस्था को अच्छा किये जाने के प्रयास चल रहे हैं, ताकि उनका उत्पादन बढ़ सके । और इसी प्रकार से जेलों के जो हमारे स्कूल्स हैं, उनको भी बेहतर बनाये जाने की व्यवस्था की जा रही है । होम गार्ड के बारे में भी आप देखें कि इनको भुगतान बैंक खातों के माध्यम से हम करा रहे हैं और जो आपने मथुरा व आगरा में भुगतान न होने की सूचना दी है, इस ओर भी हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि शीघ्र ही इस ओर हम कार्यवाही करेंगे ।

अब मान्यवर उन माननीय सदस्यों का हृदय से आभारी हूं जिन्होंने इस पर अपने अपने विचार व्यक्त किए और कुछ माननीय सदस्यों ने यह राय व्यक्त की थी कि 3 हजार रु0 का जो अनुदान है, उसे बढ़ाया जाए, इसको शासन से मान लिया है और इस पर गम्भीरता से विचार भी कर रहा है कि इसे 3 हजार से बढ़ाकर 4 हजार कर दिया जाए और एक सुझाव माननीय राम शरण दास जी ने दिया कि जिन जेलों में राष्ट्रीय नेता बंद रहे हैं, उन बैरकों का नाम, उनके नामों पर कर दिया जाए । इस पर मान्यवर हमारी पूरी सहानुभूति है कि उन बैरकों पर इन महानुभूतियों का नाम चाहिए । अब मान्यवर मैं माननीय बदन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि उनकी बहुत सी बातों को हमने मान लिया है इसलिए वह अब अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध न करें और इसको वापस लेने की कृपा करें ।

(घोर व्यवधान)

श्री सुख पाल पाण्डे–

मान्यवर यह सब के सब देश द्रोही हैं, मैं मा0 मंत्री जी से एक निवेदन चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार वालों को जो धनराशि 3000 दी जा रही थी, उसे बढ़ाने पर क्या यह सरकार विचार करेगी?

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–26 गृह विभाग (कारागार) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 23,37,82,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–28 गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 28–गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,44,16,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 29–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1990 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 29–गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,10,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

नियम 51 के अन्तर्गत आज 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिनमें श्री रघुबर दयाल वर्मा और श्री विजय सिंह राणा की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है और बाकी सभी सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है ।

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, मद संख्या 17 पर मेरा है, मैंने उसके द्वारा लखनऊ के हरिश्चन्द्र इण्टर कालेज का मामला उठाया है । मद सं0 16 का उत्तर आ गया है और मद संख्या 15 का वक्तव्य आ गया है, लेकिन मेरा नहीं आया है ।

श्री अधिष्ठाता–

मंत्री जी का स्थान का नोट आ गया है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण आचार्य नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोसाईगंज, फैजाबाद से वर्ष 1983–84 में उत्तीर्ण व्यक्तिगत छात्रों को प्रमाण-पत्र न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)–

मान्यवर, आचार्य नरेन्द्र देव उच्चतर. . .

एक सदस्य–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ?

श्री अधिष्ठाता–

इसे पढ़ा हुआ माना जाय ?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

[आचार्य नरेन्द्र देव उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, फैजाबाद के हाईस्कूल परीक्षा 1984 के पांच विषयों से व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में आवेदन-पत्र भरने वाले उत्तीर्ण सभी छात्रों के प्रमाण पत्र भेजे जा चुके हैं, जिनका विवरण निम्नवत् है:–

पांच विषयों वाले पंजीकृत छात्रों की संख्या	उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	प्रेषित प्रमाण-पत्र की संख्या	प्रेषित करने का दिनांक
130	48	48	6-3-89

उपर्युक्त प्रमाण-पत्रों के वितरण में विलम्ब इस कारण हुआ कि प्रश्नगत विद्यालय के सभी उत्तीर्ण छात्रों के परीक्षाफल परीक्षा परिणाम घोषित करते समय विभिन्न विषयों के अंक प्राप्त न होने के कारण अपूर्ण थे, अतः उनके प्रमाण-पत्र कम्प्यूटर फर्म ने समय से नहीं मुद्रित किये थे । अथक प्रयत्न करने पर केवल 28 प्रमाण-पत्र कम्प्युटर फर्म ने दिनांक 19-10-88 को मुद्रित कर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराये । शेष प्रमाण पत्र कम्प्यूटर का टेप खराब हो जाने के कारण मुद्रित नहीं हो सके । फलस्वरूप 20 प्रमाण-पत्र हाथ से तैयार कराये गये । सभी प्रमाण-पत्र विद्यालय को विशेष वाहक द्वारा प्राप्त करा दिये गये हैं ।

इस प्रकरण में जो विलम्ब हुआ है वह परिषद् कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं निरंकुशता के कारण नहीं हुआ है, अपितु अपरिहार्य कठिनाइयों और परिस्थितियों के कारण उद्भुत हुआ था, जिसका अब परिहार कार दिया गया है।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा इतना मकसद था कि माननीय मंत्री जी देख लें कि उनका विभाग कितना सक्षम है कि 1983-84 में जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, उनके प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं । दिनांक 28-2-1989 को नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दिया था, तब सर्टीफिकेट तैयार किये गये। बहुत से लड़के नौकरी कर रहे हैं, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है, क्योंकि डेट आफ बर्थ उसी में दी रहती है। इसी तरह का प्रकरण मैंने पिछले साल भी उठाया था, तो मंत्री जी कोई इस प्रकार का सिस्टम निकाले जिससे परीक्षा होने के उपरान्त शीघ्र ही उनको प्रमाणपत्र मिल जाये। जो दोषी अधिकारी हों उनको दंडित करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी–

मान्यवर, जब से कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है, इस प्रकार की समस्या दूर हो गयी है और यह प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ही परीक्षा समाप्त हो प्रमाण पत्र भी भेज दिये जायें । इस प्रकरण पर स्वयं मुझे दुख है कि इतना समय लगा । इसका कारण यह है कि जो प्रमाण पत्र कम्प्यूटर से बने वह डिफेक्टिव थे। तो उसको फिर ठीक कर लिया गया है मार्कशीट ईश्यू कर दी गई है। मैं सदन को आश्वासन देती हूं कि प्रति वर्ष इस बात का प्रयास किया जायेगा कि रिजल्ट घोषित होने के बाद और मार्कशीट ईश्यू होने के बाद तुरन्त सभी प्रमाण-पत्र पहुंच जाय। यह बात सही है कि इस सम्बन्ध में अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जायेगा तो उसके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायेगी। जब यह बात संज्ञान में आयी तो हमने फौरन माननीय सदस्य की आज्ञा का पालन कर दिया।

श्री सुखपाल पाण्डे–

माननीय मंत्री जी शिक्षा विभाग की मंत्री हो गई हैं। पहले वह हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग की मंत्री थी तो उस विभाग का सत्यानाश कर दिया था। 1 लाख 25 हजार रुपये उन्होंने अपने क्षेत्र में बांट दिये थे। इस साल फिर मंत्री शिक्षा विभाग की हो गई हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही नहीं, इन लोगों के सर्टीफिकेट्स का मामला नहीं है बस्ती जिले के कम से कम एक हजार लड़कों के सर्टीफिकेट्स कई वर्षों से नहीं आये और माननीय मंत्री जी प्रिंसिपल रही हैं। यह जानती हैं । [xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह जो आप कह रहे हैं, इसे कार्यवाही से निकाला जायेगा। यह व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए।

श्री सुखपाल पाण्डे–

व्यक्तिगत नहीं कहा है। समय से उनका प्रमाण-पत्र नहीं मिला तो क्या उनकी क्षतिपूर्ति दिलाने की कृपा आप करेंगी ?

नोट:–[xx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

दिनांक 27 फरवरी, 1989 को थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थ नगर के ग्राम सकार पार के पास बस्ती के भूतपूर्व विधायक के भतीजे श्री राम देव की हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अधिष्ठाता–

वक्तव्य पढ़ा हुआ माना जाये?

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

गृह राज्य मंत्री (श्री सईदुज्जमा)–

[प्राप्त सूचनानुसार दिनांक 27-2-89 समय 21.30 बजे देवेन्द्र पाण्डेय पुत्र रामदेव पाण्डेय, निवासी ग्राम छितौनी, थाना खेसरहा, जनपद-सिद्धार्थ नगर ने थाना खेसरहा पर लिखित सूचना दी कि प्रार्थी अपने पिता रामदेव पाण्डेय के साथ मोटर साइकिल रप सांय 5.30 बजे अपने घर वापस आ रहे थे, बांसीधानी मार्ग पर ग्राम सकारपार के पास अभियुक्तगण रामबहाल पुत्र सूर्य मंगल कौशल, बसन्त पुत्रगण रामबहाल, ज्ञानदास, राजेन्द्र पुत्रगण गंगा, द्वारिका, गंगा पुत्रगण सरजू पाण्डेय, बैकुण्ठ पुत्र रमेशर निवासी ग्राम छितौनी थाना खेसरहा, जनपद-सिद्धार्थनगर ने मोटर साईकिल घेर ली और प्रार्थी व उसके पिता राम देव को लाठी, फरसा, भाला से मारने लगे, जिससे श्री रामदेव की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। प्रार्थी को काफी चोट आई। इस सूचना के आधार पर थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर में अभियोग अपराध संख्या 22/89 धारा 147/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी और तलाशी ली गयी किन्तु कोई भी अभियुक्तगण गिरफ्तार नहीं हो सके। तत्पश्चात् सभी आठों अभियुक्तगणों के विरुद्ध धारा 82/83 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही कर दिनांक 5-3-89 को कुर्की की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी। दिनांक 7-3-89 को अभियुक्तगण (1) राम बहाल पाण्डेय (2) कौशल (3) बंसन्त पाण्डेय (4) ज्ञान दास पाण्डेय (5) गंगा पाण्डेय ने तथा दिनांक 10-3-89 को अभियुक्त बैकुण्ठ ने एवं दिनांक 13/03/89 को अभियुक्त द्वारिका पाण्डेय ने सी0 जे0 एम0 बस्ती के न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया। केवल एक अभियुक्त राजेन्द्र पाण्डेय फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

मृतक श्री रामदेव पाण्डेय एवं अभियुक्तगण राम बहाल पाण्डेय आदि के घर की काफी समय से पुरानी रंजिश चली आ रही है। दोनों पक्ष आपस में सगे पट्टीदार भी है। दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमें फौजदारी के चल चुके है। दोनों पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को देखते हुए उक्त हत्या के पूर्व धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही भी की गयी थी। उक्त घटना को लेकर जनता में कोई रोष अथवा आतंक व्याप्त नहीं है।

यह कहना असत्य है कि सिद्धार्थनगर पुलिस की अपराधियों से साठ-गांठ है क्योंकि पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही की गई और तस्करी चोरी वा हत्या की घटनाओं में अपेक्षाकृत कमी आयी है।]

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह घटना 5.30 बजे हुई और आपके कथनानुसार 9.30 बजे सूचना आपको थाने में मिली। मैं जानना चाहता हूं कि आपके थानाध्यक्ष घटनास्थल पर कितने बजे पहुंचे ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इसमें एफ0 आई0 आर0 कराई गई थी और बड़ी तत्परता से कार्यवाही की गई । मुकदमा भी पंजीकृत किया गया और कार्यवाही कर दी गई । . . .

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं माननीय विद्वान मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि चारू चक्र पाणि मिश्र जो थानाध्यक्ष हैं उन्होंने कराये। दो घरों में यह झगड़ा हुआ था। चार कत्ल एक तरफ और चार कत्ल एक तरफ हो गये। दो साल पहले उनको सस्पेन्ड भी किया गया था और फिर खिसराहा में पोस्ट हो गये थे। वहां पर दो परिवारों में रंजिश थी। आपके पास जी0 डी0 में लिखा होगा। यदि जी0 डी0 नहीं है तो यह कह दीजिये । 5-30 बजे यह घटना हुई और 9-30 पर आपको सूचना मिली तो वे घटनास्थल पर कब पहुंचे? यह आपकी जी0 डी0 में होगा।

श्री सईदुज्जमा–

समय की सूचना तो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें पूरे तथ्य आपके सामने आ गये हैं और कुछ बाकी नहीं रह गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

श्रीमन्, यह हत्या का गम्भीर मामला है । माननीय पाण्डेय जी यह जानना चाहते थे कि निश्चित रूप से पुलिस पर शंका है कि पुलिस निष्पक्ष नहीं रही है। पुलिस ऐसे मामले में अपराधियों का पक्ष लेती रही है । मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य से साफ है कि एक भी अभियुक्त पकड़ा नहीं गया और सभी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है । इसलिये यह सवाल और भी उचित हो जाता है कि एफ0 आई0 आर0 घटना की लीज हुई तो उसके कितनी देर बाद को सब-इन्सपेक्टर जिसको इन्वेस्टीगेशन दिया गया था, मौके पर पहुंचा । पुलिस ने लाश सील की होगी । वह कब हुई ।! तभी तो हम पुलिस के कंडक्ट के बारे में जान पायेंगे?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, जहां तक पुलिस कंडक्ट का सवाल है इससे मैं अवगत करा दूं 82,83 की कार्यवाही उनके खिलाफ की गयी । जो समय के बारे में पूछा क्योंकि जी0 डी0 मेरे पास नहीं है इसलिए नहीं बता सकता हूं । लेकिन 82-83 की कार्यवाही की गयी उसके बाद ही मुल्जिम सरेन्डर कर दिये । एक मुल्जिम रह गया है उसके खिलाफ भी कार्यवाही हो रही है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं माननीय मंत्री जी को अवगत करा दूं कि आपके ही दल के विधायक का वह भतीजा है जो पिछली विधान सभा में एक तेज विधायक थे । उसकी बड़ी निर्मम हत्या

की गयी फर्से से बोटी बोटी काट दी गयी । घटना स्थल पर किस समय पुलिस पहुंची वह नहीं बता पा रहे हैं । इस घटना के एक मुल्जिम को अभी पुलिस नहीं पकड़ पाई है । यह उस गांव की पुरानी रंजिश का मामला है । जब यह पुरानी रंजिश थी तो आपने 107 और 116 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही किस तारीख को प्रारम्भ की ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इसमें 107 की कार्यवाही 1986 में की गयी । इससे पहले भी 1986 में दोनों पक्षों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी । 18-8-88 को दोनों पक्षों के विरुद्ध 116 की कार्यवाही की गयी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जब हत्या हुई अगर पुलिस अधिकारी समय पर जाते तो सारे मुल्जिम गिरफ्तार किये जा सकते थे । जब पता चला तो उन्होंने बैक डेट में कार्यवाही लिख दी और एस0 डी0 एम0 कोर्ट में अपने बचाव के लिये 107 में कार्यवाही करा दी। तो क्या सारे तथ्यों को पुनः छानबीन करा लेंगे क्योंकि वहां गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है इसमें कोई कार्यवाही न होने से वहां फिर से 10 हत्यायें हो जायेंगी जो आपके लिये सिरदर्द हो जायेगा । पुलिस कोई कार्यवाही नहीं करेगी तो लोग अपने हाथ में हथियार उठा लेंगे आप मुजफ्फरनगर में बैठे रहेंगे और वहां लोग मारे जायेंगे क्योंकि जब मालूम हो गया कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती है तो वह स्वयं हथियार उठा लेंगे । जो आप राजेन्द्र पाण्डेय को गिरफ्तार नहीं कर सके हैं । उसे गिरफ्तार करने के लिये कुर्की के अलावा और कौन कौन सी कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री सईदुज्जमा–

एक तो कुर्की कर दी गयी है उसके बाद पुलिस पूरी तत्परता से उसके छिपने के ठिकानों पर दबिस दे रही है और पूरी कोशिश हो रही है कि उसे पकड़ा जाए और नियमानुसार 82-83 की कार्यवाही कर दी गयी है । जहां तक आपने कहा कि पूरे तथ्यों को दुबारा दिखवा लिया जाये तो इसमें पूरी तत्परता से कार्यवाही की गयी है ।

श्री अधिष्ठाता–

इसकी और गहराई से जांच करा ली जाय ।

श्री लाल प्रताप सिंह–

यह जो मर्डर हुआ तो क्या जमीन का झगड़ा था या कोई और मामला था?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपने इसमें कहा है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी और तस्करी, चोरी व हत्या की घटनाओं में अपेक्षाकृत कमी आई है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके कोई आंकड़े आपके पास होंगे जिसमें 88 में इतनी घटनायें हुई और अब इतनी घटनायें हुई तो वह तुलनात्मक आंकड़े बता दें जिसके आधार

पर यह कह रहे हैं कि इनमें कमी आई है । यह बॉर्डर का जिला है यहां तस्करी बहुतायत से होती है और पुलिस कर्मी उसमें लिप्त रहते हैं उनकी आय का यह स्रोत बना हुआ है । इसके अलावा पुलिस द्वारा चोरी और डकैती की घटनायें लिखी नहीं जाती हैं इस बात को कहते हैं तो यह कहते हैं कि विपक्ष का यही काम है । हम कहां कहां जांच करवायें, इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं के संबंध में क्या आप पुलिस मुख्यालय से कोई अधिकारी सिद्धार्थ नगर भेजकर चोरी, हत्याओं की घटनाओं की जांच करायेंगे ?

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, इस समय मेरे पास मूल फीगर नहीं हैं लेकिन कह सकता हूं कि पहले से अब क्राइम में कमी आयी है, फीगर बाद में दिलवा दूंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, विशेषाधिकार की आज ही मैं मंत्री जी के खिलाफ नोटिस दे रहा हूं और बाद में आपके सामने तथ्य लाकर रख दूंगा ।

हरिचन्द्र इण्टर कालेज लखनऊ के प्रधानाचार्य द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में श्री शारदा प्रताप आदि द्वारा दिनांक 10 मार्च, 1989 को नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शिक्षा मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मद संख्या 17 को स्थगित करने का क्या कारण है, इसको मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि हरिचन्द्र इण्टर कालेज लखनऊ में ही है?

श्री अधिष्ठाता–

कालेज में परीक्षायें चल रही हैं, इसलिये माननीय अध्यक्ष ने स्थगित किया है क्योंकि सूचनायें उपलब्ध कराने में देर लग रही है ।

उत्तर प्रदेश बिहार सीमा पर स्थित हास्य नगर मौजे की 2601 एकड़ भूमि की खड़ी फसल पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में श्री विक्रमादित्य पाण्डेय द्वारा 10 मार्च, 1989 को दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-18 को माननीय सदस्यों के अनुरोध पर आज स्थगित किया है ।

प्रदेश में कांच एवं चूड़ी श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरें सरकार द्वारा तय न करने के सम्बन्ध में श्री रघुबर दयाल वर्मा आदि की दिनांक 27 फरवरी, 1989 को दी गई सूचना पर एक घण्टे की निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या-19 में एक घंटे की चर्चा लगी है किन्तु काफी माननीय सदस्य और मंत्री चाहते हैं कि इसको भी किसी दूसरे दिन रख लिया जाये चूंकि समय काफी हो गया है । इसलिये श्री रघुबर दयाल वर्मा जी आप बतायें ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

ठीक है, किन्तु कल करा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

कल का एजेन्डा जा चुका है इसलिये बाद में रख दिया जायेगा ।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 50 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
29 मार्च, 1989

उत्तर प्रदेश विधान सभा

..नत्थी 'क'

[देखिए नियम 38 (2) के ता0प्र0सं0 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 16 पर]

परिशिष्ट

मेसर्स दुर्गा वंशल फर्टिलाइजर के प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु किसानों से क्रय की गई भूमि का विवरण

क्रमांक	किसान का नाम जिससे भूमि क्रय की गई (ग्राम-मंगारी)	भूमि का रकवा बी0	वि0	वि0
1	श्री राम प्रसाद सिंह	4	3	5
2	श्री राम उजागिर	1	6	16
3	श्री जोखू सिंह	2	11	4
4	श्री सरजूराम उर्फ सरजू प्रसाद व गंगा राम	3	0	14
5	श्री जगननाथ सिंह, ...	2	0	8
6	श्री शिव राम व बंशीलाल	1	19	4 2/3
7	श्री सियाराम	0	19	12 1/3
8	श्री महाराजदीन	2	13	10
9	श्री घनश्याम सिंह	2	13	10
10	श्री जयलाल	4	8	4
11	श्री बैचन सिंह	3	3	19
12	श्री के0एन0 बंसल	2	1	1
13	श्री राजेन्द्र सिंह	1	14	1 5
14	श्री सियाराम उर्फ श्री सियाराम दयाल ..	3	14	1 8
15	श्री सूर्यभान सिंह, राधेश्याम सिंह व राजवन्त सिंह ..	4	19	5
16	श्री जगदेव	2	11	19
17	श्री जमुना प्रसाद	4	6	7
18	श्री चन्द्रभान	4	1	12 1/2
19	श्री रामसुन्दर	0	19	4

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 44 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

विद्युत वितरण मण्डल, बस्ती

वर्ष 1988 में जनवरी, 88 से दिसम्बर 88 तक प्रतिमाह प्रत्येक थाने में विद्युत खपत का विवरण

क्रम-संख्या	थानों का नाम	अनुबन्धित लोड कि0वाट	वर्ष 1988 में जनवरी 1988 से दिसम्बर 88 तक विद्युत की माहवार खपत (यूनिट)					
			जनवरी फरवरी	मार्च अप्रैल	मई जून	जुलाई अगस्त	सितम्बर अक्तूबर	नवम्बर दिसम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	यू0पी0 पुलिस क्लब, बस्ती ..	1	927	523	637	679	460	507
2	पुलिस चौकी, बभनगांवा	,,	2426	2426	2426	2426	2426	2426
3	पुलिस अधीक्षक पुलिस लाइन, बस्ती ..	,,	3200	3200	3200	3200	3200	3200
4	कोतवाली चड़याबारी, बस्ती ..	,,	1600	1600	1600	1600	1600	1600
5	कोतवाली रोडवेज, बस्ती ..	,,	1600	1600	1600	1600	1600	1600
6	कोतवाली पुलिस अधीक्षक बस्ती ..	,,	1600	1600	1600	1600	1600	1600
7	पुलिस चौकी स्टेशन रोड पुरानी, बस्ती ..	,,	1600	1600	1600	1600	1600	1600
8	पुलिस चौकी कलवारी, बस्ती ..	,,	540	540	540	540	540	540
9	पुलिस चौकी, परशुरामपुर ..	,,	42	42	42	42	42	42
10	पुलिस चौकी, कलवारी	,,	42	42	42	42	42	42
11	पुलिस चौकी, दुबौलिया	,,	42	42	42	42	42	42
12	पुलिस चौकी, पैकोलिया	,,	42	42	42	42	42	42
13	पुलिस चौकी, पैकोलिया	,,	42	42	42	42	42	42
14	पुलिस चौकी, पैकोलिया	,,	42	42	42	42	42	42
15	थाना, छावनी	,,	42	42	42	42	42	42
16	पुलिस चौकी, कप्तानगंज	,,	42	42	42	42	42	42
17	पुलिस चौकी डुमरियागंज ..	,,	74	74	74	74	74	74
18	पुलिस चौकी, डुमरियागंज ..	,,	162	131	488	133	431	242

उत्तर प्रदेश विधान सभा

19	पुलिस चौकी, इटवा ..	..	,,	42	42	42	42	42	42
20	पुलिस चौकी, सोनहा ..	..	0.3	42	42	42	42	42	42
21	पुलिस स्टेशन, खलीलाबाद	..	0.5	607	779	796	652	926	1100
22	एस0आई0, खलीलाबाद ..	..	,,	578	578	578	578	578	578
23	एस0 ओ0, खलीलाबाद ..	..	,,	614	756	608	516	275	331
24	हेड कान्स्टेबिल, खलीलाबाद	..	,,	300	298	258	285	280	252
25	सी0 ओ0, खलीलाबाद ..	..	,,	453	497	421	418	461	903
26	पुलिस स्टेशन वैरक, मेंहदावल	..	,,	212	104	114	116	134	90
27	थाना, घनघटा ..	..	,,	42	42	42	42	42	42
28	हेड कान्स्टेबिल, मेंहदावल	..	,,	56	56	56	56	56	56
29	थाना, चिल्हिया ..	..	0.3	42	42	42	42	42	42
30	पुलिस स्टेशन, महदावल ..	..	0.5	154	154	154	154	154	154
31	पुलिस स्टेशन, मेंहदावल (तृतीय)	..	,,	66	66	66	66	66	66
32	थाना, उस्का ..	..	1.0	42	42	42	42	42	42
33	थाना, मोहाना ..	..	0.3	42	42	42	42	42	42
34	पुलिस स्टेशन, गागरगढ़ ..	..	0.5	42	42	42	42	42	42
35	एस0पी0 बस्ती, मुण्डेरवा ..	..	0.5	224	290	---	448	---	448
35	थानाध्यक्ष, मुण्डेरवा ..	..	,,	42	42	42	42	42	42
37	एस0आई0, रुधौली ..	..	,,	370	370	370	370	370	370
38	एस0ओ0 पुलिस स्टेशन, रुधौली	..	,,	370	370	370	370	370	370
39	पुलिस चौकी, पैकोलिया ..	..	,,	42	42	42	42	42	42
40	एस0 ओ0, बांसी ..	..	,,	42	42	42	42	42	42
41	पी0 एस0, बांसी ..	..	0.3	1364	1364	1364	1364	1364	1364
42	एस0 आई0, बांसी ..	..	0.5	42	42	42	42	42	42
43	एस0 ओ0, तैतरी ..	..	1.0	252	252	252	252	252	252

नोट:---1---दो महीने का विद्युत बिल एक साथ निर्गत किया जाता है।

2--जहां मीटर नहीं लगा है वहां प्रत्येक दो माह का विद्युत देय चार्ज किया जाता है जिसकी खपत 42 यूनिट होती है।

शिव प्रसाद पाण्डेय,
अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत वितरण मंडल ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

विद्युत वितरण खण्ड बाराबंकी

सी0एस0-3 व सी0एस0-4 में प्रति हा0पा0 प्रति माह दर्शायी गई सरकारी (राजकीय नलकूप एवं पम्प कैनाल (100 हा0पा0 तक) एवं नवीन नलकूपों की यूनिट की खपत का विवरण:---

माह एवं वर्ष	निजी नलकूप की खपत प्रति हा0पा0 प्रति माह (यूनिटों में)	सरकारी (राजकीय नलकूप एवं पम्प कैनाल नलकूपों की खपत प्रति हा0पा0 प्रति माह (यूनिटों में)
4/86	100	200
5/86	112	200
6/86	150	200
7/86	200	250
8/86	92	116
9/86	200	241
10/86	200	221
11/86	169	..
12/86	249	..
1/87	250	237
2/87	114	241
3/87	158	241

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 46 का उत्तर पीछे पृष्ठ. 48 पर)

विद्युत् वितरण खंड बाराबंकी

वर्ष 1987 व 88 में 18 थानों का लोड व यूनिट तथा भुगतान का विवरण निम्नलिखित है

क्रम-संख्या	थाने का नाम	लोड	माह	(1987) यूनिट	(1987) भुगतान	(1988) यूनिट	(1988) भुगतान
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पुलिस चौकी, बंकी	300 वाट	जनवरी/फरवरी	700	--	108	--
			मार्च/अप्रैल	398	1661.60	1073	255.20
			मई/जून	412	--	262	--
			जुलाई/अगस्त	325	980.30	190	22-50
			सितम्बर/अक्टूबर	307	602.00	190	--
			नवम्बर/दिसम्बर	190	--	190	148.50
2	पुलिस कोतवाली सिविल लाईन, बाराबंकी ..	300 वाट	जनवरी/फरवरी	62	--	62	--
			मार्च/अप्रैल	62	--	62	--
			मई/जून	62	--	62	--
			जुलाई/अगस्त	62	--	62	--
			सितम्बर/अक्टूबर	62	--	62	--
			नवम्बर/दिसम्बर	62	--	62	--
3	पुलिस कोतवाली, बेगमगंज, बाराबंकी ..	300 वाट	जनवरी/फरवरी	703	--	701	--
			मार्च/अप्रैल	354	4357.60	500	--
			मई/जून	1209	--	170	--
			जुलाई/अगस्त	886	--	330	--
			सितम्बर/अक्टूबर	354	--	168	--
			नवम्बर/दिसम्बर	1281	--	432	--

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
4	पुलिस स्टेशन, जैदपुर ..	.. 500 वाट	जनवरी/फरवरी	424	517.10	1058	—
			मार्च/अप्रैल	467	266.00	470	—
			मई/जून	331	—	434	453-90
			जुलाई/अगस्त	321	364.40	175	—
			सितम्बर/अक्टूबर	496	750.80	42 32	329.80
			नवम्बर/दिसम्बर	432	—	1	1 37.30
5	थाना नयागंज, रुदौली ..	.. 500 वाट	जनवरी/फरवरी	84	559.10	84	—
			मार्च/अप्रैल	84	122.20	84	—
			मई/जून	84	—	84	—
			जुलाई/अगस्त	84	448.00	84	—
			सितम्बर/अक्टूबर	84	—	84	—
			नवम्बर/दिसम्बर	84	—	84	—
6	एस0ओ0, थाना आर0एस0 घाट ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	119.00	42	—
			मार्च/अप्रैल	42	155.00	42	20.00
			मई/जून	42	—	42	—
			जुलाई/अगस्त	42	73.40	42	33.40
			सितम्बर/अक्टूबर	42	—	42	36.00
			नवम्बर/दिसम्बर	42	—	42	36.00
7	एस0ओ0, थाना आर0एस0 घाट प्रथम ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	—	42	—
			मार्च/अप्रैल	42	—	42	—
			मई/जून	42	—	42	180-00
			जुलाई/अगस्त	42	—	42	—
			सितम्बर/अक्टूबर	42	—	42	—
			नवम्बर/दिसम्बर	42	—	42	—
8	एस0ओ0, थाना आर0एस0 घाट द्वितीय	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	—	42	—
			मार्च/अप्रैल	42	—	42	—
			मई/जून	42	—	42	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			जुलाई/अगस्त	42	--	42	--
			सितम्बर/अक्टूबर	42	--	42	--
			नवम्बर/दिसम्बर	42	--	42	--
9	पुलिस स्टेशन, पटरंगा ..	.. 500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	--	42	--
			मार्च/अप्रैल	42	--	42	--
			मई/जून	42	--	42	--
			जुलाई/अगस्त	42	--	42	--
			सितम्बर/अक्टूबर	42	--	42	--
			नवम्बर/दिसम्बर	42	--	42	--
10	इंचार्ज पुलिस स्टेशन, रामनगर ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	202.00	42	--
			मार्च/अप्रैल	42	--	42	70.80
			मई/जून	42	112.80	42	33.40
			जुलाई/अगस्त	42	--	42	--
			सितम्बर/अक्टूबर	42	37.40	42	33.40
			नवम्बर/दिसम्बर	42	33.40	42	33.40
11	पुलिस स्टेशन मोहम्मदपुर, खाला ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	593.60	42	66.80
			मार्च/अप्रैल	42	--	42	--
			मई/जून	42	116.80	42	--
			जुलाई/अगस्त	42	--	42	--
			सितम्बर/अक्टूबर	42	33.40	42	--
			नवम्बर/दिसम्बर	42	--	42	--
12	एस0ओ0 पुलिस स्टेशन, रुदौली ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	62	--	62	--
			मार्च/अप्रैल	62	--	62	--
			मई/जून	62	--	62	60.39
			जुलाई/अगस्त	62	--	62	71.10
			सितम्बर/अक्टूबर	62	--	62	68.00
			नवम्बर/दिसम्बर	62	--	62	71.10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
13	पुलिस चौकी, कटरा, रुदौली ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	62	---	62	---
			मार्च/अप्रैल	62	---	62	---
			मई/जून	62	---	62	69.30
			जुलाई/अगस्त	62	---	62	71.10
			सितम्बर/अक्टूबर	62	---	62	68.00
			नवम्बर/दिसम्बर	62	---	62	71.10
14	पुलिस स्टेशन, टिकैतनगर ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	---	42	---
			मार्च/अप्रैल	42	86.00	42	29.24
			मई/जून	42	---	42	33.00
			जुलाई/अगस्त	42	74.80	42	33.40
			सितम्बर/अक्टूबर	42	112.20	42	33.40
			नवम्बर/दिसम्बर	42	---	42	33.40
15	पुलिस स्टेशन, सफदरगंज ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	88.80	42	---
			मार्च/अप्रैल	42	124.00	42	78.80
			मई/जून	42	---	52	33.40
			जुलाई/अगस्त	42	33.40	42	33.40
			सितम्बर/अक्टूबर	42	16.20	42	66.80
			नवम्बर/दिसम्बर	42	---	42	---
16	पुलिस चौकी, फतेहपुर	500 वाट	जनवरी/फरवरी	126	56.70	70	86.50
			मार्च/अप्रैल	69	101.10	92	---
			मई/जून	110	180.40	42	18.00
			जुलाई/अगस्त	120	---	158	116.80
			सितम्बर/अक्टूबर	111	25.60	252	102.60
			नवम्बर/दिसम्बर	96	100.00	116	66.00
17	ग्राम पंचायत, थाना, मसौली ..	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	374.40	42	70.80
			मार्च/अप्रैल	42	36.00	42	33.40

उत्तर प्रदेश विधान सभा

			मई/जून	42	--	42	--
			जुलाई/अगस्त	42	74.80	42	--
			सितम्बर/अक्टूबर	42	78.80	42	--
			नवम्बर/दिसम्बर	42	--	42	--
18	पुलिस स्टेशन, हैदरगढ़	500 वाट	जनवरी/फरवरी	42	195.50	42	--
			मार्च/अप्रैल	42	106.70	42	4.90
			मई/जून	42	--	42	--
			जुलाई/अगस्त	42	--	42	--
			सितम्बर/अक्टूबर	42	--	42	33.40
			नवम्बर/दिसम्बर	42	--	42	108.80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0–एल0 79 विधान सभा (122)–1989–8131